लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित सस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[छटा सत्र
Sixth Session]

5th Lok Sabha

खंड 20 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XX contains Nos. 1 to 10

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

विषय सूची/CONTENTS

अंक 8, गुरुवार, 23 नवम्बर, 1972/2 अग्रहायण, 1894 (शक)

No. 8, Thursday, November 23, 1972/Agrahayana 2, 1894 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता०प्र० संख्या S.Q. No.		
141. भारत के साथ पुन: युद्ध की संभावना पर अमरीका में पाकिस्तानी राजदूत का वक्तव्य	Statement of Pak Envoy in U.S. on Possibility of Renewed War with India	1–3
142. शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता	Unemployment Allowance to educated Unemployed	3–6
143. सरकार द्वारा अपेक्षित उत्पादनों के लिए आयात प्रतिस्थापन	Import Substitution for products required by Government	6–8
144. दुर्गापुर संयन्त्र में आयातित मशीनरी के अप्रयुक्त रहने के कारण हुई हानि	Loss suffered for Non-utilisation of Imported Machinery at Durgapur Steel Plant	8–9
145. इस्पात संयन्त्रों की पूंजी लागत और कार्यगत लागत में कमी करना	Curtailing of Capital and Operational Costs of Steel Plants ..	10–13
147. श्रीलंका में इस्पात कारखानों की स्थापना	Setting up of Steel Plant in Sri Lanka	13
149. श्रमजीवी पत्रकारों के लिए मजूरी पंचाट की क्रियान्विति	Implementation of Wage for working Journalists	14–15
152 ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्च आयोग में कर्मचारियों का तीन वर्ष से अधिक समय तक बने रहना।	Stay of Staff in Indian High Commission U.K. for over three years	15–16
प्रश्नों के लिखित उत्तर	*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS*	
ता० प्र० संख्या S. Q. No.		
146. चिल्का झील, उड़ीसा में नौसेना प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण	Construction of Navy Training Centre at Chilka Lake in Orissa	16
148. छोटे इस्पात संयन्त्रों की स्थापना	Setting up of Mini Steel Plants	16

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
150.	बंगला देश का संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश	Admission of Bangladesh into UNO ..	17
151.	उद्योगों के लिए वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान इस्पात का आयात	Import of Steel for Industries during 1972-73 and 1973-74 ..	17
153.	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में वित्तीय संकट	Financial Stringency faced by National Coal Development Corporation and Bharat Coking Coal Ltd.	17–18
154.	कम्पनियों द्वारा बोनस की अदायगी करने पर निगरानी रखने के लिए समिति	Committee to keep watch on payment of Bonus by Companies	18
155.	भारत और अमरीका के बीच मित्रता और सहयोग स्थापित करने सम्बन्धी एक संधि करने का प्रयास	Move for Treaty of Friendship and cooperation between India and USA	18
156.	नर्सिंग अर्दलियों से फार्मासिस्ट का कार्य कराना	Utilisation of nursing orderlies as Pharmacist :	18–19
157.	नई श्रमिक नीति	New Labour Policy	19
158.	कोक कर कोयले की कमी के कारण इस्पात संयन्त्रों के उत्पादन में कमी	Low production at Steel Plants due to Shortage of Coking Coal	19
159.	एनवाय टी०के० 67 ट्रांजिस्टरों की कैंटीन स्टोरों पर बिक्री	Sale of Envoy TK-67 Transistors through Canteen Stores ..	19–20
160.	'हाऊ टू लूज मनी एण्ड नाट फाइण्ड ए जाब' (पैसा गंवाइए और नौकरी भी न पाइए) शीर्षक से प्रकाशित समाचार	News Item 'How to lose money and not find a job'	

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.			
1401.	केरल में पार पत्र जारी करने वाला कार्यालय खोलना	Opening of a Passport Issuing Office in Kerala	20
1402.	बम्बई स्थित मजगांव डाक लिमिटेड का लेखा-परीक्षण	Audit of Mazagon Dock Limited, Bombay	20
1403.	अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग द्वारा भारत से युद्धबंदियों को रिहा करने का अनुरोध	International Jurist Commission urged India for release of P.O. Ws.	20–21
1404.	मध्य प्रदेश में नए आयुध कारखानों की स्थापना	Setting up of new Ordnance Factories in Madhya Pradesh	21
1405.	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की तुलना में इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का उत्पादन	Production of IISCO in comparison with Durgapur Steel Plant	21
1406.	लापता जवानों को शौर्य पुरस्कार	Gallantry Awards to Missing Jawans	21–22
1407.	भारतीय सेना के लापता सैनिकों के बारे में जानकारी	Whereabouts of Missing soldiers of Indian Army	22

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1408.	अखिल भारतीय नेत्रहीन राहत संस्था, नई दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि	EPF in All India Blind Relief Society, New Delhi	22
1409.	आसाम कोयला खान मजदूर कांग्रेस का ज्ञापन	Memorandum from Assam Colliery Mazdoor Congress .. .	22
1410.	रेलवे माल डिब्बों से कोयला चुराने वाले गिरोह	Coal Rackets in Railway Wagons	22–23
1411.	आसाम के लिए छोटा इस्पात संयन्त्र	Mini Steel Plant for Assam	23
1412.	आसाम, नागालैण्ड तथा मेघालय में कोयला खानों का अधिग्रहण	Taking over of coal mines in Assam	23
1413.	अविभाजित पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश के निवासियों की दुकानों के बारे में भारत के कस्टोडियन जनरल के पास अनिर्णित पड़े मामले	Cases pending with Custodian-General of India regarding shops owned by Residents of undivided Punjab and Himachal Pradesh ..	23–24
1414.	मजदूर शिक्षा केन्द्र	Labour Education Centres	24
1415.	कोल इन्वैस्टमेंट क्लाइमेट	Coal Investment Climate	24
1416.	भारी इंजीनियरिंग निगम रांची के लिए रूस से आयातित उपकरणों के लिए दिया गया विलम्ब शुल्क	Demurrage paid for components imported from USSR for Heavy Engineering Corporation, Ranchi	24–25
1417.	बोकारो इस्पात संयन्त्र में पूंजी निवेश	Capital investment in Bokaro Steel Plant	25
1418.	युद्ध बन्दियों को भारतीय हिरासत से भागने में भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा सहायता करना	Indian Nationals helping prisoners of War to escape from Indian custody	25
1419.	कलकत्ता में इस्पात के कोटे के परमिटों के दुरुपयोग के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा चलाए गए मामले।	Cases filed by CBI Against Misuse of Steel Quota permits in Calcutta	25–27
1420.	उपग्रह के माध्यम से टेलीविजन कार्यक्रमों के बारे मे अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन	International Convention on T.V. Programmes through Satellite ..	27
1421.	भारतीय महिलाओं को द्वारका जहाज में पश्चिम एशिया ले जाया जाना	Carrying away of Indian women to West Asia on the ship Dwarka	27–28
1422.	जखमी अथवा विकलांग सैनिकों को वित्तीय सहायता अनुग्रह पूर्वक अनुदान	Financial help/Ex-gratia grants to wounded or Disabled Military Personnel ..	28
1423.	लेबनान पर इजरायली बमबारी रोकने संबंधी उपाय	Measures to control Israeli Bombing over Lebanon ..	28
1424.	भारतीय प्रतिरक्षा व्यवस्था में उदयगिरी नामक युद्ध पोत का शामिल किया जाना	Inclusion of a Warship Udaygiri in Indian Defence ..	29
1425.	ऊपरी उड़ानों के सम्बन्ध में पाकिस्तान से वार्ता	Negotiations with Pakistan regarding overflights	29

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1426.	भारतीय वायुसेना द्वारा डाकोटा विमानों का विक्रय	Dakota Planes sold by Indian Air Force 29
1427.	बंगलौर में नए हैलीकोप्टर कारखाने का निर्माण	Construction of new Helicopter Factory at Bangalore 29–30
1428.	भारत में डिजाइन किया गया तथा निर्मित राकेट असिसटेन्ट उपकरण	Rocket Assistance Device Designed and Manufactured in India 30
1429.	पाकिस्तानी विमानों की भारतीय क्षेत्र के ऊपर से उड़ानों पर रोक के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन के अधिकार क्षेत्र के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय	Decision of International Court of Justice over Jurisdiction of ICAO in the case of bar on Overflights of Pakistan Planes 30
1430.	1972-73 के दौरान उर्वरकों का आयात	Import of Fertiliser during 1972-73 31
1431.	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को वर्ष 1971-72 में हुई हानि	Losses suffered by Hindustan Steel Limited during 1971-72 31–32
1432.	श्रमजीवी पत्रकारों के वेतनमान	Grades of Working Journalist 32
1433.	त्रिपुरा में सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को सहायता	Aid to people of border area in Tripura .. 32–33
1434.	दादरा और नागर हवेली के लिए श्रमिक आयुक्त	Labour Commissioner for Dadra and Nagar Haveli .. 33
1435.	बंगला देश सीमाशुल्क विभाग द्वारा भारतीय रेल का रोका जाना	Indian train held up by Bangladesh customs Department .. 33
1436.	पाकिस्तान में पकड़े गए भारतीय नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार	Maltreatment of Indian Citizens detained in Pakistan .. 34
1437.	श्री बादूदखां की नियुक्ति के विरोध में बोकारो इस्पात कारखाने के अध्यक्ष द्वारा पद त्याग	Quiting of post by Chief of Bokaro Steel Plant in protest against appointment of Shri Wadud Khan .. 34
1438.	युद्ध बन्दियों के रूप में पाकिस्तान में पकड़े गए भारतीय सैनिकों की सूची	List of names of Indians taken as POWs in Pakistan .. 34
1439.	दिल्ली में पंजीकृत बरोजगार व्यक्ति	Registered unemployed in Delhi 35
1440.	1976 तक बोकारो इस्पात कारखाने को होने वाला वार्षिक घाटा	Annual loss in Bokaro Steel Plant till 1976 35
1441.	भारत में अमरीकी राजदूत का रिक्त स्थान	Vacant Post of US Ambassador to India 36
1442.	अरब की खाड़ी के देशों को भारत से सेविकाएं भेजने के बार में भारतीय राजदूतों से प्राप्त समाचार	Reports from Indian Envoys about exporting of Indian Maids to Persian Gulf Countries
1443.	सलेम इस्पात कारखाने का कार्यकरण	Working of Salem Steel Plant 36–37

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1444.	सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयन्त्रों का लाभकारी कार्यकरण	Profitable working of Public Sector Steel Plants	37
1445.	इस्पात सम्बन्धी होल्डिंग कम्पनी में नियुक्तियां	Appointments in Holding Company for Steel	38
1446.	सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में उत्पादन	Production at Steel Mills in Public Sector	38
1447.	इस्पात आयात नीति के बारे में मतभेद	Differences over Steel Import Policy	38
1448.	बिहार और दिल्ली में शिक्षित बेरोजगार महिलाएं	Educated Unemployed Women in Bihar and Delhi	39
1450.	बिहार और दिल्ली के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रीधारी	Graduates and post Graduates registered with Employment Exchanges in Bihar and Delhi	39–40
1451.	भारतीय कैम्पों में छः युद्धबन्दियों की मृत्यु	Death of six P.O.W's in Indian Camp ..	40
1452.	भारत में पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों की संख्या तथा पाकिस्तान में भारतीय युद्ध बन्दियों की संख्या	Number of Pakistani P.O.W's and Indian P.O.W's. each other's country ..	41
1453.	वियतनाम के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग की एक नई संस्था का प्रस्ताव	Proposal for a New Body of International Control Commission for Vietnam	41
1454.	वियतनाम के बारे में अमरीका का शांति योजना का प्रतिवेदन	Report of US peace Plan on Vietnam	41–42
1455.	टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के विस्तार के लिए टाटा का प्रस्ताव	Tata's proposal for Expansion of TIS CO ..	42
1456	ब्रिटेन स्थित भारतीय हाई कमीशन में सेवा निवृत्ति प्राप्त एक व्यक्ति को शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त करना	Appointment of a Superannuated person as a Educational Advisor to Indian High Commission in U.K. ..	42
1457.	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा उत्पादित कोयले का परिवहन	Movement of Coal produced at NCDC	43
1458.	भारतीय वायु सेना की विमान दुर्घटनाओं का सामान्य सीमा तक होना	IAF Accidents within permissible Limits	43
1459.	हिन्द महासागर में कोयला निक्षेपों का पाया जाना	Discovery of coal Deposits in the Indian Ocean	43–44
1460.	इस्पात सम्बन्धी होल्डिंग कम्पनी के अध्यक्ष द्वारा विदेशों का दौरा	Visit of Chairman of holding Company for Steel to Foreign Countries	44
1461.	अन्दमान और निकोबार द्वीप समूहों में श्रमिक अशांति	Labour disturbances in Andaman and Nicobar Islands	44

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1462.	इस्पात का उत्पादन, आयात और राज्यों को वितरण	Production, Import and Distribution of Steel to States	44
1463.	कोयला खान श्रमिकों में क्षय रोग	Incidence of T.B. in Coal Mine Workers	45
1464.	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को बोनस	Bonus to Central Government Employees	45
1465.	विदेशों में भारतीय दूतावासों के कार्यालय भवनों पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा	Foreign exchange spent on housing of Indian Missions abroad	45
1466.	सशस्त्र सैनिकों के लिए एक पेंशन आयोग की नियुक्ति	Appointment of a pension commission for Armed Forces	46
1467.	कलकत्ता मैदान का नाम बदल कर नेताजी मैदान रखना	Renaming of Calcutta Maidan as Netaji Maidan	46
1468.	दुर्गापुर अलाय स्टील प्लान्ट में हस्त चालित शीटमिलों में इस्पात की शीटों का उत्पादन	Production of Steel Sheets at Hand Driven Sheet Mills at Durgapur Alloy Steel Plant	46
1469.	दुर्गापुर अलाय स्टील प्लान्ट में हस्तचालित शीट मिल स्थापित करने के बारे में आपत्तियां	Objections to setting up a Hand Driven Sheet Mill in Durgapur Alloy Steel Plant ..	47
1470.	शिमला समझौते पर पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर का रुख	Stand of Pakistan-occupied Kashmir on Simla Agreement ..	47
1472.	पांचवीं योजना में भारत और सोवियत संघ में आर्थिक सहयोग का प्रस्ताव	Proposal for Economic Collaboration between India and USSR during Fifth Plan	47
1473.	भारतीय वायु सेना के लिए एच०एस० 748 विमान	HS 748 Aircraft for Indian Air Force	48
1474.	कोयला खानों में सातों दिन काम की व्यवस्था	Seven day work system in Collieries	48
1475.	कोयले की मांग	Demand for Coal	48
1476.	विशाखापत्तनम में प्रस्तावित इस्पात संयंत्र के लिए स्थल का परिवर्तन	Change of Site of proposed Steel Plant at Vasakhapatnam ..	49
1477.	झामर कोटड़ा में 'राक फास्फेट' निक्षेपों को अपने अधिकार में लेना	Taking over of rock phosphate deposits at Jhamar Kotra	49
1478.	कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि के भुगतान में छूट देना	Waiving of Payment of E.P.F. arrears	49
1479.	मजदूरी को उत्पादिता और मूल्यों के साथ सम्बन्धित करना	Linking of Wages with productivity and prices	49
1480.	प्रादेशिक सेना कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्ति लाभों की मांग	Demand for retirement benefits by Territorial Army personnel ..	50

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1481.	लोहा, निकल और तांबा निक्षेपों को निकालने के लिए उत्तर प्रदेश की महरौनी तहसील में सर्वेक्षण	Survey in Mahroni Tehsil in Uttar Pradesh to exploit Iron, nickel and Copper Deposits	50
1482.	संयुक्त राष्ट्र में पुर्तगाल द्वारा भारत की विदेश नीति के आक्रामक होने का आरोप लगाना	Alleged Portugese charge of Aggression in India Foreign Policy in U.N.	50–51
1483.	नाविकों को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत लाना	Inclusion of Seamen under Workmen Compensation Act	51
1484.	विजयन्त टैंक के सुधरे हुए माडल का डिजाइन	Improved version of Vijayanta Tank ..	51
1485.	बख्तरबन्द सैनिक गाड़ियों के निर्माण के लिए कारखाने की स्थापना	Setting up a manufacturing unit of Armoured Personnel Carrier	51–52
1486.	विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों द्वारा भारतीय वस्तुओं का उपयोग	Use of Indian goods by Indian Missions abroad ..	52
1487.	बेरोजगारी के बारे में विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन	Export of Expert Committee on Unemployment	52
1488.	बोकारो इस्पात कारखाने के निदेशक मंडल का गठन	Composition of Board of Directors of Bokaro Steel Plant	52–53
1489.	दुर्गापुर इस्पात कारखाने की बजाय सेलम में स्टेनलेस स्टील बनाने के निर्णय के बारे में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के बीच विवाद	Controversy between Tamil Nadu and West Bengal on decision to Manufacture Stainless Steel at Salem instead of at Durgapur Steel Plant	53
1490.	इस्पात के मूल्यों में वृद्धि	Increase in prices of Steel	53–54
1491.	शिक्षित और तकनीकी बेरोजगार व्यक्ति	Educated unemployed and Technical Personnel ..	54
1492.	दि स्टेटसमैन में 'दि लैसंस आफ बोकारो' शीर्षक से छपा लेख	The Article 'The Lessons of Bokaro' in the Statesman	54
1493.	राज्यों में रोजगार कार्यालयों में रजिस्टर हुए व्यक्ति	Persons registered with Employment Exchanges in States ..	55
1494.	कर्मचारी वर्ग के लिए वास्तविक मजूरी का सूचकांक	Index of Real Wages for Working Class	55
1495.	हिन्द महासागर में सातवें बेड़े की गतिविधियां	Seventh Fleet Operations in Indian Ocean Area ..	55–56
1496.	निरस्त्रीकरण पर विश्व बैठक बुलाने का प्रस्ताव	Proposal for a World Meeting on Disarmament ..	56
1497.	भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास की समस्या का क्रांतिकारी हल	Radical Solution to Problem of Rehabilitation of Ex-Servicemen	56

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1498.	नेपाल में अमरीकी महिला राजदूत को भारत में राजदूत के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव	Proposal to Post Lady Ambassador of U.S. to Nepal as U.S. Ambassador to India ..	57
1499.	हड़ताल के कारण खेतड़ी तांबा परियोजना को हुई हानि	Loss suffered by Khetri Copper Project due to Strike	57
1500.	इस्पात की मांग और सप्लाई।	Demand and Supply of Steel	58
1501.	शिक्षित बेरोजगारों को सुविधाएं	Amenities to Educated Unemployed	58
1502.	अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में विस्थापितों का पुनर्वास	Rehabilitation of Displaced Persons in Andaman and Nicobar Islands	58–59
1503.	संगठित और असंगठित औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार	Employment in Organised and Unorganised Industrial Sector	59
1504.	राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा की गई सिफारिशें	Recommendations made by National Commission on Labour	60
1505.	कोककर कोयला खानों में ठेका पद्धति की समाप्ति	Abolition of Contract System in Coking Coal Mines	61
1506.	रोजगार कार्यालय (रिक्त पदों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 का पालन न करना	Non compliance of Employment Exchange (Compulsory Notification of Vacancies) Act, 1959	61
1507.	इस्पात संयन्त्र उपकरण सम्बन्धी मानकीकरण समिति की सिफारिशें	Recommendation of Committee on Standardisation of Steel Plant Equipment ..	61–62
1508.	रोजगार और बेरोजगारी के सर्वेक्षण के सम्बन्ध में सर्वेक्षण और अध्ययन	Surveys and Studies about Employment and Unemployment	62
1509.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों का सर्वेक्षण	Survey of Vacancies Reserved for S.C. and S.T. ..	62
1510.	रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए एशियाई प्रादेशिक परियोजना	Asian Regional Project for Employment Promotion	62–63
1511.	मृत सैनिकों के परिवारों को सुविधाएं	Facilities to Families of Killed Army Personnel ..	63
1512.	इस्पात संयन्त्रों के लिए एक संयुक्त समिति बनाना	Setting up of a Joint Committee for Steel Plants	64
1513.	अनिवार्य सैनिक सेवा	Compulsory Military Service	64
1514.	दिल्ली में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत प्रशिक्षित स्नातक और प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षक	TGT and PGT registered with Employment Exchanges in Delhi	64–65
1515.	भारतीय श्रम अध्ययन संस्थान द्वारा चलाए जाने वाले पाठ्यक्रम	Courses conducted by Indian Institute of Labour Studies ..	65–66
1516.	पाकिस्तान के साथ राजनयिक सम्बन्ध बहाल करना	Restoration of Diplomatic Relations with Pakistan ..	66

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1517.	भूतपूर्व सैनिकों के लिए पदों तथा उनके बच्चों के लिए कालिजों में स्थानों का आरक्षण	Reservation of Posts for Ex-service-men and Seats in Colleges for their Children ..	66
1518.	हिमाचल प्रदेश के योल छावनी क्षेत्र में भूमि का अधिग्रहण	Acquisition of Land in Yol. Cantt. Area of Himachal Pradesh	66–67
1519.	पाकिस्तान अधिकृत पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों से विस्थापित असैनिक लोगों का पुनर्वास	Rehabilitation of Civilians uprooted from Border Areas of Punjab in Occupation of Pakistan ..	67
1520.	उर्वरक के आयात में कठिनाइयां	Difficulties in Import of Fertiliser	67
1521.	भिलाई इस्पात संयन्त्र से 70 एन०एम०आर० कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of 70 NMR Workers in Bhilai Steel Plant ..	67
1522.	चाबागान मजदूर यूनियन सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल से ज्ञापन	Memorandum from Chabagan Mazdoor Union Siliguri, West Bengal	68
1523.	यूगांडा द्वारा भारतीय दूर संचार इंजीनियर भेजने का अनुरोध	Request from Uganda for Indian Tele-communication Engineers	68
1524.	भारत और कीनिया के बीच परामर्श करने के लिए नियमित रूप से बैठकों का सुझाव	Suggestion for Regular Consultative meetings between India and Kenya	68
1525	मजूरी बोर्ड पंचाट को लागू न करने वाली खानों से कोयले की खरीद	Purchase of Coal from Mines which have not Implemented Wage Board Awards	69
1526.	भारत में तिब्बती शरणार्थी	Tibetan Refugees in India	69
1527.	रूस के ऋण से बोकारो इस्पात संयन्त्र का विस्तार	Expansion of Bokaro Steel Plant with further Credit from USSR..	69–70
1528.	पाकिस्तान में भारतीय युद्धबन्दियों की सूची में विमानों से कूदे चालकों के नाम शामिल न करना	Omission of names of Baled out Pilots in List of P.O.W's in Pakistan	70
1529.	पाकिस्तान द्वारा पश्चिम बंगाल के पत्रकारों का मुक्त किया जाना	Release of Journalists of West Bengal by Pakistan ..	70
1531.	पाकिस्तान के बड़े नगरों में पाकिस्तानी सेना का जमाव तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरंग बिछाने के कार्य	Concentration of Pakistan Forces in Major Cities of Pakistan and Mine laying Operations in Border Areas	70–71
1532.	सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों से उत्पादन लक्ष्यों की प्राप्ति	Realisation of Targets of Production at Public Sector Steel Plants	71–73
1533.	विशाखापत्तनम में इन्टीग्रेटेड इस्पात संयन्त्र की स्थापना में विलम्ब	Delay in setting up of an Integrated Steel Plant at Visakhapatnam	73–74
1534.	आन्ध्र प्रदेश में स्पंज लौह अयस्क संयन्त्र की स्थापना	Setting up of a Sponage Iron Plant in Andhra Pradesh	74

अतारां० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1535.	भारतीय सशस्त्र सेना के कमान ढांचे में परिवर्तन	Changes Command Structure of Indian Armed Forces	74
1536.	कानपुर में विशिष्ट मिश्र इस्पात संयंत्र के बारे में प्रगति	Progress of Special Alloy Steel Plant of Kanpur ..	74–75
1537.	सरगुजा में कोयला खानों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Workers Collieries in Sarguja	75
1538	मध्य प्रदेश में मिलों पर कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि	Mills in Arrears of E.P.F. in Madhya Pradesh	75–76
1539.	पाकिस्तानी युद्धबन्दियों को छोड़ने के लिए ईरान और तुर्की का अनुरोध	Iran and Turkey's Request for Release of Pakistani P.O.W's ..	76
1540.	कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के परिणाम	Results of Nationalisation of Coal Mines ..	76–77
1542.	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा गिरिडीह (बिहार) में नई कोयला खाने खोलने की योजना	Scheme by N.C.D.C. for Starting New Coal Mines at Giridih in Bihar ..	77–78
1543.	दानापुर छावनी की सड़कों की खराब हालत	Dilapidating conditions of Roads of Danapur Cantonment	78
1545.	पांचवी योजना के दौरान स्थापित किये जाने वाले नए इस्पात संयन्त्रों सम्बन्धी निर्णय को बदलना	Change in Decision Regarding New Steel Plants to be set up during Fifth Plan	78
1546.	सरकारी क्षेत्र की भारी इंजीनियरिंग परियोजनाओं के लिए होल्डिंग कम्पनी के गठन का प्रस्ताव	Proposal to set up Holding Company for Public Sector Heavy Engineering Projects ..	78
1547.	पंजीकृत बेरोजगारों की प्रतिशतता में वृद्धि	Increase in Percentage of Registered unemployed	79
1548.	मजगांव डाक लिमिटेड, बम्बई द्वारा निर्मित जहाज	Vessels Built by Mazagon Dock Limited, Bombay	79–80
1549.	कारखाना अधिनियमों और श्रमिक नियमों के उल्लंघन के बारे में दर्ज मुकद्दमें	Cases Registered for Violation of Factory Acts and Labour Laws	80
1550.	विशाखापत्तनम, सलेम तथा हास्पेट में इस्पात संयन्त्र स्थापित करने के सम्बन्ध में संभाव्यता प्रतिवेदन	Feasibility Report for Setting up Steel Plants at Visakhapatnam. Salem and Hospet ..	80–81
1551.	युद्धबन्दी शिविर, मध्य प्रदेश की घटना के बारे में जांच	Enquiry Re : Incident in P.O.W's Camp, Madhya Pradesh	81
1552.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा बेचे गए हीरों का कम मूल्य	Low prices of Diamonds sold by N.M.D.C.	81–82
1553.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की हीरा खनन परियोजना को हानि	Losses incurred by Diamond Mining Project of NMDC	82

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1554.	बोनस अध्यादेश को संकटग्रस्त एककों पर लागू करना	Application of Bonus Ordinance to Sick and Ailing Units	82
1555.	मिश्रित इस्पात संयन्त्र, दुर्गापुर में सीमलेस ट्यूबों के उत्पादन के लिए तकनीकी जानकारी	Know how for production of Seamless Tubes at Alloy Steel Plant, Durgapur	82
1556.	इस्पात के लिए प्रस्तावित होल्डिंग कम्पनी से बोकारो इस्पात संयन्त्र को अलग रखना	Exclusion of Bokaro Steel Plant from Proposed Holding Company for Steel	83
1557.	बोकारो इस्पात संयन्त्र की प्रथम धमन भट्टी के चालू करने में विलम्ब	Delay in Commissioning of First Blast Furnace of Bokaro Steel Plant	83
1558.	भिलाई इस्पात संयन्त्र की भूमि का फार्म परियोजना के लिए उपयोग करने के लिए स्टेट फार्मस कारपोरेशन द्वारा अनुरोध	Request by State Farms Corporation for land of Bhilai Steel Plant for Farm Project	83-84
1559.	केरल के जवानों की विधवाओं को दी जाने वाली सुविधाएं	Facilities to the Widows of Jawans of Kerala ..	84
1560.	राज्यों को लोहे और इस्पात की सप्लाई	Supply of Iron and Steel to States	85
1561.	केरल में राष्ट्रीय संसाधनों के लिए सर्वेक्षण	Survey for National Resources in Kerala	85-86
1562.	बैलाडिला मध्य प्रदेश में इस्पात कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to set up a Steel Plant at Bailadilla in Madhya Pradesh	86
1564.	पाकिस्तान में भारतीय युद्धबन्दियों के साथ किया गया व्यवहार	Treatment meted out to Indian P.O.W's in Pakistan	86
1565.	परियोजनाओं के लिए भारतीय परामर्शदात्री सेवा	Indian Consultancy Service for Project	86
1567.	दुर्गापुर में इस्पात संयन्त्र के रिफैक्टरी विभाग के कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of Workers of Refractory Department in Durgapur Steel Plant ..	87
1568.	राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक सम्बन्धों के सुधार के लिए विदेशों से समझौता	Agreements with Foreign Countries for Promoting Political and Socio Economic Relations ..	87
1569.	लौह अयस्क के उत्पादन को बढ़ाने सम्बन्धी योजना	Scheme for Boosting Output of Iron Ore ..	87
1570.	रूरकेला इस्पात संयन्त्र के उत्पादन में वृद्धि	Increased Production at Rourkela Steel Plant	88
1571.	बालासौर स्थित प्रूफ एण्ड एक्सपेरीमेंट विभाग के कर्मचारियों को ऋण दिया जाना	Payment of Advance to Employees of Proof and Experiment at Balasore	88

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1572.	सान फ्रांसिस्की तथा गुयाना में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों का खोला जाना	Opening of Indian Cultural Centres in San Fransisco and Guyana	88-89
1573.	छोटी प्रतिष्ठानों में भविष्य निधि योजनाओं को लागू करना	Extension of P.F. Schemes to Smaller Establishments	90
1574.	एक निकल संयन्त्र की स्थापना	Setting up a Nickel Plant	90
1575.	भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था, कलकत्ता का विभाजन	Bifurcation of the Office of Geological Survey of India in Calcutta	90-91
1576.	विभिन्न शिविरों से युद्ध बन्दियों द्वारा भाग निकलने के प्रयास	Attempts to Escape by POW's from Different Camps	91
1577.	भारतीय रेडक्रास द्वारा राहत सामग्री के असन्तोषप्रद वितरण के बारे में शिकायतें	Complaints regarding Unsatisfactory Distribution of Relief Materials by Indian Red Cross	92
1578.	विदेश स्थित मिशनों में आर्थिक क्षेत्र में प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी	Shortage of Trained Personnel in Economic Field in Missions Abroad	92
1579.	केरल के काटन हिल बंगले को खाली करना	Release of Cotton Hill Bungalow of Kerala	92
1580.	युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष न्यायाधिकरण	Special Tribunals to try war Criminals	93
1581.	1959 में तिब्बत में उपद्रव भड़काने का भारत पर आरोप	Chinese Allegation against India for instigating troubles in Tibet in 1959	93
1582.	सैगोन सरकार से वाणिज्यदूतीय सम्बन्ध समाप्त करने का प्रस्ताव	Proposal to Terminate consular relations with Saigon Regime	93
1583.	वाणिज्यक प्रयोजनों हेतु भंडारों से चूने के पत्थरों का निकाला जाना	Exploitation of Limestone deposits for commercial purposes	93
1584.	मैसूर राज्य खनिज विकास बोर्ड द्वारा आरक्षित किये गए क्षेत्रों का खनन के लिए उपयोग	Utilisation of areas reserved by Mysore State Board of Mineral Development for Mining	94
1585.	गत गणतन्त्र दिवस परेड में राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों द्वारा भाग लिया जाना	Participating NCC Cadets in last Republic Day Parade	94-95
1586.	दुर्गापुर में श्रम स्थिति में सुधार करने हेतु श्रमिकों के साथ परामर्श करने के लिए त्रिसूत्रीय प्रणाली	Three Tier System of consultation with workers to improve Labour situation at Durgapur ..	95
1587.	टाटा संस्थान के प्रबन्ध निदेशक की सेवाएं लेना	Requisitioning of Services of Managing Director of Tata Institute	95
1588.	"व्हाई नाट ए बोनस टु दि नेशन" शीर्षक का समाचार पत्र लेख	Newspaper Article "Why not a Bonus to the Nation" ..	95-96

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1589.	इस्पात के आयात की नीति पर मतभेद	Difference over Policy for Import of Steel ..	96
1590.	केरल में लोहे तथा इस्पात की अपर्याप्त सप्लाई	Inadequate Supply of Iron and Steel in Kerala	96
1591.	मजदूर संघ आन्दोलनों में हिंसा	Violance in Trade Union Movement	96–97
1592.	बिहार में कोयला खानों में ठेका प्रणाली	Contract system in coal Mines in Bihar	97
1593.	बिहार के केडला और झारखण्ड क्षेत्रों में प्रबन्ध ठेकेदारों द्वारा चलाई जाने वाली कोयला खानें	Coal Mines run by Managing contractors in Kedla and Jharkhand areas of Bihar ..	97
1594.	बिहार के केडला और झारखण्ड क्षेत्र के कोयला खान श्रमिकों के लिए प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों का निरीक्षण	Inspection of First Aid Posts for Coal Mine Workers of Kedla and Jharkhand Region of Bihar	97–98
1595.	विवेक सिनेमा, नई दिल्ली द्वारा अनधिकृत रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा	Government Land occupied unauthorisedly by Vivek Cinema, New Delhi	98
1596.	मैसर्स गनेश काटन एण्ड आयल मिल्स द्वारा विभिन्न राज्यों में अनधिकृत रूप से कस्टोडियन की जमीन पर कब्जा किया जाना	Custodian Land occupied unauthorisedly by M/s Ganesh Cotton and Oil Mills in different States	98
1597.	मैसर्स साईकिल गियर फैक्टरी कालकाजी, नई दिल्ली द्वारा अनधिकृत रूप से सरकारी भूमि पर कब्जा	Government Land occupied unauthorisedly by M/s Cycle Gear Factory, Kalkaji, New Delhi	98–99
1598.	बन्द हुई फैक्टरियां	Factories closed	99
1599.	भारत की क्षेत्रीय जल सीमा के विस्तार के लिए प्रस्ताव	Proposal for enlargement of Indian Territorial Water Boundary	99
1600.	सी०आई०ए०. के सक्रिय कार्यकर्ताओं की सूची	List of active workers of CIA	99
	विविध मामले	Miscellaneous Matters	99–100
	सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table	101
	अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1970-71	Demands for Excess Grants (Railways), 1970-71 ..	101
	श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Inderjit Gupta ..	101–102
	श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad ..	102–103
	श्री समर गुह	Shri Samar Guha	103
	श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	103
	श्री प्रबोध चन्द्र	Shri Prabodh Chandra ..	103–104
	श्री अटल बिहारी बाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee ..	104
	श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee	104
	श्री टी० ए० पाई	Shri T.A. Pai ..	104–105

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
विनियोग (रेल) संख्या 5 विधेयक, 1972 पुरःस्थापित और पारित	Appropriation (Railways) No. 5 Bill 1972—Introduced and Passed	105
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	105
श्री टी०ए० पाई	Shri T.A. Pai	105–106
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	106
खंड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	106
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	107
श्री टी०ए० पाई	Shri T.A. Pai	107
खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक	Food Corporations (Amendment) Bill	108
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	108
श्री अण्णासाहिब शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde	108
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	108–109
श्री सतपाल कपूर	Shri Sat Pal Kapur	109–110
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee	110
श्री सी० डी० गौतम	Shri C.D. Gautam	110
श्री जे० माता गौडर	Shri J. Matha Gowder	110
श्री लीलाधर कटकी	Shri Liladhar Kotoki	111
श्री अटल बिहारी बाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	111
श्री आर० एन० शर्मा	Shri R.N. Sharma	112
श्री साधु राम	Shri Sadhu Ram	112
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	112
श्री राम गोपालरेड्डी	Shri Ram Gopal Reddy	113
श्री नाथू राम मिर्धा	Shri Nathu Ram Mirdha	113
खंड 2 से 7 और 1	Clauses 2 to 7 and 1	115
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	115
श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde	115
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	115

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1972-73	Supplementary Demands for Grants (General), 1972-73	115-116
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	116
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad	118
श्री भोगेन्द झा	Shri Bhogendra Jha	119
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana	119
श्री जे० माता गौडर	Shri J. Matha Gowder	120
श्री एस० ए० कादर	Shri S.A. Kadar	121
श्री वीरेन्द्र अग्रवाल	Shri Virendra Agarwal	121
श्री कृष्ण चन्द्र पान्डे	Shri Krishna Chandra Pandey ..	122
श्री धन शाह प्रधान	Shri Dhan Shah Pradhan	122
डा० सरोजिनी महिषी	Dr. Sarojini Mahishi	123-124
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद	Shri Sidheshwar Prasad	124

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 23 नवम्बर, 1972/2 अग्रहायण, 1894 (शक)
Thursday, November 23, 1972/Agrahayana 2, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजकर दो मिनट पर समवेत हुई
The Lok Sabha met at two minutes past Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भारत के साथ पुनः युद्ध की सम्भावना पर अमरीका में पाकिस्तानी राजदूत का वक्तव्य

***141. श्री बी० के० दासचौधरी :**
श्री कमल मिश्र मधुकर :

क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में वाशिंगटन में 'सेंट लुई पोस्ट' के साथ इंटरव्यू में पाकिस्तानी राजदूत ने पाकिस्तान और भारत के बीच पुनः युद्ध आरम्भ होने की संभावना की बात की थी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) बताया जाता है कि सेंट लुई पोस्ट डिस्पैच को इंटरव्यू देते हुए संयुक्त राज्य अमरीका में पाकिस्तानी राजदूत ने कहा है कि यदि भारत और पाकिस्तान पुनः बातचीत शुरू नहीं करते, तो "दोनों देशों के बीच एक नए युद्ध की संभावना बढ़ेगी।"

(ख) यदि सही रिपोर्ट की गई है, तो पाकिस्तान के राजदूत का वक्तव्य आश्चर्यजनक है। शिमला समझौता के क्रियान्वयन में विलम्ब के लिए भारत उत्तरदायी नहीं है। इसके अतिरिक्त "युद्ध" की कोई भी चर्चा शिमला समझौता की भावना के विरुद्ध है क्योंकि इस समझौते के अन्तर्गत सभी मसलों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना है। सरकार आशा करती है कि पाकिस्तान शिमला समझौता की भावना एवं शब्द का पालन करेगा।

श्री बी० के० दासचौधरी : जैसा कि मन्त्री महोदय ने बताया है कि यदि रिपोर्ट सही है तो यह वस्तुतः आश्चर्यजनक है, सबसे पहले मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या 'सेंट लुई पोस्ट' में प्रकाशित वक्तव्य की सत्यता जानने के लिए कोई कार्यवाही की गई है। दूसरे, क्या यह सच है कि अमरीका द्वारा पाकिस्तान को नई सहायता देने

के बारे में हाल ही में पुनः आश्वासन देने की बात से पाकिस्तान के राजदूत हमारे देश के साथ फिर युद्ध आरम्भ करने की बात कहने लगे हैं और यदि हां, तो क्या सरकार ने इन बातों के विरोध में अमरीका की सरकार को कोई विरोध पत्र भेजा है ?

श्री स्वर्ण सिंह : समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले वक्तव्यों की सत्यता का पता लगाने की कोई प्रथा नहीं है, हमें समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार को उसी रूप में लेना होता है और यदि वक्ता उसका खंडन नहीं करता है, तो आम तौर पर हमें यह मान लेना चाहिए कि उस व्यक्ति ने वह वक्तव्य दिया है।

दूसरे, अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि अमरीका की सरकार ने पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने का कोई आश्वासन दिया है ।

आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है, परन्तु अभी तक मैंने ऐसा वक्तव्य अथवा संकेत नहीं देखा है कि वह सैनिक सहायता देगा।

श्री बी० के० दासचौधरी : कल ही "टाइम्स आफ इण्डिया" में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ है कि पाकिस्तान अमरीका के साथ 133 लाख डालर की पुरानी सैनिक सहायता का करार पुनः लागू कर रहा है जिसमें से पहले ही पाकिस्तान को 10 प्रतिशत सहायता मिल चुकी है और करार में यह कहा गया है कि पाकिस्तान को 300 बख्तरबन्द सैनिक गाड़ियों की सप्लाई की जाएगी, परन्तु अब अमरीका से सीधी सप्लाई न करने का प्रयास किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप स्वयं सूचना देने वाला वक्तव्य न दीजिए। आप सूचना मांगिए।

श्री बी० के० दासचौधरी : अमरीका से सीधी सप्लाई न करके पश्चिम एशिया के कतिपय देशों से ऐसा करने का प्रयास किया जा रहा है, क्या सरकार को इस बारे में कोई सूचना प्राप्त हुई है अथवा क्या वह इसकी जांच कराएगी।

श्री स्वर्ण सिंह : पाकिस्तान को और सैनिक सहायता देन के बारे में सरकार निगाह रखे हुए है, हम अपनी ओर से भी उपचारात्मक कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मैं आप के द्वारा मन्त्री महोदय से कह सकता हूं कि यदि वे सरकार के उत्तरों में विरोधाभास को दूर कर सकते हैं तो कृपया ऐसा करें ? अभी उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई समाचार नहीं है अथवा उन्हें अमरीका की सरकार द्वारा पाकिस्तान को दिए जाने वाले इस आश्वासन की कोई जानकारी नहीं है कि पाकिस्तान को सैनिक सामग्री की सप्लाई पुनः आरम्भ की जाएगी, आप को याद होगा कि गत सप्ताह एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री विद्याचरण शुक्ल ने हमें आश्वासन दिया था कि पाकिस्तान ने अपनी सशस्त्र सेनाओं और उनकी संख्या को 1971 के युद्ध से पूर्व वाली स्थिति में लाने के लिए कार्यवाही की है और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि युद्ध में उन्हें हुई क्षति को पूरा किया जा सके। मैं विदेश मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने 1971 के युद्ध में हुई क्षति को परा करने तथा युद्ध पूर्व की स्थिति को लाने के लिए पर्याप्त सैन्य सामग्री प्राप्त की है ? यदि हां, तो उन्हें सैन्य सामग्री कहां से प्राप्त हुई है ? क्या यह चीन या अमरीका से प्राप्त हुई है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने अपने सहयोगी, श्री विद्याचरण शुक्ल द्वारा दिये गए वक्तव्य को नहीं पढ़ा है, परन्तु जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है, उससे यह प्रकट नहीं होता है कि मेरे और श्री शुक्ल के कथनों में विरोधाभास है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पाकिस्तान को चीन तथा पश्चिम देशों से सैन्य सामग्री प्राप्त हो रही है.....

श्री पीलू मोदी : और रूस से भी।

श्री स्वर्ण सिंह : गत भारत पाकिस्तान युद्ध के उपरान्त उन्हें रूस से अब तक कोई सैन्य सामग्री नहीं मिली है

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उनके अनुसार अमरीका से भी सैन्य सामग्री नहीं मिली है।

श्री स्वर्ण सिंह : हो सकता है कि कुछ फालतू पुर्जे मिले हों। परन्तु हमारी सूचना के अनुसार उन्हें अभी तक कोई घातक सैन्य सामान नहीं मिला है। उन्हें कतिपय छोटी सैन्य सामग्री मिली हो, परन्तु बमवर्षक विमान, अथवा टैंक अथवा महत्वपूर्ण सैन्य सामग्री नहीं मिली है, हमें तथ्यों के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। यह वर्तमान स्थिति है, इसके साथ ही

जब मैंने अपनी ओर से उपचारात्मक कार्यवाही करने की बात कही हैं, तो इसका तात्पर्य वही है जो श्री शुक्ल ने कहा था अर्थात् हमें भी यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार रहना पड़ता है कि पाकिस्तान हमारे लिए गंभीर खतरा न बने। यह हमारा कर्त्तव्य है और हम इसे यथासंभव निभायेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने उपचारात्मक कार्यवाही करने की बात नहीं पूछी है, मैंने पूछा था कि क्या क्या उन्हें सैन्य सामग्री प्राप्त हो रही है ?

अध्यक्ष महोदय : राजदूत के वक्तव्य से बात किसी दूसरे विषय पर आ गई है।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं इस सभा को बात देना चाहता हूं कि राष्ट्रपति बनने के उपरान्त श्री भुट्टो न यह वक्तव्य दिया था कि उसकी आकांक्षा पाकिस्तान को एक आधुनिक तथा सुसज्जित सेना से लैस करने की है। इसको पूरा करने के लिए श्री भुट्टो प्रत्येक उपलब्ध साधनों से सैन्य सामग्री प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री नवल किशोर सिन्हा: अन्य देशों में राजदूतों द्वारा समाचारपत्रों में दिये गए वक्तव्यों की जांच करने का कार्य भारत सरकार की प्रथा नहीं हो सकती है परन्तु क्या सरकार की यह प्रथा है कि वह ऐसे वक्तव्य का खंडन करे और शिमला समझौते के पालन करने तथा उसको क्रियान्वित करने के बारे में हमारी स्थिति को स्पष्ट करें।

श्री स्वर्ण सिंह : वक्तव्य के सार से दो देशों के बीच युद्ध पुनः आरम्भ होने की संभावना की ध्वनि निकलती थी, मैं नहीं जानता कि इसका खंडन ऐसा कहने के अतिरिक्त कैसे किया जा सकता है कि यह शिमला समझौते के विरुद्ध है। हम हर रोज कितने ही वक्तव्य देते हैं कि हम शिमला समझौते को क्रियान्वित करना चाहते हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The hon. Foreign Minister has just now stated that Pakistan is not receving direct arms supply from America. May I know whether it is a fact that Pakistan is receiving arms on large scale from Countries like Turkey, Jorden and Iran to whom America is supplying arms ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमारी सूचना के अनुसार पाकिस्तान को ईरान तथा टर्की से कुछ सैन्य सामग्री प्राप्त होती है। जोर्डन के बारे में मैं निश्चित नहीं हूं। टर्की से उसी देश में निर्मित अधिकांश छोटे हथियार तथा गोलाबारूद प्राप्त होते हैं, इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि पाकिस्तान को ईरान से शस्त्रास्त्र मिल सकते हैं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : प्रश्न बहुत सीधा है, यदि यह सच है कि राजदूत ने वक्तव्य दिया है तो यह शिमला समझौते के विरुद्ध है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने इस वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान के राष्ट्रपति को पहले ही पत्र भेजा है अथवा अपील की है ?

श्री स्वर्ण सिंह : जी नहीं, हमने पाकिस्तान के राष्ट्रपति से इस विशेष वक्तव्य के बारे में कुछ नहीं कहा है और ऐसा करना आवश्यक भी नहीं है।

Unemployment Allowance to educated Unemployed

***142. Shri Dhan Shah Pradhan :**
Shri Arvind Netam :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under consideration of Government to provide Unemployment Allowance to the educated unemployed persons; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri Balgovind Verma) : (a) No Sir.

(b) Does not arise.

Shri Dhan Shah Pradhan : I want to know whether the question of giving guarantee that educated unemployed persons will be provided with jobs in a specified period is under the consideration of the Government?

Mr. Speaker : He has replied to this.

Shri Balgovind Verma : No such scheme is under consideration of the Government at the moment.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Why not?

Shri Balgovind Verma : Since there is no assessment as to how much amount will be spent on it. Secondly, we have not reached at any conclusion regarding the number of unemployed persons. A number of discussions took place and Dantewala Committee was also set up but no definite conclusion came out. In this way we cannot say how many persons are unemployed till now. (*Interruption*).

Mr. Speaker : You reply in yes or no. If you reply in this way then it will take form of lengthy statement. You yourself encourage such tendency.

Shri Balgovind Verma : I have already replied in negative that no such scheme is under consideration.

Shri Dhan Shah Pradhan : May I know whether the Government will consider the proposal that nothing should be charged on applications from unemployed educated persons and they should be given allowance to appear in the interview ?

Shri Balgovind Verma : This is a suggestion from the hon. member ..... (*interruption*). It is up to the Government to consider it or not.

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : मन्त्री महोदय का कहना है कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है, मैं जान सकता हूं कि क्या उनको रोजगार मिलने तक किसी रूप में सहायता अथवा राहत देने की कतिपय अन्य योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न तथ्यपूर्ण जानकारी से सम्बन्धित है।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : इस सम्बन्ध में और भी कई बातें हैं।

श्री बालगोविन्द वर्मा: कर्मचारियों के लिए विशिष्ट बेरोजगारी बीमा का एक प्रस्ताव था और यह निर्णय किया गया था कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना और कोयलाखान भविष्य निधि योजना में शामिल होने वाले कर्मचारियों पर यह योजना लागू की जाए। इस बीच एक विशेषज्ञ ने यह सुझाव दिया था कि सबसे पहले यह योजना कोयलाखान भविष्य निधि के कर्मचारियों पर लागू की जानी चाहिए। एक योजना बनाई गई जिसे विभिन्न मंत्रालयों में भेजा गया तथा उनसे प्राप्त टिप्पणियों पर विचार किया गया। इस बीच राष्ट्रीय-श्रम आयोग की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री पीलू मोदी : मैंने एक प्रश्न पूछना है। क्या बेरोजगारी की समस्या इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि इस पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने पिछले दिन इस प्रश्न पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दी थी।

Shri Hukam Chand Kachwai : We have just started this question. Only Shri Dhan Shah Pradhan and Arvind Netam asked questions (*interruption*). This is very important question.

श्री ए० पी० शर्मा : यह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृपया इस पर कुछ और अधिक अनुपूरक प्रश्न करने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह था कि क्या ऐसी कोई योजना थी। उन्होंने 'नहीं' में उत्तर दिया है, इस सम्बन्ध में अन्य बातों का भी समावेश कर लिया गया है।

श्री पीलू मोदी : मैं उनके 'नहीं' उत्तर पर एक महत्वपूर्ण अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

Shri Hukam Chand Kachwai : There is unemployment in the whole country. This is an important question. Do not neglect it. (*interruption*).

Mr. Speaker : The hon. Minister should reply in yes or no. He adds more points in it and this creates more difficulties for me. In the first question regarding interview with Pakistani Ambassador, the question of arms supply was also put and now questions on insurance scheme etc. are being asked (*interruption*). उन्हें 'हां' या 'नहीं' में उत्तर देना चाहिए। यदि मन्त्री महोदय चाहते हों, तो वे अपने उत्तर के साथ थोड़ी जानकारी भी दे सकते हैं। उन्हें 'नहीं' 'प्रश्न नहीं उठता', और 'आगे प्रश्न नहीं उठता' में उत्तर देना चाहिए। It is not desirable to answer question in a lengthy way.

श्री पीलू मोदी : इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या सरकार का विचार बेरोजगारी भत्ता देने का है, सरकार ने 'नहीं' कहा है, इसी प्रकार इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या इन लोगों को रोजगार देने की कोई योजनाएं हैं, सरकार ने 'नहीं' कहा है, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इन लोगों की आवश्यकताएं पूरी करने तथा सरकार की आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप बेरोजगार हुए लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए कोई योजना है ?

श्री बालगोबिन्द वर्मा : माननीय सदस्य जानते हैं कि इस देश में 1951 में योजनाएं आरम्भ करने के उपरान्त से भारत सरकार ने यथासंभव अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने का प्रयास किया है। यदि वे चौथी योजना को देखें तब वे जान सकते हैं कि बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई गई हैं।

श्री पीलू मोदी: यदि वे चौथी योजना को देखें तब उन्हें पता चलेगा कि इस देश में बेरोजगारी बढ़ी है।

श्री ए० पी० शर्मा : क्या मंत्री महोदय को पता है कि बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देना सरकार का प्रथम कर्त्तव्य है और अधिकांश देशों में बेरोजगार व्यक्तियों को निर्वाह भत्ता के नाम से बेरोजगार भत्ता दिया जाता है ? क्या उनका विचार इस प्रकार की योजना हमारे देश में लागू करने का है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर०के० खाडिलकर): मैं माननीय सदस्यों की इस कठिनाई को समझता हूं कि दुर्भाग्य से जो व्यक्ति बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार देने के लिए प्रयास किये जायें। परन्तु उन्हें वित्तीय कठिनाईयों का विचार करना चाहिए। रोजगार उपलब्ध करने के लिए योजना बद्ध प्रयास किए जाते हैं। यदि माननीय सदस्य, जिन्होंने सरकार की नीतियों के बारे में कहा है, हमारी योजनाओं पर दृष्टिपात करें तो इस तथ्य को समझेंगे कि इन तीन योजनाओं और चौथी योजना की कुछ अवधि में हमने काफी संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध किए हैं। निश्चय ही, समस्या इतनी विकट है कि मैं प्रत्येक को रोजगार देने का आश्वासन नहीं दे सकता हूं।

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, during Budget Session in 1971, provision of Rs. 70 crores was made to provide employment to unemployed persons. In a reply to a question the hon. Minister has stated that the Government have no scheme to provide employment to educated unemployed persons. In reply to the original question, the hon. Minister has replied in the negative. You have made provision of Rs. 25 crores in this year's budget. I want to know when you have no scheme to provide employment then on what basis this amount is earmarked? That amount is not spent and thus it is lapsed. When you have no scheme then why the hon. Minister made provision of this amount in the budget and why that money is not distributed among unemployed persons ?

Shri Balgovind Verma : I have never said that we have no such scheme. In the original question, the question of providing unemployment allowance to educated unemployed was asked. I replied in negative. So far as providing employment to unemployed persons is concerned, we have many schemes.

Shri Hukam Chand Kachwai : I have put my question straight and it is my request to you to get me the reply from the hon. Minister.

Mr. Speaker : The hon. minister has replied. The hon. Member cannot get the work done by shouting in this way.

Shri Hukam Chand Kachwai : I want my reply.

Mr. Speaker : He has replied in negative. The hon. member has given a suggestion. The hon. minister may please state how much amount has been spent out of the provision of Rs. 25 crores to provide employment to the people.

Shri Hukam Chand Kachwai : Instead of protecting us, you are shielding the hon. minister.

Mr. Speaker : The hon. minister may state what has been done to that amount.

Shri Balgovind Verma : The hon. member has talked of Rs. 70 crores. A sum of Rs. 50 crores has been earmarked for Rural employment—Cash Programme in the last budget and it is still continuing. It is our effort to provide employment to 1,000 persons in every district. This scheme will run for three years.

Shri Piloo Mody : How much amount has been spent ?

Mr. Speaker : The hon. member may keep silence.

श्री समर गुह : क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसे पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने स्वीकार किया है, कि जब उन्होंने निम्न ग्रेड के पदों के लिए आवेदन पत्र मांगे तब 2,50,000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जब कि पदों की संख्या केवल 17,000 थी ? क्या यह शिक्षित नवयुवकों में भारी बेरोजगारी की सूचक नहीं है ? यदि हां तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या वह शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने पर विचार कर रही है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : जहां तक शिक्षित बेरोजगारों के लिए योजनाओं का संबंध है, यह प्रश्न दूसरे ढंग से पूछा गया है, वे बेकारी भत्ता चाहते हैं, मैं नहीं जानता कि शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति बेकारी अनुदान चाहते हैं, जहां तक पश्चिम बंगाल का संबंध है, मुझे ऐसी योजना के बारे में जानकारी नहीं है, यदि यह विशेष रूप से हमारे ध्यान में लाया जायेगा तब हम इस पर विचार करेंगे ।

श्री समर गुह : मैंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है, मैंने बताया है कि 17,000 पदों के लिए 2,50,000 व्यक्तियों ने आवेदन किया था

श्री पीलू मोदी : कृपया आप मन्त्री महोदय को प्रश्न समझाइये ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे उन्हें चुप रहने के लिये कहना पड़ेगा वे ऐसा हर समय न करें ।

बेरोजगारी भत्ता के बारे में यह सीधा प्रश्न है परन्तु यह विभिन्न योजनाओं तथा धनराशि से संबंधित है । यह एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर हम एक ही प्रश्न अथवा कुछ अनुपूरक प्रश्न पूछ कर चर्चा नहीं कर सकते हैं । मैं आपको यही सुझाव दे सकता हूं । कि हमारे लिए इस विषय पर दो अथवा तीन घंटे की चर्चा करना बेहतर होगा ।

सरकार द्वारा अपेक्षित उत्पादों के लिए आयात प्रतिस्थापन

143. श्री एस० सी० सामन्त : क्या पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी प्रयोजनाओं के लिए अपेक्षित सप्लाई में आयातित माल को देशी उत्पादों द्वारा प्रतिस्थापित करने से कोई किफायत हुई है;

(ख) यदि हां, तो अब भी कितना प्रतिशत माल आयात करने की आवश्यकता है तथा इस प्रयोजन के लिए प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है; और

(ग) इस दिशा में और क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

पूर्ति मन्त्री (श्री डी० आर० चव्हाण): (क) जी, हां। सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है, जिसमें बता दिया गया है कि योजना अवधियों में की गई कुल खरीद की तुलना में कितना प्रतिशत माल आयात किया गया था।

(ख) इस प्रकार की प्रतिशतता बताना सम्भव नहीं है, क्योंकि माल का आयात तो वास्तविक आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा।

(ग) आयात को अनिवार्यत: न्यूनतम आवश्यकता तक ही सीमित किया जाता है और उन्हीं वस्तुओं के सम्बन्ध में आयात की अनुमति प्रदान की जाती है, जिन के बारे में यह प्रमाणित किया गया हो कि वे देश में उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

अवधि	स्वदेशी खरीदों का मूल्य	आयातित खरीदों का मूल्य	आयातित खरीदों के कुल मूल्य में से खाद्यान्न तथा उर्वरक के आयात का मूल्य	खरीदी गई वस्तुओं का कुल मूल्य	कुल खरीदों की तुलना में आयातित खरीदों की प्रतिशतता	खाद्यान्न तथा उर्वरक आयात को छोड़कर शेष आयातित खरीदों की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			(करोड़ रुपयों में)			
1. प्रथम योजना अवधि (वार्षिक औसत)	55.79	125.44	आंकड़े उपलब्ध नहीं	181.23	69.22	आंकड़े उपलब्ध नहीं।
2. द्वितीय योजना अवधि (वार्षिक औसत)	152.78	204.10	,,	356.88	57.19	,,
3. तृतीय योजना अवधि (वार्षिक औसत)	353.10	298.19	202.77	651.29	45.78	21.27
4. 1966 से 1969 (वार्षिक औसत)	375.37	477.06	378.64	852.43	55.96	20.77
5. चतुर्थ योजना (1969 से 70)	430.79	267.88	188.69	698.67	38.34	15.53
6. 1970 से 71	518.30	227.43	134.21	745.73	30.50	15.24
7. 1971 से 72	773.09	253.81	123.64	1026.90	24.72	14.41

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जानना चाहता हूं कि आयातित माल को देशी उत्पादों द्वारा प्रतिस्थापित करने के लिए गैरसरकारी उपक्रमियों को क्या प्रोत्साहन दिए जाते हैं ?

श्री डी० आर० चव्हाण : पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के केन्द्रीय क्रय संगठन द्वारा आयातित माल को देशी उत्पादों द्वारा प्रतिस्थापित करने के लिए चलाए गए अभियान के परिणाम स्वरूप गत दो वर्षों के दौरान विकास तथा ऐल्मूनियम केबल, कंडक्टर, हैवी ड्यूटी टरबाइन पम्प के लिए "इम्पपैलर डुपलैक्स मिलिंग मशीन," "आटो सनक्रोनस मोटर्ज, जांच

करने के उपकरण कंडम, अर्थ मूविंग तथा निर्माण उपकरण के लिए लगभग 20,000 मदों जैसे अनेक मदों की प्राप्ति के क्षेत्र में और अधिक प्रगति हुई है। बड़ी संख्या में फालतू पूर्जों के देश में निर्माण से वर्ष 1969–70 और 1970-71 में विदेशी मुद्रा के रूप में लगभग 140 लाख रुपए की बचत हुई है। प्रोत्साहन देने हेतु काफी सीमा तक आयातित उत्पादों पर देश में बने उत्पादों को मूल्य अधिमान दिए जाते हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : आयातित माल को देशी उत्पादों द्वारा प्रतिस्थापित करने वालों को सरकार द्वारा कच्चे माल की सप्लाई कम मात्रा में की जाती है ?

श्री डी० आर० चव्हाण : पूर्ति विभाग कच्चे माल की कोई सप्लाई नहीं करता है।

श्री एस०सी० सामन्त : विशेषकर लोहा तथा इस्पात की सप्लाई करता है।

श्री डी० आर० चव्हाण: लोहा तथा इस्पात नियंत्रित मद हैं। वे इन मदों को बाजार से अथवा उन्हें निर्धारित कोटे में से खरीदते हैं।

श्री मोहम्मद खुदा बख्श : देश में न बनने वाले माल को आयात करने में कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होती है ?

श्री डी० आर० चव्हाण: मैं ने भाग (क) के उत्तर में बताया है कि एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में आयातित मशीनरी क अप्रयुक्त रहने के कारण हुई हानि

*144. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में आयातित मशीनरी के अप्रयुक्त रहने के कारण कुल कितनी हानि हुई है, और

(ख) इस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एस० मोहन कुमार मंगलम्): (क) और (ख) : आयाकि आयातित मशीनों के इस्तेमाल न करने के कारण दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को कोई हानि हुई है और यदि हां तो कितनी के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

श्री नवल किशोर शर्मा : मुझे अभी कोई प्रश्न नहीं पूछना है। इसका उत्तर बाद में दिया जा सकता है। मेरा अनुरोध है कि इसे स्थगित किया जाए।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : अप्रयुक्त पड़ी मशीन का कुल मूल्य कितना है ? यह सूचना अभी उपलब्ध होनी चाहिए।

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम् : हमें सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है। जब यह उपलब्ध हो जाएगी तब हम सभा को पूरी जानकारी दे देंगे।

Mr. Speaker : It cannot be postponed in this way. When the information is received it will be supplied to you.

श्री डी० एन० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि वे अप्रयुक्त क्यों पड़ी हैं ?

श्री एस० कुमार मोहन मंगलम् : मैं इस समय सूचना देने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि मुझे पूरी सूचना नहीं मिली है। ज्योंहि यह सूचना मुझे मिल जाएगी मैं निश्चय ही आपको बताऊंगा और मैं इसे सभा के समक्ष रखूंगा। माननीय सदस्य इस को समझेंगे कि जहां तक मशीन के अप्रयुक्त पड़े रहने का संबंध है, इससे हुई सही हानि का पता लगाना आसान नहीं हैं। जहां तक मशीन के वस्तुत: अप्रयुक्त पड़े रहने का संबंध है, मैं इस बारे में तथ्यों का पता लगाऊंगा और सूचना मिलने पर मैं इसे सभा के समक्ष रखूंगा।

श्री पीलू मोदी : सामान्यत: जब मंत्री महोदय क पास जानकारी नहीं होती है, तब प्रश्न को आगामी सप्ताह तक के लिए स्थगित करने की परम्परा है ताकि उस प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकें, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस मामले में भी इसी नियम का पालन किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कोई नियम नहीं है, परन्तु मैं इसकी जांच करूंगा सामान्यतः प्रश्नों को स्थगित कर दिया जाता है। आप सूचना एकत्रित करने में कितना समय लेंगे। **(व्यवधान)**

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम् : माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे कि हम प्रश्न को टालने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। हमने कई प्रश्नों का उत्तर दिया है, यह ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर देना कठिन है, हम यथाशीघ्र सूचना प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री समर गुह : मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मेरे कई प्रश्नों के उत्तर में कहा गया है कि तथ्यों को एकत्रित किया जा रहा है और इनकी जानकारी बाद में दी जाएगी। परन्तु बाद में सभा को इनकी जानकारी नहीं दी जाती है। कभी कभी जानकारी देने में दो या तीन महीने लग जाते हैं। इस प्रकार अनुपूरक प्रश्न तथा इस पर चर्चा करने के अवसर से हमको वंचित किया जाता है, अच्छा यह होगा कि यदि मंत्री महोदय के पास पूर्ण जानकारी नहीं है तो प्रश्न को एक या दो सप्ताह के लिए स्थगित कर देना चाहिए ताकि हम इस पर अनुपूरक प्रश्न पूछ सकें।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में कोई रास्ता निकालूंगा। हम यहां नहीं बल्कि कहीं और किसी परंपरा का पालन कर रहे थे। हमने अधिवेशन में एक दिन स्थगित प्रश्नों के लिए निर्धारित किया था। मैं इस बारे में किसी पद्धति का पता करूंगा। हम न केवल यहां बल्कि अन्यत्र भी किसी पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं। हमने उन प्रश्नों को स्थगित करने के लिए एक दिन निर्धारित किया था जिनके बारे में मंत्री महोदय ने उल्लेख किया था कि जानकारी एकत्र की जा रही है। मैं इस सत्र के दौरान, जब ऐसे सब प्रश्न सामने आएंगे, एक दिन निर्धारित करूंगा जिससे सदस्यों को उनके बारे में अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर प्राप्त हो सके। मैं इस बारे में विचार करूंगा कि इसके लिए कब तारीख निर्धारित की जाए और मंत्री महोदय को यह विदित होना चाहिए कि प्रश्नों को स्थगित करने से वे अनुपूरक प्रश्नों से नहीं बच पाएंगे और मेरे विचार से उनका ऐसा अभिप्राय नहीं है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Provided the hon. minister may not say that he will answer that question next day.

Mr. Speaker : We will see then.

Shri Atal Bihari Vajpayee : This matter may be referred to Assurance Committee.

Mr. Speaker : How can we send this matter to Assurance Committee ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : If the hon. minister assures the House that the information is being collected and it will be given then the Assurance Committee looks into the matter to see whether the information has been collected or not ?

Mr. Speaker : Please do not connect it with the assurances. Please leave this matter to me.

श्री पीलू मोदी : प्रश्न को एक सप्ताह के लिए स्थगित करने से विभाग तथा मंत्री महोदय को यह देखना होगा कि इस बारे में यथाशीघ्र जानकारी एकत्र की जाए और यदि जानकारी आगामी सप्ताह तक एकत्र नहीं हो जाती तो उस प्रश्न को फिर से आगामी सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया जाता है। इस प्रकार हमें यह विश्वास हो जाता है कि उस प्रश्न पर प्रश्नकाल में चर्चा होगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा तरीका खोजने का प्रयास कर रहा हूं कि सदस्यों को उन सब प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाए जिनके बारे में उत्तर नहीं दिए गए हैं। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय भी इस बात को पसन्द करेंगे और संबद्ध विभाग भी यह जान जाएंगे कि उन्हें सभी को अवश्य जानकारी देनी होगी। वे जानकारी देने से बच नहीं सकेंगे।

इस्पात संयंत्रों की पूंजी लागत और कार्यगत लागत में कमी करना

*145. श्री वी० मयावन :

श्री सी० टी० दण्डपाणि :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीनों इस्पात संयंत्रों की पूंजी तथा कार्यगत लागत में पर्याप्त कमी करने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इनमें कितनी कमी किए जाने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एस० मोहन कुमार मंगलम्) : (क) स (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

संभवत: अभिप्राय तमिलनाडु में सेलम, मैसूर में (हास्पेट के पास) विजयनगर तथा आन्ध्र प्रदेश में विशाखापतनम में लगाए जाने वाले तीन नए इस्पात कारखानों से हैं ।

जहां तक सेलम विशेष इस्पात प्रायोजना का सम्बन्ध है परामर्शदाताओं ने अनुमान लगाया है कि 195,000 टन तयार इस्पात की वार्षिक क्षमता के लिए लगभग 340 करोड़ रुपए की पूंजीगत लागत आएगी और उनका अनुमान है कि 90 प्रतिशत क्षमता के उपयोग करने लगने पर प्रति वर्ष 30 लाख रुपए का आंशिक लाभ होगा। प्रायोजना में मितव्ययिता लाने के लिए, विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करते समय पूंजीगत तथा संचालन लागत दोनों को कम करने की गुंजाइश को ध्यान में रखा जाएगा ।

जहां तक विशाखापतनम तथा विजयनगर इस्पात प्रायोजनाओं का सम्बन्ध है परामर्शदाताओं ने बताया है कि 20 लाख टन पिण्ड प्रतिवर्ष की क्षमता के प्रत्येक कारखाने पर 750 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय होगा तथा उन्होंने संयंत्र और उपस्करों, कच्चे माल, परिवहन आदि की लागत बढ़ जाने के कारण पूंजी निवेश पर प्रति वर्ष काफी हानी होने की आशंका व्यक्त की है । अत: जहां कहीं संभव है इन लागतों को घटाने के उद्देश्य से इन शक्यता प्रतिवेदना की पूरी तरह जांच पड़ताल की जा रही है इस प्रयोजन के लिए मई, 1972 में एक अध्ययन दल संगठित किया गया था जिसकी रिपोर्ट अक्तूबर, 1972 में प्राप्त हो गई थी अध्ययन दल ने सिफारिश की है कि बड़ी धमन भट्टियां लगाकर इन दोनों कारखानों की क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए जिससे स्केल इकानामी प्राप्त की जा सके । अत: परामर्शदाताओं को पूंजीगत तथा परिचालन लागत को कम करने के लिए फिर से विचार करने के लिए कहा गया था । इन दोनों कारखानों में से प्रत्येक की क्षमता और प्राडक्ट-मिक्स के बारे में शीघ्र ही अन्तिम निर्णय लिए जाने की संभावना है तथा पूंजी निवेश के निर्णय लिए जाने से पहले लागत में कमी करने की गुंजाइश की पूरी तरह जांच पड़ताल की जाएगी ।

पूंजीगत तथा संचालन लागत में कितनी कमी की जा सकती है इसका ठीक ठीक पता इन प्रायोजनाओं के लिए विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार हो जाने के पश्चात ही लग सकेगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रश्न के शब्द इस प्रकार हैं :—

"क्या तीनों इस्पात संयंत्रों की पूंजी तथा कार्यगत लागत में पर्याप्त कमी करने का निर्णय किया गया है" माननीय मंत्री ने यह कहना आरम्भ किया कि :—

"शायद इसमें अभिप्राय तीन नये संयंत्रों से है"

लेकिन यह कल्पना उचित नहीं हो सकती । प्रश्न वर्तमान इस्पात संयंत्रों से भी सम्बन्धित हो सकता है ।

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम् : यदि मेरा उत्तर गलत है तो मैं अन्य प्रश्न का भी उत्तर दे सकता हूं कि हमारा वर्तमान इस्पात संयंत्रों की पूंजी लागत करने का कोई इरादा नहीं है । अत: यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसके विस्तार के बारे में क्या हुआ ।

श्री वी० मायावन: क्या सरकार को उन तीन नये संयंत्रों की, जिन्हें तीन वर्ष पूर्व स्वीकृति दी गई थी, व्यवहार्यता के बारे में परामर्शदाताओं के प्रतिवेदन प्राप्त हो गए हैं और यदि हां, तो प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है और सरकार ने परामर्शदाताओं की सिफारिश कहां तक स्वीकार की है ?

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम् : मेरे विचार से अब यह स्पष्ट हो जाता है कि माननीय सदस्य का किन इस्पात संयंत्रों से आशय है । तीन व्यवहार्यता प्रतिवेदन से एक सेलम इस्पात संयंत्र से सम्बन्धित, दूसरा विजयनगर में प्रस्तावित संयंत्र से सम्बन्धित और तीसरा विशाखापतनम में प्रस्तावित संयंत्र से सम्बन्धी, प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए हैं ।

सेलम संयंत्र के बारे में परामर्शदाता प्रतिवेदन के अनुसार परियोजना पर लगभग 340 करोड़ रुपए खर्च होंगे और उपर्युक्त की गई क्षमता के 90 प्रतिशत पर सीमान्त लाभ होगा । उक्त संयंत्र में अन्य किस्म के मिश्रित इस्पात के अतिरिक्त मुख्यतया 70,000 टन स्टेनलेस स्टील और लगभग इतनी ही मात्रा में सिलिकान स्टील के मिश्रित उत्पादों का उत्पादन होगा । उक्त संयंत्र में बिक्री के लिए 200,000 टन इस्पात का उत्पादन किया जाएगा ।

जहां तक विजयनगर और विशाखापतनम इस्पात संयंत्रों का सम्बन्ध है, इन दोनो संयंत्रों को 20 लाख टन क्षमता के आधार पर प्रस्तुत मूल प्रतिवेदन में विजयनगर संयंत्र को उपयुक्त की गई 90 प्रतिशत क्षमता पर लगभग 50 से 70 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष और विशाखापतनम संयंत्र को 45 करोड़ रुपये की हानि होने का अनुमान लगाया गया है ।

हमने प्रतिवेदन का परामर्शदाताओं के सहयोग से आगे पुनरीक्षण किया है हमने हानि में भारी कमी की है । हमने हानि को इतना कम कर दिया है कि वह अब पूरी तरह प्रबन्धनीय है या यों कहिए कि वह अप्रबन्धनीय नहीं है । जहां तक विशाखापतनम का प्रश्न है टूटफूट और ब्याज को निकालकर उसका घाटा 16 करोड़ रुपया रह जाएगा । जहां तक विजयनगर का प्रश्न है इससे अब एक करोड़ रुपए का लाभ होगा और बाद में इसे उचित लाभ पर चलाया जायेगा । हम इस सम्बन्ध में और मितव्ययता लाने का प्रयास कर रहे हैं । हमारे सामने कठिनाईयां आने के अनेक कारण है । यदि हम हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में उत्पादित उपकरणों की लागत में कमी करते हैं और कुछ गैर-सरकारी कम्पनियां भी अपने उपकरणों की लागत में कमी करती हैं तो उससे स्थिति में भारी सुधार होगा । हमें अपने खर्चे में भी कमी करनी पड़ेगी । अन्य देशों में इस बारे में की गई कार्यवाही से हमें सीखना होगा ।

श्री वी० मायावन : सेलम इस्पात संयंत्र में कब से उत्पादन आरम्भ होने की सम्भावना है ? क्या राज्य सरकार ने पानी सप्लाई की योजना तैयार कर ली है ? क्या रेलवे ने एक्सचेंज यार्ड और साईडिंग के निर्माण के बारे में प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दे दिया है ?

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम् : यह उत्पादन तीन अवस्थाओं में आरम्भ करेगा । जहां तक "कोल्ड रालिंग कम्पलक्स का सम्बन्ध है इसका उत्पादन 3 वर्ष अर्थात् 1976 तक आरम्भ हो जाएगा । स्टेनलैस स्टील का उत्पादन वर्ष 1977 के अन्त तक और सिलिकन स्टील का उत्पादन वर्ष 1979 तक आरम्भ हो जाएगा । जल सप्लाई और रेलवे यार्ड को अभी तैयार किया जा रहा है ।

श्री दिनेश सिंह : माननीय मंत्री ने विभिन्न उपायों का उल्लेख किया है । इन उपायों को कब तक क्रियान्वित किया जाएगा ?

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम् : प्रतिवेदन तैयार करने के लिए संचालन समिति स्थापित की गई है और इसकी बैठक अभी दो या तीन सप्ताह पूर्व हुई थी । मैं अभी इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हूं लेकिन हम प्रतिवेदन का अध्ययन करेंगे । हम ऐसे मामले पर, जिसमें इतना अधिक खर्चा होता है, जल्दी में कोई निर्णय लेना नहीं चाहते जब तक कि हम इस बारे में पूर्णतया संतुष्ट न हो जाएं कि हम उचित निर्णय ले रहे हैं ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या बांकों इस्पात संयंत्र को सहयोग देने वालों ने चपटे उत्पादों को निरन्तर ढालने के लिए उन्नत तकनीकी जानकारी देने से इंकार किया है जिसके परिणामस्वरूप इस्पात के उत्पादन पर प्रति टन अधिक

लागत आ रही है ? क्या ऐसा सरकार की ओर से सौदा न करने के कारण हुआ है ? और इसके परिणामस्वरूप हमें इसके लिए उन्नत तकनीकी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी और इसके कारण प्रति टन इस्पात की लागत बढ़ गई है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या मूल प्रश्न में बोकारो इस्पात संयंत्र को शामिल किया गया है ?

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यह प्रश्न मूल प्रश्न के अन्तर्गत आता है। यह प्रश्न इस्पात संयंत्र से सम्बन्धित है।

हम कैसे जान सकते है कि किस इस्पात संयंत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। अतः हम बोकारो इस्पात संयंत्र के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम् : मैं इतनी बारीकी में नहीं जाना चाहता। मैं प्रश्न का उत्तर देने को तैयार हूं। माननीय सदस्य को यह अनुभव नहीं करना चाहिए कि उन्हें कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। यद्यपि यह प्रश्न मूल प्रश्न से नहीं उठता फिर भी मैं उत्तर दूंगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं इस बात से सहमत नहीं हूं।

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम् : माननीय सदस्य कृपया प्रश्न की भाषा को देखें। इसमें कहा गया है "तीन इस्पात संयंत्र"। उन्हें भी मेरे समान अंग्रेजी की जानकारी है।

जहां तक बोकारो इस्पात सयत्र का सम्बन्ध है, इस संयंत्र के बारे में रूस को भारतीयों द्वारा दिए गए नमूनों में सिरन्तर ढालने की व्यवस्था नहीं थी और इस लिए ऐसा नहीं हो सका।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : लेकिन क्यों ? यह बहुत उन्नत तकनीक है। इसे उसमें शामिल क्यों नहीं किया गया ? इससे इस्पात की लागत में कमी हो जाती।

श्री बी० एस० मूर्ति : सेलम इस्पात संयंत्र में उत्पादन कार्य कब आरम्भ होगा। सेलम इस्पात संयंत्र के सम्बन्ध में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहूंगा कि होस्पट और विशाखापतनम संयंत्र में उत्पादन कार्य कब आरम्भ हो जाएगा।

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम् : व्यवहार्यता प्रतिवेदन को स्वीकृति देने के बाद इसमें लगभग 6 से 7 वर्ष का समय लगने का अनुमान है।

श्री डी० एन० तिवारी : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ....

श्री बी० के० दासचौधरी : क्या मैं इस पर एक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : किस संयंत्र के बारे में ?

श्री डी० एन० तिवारी : लगभग तीनों संयंत्रों के बारे में।

अध्यक्ष महोदय : बिहार के किसी संयंत्र के बारे में नहीं।

श्री डी० एन० तिवारी : बिहार अथवा उड़ीसा के किसी संयंत्र के बारे में नहीं। क्या सरकार आवतक व्यय की ओर ध्यान देगी क्योंकि अनुभव से यह पता लगता है कि अन्य संयंत्रों में आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों की नियक्ति के कारण उत्पादन लागत बढ़ी है। क्या सरकार इस ओर ध्यान देगी कि अब स्थापित किये जाने वाले संयंत्रों में अधिक कर्मचारी नियुक्त न किये जायें।

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम् : हम इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि उक्त संयंत्रों में श्रमिकों की नियुक्ति के बारे में उचित अनुमान लगाया जाये और हम इन संयंत्रों में फालतू श्रमिक नियुक्त नहीं कर सकते। माननीय सदस्य का यह कहना कि इन सब संयंत्रों में अधिक कर्मचारी काम करते हैं, उचित नहीं है। एक अवस्था में ऐसा हो सकता है।.....

श्री डी० एन० तिवारी : इस बारे में प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन उपलब्ध है।

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम् : उदाहरणतया दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों में हमने कुछ कम कर्मचारी नियुक्त किए हुए हैं लेकिन आवश्यकता से अधिक कर्मचारी नियुक्त नहीं किये गये हैं ।

श्री बी० के० दास चौधरी : मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त होने वाला है और हम कुल 20 प्रश्नों में से केवल 4 प्रश्नों पर ही चर्चा कर पाये हैं । अन्य सदस्य भी प्रश्न पूछने की प्रतीक्षा कर रहे हैं मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर दिलाता रहा हूं कि 2 अथवा 3 अनुपूरक प्रश्न प्राप्त हैं ।

यदि माननीय सदस्य अधिक अनुपूरक प्रश्न ही पूछते रहेंगे तो बाकी प्रश्न नहीं पूछे जा सकेंगे ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : ऐसा अधिकांश माननीय मंत्रियों द्वारा दिए जाने वाले उत्तरों से होता है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को तीन अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने के बाद और अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछने चाहियें ।

Setting up of Steel Plant in Sri Lanka

+

147. **Shri Ishwar Chaudhry** :
Shri E.V. Vikhe Patel :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to set up steel plants in Sri Lanka in collaboration with the Government of that country; and

(b) if so, the particulars thereof ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एस० मोहन कुमार मंगलम्) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Ishwar Chaudhry : I want to know whether the Government of Sri Lanka made a proposal to you for setting up a Steel Plant there ? Is this Steel Plant proposed to the set up during the next Five Year Plan, if not now ?

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम् : मैं प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूं ।

Mr. Speaker : Now you say the time when it will be set up, if not now. What is the use of such a long talk. You wanted information which he has given.

Shri Ishwar Chaudhry : The hon. Minister want to give the reply.

अध्यक्ष महोदय : इसका क्या कोई अन्य उत्तर है ?

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम् : जी नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या था ?

Shri Ishwar Chaudhry : Whether the Government of Sri Lanka made a proposal to the Government for setting up a Steel Plant there. Is it proposed to be set up during the next Five Year Plan, if not now ?

Mr. Speaker : The Five Year Plan is our, it is not of other country.

Shri Ishwar Chaudhry : The Government of Sri Lanka import steel from India and in order to compensate this shortage.....

Mr. Speaker : This question do not arise out of it.

श्रमजीवी पत्रकारों के लिए मजूरी पंचाट की क्रियान्विति

*149. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **श्रम और पूनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसा कुछ मामलों में श्रमजीवी पत्रकारों के लिए अभी तक मजूरी पंचाट को क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उन समाचार पत्रों के नाम क्या हैं जिन्होंने श्रमजीवी पत्रकारों के लिए अभी तक मजूरी पंचाट को क्रियान्वित नहीं किया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा): (क) से (ग): श्रम जीवी पत्रकारों के लिए मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित करवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। उनसे प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, कुछ स्थापनाओं ने सिफारिशों को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया है, परन्तु ऐसी स्थापनाओं के नामों के बारे में पूरी सूचना उपलब्ध नहीं है ।

Shri Sat Pal Kapur : Will the hon. minister assure the House about the time by which this information will be available and whether the Government is considering a proposal to stop the advertisements to the papers which are not implementing this award ?

Shri Balgovind Verma : We have not received information from the states of Maharashtra, Tamilnadu, West Bengal and Kerala. We are trying to get the information at the earliest. We have instructed the State Governments to implement the award as early as possible. So far as stoppage of advertisements is concerned, we are considering it.

Shri Sat Pal Kapur : Will the hon. minister give an assurance to the House that this award will be implemented from the date when it was announced and the interests on the arrears due to the journalists should be given on bank rates ?

Shri Balgovind Verma : The hon. member has given this suggestion. It will be considered.

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या श्रम, पुनर्वास और रोजगार मंत्रालय ने राज्य सरकारों द्वारा नीति के कार्यान्वित करने सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिय कोई तारीख निश्चित की है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : हमारे प्रयत्नों द्वारा 75 प्रतिशत कार्यान्वयन हो गया है लेकिन राज्य सरकारें उतना सहयोग नहीं देती, जितना कि उन्हें देना चाहिए। हम इस दिशा में निरंतर प्रयत्न करते जा रहे हैं ।

Shri R.N. Sharma : Does the Government admit that it is its responsibility to implement the award as the wage board was constituted by the Government of India and the same should be implemented by framing a law in case employers do not enforce it ?

श्री आर० के० खाडिलकर : मजदूरी बोर्ड के अधीन कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सम्बन्धित सरकारों की है और राज्य सरकारें इस बात के लिए बड़ी इच्छुक हैं, भविष्य निधि सरीखे मामलों का कार्यान्वयन भी सम्बन्धित सरकारें करती हैं, हम केवल परिवर्तन लाने पर विचार नहीं कर सकते। इस सम्बन्ध में प्रयत्न जारी हैं। बाद में जब हम दूसरा काम हाथ में ले लेंगे, तो इस पर विचार करेंगे।

Shri Ramavatar Shastri : Which papers of which states have not so far implemented this award. Is the Hon. Minister in a position to give the details.

श्री आर० के० खाडिलकर : कुछ नाम मेरे पास हैं लेकिन आंकड़े तो समूल देश के देने हैं। कुछ राज्यों में छोटे छोटे पत्र हैं जो निकलते भी हैं और बन्द भी होते हैं। कुछ पत्र तो केवल जीवित रहने के लिये संघर्ष करते हैं। ऐसी स्थिति में, यदि माननीय सदस्य चाहें तो हम समूची सूची तैयार करेंगे और सभा पटल पर रखेंगे ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : प्रश्न का (ग) भाग है कि :—

"उन समाचार पत्रों के नाम क्या हैं जिन्होंने श्रमजीवी पत्रकारों के लिए अभी तक मजूरी पंचाट को क्रियान्वित नहीं किए हैं"?

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने इसका उत्तर दे दिया हैं ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : नहीं, इन्होंने केवल कुछ छोटे और कुछ बड़े कहा है ।

Shri Bibhuti Mishra : The hon. minister has stated that 75 per cent awards have been implemented. He is not having the names of the papers. What are the other methods to get the implementation made through the state Governments in case the Central Government fails to persuade them. What is the use of constituting a committee or Board if the State Governments do not recognise them ?

श्री आर० के० खाडिलकर : मैं कह चुका हूं कि कार्यान्वियन को राज्य सरकारों द्वारा कराए जाने का निर्णय दिया गया हैं । राज्य सरकारें इस बात की इच्छुक हैं कि ये मामले उन पर छोड़ दिए जाएं । यदि हम कुछ करें तो ये इसे हस्ताक्षेप समझते हैं । अत: केवल मात्र तरीके उन्हें रजामन्द करने का ही है । बाद में जब हम दूसरा काम हाथ में लेंगे तो इस बात को ध्यान में रखेंगे ।

ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्च आयोग में कर्मचारियों का तीन वर्ष से अधिक समय तक बने रहना

+

***152. श्री प्रबोध चन्द्र :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्च आयोग में ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है जो वहां पर तीन वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं ।

(ख) गत तीन वर्षों में भारतीय उच्च आयोग से त्याग पत्र देने वाले ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनके स्थानातंरण आदेश रद्द करने के अनुरोध अस्वीकार कर दिए गए थे, और

(ग) क्या उक्त उच्चायोग के कुछ कर्मचारी व्यापार करते पाए गए हैं और उन्होंने ब्रिटेन में अचल सम्पत्ति भी बना ली है ।

विदेश मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) 30

(ख) 8

(ग) जी नहीं ।

Shri Prabodh Chandra : In reply to this question during the last session. Government stated that there are only 3 persons for a period more than 3 years in U.K. but in todays reply, this number is 30. What is the reason for increase in this number during this time. Is the Government aware of the fact that the transfers should be ordered after 3 years but there are some people who are sitting there for more than 10 years due to political or other type of influence, if so, what are the reasons ?

Shri Surendra Pal Singh : These 30 persons are not all those who are there for more than 10 years. Certainly there are persons who are there for more than $3\frac{1}{2}$ or $3\frac{3}{4}$ years, for which there are different reasons. Some have sought extension on education grounds and some on health grounds. There are such persons also who have defied our orders and are continuing there.

Shri Prabodh Chandra : Is the Government aware of the fact that the persons whose applications for extension of stay in U.K. were rejected, have tendered there resignations ? Have the Government taken any step to recover the expenditure incurred on their journey to U. K. and also impose some penalty ?

Shri Surendra Pal Singh : This is true that there are officials who defied the transfer orders to the headquarters and did not come back. This is also true that we tried to take them back but they tendered the resignations. So far as the question of taking action against them is concerned, we are trying to bring them back but we are not succeeding in it because they are permitted to stay there according to the Immigration laws of U.K. We are trying to recover the expenditure and take disciplinary action.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

चिल्का झील, उड़ीसा में नौसेना प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण

*146. **श्री दशरथ देव :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिल्का झील, उड़ीसा में स्थापित किए जाने वाले नौसेना प्रशिक्षण केन्द्र संबंधी प्रारंभिक निर्माण कार्य पर लगभग 10 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त योजना को अब त्याग दिया गया है, और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं श्रीमन् ।

(ख) तथा (ग): चिल्का में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव इस लिए स्थगित कर दिया गया है कि इससे वातावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना थी ।

छोटे इस्पात संयंत्रों की स्थापना

*148. **श्री राज० राज० सिंह देव :**

श्री बख्शी नायक:

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे इस्पात संयंत्रों की स्थापना के परिणामस्वरूप इस्पात उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की आशा है, और

(ख) क्या इन संयंत्रों के लिए लोहे की छीजन (स्क्रैप) की आवश्यकता का कोई अनुमान लगाया गया है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एस० मोहन कुमार मंगलम्) : (क) लाईसेंस देने की वर्तमान उदार नीति के अन्तर्गत जिन विद्युत भट्टियों एवं लगातार ढलाई के कारखानों को औद्योगिक लाईसेंस, सी०ओ०बी०और आशय पत्र देने के लिए अनुमोदित किया गया है कि उनकी लाईसेंस की गई क्षमता के आधार पर । अन्तत इस्पात के उत्पादन में 12.85 लाख टन अतिरिक्त स्पात तैयार करने की क्षमता होगी ।

(ख) रद्दी लोहे के बारे में बनाए गये एक कार्यकारी दल ने नवम्बर 1971 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ साथ विद्युत भट्टी उद्योग के लिए रद्दी लोहे की समस्त उपलब्धि के बारे में विचार मूल्यांकन किया था ।

बंगला देश का संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश

*150. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :**

श्री डी० के० पंडा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जब बंगला देश की सदस्यता के प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र संघ में विचार किया गया था तो चीन ने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था; और

(ख) इन परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र में बंगला देश को प्रवेश दिलवाने के बारे में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां । सुरक्षा परिषद में इस वर्ष अगस्त में जब बंगला देश की सदस्यता का प्रश्न उठा तब चीन ने अपने वीटो का प्रयोग किया ।

(ख) भारत सरकार इस मामले में बंगला देश और अन्य देशों के साथ लगातार सम्पर्क बनाए हुए है । महा सभा में एक प्रस्ताव रखा गया है जिसमें यह इच्छा व्यक्त की गई है कि बंगला देश संयुक्त राष्ट्र संघ में जल्दी ही प्रवेश पा जाएगा ।

उद्योगों के लिए वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान इस्पात का आयात

*151. **श्री के० मालन्ना:** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसी कोई योजना बनाई है जिससे इस्पात का आयात बन्द किया जा सके और साथ साथ उत्पादन का अपेक्षित विकास बनाए रखन के लिए भारतीय उद्योगों को पूर्ण क्षमता से कार्य में लगाया जा सके ।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) वर्ष 1972–73 और 1973–74 के दौरान कितना इस्पात आयात किया जाएगा ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां): (क) और (ख): जबकि सरकार की यह कोशिश है कि देश में औद्योगिक गतिविधि पर बुरा प्रभाव डाले बिना इस्पात के आयात को धीरे-धीरे कम किया जाए आर्थिक दृष्टि से देश के लिए टन भार का ध्यान रखे बिना सभी साइजों और विशिष्ठियों के इस्पात का उत्पादन करना लाभप्रद नहीं है । अत: कुछ आयात करना अनिवार्य है ।

(ग) इस समय 1972–73 और 1973–74 में किए जाने वाल इस्पात की आयात की मात्रा और मूल्य का सही-सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता । फिर भी 1972–73 में आयात के 10 लाख टन से अधिक होने और 1973-74 में इससे कम होने की प्रत्याशा है विशेषत: यदि 1972–73 में घरलू उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होती है ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में वित्तीय संकट

*153. **श्री राम कंवर:** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 जुलाई 1972 के समाचारपत्र "दि इकनोमिक टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं;

(ख) क्या उन्होंने सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एस० मोहन कुमार मंगलम): (क) जी हां।

(ख) दोनों में से किसी के मामले में भी वित्तीय संसाधनों के कारण सक्रियाओं में कठिनाई उत्पन्न नहीं हुई। सरकार द्वारा दोनों निगमों को समय समय पर, उनकी अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए बजट उपबन्धों में से निधियां निर्मुक्त की जाती हैं। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने, सरकार का अनुमोदन से स्टेट बैंक आफ इन्डिया को 7.45 करोड़ रुपये के नकद उधार व्यवस्था को 10 करोड़ रुपये तक वर्धित करने का अनरोध किया है। पिछली नकद उधार व्यवस्था 1964–65 में नियत की गई थी राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की संक्रियाओं में विस्तार के कारण, वर्धित कार्यगत पंजी अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए यह अभिवृद्धि आवश्यक हो गई है। भारत कोकिंग कोल कम्पनी लिमिटेड को 5 करोड़ रुपए के बैंक ओवरड्राफ्ट की प्रसुविधा है।

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त आवश्यक कदम उठाए हैं कि इन दोनों निगमों की संक्रियाएं तरल संसाधनों की कमी के कारण प्रभावित न हों।

कंपनियों द्वारा बोनस की अदायगी करने पर निगरानी रखने के लिए समिति

***154. कुमारी कमला कुमारी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को न्यूनतम बोनस की अदायगी किये जाने पर निगरानी रखने के लिए एक समिति की स्थापना कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कब?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर): (क): जी, नहीं।

(ख) बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 का प्रवर्तन केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा अपने अपने सम्बन्धित क्षेत्राधिकारों में, करवाया जाता है। अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु वे अपेक्षित निरीक्षण तन्त्र रखते हैं। इसी प्रयोजन के लिए एक अन्य अभिकरण की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं समझी जाती।

भारत और अमरीका के बीच मित्रता और सहयोग स्थापित करने सम्बन्धी एक संधि करने का प्रयास

***155. श्री अर्जुन सेठी**

श्री सी० के० चन्द्रप्पन

क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीका के साथ मित्रता और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मित्रता का हाथ बढ़ाया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) सम्प्रति दोनों में किसी भी सरकार के पास ऐसी कोई भी संधि विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नर्सिंग अर्दलियों से फार्मासिस्ट का कार्य कराना

***156. श्री राजदेव सिंह** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सैनिक अस्पतालों और सीमावर्ती क्षेत्रों में नर्सिंग अर्दलियों से फार्मासिस्ट का कार्य कराया जा रहा है यद्यपि उन्होंने फार्मासिस्ट पाठ्यक्रम पास नहीं किया होता; और

(ख) यदि हां, तो इसकी स्वीकृति देने वाला अधिकारी कौन है?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख) : डिस्पैंसरों (जिनका नाम अब फार्मेसिस्ट रखा जा रहा है) की भर्ती अर्हता प्राप्त तथा प्रशिक्षित नर्सिंग अर्दलियों (जिसका नाम अब नर्सिंग असिस्टेंट रख दिया गया है) में से की

जाती है। यद्यपि फार्मासिस्ट के रूप में ऐसा पद परिवर्तन पर्याप्त प्रशिक्षण के पश्चात किया जाता है फिर भी ऐसे कुछ विशेष मामलों में जबकि अहर्ता प्राप्त डिस्पैंसर तत्काल उपलब्ध नहीं होते वहां नर्सिंग असिस्टेंटों को चिकित्सा अधिकारियों की पूरी देख रेख में डिस्पेंसर के काम पर लगाया जाता है।

नई श्रमिक नीति

*157. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एक नई श्रमिक नीति बनाने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या श्रमिक संघ नई श्रमिक नीति से सहमत हो गए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख): औद्योगिक सम्पर्कों के सम्बन्ध में एक विस्तृत कानून पेश करने का प्रस्ताव किया गया है। इस सम्बन्ध में ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

(ग) औद्योगिक सम्पर्कों के बारे में प्रस्तावित कानून में मजदूर संघों और अन्यों द्वारा समय समय पर व्यक्त किये गए विचारों को ध्यान में रखा गया है।

कोककर कोयले की कमी के कारण इस्पात संयंत्रों के उत्पादन में कमी

*158. **डा० रानेन सेन** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोककर कोयले की अत्यधिक कमी के कारण हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के तीन बड़े इस्पात संयन्त्रों में उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं, और

(ग) इस्पात संयन्त्रों को कोककर कोयले की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है।

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एस मोहन कुमार मंगलम्): (क): जी, नहीं।

(ख): प्रश्न नहीं उठता।

(ग): कोयला नियन्त्रक, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, अन्य कोयला उत्पादकों और रेलवे के सहयोग से इस्पात कारखाना को कोकिंग कोल की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए निरन्तर प्रयत्न किये जाते हैं।

एनवाय टी० के० 67 ट्रांजिस्टरों की कैंटीन स्टोरों पर बिक्री

*159. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार, कनाट प्लेस, नई दिल्ली में अब भी लगभग दो लाख रुपए मूल्य के एनवाय टी०के० 67 ट्रांजिस्टर अनबिके पड़े हुए हैं;

(ख) क्या रक्षा मन्त्रालय के सचिव को लिखे गए एक पत्र में रक्षा मंत्रालय के कैन्टीन स्टोरों पर ये ट्रांजिस्टर बेचे जाने का अनुरोध किया गया था;

(ग) क्या एनवाय टी०के० 67 ट्रांजिस्टर के मूल्य में एक चौथाई की कमी कर दी गई है; और

(घ) क्या ये ट्रांजिस्टर कैन्टीन स्टोरों पर बेचने का निर्णय किया जा चुका है या किया जा रहा है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख): जनरल मैनेजर, सुपर बाजार, नई दिल्ली ने रक्षा मंत्रालय के सचिव को एक पत्र भेजा है जिसमें उन्होंने रक्षा मन्त्रालय के कैन्टीन स्टोर डिपार्टमेंट (इंडिया) के माध्यम से एनवाय

टी० के० 67 ट्रांजिस्टरों की बिक्री के बारे में लिखा है। जनरल मैनेजर के अनुसार 1.54 लाख रुपए के लगभग के ये ट्रांजिस्टर सुपर बाजार, कनाट प्लेस, नई दिल्ली में अनबिके पड़े हैं।

(ग) सुपर बाजार ने इन ट्रांजिस्टरों की कीमत 85 रुपए से घटाकर 75 रुपए करदी है।

(घ) जी नहीं, कैन्टीन स्टोर डिपार्टमेंट (इंडिया) की यह नीति है कि बिचौलियों को कुछ अदा किये बिना निर्माताओं से सीधा माल खरीदा जाय।

केरल में पार-पत्र जारी करने वाला कार्यालय खोलना

1401. श्री वयालार रवि : क्या **विदेश** मन्त्री केरल में पारपत्र जारी करने वाला कार्यालय खोलने के बारे में 27 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4155 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सम्बन्ध में इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं। इस मामले पर अभी विचार हो रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई स्थित मजगांव डाक लिमिटेड का लेखा परीक्षण

1402. श्री वयालार रवि : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत सरकार के पश्चिम क्षेत्र के मुख्य वाणिज्यिक लेखापरीक्षक ने बम्बई स्थित मजगांव डाक लिमिटेड में गत तीन वर्षों में हुई चूकों, अनियमितताओं तथा उसके द्वारा उठाई गई हानि का पता लगाने के लिए विस्तृत लेखापरीक्षण किया था; और

(ख) यदि हां, तो उसके लेखापरीक्षा पैराग्राफों में क्या टिप्पणियां की गई हैं ?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अधीन सरकारी कम्पनियों के कार्य का लेखा परीक्षा पुनरीक्षण करने के अधीन भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा मजगांव डाक लिमिटेड को 1972-73 के दौरान लेखा परीक्षा बोर्ड द्वारा विस्तृत पुनरीक्षण के लिए सरकारी कम्पनियों में से चुना गया है। यह पुनरीक्षण अभी चल रहा है।

(ख) पुनरीक्षण पूरा हो जाने पर लेखा परीक्षा के पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ सरकार (वाणिज्य) प्रतिवेदन में संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन संसद को प्रस्तुत करने के लिए सम्मिलित किया जायेगा।

International Jurist Commission urged India for Release of P.O.Ws.

1403. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether International Jurist Commission have urged Government of India to take immediate necessary steps for the release of Pakistan Prisoners of War; and

(b) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) Yes, Sir.

(b) Government have informed the International Jurists' Commission that for the repatriation of Pakistani POWs and civilian internees who surrendered to the Joint Command of India and Bangladesh, the association and participation of Bangladesh in any discussions is essential. They have also been informed that Pakistan's continued non-recognition of Bangladesh is responsible for the delay in commencing talks on this issue between the three countries.

Setting up of New Ordnance Factories in Madhya Pradesh

1404. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up some ordnance factories in Madhya Pradesh this year;

(b) if so, the locations thereof; and

(c) whether while setting up these ordnance factories the backward areas would be taken into account ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) : It is proposed to set up a propellant factory at Itarsi in Madhya Pradesh to produce propellants to meet the increased requirements of Defence. The factory will take about 6 years from the date of sanction to complete.

(c) There are many rigid strategic and techno-economic considerations which are required to be fulfilled in the selection of a site for the location of an ordnance factory. The backwardness of an area is also given due weightage. The decision on the location of site is taken on the basis of the totality of these factors.

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की तुलना में इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी का उत्पादन

1405. श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के अधिग्रहण के पश्चात् अब तक बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन के सम्बन्ध में इसका कार्य निष्पादन कैसा रहा है और दुर्गापुर इस्पात संयन्त्र के उत्पादन से इसी अवधि की इसकी तुलनात्मक स्थिति क्या है जिसका अन्य सभी सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयन्त्रों में निम्नतम स्थान रहा है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : स्थिति इस प्रकार है:—

विक्रेय इस्पात का उत्पादन

महीने	इंडियन आयरन एण्ड स्टील कं० लि०		दुर्गापुर इस्पात कारखाना	
	उत्पादन (टन)	क्षमता का प्रतिशत उपयोग	उत्पादन (टन)	क्षमता का प्रतिशत उपयोग
जुलाई, 1972	16,899	25	34,905	33
अगस्त, 1972	29,150	44	21,643	21
सितम्बर, 1972	33,274	50	34,747	34
अक्तूबर, 1972	39,234	59	47,110	46

लापता-जवानों को शौर्य-पुरस्कार

1406. श्री मार्तण्ड सिंह : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत-पाक युद्ध के दौरान लापता हुए कितने जवानों को शौर्य-पुरस्कार दिए गए हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम): अभी तक 12 नौसैनिकों को वीरता पुरस्कार दिये गए हैं जिन्हें आरम्भ में लापता घोषित किया गया था परन्तु अब युद्ध में मारे गए घोषित किया गया है।

भारतीय सेना के लापता सैनिकों के बारे में जानकारी

1407. श्री मार्तण्ड सिंह: क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे लापता सैनिकों की संख्या कितनी है जिनके बारे में पाकिस्तान से कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम): सेना के 275

अखिल भारतीय नेत्रहीन राहत संस्था, नई दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि

1408. श्री अन्वेश : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2 एफ, लाजपतनगर, नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय नेत्रहीन राहत संस्था के कर्मचारियों के नाम क्या हैं तथा उनके पदनामों, वेतनमानों तथा सेवा में आने की तारीखों का पृथक पृथक विवरण क्या है;

(ख) उक्त दोनों संस्थाओं के उन कर्मचारियों के पृथक पृथक क्या नाम हैं जो भविष्य निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं;

(ग) क्या उक्त संस्थाओं के कर्मचारियों की पृथक पृथक संख्या 20 से कम है जोकि भविष्य निधि योजना लागू करने के लिए निर्धारित न्यूनतम संख्या है; और

(घ) क्या केवल श्री कुमारपाल तथा उनके "ब्रदर इन ला" श्री शिवचरण ही इस योजना से लाभ उठा रहे हैं तथा अन्य लोग नहीं, और यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (घ): भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि अखिल भारतीय नेत्रहीन राहत संस्था के नाम से विख्यात प्रतिष्ठान को, कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन अधिनियम, 1952 और उसके अधीन बनायी गई योजनाओं के अन्तर्गत नहीं लाया गया है और इसलिए, ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

आसाम कोयला खान मजदूर कांग्रेस का ज्ञापन

1409. श्री रोबिन ककोटी: क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आसाम कोयला खान मजदूर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमण्डल उनसे मिला था और ए०आर०टी० कम्पनी लि० मारघेटा के कोयला श्रमिकों की ओर से एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था; और

(ख): यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख): इस वर्ष सितम्बर में आसाम कोयलिरी मजदूर कांग्रेस के प्रतिनिधि इस्पात और खान मन्त्री जी से गोहाटी में मिले और उनसे अनुरोध किया कि उस समिति की, जिसने आसाम रेलवेज एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड के मामलों की जांच की थी, रिपोर्ट पर सरकार द्वारा शीघ्र विनिश्चय लिया जाए। सरकार मामले का परीक्षण कर रही है और सम्यक अनुक्रम में विनिश्चय लिया जाएगा।

रेलवे माल डिब्बों से कोयला चुराने वाले गिरोह

1410. श्री रोबिन ककोटी : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयले के उपभोक्ताओं, सर्वसाधारण तथा उद्योग के रेलवे-माल डिब्बों से कोयला चुराने वाले गिरोहों के कारण बहुत अधिक दाम देने पड़ते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन गिरोहों की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां): (क) और (ख): चूंकि कोयले की कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं है अतः वह उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच बातचीत योग्य है। कुछ शिकायतें रही हैं कि भूत में कुछ उत्पादकों द्वारा उच्च कीमतें ली गई है यद्यपि यह बैगनों में लूटपाट से सम्बन्धित नहीं थी।

रेल मन्त्रालय ने, जो वैगनों की आपूर्ति नियन्त्रित करता है, आश्वासन दिया है कि इस बारे में दूषित आचरणों के अभिकथनों के बारे में, यदि कोई हो तो, विशिष्ट शिकायतों पर विचार किया जा रहा है और उस पर उचित अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।

आसाम क लिये छोटा इस्पात संयंत्र

1411. श्री रोबिन ककोटी : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में एक छोटे इस्पात संयन्त्र की मांग है, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां): (क) और (ख): विद्युत भट्टियों में रद्दी इस्पात को पिघला कर इस्पात बनाने के लिए आसाम में एक कारखाना लगाने हेतु औद्योगिक लाइसेंस के लिए एक गैर सरकारी उद्योगपति से एक आवेदन पत्र मिला है। उद्योग के विकिरण की आवश्यकता, सरकारी क्षेत्र/संयुक्त क्षेत्र के कारखानों को प्राथमिकता, उत्पादन की मितव्ययता और दूसरी ऐसी बातों को ध्यान में रख कर इस आवेदन पर अन्य ऐसे ही प्रस्तावों के साथ साथ विचार किया जा रहा है।

आसाम, नागालैंड तथा मेघालय में कोयला खानों का अधिग्रहण

1412. श्री रोबिन ककोटी : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में असम, नागालैण्ड तथा मेघालय की कोयला खानों का अपने अधिकार में लेने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां): (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार कोयला खानों के प्रबन्ध को ग्रहण करना इस समय आवश्यक नहीं समझती है।

अविभाजित पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश क निवासियों की दुकानों के बारे में भारत के कस्टोडियन जनरल के पास अनिर्णित पड़े मामले

1413. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री अविभाजित पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश के निवासियों की दुकानों के बारे में भारत के कस्टोडियन जनरल के पास अनिर्णित पड़े मामलों के बारे में 20 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3434 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निष्क्रान्त सम्पत्ति के बारे में कस्टोडियन जनरल के पास अनिर्णित पड़े मामलों के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है; और यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में संसद सदस्यों के माध्यम से इस बीच कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर): (क) जी, हां। पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों के निष्क्रान्त सम्पत्ति के कस्टोडियनों ने सूचित किया है कि इस प्रकार का कोई मामला अनिर्णित नहीं पड़ा है। निष्क्रान्त सम्पत्ति के डिप्टी कस्टोडियन जनरल ने अपने आदेश दिनांक 14.4.1971 द्वारा एक मामला प्रादेशिक बन्दोबस्त

आयुक्त (केन्द्रीय) तथा निष्क्रान्त सम्पत्ति के कस्टोडियन, दिल्ली के कार्यालय में सहायक कस्टोडियन की बाजार चौगान, नूरपुर, जिला कांगड़ा में स्थित दो दुकानों के निष्क्रान्त स्वरूप की जांच करने के लिए फिर से भेजा था। यह मामला अभी अनिर्णित पड़ा है।

(ख), जी, हां। इस सम्बन्ध में संसद सदस्य के माध्यम से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। निष्क्रान्त सम्पत्ति, दिल्ली के कस्टोडियन को इसे शीघ्र निपटाने के लिए कहा गया है।

मजदूर शिक्षा केन्द्र

1414. श्री रोबिन ककोटी : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मजदूर शिक्षा केन्द्रों की संख्या कितनी है; और

(ख) असम, मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा और मणिपुर राज्यों में कुल कितने शिक्षा केन्द्र हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर): (क) केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड ने अब तक 30 श्रमिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की है। आशा है कि दो और केन्द्र आरम्भ कर देंगे।

(ख) असम में दो केन्द्र हैं—एक तिनसुखिया में और दूसरा तेजपुर में। उनके अन्तर्गत मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा और मणिपुर के राज्य भी आते हैं जहां वर्तमान श्रमिक संख्या इतनी अधिक नहीं कि उनके लिए अलग केन्द्र खोलना तर्कसंगत हो।

कोल इन्वैस्टमेंट क्लाइमेट

1415. श्री दामोदर पाण्डे : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 जुलाई के "इकोनामिक टाइम्स" में "कोल इन्वैस्टमेंट क्लाईमेट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार-लेख की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त लेख में वर्णित तथ्यों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां): (क) जी, हां।

(ख) प्रश्नगत लेख में निम्नलिखित मुख्य विषय बिन्दु उठाए गए हैं अर्थात् अकोककारी कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के भय से कोयला उद्योग में अस्पष्ट विनिधान वातावरण और प्रतिकर के संदाय के बारे में अनिश्चितता। कोककर कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 के उपबन्धों की जानकारी से पूर्व यह लेख प्रकाशित हुआ था। कोयला खानों को संदेय धन राशि अधिनियम में विनिर्दिष्ट की गई है और इसलिए प्रतिकर के संदाय के बारे में अभिकथित अनिश्चितता, यदि कोई हो तो, दूर की गई है।

अकोककर कोयला खानों के प्रबन्ध ग्रहण के बारे में सरकार की नीति को कई बार स्पष्ट किया गया है। जब तक खान स्वामी कर्मकारों के प्रति अपने उत्तरदायित्व और बाध्यताओं की पूर्ति, स्वामित्व तथा भविष्य निधि के बकाया की पूर्ति तथा पर्याप्त विनिधानों द्वारा भविष्य में उत्पादन के लिए निर्माण नहीं करते, तब तक सरकार का अकोककर कोयला खानों के प्रबन्ध ग्रहण करने का इस समय कोई आशय नहीं है।

Demurrage paid for Components imported from U.S.S.R. for Heavy Engineering Corporation, Ranchi

1416. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of Steel and Mines be pleased to state :

(a) whether four big components weighing about 2,100 Kgs. and worth about Rs. 23,000 were ordered from Soviet Union in 1961 for the Heavy Machinery Manufacturing Plant of the Heavy Engineering Corporation, Ranchi but the said components remained lying for a long time at port for which Government had to pay heavy demurrage charges; and

(b) the amount of the demurrage charges so paid and the effect on production due to non-availability of said components ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Presumably, the Honourable member is referring to a contract for supply of 4 cross travel screws for slag cars concluded by the Heavy Engineering Corporation with M/s. Prommash export of USSR on 13th September 1967. A consignment of these were brought by SS Visva Sudha, an Indian Ship from USSR. This was, however, an unmanifested cargo and did not carry any shipping documents like specifications, bill of lading etc. The matter was taken up with the suppliers but they could not furnish the shipping documents. HEC, therefore, could not get the components released from the port authorities. Consequently they made alternative arrangements and have developed the technique for the manufacture of this item in their Foundry Forge Plant.

(b) No expenditure has been incurred by HEC on account of demurrage charges, port charges or port rent for this consignment.

The non-availability of the components from USSR has not affected HEC's production of slag cars.

बोकारो इस्पात संयंत्र में पूंजी निवेश

1417. श्री विजय नोदक : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने बोकारो इस्पात संयंत्र में, आरम्भ से अब तक, कितनी पूंजी निवेश किया है,

(ख) इसमें लगी विदेश पूंजी पर सरकार ने अब तक कुल कितना ब्याज अदा किया है, और

(ग) इसमें अनुमानत; और कितनी विदेशी पूंजी लगाई जाएगी ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां): (क) अक्तूबर, 1972 के अन्त तक बोकारो इस्पात कारखाने में सरकार के इक्विटी के रूप के 600 करोड़ रुपए और ऋण के रूप में 122.26 करोड़ रुपए लगे हुए थे।

(ख) और (ग) : बोकारो इस्पात कारखाने में विदेशी पूंजी नहीं लगी है। सोवियत सरकार ने कारखाने के 17 लाख टन के प्रथम चरण के लिए 20 करोड़ रूबल (166.6 करोड़ रुपए के लगभग) और 40 लाख टन पिण्ड क्षमता के दूसरे चरण के लिए 8.5 करोड़ रूबल (70.8 करोड़ के लगभग) उधार दिये हैं। अब तक भारत सरकार ने सोवियत उधार पर ब्याज के रूप में लगभग 9 करोड़ रुपए दिए हैं।

युद्ध बन्दियों को भारतीय हिरासत से भागने में भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा सहायता करना

1418. श्री यमुनाप्रसाद मंडल: क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि कुछ भारतीय राष्ट्रिक युद्धबंदियों को भारतीय अभिरक्षा से भगाने में सहायता कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाई की गई है

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम): (क) और (ख): जनवरी 1972 में सरकार के ध्यान में एक मामला आया जबकि पाकिस्तानी युद्धबन्दी को भागने में सहायता करने के आरोप में चार भारतीयों को पकड़ा गया।

कलकत्ता में इस्पात के कोटे के परमिटों के दुरुपयोग के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा चलाये गये मामले

1419. श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कलकत्ता में इस्पात के कोटे के परमिटों का दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कुल कितने मामले चलाए हैं, और

(ख) सम्बन्धित व्यक्तियों/संगठनों के नाम पते आदि का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां): (क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यौरो ने हाल में कलकत्ता के कारखानों तथा व्यक्तियों द्वारा इस्पात के दुरुपयोग के संबंध में 16 मामले दर्ज किए हैं।

(ख) ऊपर के 16 मामलों में से 8 मामलों में दोषारोप पत्र जारी किए गये हैं और तीन मामलों में सम्बद्ध कम्पनियों को काली सूची में रखने पर विचार किया जा रहा है। शेष पांच मामलों में जांच की जा रही है।

जिन कम्पनियों/लोगों को दोषारोप पत्र जारी किये गये हैं उनके नाम इस प्रकार हैं :–

1. (i) श्री धरणीधर याज्ञिक, मालिक मेसर्स नगेन्द्र इन्डस्ट्रीज, पी–127/बी० सी० आई० टी० रोड, मानिक टोला, स्कीम सं० 6, कलकत्ता।

(ii) श्री कमलाधर याज्ञिक, मालिक एकम सर्विसमेन कारपोरेशन मालिक टोला, स्कीम सं० 6, कलकत्ता।

(iii) श्री मुरलीधर याज्ञिक, मालिक मेसर्स एम० के० इंजीनियरिंग कं०, मालिक टोला स्कीम सं० 6, कलकत्ता।

2. श्री के० सी० गुहा, मालिक मेसर्स के० सी० गुहा एण्ड कंपनी, मंडल लेन, कलकत्ता-26 तथा अन्य।

3. (i) श्री मनोरंजन विश्वास, मेसर्स इन्द्राणी स्टील कारपोरेशन, 49 बी० टाउनसेन्ड रोड. कलकत्ता-25।

(ii) श्री संतोष कुमार चटर्जी, गरुलिया, थाना नया पाड़ा, जिला 24 परगना।

(iii) श्री बिमल कुमार बोस, थाना नयापाड़ा, जिला-24 परगना।

4. (i) श्री मनोरंजन विश्वास, मेसर्स एस० एन० जनरल इन्डस्ट्रीज, 49/बी, टाउनसेन्ड रोड, कलकत्ता-25।

(ii) श्री संतोष कुमार चटर्जी, गरुलिया, थाना-नयापाड़ा, जिला 24 परगना।

(iii) श्री विमल कुमार बोस, थाना-नयापाड़ा, जिला-24 परगना।

5. श्री मनोरंजन विश्वास, मेसर्स एम० आर० इन्डस्ट्रीज, 49 बी, टाउनसेन्ड रोड, कलकत्ता-25।

6. (i) श्री तरुन कुमार मुखर्जी, बाबला, 2/बी, मलिक लेन कलकत्ता-25।

(ii) श्री अरुण कुमार मुखर्जी, 2/ए मलिक लेन, कलकत्ता-25।

(iii) श्री अमल कुमार मुखर्जी, 2/बी मलिक लेन, कलकत्ता-25।

(iv) श्री सुब्रत चटर्जी, 28 मुलन पार्क गुरिया, 24, परगना।

7. श्री हेम चन्द्र गुहा, मेसर्स काली इंजीनियरिंग वर्क्स और मैसर्स गुहा इंजीनियरिंग वर्कस के 33/1 ए० रफी अहमद किदवई रोड़ कलकत्ता ।

8. (i) श्री ओंकार मल अग्रवाल, मेसर्स बनजानीहरी एन्थमाइट कोल के० बराकर, डा० कुल्टी, बर्दावान ।

(ii) श्री श्याम सुन्दर अग्रवाल, बराकर, डा० कुल्टी, बर्दवान ।

(iii) श्री नाथमल अग्रवाल, बराकर, डा० कुल्टी, बर्दवान ।

उपग्रह के माध्यम से टेलीविजन कार्यक्रमों के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

1420 श्री एस० ए० मुरुगनत्तम: क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन का प्रस्ताव किया है कि टेलिविजन कार्यक्रम प्रसारण करने वाले देशों को उपग्रह के माध्यम से टेलीविजन कार्यक्रम प्रसारित करने से पूर्व उन देशों की पूर्व अनुमति लेनी चाहिए जिन में कार्यक्रम प्रसारित किया जायेगा ।

(ख) क्या इस प्रस्ताव पर पेरस में यूनेस्को के आगामी महासम्मेलन में चर्चा की जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव पर भारत का क्या रुख है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) संयुक्त राष्ट्र महासभा के चालू 27वें सत्र में सोवियत संघ ने "राज्यों द्वारा सीधे टेलीविजन प्रसारण के लिए कृत्रिम भू-उपग्रह के प्रयोग के अनुशासी सिद्धांतों पर अभिसमय" पर एक मसौदा रखा था । अभिसमय के इस मसौदे में दूसरी बातों के अलावा नीचे लिखा अनुच्छेद भी है :-

"अनुच्छेद 51 इस अभिसमय के पक्षधर देश किन्हीं दूसरे देशों में उनकी स्पष्ट स्वीकृति लेकर ही कृत्रिम भू-उपग्रह के माध्यम से सीधे टेलीविजन प्रसारण कर सकते हैं" ।

(ख) जी नहीं । सोवियत प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में विचार किया गया था जिसमें एक संकल्प भी स्वीकार किया गया था जिसमें दूसरी बातों के अलावा बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण प्रयोग से संबद्ध समिति से यह प्रार्थना भी की गई थी कि "राज्यों द्वारा सीधे टेलीविजन प्रसारण के लिए कृत्रिम भू-उपग्रह के प्रयोग के अनुशासी सिद्धांतों" को जितनी जल्दी हो सके वह विशद रूप दें ताकि इस संबंद्ध में कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता या समझौते हो सकें ।

(ग) भारत सरकार सोवियत संघ की इस पहल की प्रशंसा करती है और उसका यह मत है कि बाह्य अंतरिक्ष समिति द्वारा ऐसे अभिसमय के मसौदे पर यथा शीघ्र सावधानी से व्यापक रूप में विचार किया जाना चाहिए ।

Carrying away of Indian Women to West Asia on the Ship 'Dwarka'

1421. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri R.V. Bade :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether there were 200 women on the ship named 'Dwarka', which proceeded to West Asia during September, 1972 ;

(b) whether out of the total of 280 passengers bound for Kuwait, 184 were women; and

(c) the action proposed to be taken to prohibit trade in Indian women ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) & (b) : Out of a total of 1012 passengers, the number of women passengers in 'Dwarka' was 285.

(c) There does not appear to be any "trade", as such, in Indian women. There have been reports, however, that some indigent Indian women have illegally emigrated to the newly enriched Gulf States, primarily, for economic reasons, as there is an acute shortage of female domestic staff in these countries. In most cases, evidently, these women were enticed into going there by unscrupulous touts and go-betweens, with exaggerated promises of attractive wages and a life of ease and luxury.

The Central Government has taken due note of the possible existence of such illicit emigration and has already, *inter alia*, requested the State Governments to tighten up security arrangements at all possible exit points, to check any illicit out-flow of Indian women to the Gulf countries. In general, a careful watch is being kept on the situation. Any further measures which may appear necessary in this context will be taken at the appropriate time.

It may be added that any citizen of India, whether male or female, who complies with the relevant requirements prescribed under the Passports Act, 1967, cannot be refused, or deprived of, a passport, or other travel document, to go abroad. Such Indian nationals, however, who *prima facie* are proceeding out of India to take up employment as domestic servants, etc., are additionally required to comply with certain formalities under the Indian Emigration Act, 1922, to protect their interests while serving abroad. During 1971, for instance, the protection of the Indian Emigration Act was extended to 1850 such persons.

जख्मी अथवा विक्लांग सैनिकों को वितीय सहायता अनुग्रह पूर्वक अनुदान

1422. श्री नारायण चन्द पाराशर: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों ने 1971 के भारत पाक युद्ध में जख्मी हुए अथवा विक्लांग हुए सैनिकों को वित्तीय सहायता या अनुग्रह अनुदान देना मंजूर कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार यह अनुदान किस रूप में और कितना देगी; और

(ग) क्या ऐसे जवानों को आवासीय भू-खण्ड देने का विचार है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग): एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-3768/72

लेबनान पर इजरायली बमबारी रोकन संबन्धी उपाय

1423. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लेबनान के दावे पर इजराइल द्वारा की गई सैनिक कार्यवाही पर आपत्ति प्रकट की है; और

(ख) यदि हां, तो लेबनान पर निर्मम बमबारी करने तथा उस पर आक्रमण करने से इजराइली सरकार को रोकने हेतु दबाव डालने के संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं।

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख): 18 सितम्बर 1972 को विदेश मंत्रालय के अधिकृत प्रवक्ता ने लेबनानी क्षेत्र में इजराइल की सैनिक कार्यवाही की तीव्र निन्दा की तथा इसे तुरन्त बंद करने की मांग की। इसी विषय पर सुरक्षा परिषद की बहस में भारतीय प्रतिनिधि ने इस बात पर खेद प्रकट किया कि इस क्षेत्र में युद्ध विराम को "इजराइल ने बार बार खुल्मखुल्ला, यहां तक कि उन्मादी ढंग से तोड़ा है," साथ ही साथ भारत ने उस प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया, जिस में, 'संबद्ध पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए अधिकाधिक संयम बरतने और सभी सैनिक कार्यवाही तत्काल बन्द करने' को कहा गया है।

भारतीय प्रतिरक्षा व्यवस्था मे "उदयगिरी" नामक युद्ध-पोत का शामिल किया जाना

1424. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अक्तूबर, 1972 में भारतीय प्रतिरक्षा व्यवस्था में "उदयगिरि" नामक एक नया युद्ध-पोत शामिल किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पोत की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम): (क) और (ख) : आई० एन० एस० उदयगिरि जो अक्तूबर 1972 में जलावतरण किया गया एक सामान्य उद्देश्य फ्रिगेट है । उसको अभी सज्जित करना है तथा इस से पहले कि यह नोसैना बेड़े में कार्यकारी यूनिट बने उसके पूरे हल, मशीन और विद्युतीय और अस्त्र शस्त्र संबंधी परीक्षण भी करने हैं ।

ऊपरी उड़ानों के संबन्ध में पाकिस्तान से वार्ता

1425. **श्री पम्पन गौडा :**

श्री धमंराव अफजलपुरकर:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऊपरी उड़ानों के सम्बंध में भारत से सीधी वार्ता करने के लिए क्या पाकिस्तान सरकार ने कोई पहल की है और

(ख) यदि हां, तो उस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) : जुलाई के आरम्भ में, भारत ने अपनी तरफ से पहल करते हुए पाकिस्तान के समक्ष यह प्रस्ताव किया था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा अंतर्राष्ट्रीय सिविल विमानन संगठन में विचाराधीन मामलों को वापस ले लिया जाये । यह सुझाव दिया गया था कि इससे एक दूसरे देश के ऊपर से उड़ानें पुनः चालू करने में सुविधा होगी और इसका इस सम्बंध में किए गए दोनों देशों के दावों पर भी काई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिन्ह द्विपक्षीय ढंग से सुलझाया जा सकता है । पाकिस्तान सरकार भारत के प्रस्ताव पर उस समय तो सहमत नहीं हुई थी लेकिन बाद में उसने इस संबंध में भारत सरकार से द्विपक्षीय वार्ता करने की इच्छा व्यक्त की है, जबकि उधर अंतर्राष्ट्रीय सिविल विमानन संगठन के समक्ष दोनों देशों की शिकायतों पर अभी विचार नहीं हो रहा है ।

(ख) भारत ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ।

Dakota Planes sold by Indian Air Force

1426. Dr. Laxminarain Pandeya : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the total number of Dakota planes sold by the Indian Air Force so far ; and

(b) the names of the purchasers and the prices paid by them ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) No Dakota aircraft has so far been sold by the Indian Air Force.

(b) Dose not arise.

बंगलौर में नये हैलीकाप्टर कारखाने का निर्माण

1427. श्री जो० वाई० कृष्णन: क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैसूर सरकार की एक संस्था, राष्ट्रीय निर्माण निगम को बंगलौर में एक नए हैलीकाप्टर कारखाने के निर्माण का सिविल कार्य सौंपा गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस निगम ने अपने गठन के समय से लेकर अब तक, वर्ष वार कितनी प्रगति की है ?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) तथा (ख): बंगलौर में नई हैलीकाप्टर फैक्टरी के लिए इमारत आदि का निर्माण कार्य मैसूर के नेशनल बिल्डिंग कारपोरेशन को नहीं सौंपा गया है, इसे नेशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली को सौंपा गया है, जो कि भारत सरकार का संस्थान है। यह कार्य फरवरी 1972 में आरम्भ हुआ था और सामान्यत: निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही चलता रहा है।

भारत में डिजाईन किया गया तथा निर्मित "राकेट असीस्टेन्ट" उपकरण

1428. श्री पी० गंगादेव :

श्री के० लकप्पा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक नया उपकरण "राकेट असिस्टेन्स" भारत में ही डिजाईन तथा निर्मित किया गया है;

(ख) क्या इन नये उपकरण से अत्याधिक भार से लदे विमान को भी सामान्य से लगभग आधे समय में भूतल से उड़ाया जा सकेगा; और

(ग) क्या इस उपकरण का परीक्षण एक वायुसेना क्षेत्र में किया गया था जहां इस उपकरण युक्त एक तेज गति वाले जैटविमान को बहुत ही कम समय में वायुवादित कर लिया गया, और उक्त उपकरण के निर्माण सम्बंधी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (ग): एक ऐसे यन्त्र का डिजाईन तथा विकास किया गया है परन्तु इसका अभी निर्माण करना है। इस यन्त्र के बारे में आगे कोई ब्यौरे देना जनहित में नहीं होगा।

Decision of International Court of Justice over Jurisdiction of ICAO in the Case of Bar on Overflights of Pakistan Planes

1429. Shri Hari Singh : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether International Court of Justice at Hague has given the ruling that the International Civil Aviation Organisation have the powers to hear the dispute between India and Pakistan regarding over-flights ;

(b) whether a copy of the said ruling will be laid on the table ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) By a judgment delivered on August 18, 1972, the International Court of Justice rejected Pakistan's contention that the Court had no jurisdiction to entertain India's Appeal. Further, the Court held that the Council of the International Civil Aviation Organisation was competent to entertain Pakistan's Application and Complaint. The Court has held that the contentions raised by India go to the merits of the cases which should be looked into by the ICAO Council. It has not expressed any view on the substance of our contentions. The cases have now gone back to the ICAO Council and further proceedings will be held on merits of India's contentions including the question of ICAO Council's jurisdiction to deal with these cases.

(b) Printed copies of the Judgment of 18 August 1972 in the Appeal Relating to the Jurisdiction of the ICAO Council (India v. Pakistan) are available in the Parliament Library.

(c) On 28 August 1972, the Government of India filed its Counter-Memorial before the ICAO Council.

1972-73 के दौरान उर्वरकों का आयात

1430. श्री भालजी भाई परमार : क्या **पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1972-73 के दौरान कुल कितने मूल्य का उर्वक आयात करने की योजना है तथा यह आयात किन देशों से किया जाएगा; और

(ख) क्या इनमें से किसी देश से होने वाली सप्लाई में कमी आई है और यदि हां, तो कितनी तथा उस देश का नाम क्या है ?

पूर्ति मन्त्री (श्री डी० आर० चव्हाण): (क) 1972-73 के दौरान, 5.56 लाख टन एन०, 2.04 लाख टन पी० 205 तथा 1.50 लाख टन के० 20—उर्वरकों की कुल मात्रा का आयात करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। आयात के स्रोतों में पश्चिमी यूरोप पूर्वी योरोप, ब्रिटेन, रूस, फारस की खाड़ी के देश, अमेरिका, कनाडा तथा जापान शामिल हैं।

(ख) अभी तक जो ठेके दिए गए हैं, उनकी सप्लाई में कमी होने की आशा नहीं है, हालांकि उनके वास्तविक परिदान में कुछ विलम्ब हो सकता है।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को वर्ष 1971-72 में हुई हानि

1431. श्री धर्मराव अफजलपुरकर :

श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने वर्ष 1971-72 में गत वर्षों की तुलना में आश्चर्यजनक रूप से आठ-गना हानि दिखाई तथा इस प्रकार इस वर्ष को कम्पनी खुलने से आज तक की अवधि का सबसे बुरा वित्तीय वर्ष सिद्ध किया, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस कम्पनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां): (क) हिन्दुस्तान स्टील लि० को वर्ष 1971-72 में 44.85 करोड़ रुपए की हानि हुई जबकि 1970-71 में 5.41 करोड़ रुपए की हानि हुई थी। वर्ष 1971-72 में हुई हानि कम्पनी के आरम्भ से लेकर अब तक एक वर्ष की सबसे बड़ी हानि थी।

(ख). 1971-72 में अधिक हानि होने का मुख्य कारण उत्पादन की मात्रा में कमी होना तथा लागत में वृद्धि होना था।

1971-72 में कुल उत्पादन इस्पात कारखानों की कुल निर्धारित क्षमता से बहुत कम ही नहीं था बल्कि 1970-71 के उत्पादन से भी कम था। राउरकेला इस्पात संयन्त्र में उत्पादन की कमी का मुख्य कारण जुलाई, 1971 में स्टील मेल्टिंग शाप की छत का गिर जाना था जिसने कई महीनों तक सारे कारखाने के कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था। कोक ओवन बैटरियों में सामान्य रूप से कम उत्पादन एक अतिरिक्त रुकावट थी जिसके परिणामस्वरूप कोक तथा गैस की सप्लाई में कमी हो गई। मई 1971 में भिलाई इस्पात कारखाने की कुछ कोक-ओवन बैटरियों में बड़ी खराबी हो गई थी जिसके परिणामस्वरूप धमन भट्टी के लिए कोक की कमी हो गई तथा स्टील मेल्टिंग शाप और मिलों के लिए गैस की उपलब्धि में कमी हो गई। इस कारण उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। लगातार अशान्त औद्योगिक संपर्कों के कारण दुर्गापुर इस्पात कारखाने की अधिकतर इकाइयों में उत्पादन पर प्रभाव पड़ा। उपस्करों में खराबी, दामोदर घाटी निगम द्वारा बिजली पर प्रतिबन्ध तथा कोक भट्टियों तथा उपस्करों की असन्तोषजनक हालत अन्य सहायक कारण थे। अशान्त औद्योगिक सम्पर्क तथा दुर्गापुर इस्पात कारखाने से गैस की अनियमित कम उपलब्धि के कारण मिश्रित इस्पात कारखाने के उत्पादन में भी कमी हुई।

मूल्य-वृद्धि के कुछ कारणों के कारण भी कम्पनी के कार्य-परिणामों पर काफी प्रभाव पड़ा था। इनमें ये सम्मिलित हैं:—मजदूरी के सम्बन्ध में किए गए समझौतों का पूरा प्रभाव, संयन्त्रों के पुराने होते जाने के कारण रख-रखाव की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण स्टोर तथा फालतू पुर्जों की बढ़ती हुई खपत की घटना, कच्चे माल, फालतू पुर्जों तथा उपभोज्य सामग्री के मूल्य वृद्धि, अतिरिक्त घिसाई, अन्तर्राज्यीय नदी घाटी प्राधिकरण पर पश्चिमी बंगाल का कर अधिनियम 1971 के अनुसार दुर्गापुर इस्पात कारखाने तथा मिश्रित इस्पात संयन्त्र के लिए फरवरी, 1958 से बिजली के बकाया के लिए व्यवस्था आदि।

मालिक-मजदूर सम्बन्धों, विशेषतया दुर्गापुर इस्पात कारखाने तथा मिश्र इस्पात कारखाने में मालिक-मजदूर सम्बन्धों की कठिनाईयों के बावजूद भी हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबन्धक उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। इन प्रयत्नों में कोक भट्टियों की विशिष्ट मरम्मत, गैस की उपलब्धि बढ़ाने के लिए वैकल्पिक इंधनों का उपयोग, इंधन के साधनों में वृद्धि करने के लिए कुछ भट्टियों में आयल फायरिंग, उपकरणों की अच्छी उपलब्धि के उद्देश्य से रख-रखाव में सुधार, उत्पादन सुविधाओं में असंतुलन को ठीक करने के लिए आवश्यक पूंजीगत कार्यक्रमों को पूरा करने में तेजी लाना, फालतू पुर्जों, उष्मसह तथा अन्य आवश्यक माल का योजनाबद्ध ढंग से प्राप्ति शामिल है। श्रमिकों के झगड़ों और उनकी शिकायतों को शीघ्रता से निपटाने और उत्पादन को अधिकाधिक करने में मजदूरों का सहयोग प्राप्त करने हेतु दुर्गापुर में हाल में एक त्रिपक्षीय सलाहकार मशीनरी स्थापित की गई है। उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि करने हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन देने के लिए राउरकेला इस्पात कारखाने में एक नई पुरस्कार योजना शुरू की गई है। सरकारी भी टास्क फोर्स की सार्वधिक बैठकों तथा समीक्षाओं के द्वारा इकाइयों तथा कम्पनी के कार्यकरण पर सतत नजर रखती है तथा सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती है।

श्रमजीवी पत्रकारों के वेतनमान

1432. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **श्रम और पुनर्वास** : मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न श्रेणी के समाचार पत्रों के श्रमजीवी पत्रकारों के वर्तमान वेतनमान क्या हैं; और

(ख) इनका पुनरीक्षण कब से नहीं हुआ ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर०के० खाडिलकर): (क) और (ख): श्रमजीवी पत्रकारों के वर्तमान ग्रेड और समाचार पत्रों के विभिन्न वर्गों में अंशकालिक कर्मकारों के पारिश्रमिक, भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II खण्ड 3(II) में भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) के आदेश संख्या का० आ० 3883 दिनांक 27 अक्तूबर, 1967 द्वारा प्रकाशित द्वितीय वेतन बोर्ड की सिफारिशों के पैरा 4.27 और 4.30 में दिए गए हैं। वेतन बोर्ड की सिफारिशों सहित आदेश की प्रतियां संसद ग्रन्थागार को भेजी गई थीं।

निर्दिष्ट सिफारिशों के पैरा 4.32 में ग्रेडों के लागू होने की तारीखें दी गई हैं। ग्रेड अभी भी जारी है और पुनरीक्षित नहीं किए गए हैं।

त्रिपुरा में सीमवर्ती क्षेत्रों के लोगों को सहायता

1433. श्री बीरेन दत्त : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या त्रिपुरा में सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को कोई राशि अदा की गई है जिन्हे बंगला देश संकट के कारण मुसीबतें उठानी पड़ी थीं, यदि हां, तो कितनी राशि दी गई;

(ख) क्या त्रिपुरा पश्चिम के राजनगर क्षेत्र के लोगों को कोई राशि नहीं दी गई जब कि उनकी भूमि को बहुत क्षति हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो क्या उनके मामलों पर विचार किया जायेगा?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर): (क) सीमावर्ती क्षेत्रों के जिन लोगों को बंगला देश संकट के कारण मुसीबतें उठानी पड़ी थीं उन्हें निम्नलिखित सहायता दी गई थी:—

(i) वे भारतीय राष्ट्रिक जो मारे गए थे उनके परिवारों को 1,000 रुपए प्रति परिवार।

(ii) जो गम्भीर रूप से घायल हो गए थे उन लोगों को 100 रुपए प्रति व्यक्ति; और

(iii) पाकिस्तानी सेना द्वारा गोली चलाए जाने के परिणामस्वरूप सीमावर्ती क्षेत्र में विस्थापित हुए व्यक्तियों को खाद्यान्न या नकद प्रति वयस्क 1 रुपया प्रतिदिन और प्रति अवयस्क 50 पैसे प्रति दिन की दर से ।

(ख) और (ग): अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

दादरा और नागर हवेली के लिए श्रमिक आयुक्त

1434. क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजूरी का भुगतान करने, मुआवजा देने, चिकित्सा सहायता देने और काम के घंटों जैसी कर्मचारियों की वास्तविक कठिनाइयों की जांच करने के बारे में संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नागर हवेली में श्रमिक आयुक्त अथवा सहायक श्रमिक आयुक्त की नियुक्ति की गई है ;

(ख) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के मजदूरों को अपने संघों को रजिस्टर कराने और अधिकारियों तक अपनी मांगों को पहुंचाने और यदि आवश्यक हो तो केन्द्रीय सरकार के श्रम विभाग द्वारा हस्तक्षेप करने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर): (क) दादरा और नागर हवेली, क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय) बम्बई के क्षेत्राधिकार में आता है। प्रशासन के अधीन अधिकारियों को, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कारखाना, अधिनियम, वेतन भुगतान अधिनियम और कर्माकार प्रतिकर, अधिनियम जैसे सम्बंधित कानूनों के अधीन समुचित प्राधिकारियों के रूप में घोषित किया गया है।

(ख) और (ग) : इस क्षेत्र के लिए अभी तक कोई मजदूर संघ पंजीयक अधिसूचित नहीं किया गया है मामले की जांच की जा रही है।

बंगला दश सीमाशुल्क विभाग द्वारा भारतीय रेल का रोका जाना

1435. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश सीमाशुल्क विभाग ने अक्तूबर, 1972 में दर्शना में एक भारतीय रेल को रोक लिया था : और

(ख) यदि हां तो उक्त घटना का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) एवं (ख) : 25 अक्तूबर, 1972 को एक विशेष रेलगाड़ी दरशाना पहुंची जिसमें इंजीनियरी उपस्कर अप्रयुक्त सीमेंट तथा ऐंकर स्पैन आदि लदे थे। जिस समय सीमा शुल्क सम्बन्धी औपचारिकताएं पूरी की जा रही थी कुछ लोग इकठ्ठे हो गए और यह आरोप लगाने लगे कि बंगाला देश का समान भारत ले जाया जा रहा है। उन्हें समझाया गया कि इस रेलगाड़ी में जो सामान लेजाया जा रहा है वह भारत का है और वास्तव में यह सामान हार्डिग पुल के पुनर्निमाण के लिए भारत से बंगलादेश लाया गया है। बंगलादेश रायफल तथा दरशाना के सिविल प्राधिकारी मौके पर शीघ्र पहुंच गए और उन्होंने बैगनों को संरक्षण प्रदान किया ।

इस मामले को बंगलादेश की सरकार के साथ उठाया गया है और उसने घटना की उच्चस्तीरय जांच किए जाने के आदेश किए हैं। इस बात के प्रयत्न किए जाने का भी आश्वासन दिया गया है कि भविष्य में ऐसी घटानाएं न हों।

सरकार को मालूम है कि कतिपय निहित स्वार्थ वाले एवं शरारती तत्व भारत तथा बंगलादेश के बीच भ्रन्ति उत्पन्न करने में रुचि रखते हैं। बंगला देश प्राधिकारियों द्वारा की गई तुरंत कार्रवाई जिसके कारण कोई नुकसान नहीं होने पाया और बैगन मुक्त हो गए, की सरकार सराहना करती है।

[Maltreatment of Indian Citizens detained in Pakistan

1436. Shri Dhan Shah Pradhan :
Shri D.B. Chandra Gowda :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Indian Citizens detained in Pakistan on the 3rd December, 1971 have been subjected to hard labour and were provided with only two chapaties of most inferior quality; and

(b) whether Government have lodged any protest note with Pakistan in this regard and if so, the reaction of Pakistan thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b) : 273 of our nationals out of those captured from Indian territories occupied by Pakistan during the December, 1971 conflict were detained by her in a camp at Harappa. Pakistan acknowledged the existence of this camp only in June, 1972 when ICRC delegates were permitted. for the first time, to visit it. According to the ICRC reports on the camp, the conditions of Indian nationals prevailing at that time were generally satisfactory. These persons have since been repatriated to India in exchange for repatriation of similar category of Pakistani nationals by India.

श्री बादूद खां की नियुक्ति के विरोध में बोकारो इस्पात कारखाने के अध्यक्ष द्वारा पद-त्याग

1437. श्री वी० मायावन :
श्री गिरिधर गोमांगो :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 अक्तूबर 1972 के 'हिन्दुस्तान टाईम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि श्री बादूद खां की स्टील होल्डिंग कम्पनी के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के विरोध में बोकारो इस्पात कारखाने के अध्यक्ष ने पद त्याग दिया है, और

(ख) यदि हां, तो क्या यह समाचार सही है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां): (क) और (ख) : यह रिपोर्ट सही नहीं है ।

युद्धबन्दियों के रूप में पाकिस्तान में पकड़े गए भारतीय सैनिकों की सूची

1438. श्री वी० मायावन :
श्री गिरिधर गोमांगो :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने युद्धबन्दियों के रूप में पकड़े गए भारतीय सैनिकों के नामों की सूची अभी तक नहीं दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और पाकिस्तान की हिरासत में भारतीय युद्धबन्दियों की सूची प्राप्त करने के लिए भारत का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम): (क) तथा (ख) : पकिस्तान ने अब तक अपने यहां युद्ध बंदी के रूप में रखे भारतीय सैनिक और अर्धसैनिक कार्मिकों की संख्या 639 बताई है (शेष लापता कार्मिकों की सूची अन्तर्राष्ट्रीय रैड-क्रास समिति को पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ मिलकर जांच पड़ताल कराने के लिए भेजी गई थी । भारत सरकार को अभी तक अन्तर्राष्ट्रीय रैड-क्रास समिति से इन कार्मिकों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है ।

Registered Unemployed in Delhi

1439. Shri Ishwar Chaudhary : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of persons who have registered their names with all the Employment Exchanges of Delhi at present for the various jobs ;

(b) the number of persons who were provided jobs by these Employment Exchanges during 1971-72 and the percentage thereof to the total number of persons on the live registers; and

(c) whether Government have formulated any scheme to provide jobs to rest of the persons, if so, the salient features thereof ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R.K. Khadilkar) : (a) 1,69,131 as on 30th September, 1972.

(b) Number provided with jobs	32,788
Percentage to Live Register	22.7

(c) In addition to the large number of employment opportunities generated as a result of implementation of various development programmes included in the Fourth Five Year Plan, increasing number of job-opportunities are expected to be created by the special employment oriented schemes and programmes taken up since the year 1970-71 including programmes for the benefit of educated persons initiated during the year 1971-72.

In the Union Budget for 1972-73 an aggregate provision of Rs. 125 crores has been made for Special Welfare Schemes such as Primary Education; Slum Improvements; Rural Home Sites; Rural Water Supply etc. This amount includes a sum of Rs. 60 crores for Special Employment Programmes which would be for the continuation of the various employment programmes taken up in 1971-72 and for organising new programmes both in rural and urban areas. These schemes will benefit the educated unemployed in the country including the Union Territory of Delhi. An allocation of Rs. 30.55 lakhs has been made for Special Employment Programmes for the Union Territory of Delhi during 1972-73.

Annual Loss in Bokaro Steel Plant till 1976

1440. Shri Ishwar Chaudhry :
Shri Jyotirmoy Basu :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Bokaro Steel Plant is continuously running in loss and according to a report which appeared in the "Statesman", Calcutta dated the 4th October, 1972, by 1976 the loss in Bokaro Steel Plant would amount to rupees twenty crores; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) & (b) : The Bokaro Steel Plant is expected to become economically viable after the Second Stage when 4 million ingot tonnes capacity is commissioned in 1976. In the earlier years, the plant is expected to incur losses but this cannot be assessed in precise terms at this stage. This is primarily due to the large in-built capacity of the Plant which will be fully utilised only at the 4 million tonne stage and subsequent stages.

Vacant Post of U.S. Ambassador to India

1441. Shri Ishwar Chaudhry :
Shri P. Venkatasubbaiah :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether President Nixon is not in favour of appointing U.S. Ambassador to India this year according to a report and this post would remain vacant for a year; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) & (b) : It is not Government's practice to speculate on such unofficial reports.

Reports from Indian Envoys about Exporting of Indian maids to Persian Gulf Countries

1442. Shri Ishwar Chaudhry :
Shri G. V. Vikhe Patil :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn a number of times by the Indian Ambassadors posted in the Arabian countries towards heinous trade of exporting maids from India to various Persian Gulf countries ; and

(b) if so, the nature of reports received and the action taken by Government thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The reports from Indian Missions broadly indicate that while there have been cases of illicit emigration, there is no "trade", as such, in female Indian servants. The Missions have also observed that reports in the Indian press about mal-treatment and exploitation of Indian women are highly exaggerated.

Recently a Secretary in the Ministry of External Affairs went to Bombay and discussed the problem with the opposite officials of the Maharashtra Government. Following from this, the State Governments have, *inter alia*, been requested to immediately take measures to further tighten up security arrangements at all exit points to check any illicit outflow. They have also been advised to give wide publicity through local newspapers and social welfare organisations to the machinations of unscrupulous travel agents, touts, etc., who entice indigent Indian women with tall promises of attractive jobs abroad.

In general, a careful watch is being kept on the situation and any further measures, which may appear necessary, will be taken at the appropriate time.

सलेम इस्पात कारखाने का कार्यकरण

1443. श्री सतपाल कपूर : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सलेम इस्पात कारखाने के कार्य संचालन के लिए सरकारी क्षेत्र में स्थापित की गई नई कम्पनी का मुख्यालय कहां पर है तथा इसकी अधिकृत पूंजी कितनी है,

(ख) सलेम में मुख्यत ; कौन सी वस्तु बनाई जायेगी तथा इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी होगी; और

(ग) इस नई कम्पनी की स्थापना से इस्पात तथा इसके उत्पादों का मूल्य बाजार में किस सीमा तक गिरेगा ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां): (क) "सलेम स्टील लिमिटेड" का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय तमिलनाडु में सलेम में है। इस समय अधिकृत पूंजी 100 करोड़ रुपए है।

(ख) सलेम इस्पात कारखाने का रूपांकन निम्नलिखित उत्पादों के उत्पादन के लिए किया जा रहा है:—

चादरें तथा स्ट्रिप	टन प्रति वर्ष
बेदाग इस्पात	70,000
विद्युत इस्पात	75,000
अन्य विशेष इस्पात	50,000
जोड़	195,000

(ग) इस समय स्थिति के बारे में बताना समय पूर्व होगा। सलेम इस्पात कारखाने में बेदाग इस्पात तथा अन्य प्रकार के विशेष इस्पात काफी मात्रा में तैयार करने के लिए योजना बनाई जा रही है जिससे ये उत्पाद उचित मूल्यों पर उपलब्ध हो सकें।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयन्त्रों का लाभकारी कार्यकरण

1444. श्री प्रबोध चन्द्र : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा इस्पात मिलों में उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है जिससे कि मिल लाभ कमा सकें।

(ख) सरकारी क्षेत्र में प्रत्येक इस्पात मिल को कितनी हानि/लाभ हुआ, और

(ग) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है कि सभी इस्पात मिल लाभ कमा सकें ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) मालिक-मजदूर सम्बन्धों की कठिनाइयों (विशेषकर दुर्गापुर इस्पात कारखाने तथा दुर्गापुर के मिश्र इस्पात कारखाने में) के बावजूद हिन्दुस्तान स्टील लि० के प्रबन्धक उत्पादन को यथा शीघ्र बढ़ाने के हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। इनमें कोक भट्टियों की विशिष्ट मरम्मत, गैस की उपलब्धि बढ़ाने के लिए वैकल्पिक इंधनों का प्रयोग, इंधन के साधनों में वृद्धि करने के लिए कुछ भट्टियों में आयल फायरिंग, उपकरणों की अच्छी उपलब्धि के लिए बेहतर रख-रखाव, उत्पादन सुविधाओं में असंतुलन को ठीक करने के लिए आवश्यक पूंजीगत कार्यक्रमों को पूरा करने में तेजी लाना, फालतू पूर्जों, उत्मसह, तथा अन्य आवश्यक माल की योजनाबद्ध ढंग से प्राप्ति शामिल है।

श्रमिकों के झगड़ों तथा उनकी शिकायतों को शीघ्रता से निपटाने और उत्पादन को अधिकाधिक करने में मजदूरों का सहयोग प्राप्त करने के लिए हाल में दुर्गापुर में एक त्रिस्तरीय सलाहकार मशीनरी बनाई गई है। उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन हेतु एक नई इनाम योजना शुरू की गई है। प्रत्येक तिमाही में कारखाने के लिए बनाई गई टास्क फोर्स की बैठक द्वारा सरकार कारखाने के कार्यों की लगातार निगरानी तथा समीक्षा करती है। और सभी आवश्यक सहायता देती है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में हिन्दुस्तान स्टील लि० के विभिन्न एककों के कार्यफल और 31-3-72 तक प्रत्येक एकक की कुल लाभ/हानि नीचे दी गई है:—

कारखाना/एकक	शुद्धलाभ (+)/वास्तविक हानि (−) (करोड़ रुपए)			
	1969-70	1970-71	1971-72	1971-72 तक कुल लाभ/हानि
राउरकेला इस्पात कारखाना	(+) 7.83	(+) 10.20	(−) 6.89	(−) 28.89
भिलाई इस्पात कारखाना	(+) 3.65	(+) 11.04	(−) 4.30	(−) 19.29
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	(−) 15.50	(−) 20.40	(−) 27.52	(−) 131.46
केन्द्रीय कोयला शोधन शाला संगठन	(+) 0.37	(+) 0.02	(+) 1.17	(+) 3.46
राउरकेला उर्वरक कारखाना	(−) 1.68	(−) 2.60	(−) 1.70	(−) 16.59
मिश्र इस्पात कारखाना	(−) 5.78	(−) 3.83	(−) 5.24	(−) 29.92
जोड़	(−) 11.11	(−) 5.57	(−) 44.48	(−) 222.69
अन्त: संयन्त्र ट्रांसफर पर अप्राप्त लाभ की व्यवस्था	(+) 0.64	(+) 0.16	(−) 0.37	(−) 0.39
कुल परिणाम	(−) 10.47	(−) 5.41	(−) 44.85	(−) 223.08

(ग) भाग (क) के उत्तर में बताए गए उपायों से उत्पादन में सुधार होने और परिणाम-स्वरूप कम्पनी के कार्य-करण में सुधार होने की आशा है।

इस्पात संबंधी होल्डिंग कम्पनी में नियुक्तियां

1445. श्री प्रबोध चन्द्र : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस्पात सम्बन्धी होल्डिंग कम्पनी के लिए अधिकारियों की भर्ती के सम्बन्ध में क्या कसौटी अपनायी जा रही है ; और

(ख) क्या गैर-सरकारी उपक्रमों जो कि सरकारी क्षेत्र उपक्रमों की तुलना में अधिक कुशलता से चल रहे हैं, से प्रतिनियुक्ति पर कुछ तकनीकी व्यक्तियों को बुलाने के बारे में सरकार की कोई योजना है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां): (क) और (ख): इस्पात तथा सम्बद्ध आदान उद्योग के लिए होल्डिंग कम्पनी की अभी स्थापना की जानी है। अधिकारियों तथा तकनीकी कर्मचारियों आदि की भर्ती के लिए अपनाए जाने वाले मापदण्डों का निर्णय होल्डिंग कम्पनी द्वारा ही किया जायेगा।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों मे उत्पादन

1446. श्री प्रबोध चन्द्र : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र में चलने वाले इस्पात कारखानों की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है, और

(ख) उसमें वार्षिक उत्पादन कितना होता है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां): (क) और (ख): हिन्दुस्तान स्टील लि० के इस्पात कारखानों की निर्धारित क्षमता तथा गत दो वर्षों में उनका इस्पात पिण्ड का वास्तविक उत्पादन नीचे दिया गया है :

कारखाना	निर्धारित क्षमता	(हजार टन) वास्तविक उत्पादन	
		1970-71	1971-72
भिलाई इस्पात संयन्त्र	2,500	1940	1953
दुर्गापुर इस्पात संयन्त्र	1,600	634	700
राउरकेला इस्पात संयन्त्र	1,800	1038	823
मिश्र इस्पात संयन्त्र, दुर्गापुर	100	50.6	56.2

Differences over Steel Import Policy

1447. Shri Ramkanwar : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether there are serious differences between Ministries of Foreign Trade and Steel regarding the steel import policy and if so, the particulars thereof ;

(b) whether the attention of Government has ben drawn in this regard to a report in the Economic Times of the 7th September, 1972; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) to (c) : The report published in the Economic Times of 7th September 1972 with regard to "major tussle" between Ministries of Foreign Trade and Steel in matters of steel import policy is not correct.

बिहार और दिल्ली में शिक्षित बेरोजगार महिलाएं

1448. कुमारी कमला कुमारी : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार और दिल्ली में शिक्षित बेरोजगार महिलाओं की संख्या कितनी है; और

(ख) उनमें से ऐसी महिलाओं की संख्या कितनी है जिनकी आयु सीमा 25 वर्ष पार कर गई है परन्तु जिन्हें रोजगार नहीं मिला है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर): (क) और (ख): यथार्थ जानकारी उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध जानकारी केवल रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वाली शिक्षित (मैट्रिक और इससे अधिक शिक्षा प्राप्त) महिलाओं से सम्बन्धित है, जो संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(क) और (ख):

30-12-72 को बिहार और दिल्ली के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर* में दर्ज नौकरी चाहने वाली शिक्षित (मैट्रिक और इससे अधिक शिक्षा प्राप्त) महिलाओं की संख्या:

राज्य/संघशासित क्षेत्र	31-12-71 को चालू रजिस्टर* में दर्ज नौकरी चाहने वाली शिक्षित (मैट्रिक और इससे अधिक शिक्षा प्राप्त) महिलाओं की संख्या	
	योग	योग में सम्मिलित महिलाएं जिनकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक है, की संख्या
1	2	3
बिहार	2,696	495
दिल्ली	16,601	5,992

बिहार और दिल्ली के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रीधारी

1450. कुमारी कमला कुमारी : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार और दिल्ली के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत स्नातक तथा स्नातकोत्तर (कला) डिग्रीधारियों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितने ऐसे डिग्रीधारियों की आयु सीमा 25 वर्ष पार कर गई है जिन्हें रोजगार नहीं मिला है; और

(ग) वर्ष 1974 तक उनमें से कितने डिग्रीधारियों को रोजगार मिल जाने की संभावना है।

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर): (क) और (ख): उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) 1974 तक कितनों को रोजगार मिल जायेगा, इसका पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है।

*(एक): पहले से रोजगार प्राप्त नौकरी चाहने वाले भी सम्मिलित हैं। इनसे सम्बन्धित जानकारी अलग से उपलब्ध नहीं है।

(दो) चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वालों की आयु एवं लिंगानुसार वर्गीकृत आंकड़े प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर को एकत्रित किये जाते हैं।

विवरण

31-12-1971 को बिहार और दिल्ली के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर* में दर्ज स्नातकों तथा स्नातकोत्तरों (कला) की संख्या:—

	स्नातक (कला)		स्नातकोत्तर (कला)	
राज्य/संघ शासित क्षेत्र	योग	योग में सम्मिलित स्नातकों जो 25 वर्ष और अधिक आयु के हैं, की संख्या	योग	योग में सम्मिलित स्नातकोत्तरों जो 25 वर्ष और अधिक आयु के हैं, की संख्या
1	2	3	4	5
बिहार	14,009	4,113	1,311	540
दिल्ली	7,128	1,233	2,410	1,777

भारतीय कैम्पों में छः युद्धबन्दियों की मृत्यु

1451. श्री एम० एम० जोजफः

श्री एम० एस० शिवस्वामीः

क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान ने 4 अक्तूबर, 1972 को भारतीय कैम्प में 6 युद्धबन्दियों की मृत्यु और कुछ के घायल हो जाने के बारे में कोई विरोध पत्र भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है और इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) जी, हां।

(ख) अक्तूबर, 1972 के अपने स्मारक पत्र में पाकिस्तान सरकार ने आरोप लगाया था कि यह घटना भारत में युद्धबन्दियों के शिविरों के हालात के कारण हुई जो संतोषजनक नहीं थे। सरकार ने इसके उत्तर में दिनांक 19-10-1972 को दिए गए एक स्मारक पत्र में इन आरोपों का खण्डन किया और यह बताया कि यह घटना शिविर में युद्धबन्दियों के कुछ दलों द्वारा भारतीय गार्डों पर काबू पाने के लिए किए गए हिंसक आक्रमण के कारण हुई थी, शिविर के अधिकारियों के पास आत्मरक्षा के लिए हथियारों के इस्तेमाल के सिवाय कोई चारा नहीं था। दोनों ही घटनाओं के तत्काल बाद अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास समिति के प्रतिनिधियों ने शिविरों का दौरा किया और अदालती जांच का आदेश दे दिया गया था।

*(एक) पहले से रोजगार प्राप्त नौकरी चाहने वाले भी सम्मिलित हैं। इनसे सम्बन्धित जानकारी अलग से उपलब्ध नहीं है।

(दो) चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वालों की आयु एवं लिंगानुसार वर्गीकृत आंकड़े प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर को एकत्रित किये जाते हैं।

भारत में पाकिस्तानी युद्धबन्दियों की संख्या तथा पाकिस्तान में भारतीय युद्धबन्दियों की संख्या

1452. श्री अर्जुन सेठी :

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीमार और घायल जवानों को पाकिस्तान भेजने के बाद भारत में अभी कितने और पाकिस्तानी युद्धबन्दी हैं ; और

(ख) पाकिस्तान में अब कितने भारतीय युद्धबन्दी हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम): (क) 74,618

(ख) 600

वियतनाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग की एक नई संस्था का प्रस्ताव

1453. श्री प्रसन्न भाई मेहता :

श्री मूल चन्द डागा :

क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग, वियतनाम की अध्यक्षता से हट जाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग की एक नई संस्था बनाई जा रही है, और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वियतनाम संघर्ष के सम्बद्ध पक्षों के बीच यदि कोई नया शान्ति समझौता होता है, तो इसकी संभावना है कि युद्धविराम आदि के लिए एक नए अधीक्षण निकाय की स्थापना की जाए। अधीक्षण निकाय के गठन के बारे में निर्णय करना सम्बद्ध पक्षों का काम है।

वियतनाम के बारे में अमरीका का शांति योजना का प्रतिवेदन

1454. श्री प्रसन्न भाई मेहता :

श्री के० लकप्पा :

क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत को वियतनाम के सम्बन्ध में अमरीका की शान्ति योजना का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) इस बारे में सरकार को अमरीकी सरकार से कोई अधिकृत रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) लेकिन, वियतनाम लोक गणराज्य ने अमरीकी सरकार के साथ अपने समझौते का संक्षिप्त-सार भेजा है। इस समझौते में युद्ध-विराम की, इस पर हस्ताक्षर होने के 60 दिन के भीतर- भीतर अमरीकी फौजों की वापसी की, युद्ध

बन्दियों की रिहाई की तथा सैगोन में एक ऐसे राष्ट्रीय समन्वय एवं सामंजस्य की राज्य परिषद के गठन की व्यवस्था है जो इस समझौते को क्रियारूप दे और आम चुनाव का आयोजन करे।

(ग) सरकार ऐसी किसी भी योजना का स्वागत करती है जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो और जिससे वियतनाम में शीघ्र शांति हो सके।

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के विस्तार के लिए टाटा का प्रस्ताव

1455. श्री प्रसन्न भाई मेहता :

श्री के० लकप्पा:

क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टाटा बन्धुओं ने टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के विस्तार के लिए सरकार को औपचारिक रूप से एक प्रस्ताव दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने इसकी 20 लाख टन की वर्तमान वार्षिक क्षमता में कितनी वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है; और

(ग) क्या प्रस्ताव पर मंत्रालय द्वारा विचार किया गया है?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां): (क) से (ग): टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने जमशेदपुर में इस्पात बनाने की क्षमता में 25 लाख टन पिण्ड के और विस्तार के लिए कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं और उन पर विचार किया जा रहा है।

ब्रिटेन स्थित भारतीय हाई कमीशन म सेवा निवृत्ति प्राप्त एक व्यक्ति को शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त करना

1456. श्री प्रसन्न भाई मेहता: क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन स्थित भारतीय हाई कमीशन में सेवा-निवृत्ति प्राप्त एक व्यक्ति को शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सेवा निवृत्ति प्राप्त व्यक्ति को नियुक्त करने के क्या कारण हैं; और

(ग) दूतावासों में पदों पर सेवा-निवृत्ति प्राप्त व्यक्तियों की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) जी हां। प्रोफेसर आर० एन० डोगरा को यूनाइटड किंगडम स्थित भारतीय हाई कमीशन में शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है।

(ख) भारत सरकार का ख्याल है कि वर्तमान आवश्यकता यह थी कि एक ऐसे अधिकारी को नियुक्त किया जाए जो समान आधार पर प्रभावकारी ढंग से ऊंचे स्तर के उन वैज्ञानिक एवं तकनीकी सम्मेलनों में भाग ले सके जो कि समय-समय पर यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किये जाते हैं। प्रोफेसर डोगरा दिल्ली-स्थित भारतीय तकनीकी विज्ञान संस्थान में निदेशक के पद से हाल में रिटायर हुए थे और उनका ब्रिटेन के शिक्षा क्षेत्रों में व्यापक संपर्क था। इस कारण उन्हें इस नियुक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त समझा गया था।

(ग) आम तौर से, रिटायर शुदा लोगों को विदेश-स्थित हमारे मिशनों में नहीं भेजा जाता। लेकिन, कुछ अवसरों, पर, खास-खास कामों के लिए रिटायर शुदा व्यक्ति की सेवाएं लेना आवश्यक हो जाता है।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा उत्पादित कोयले का परिवहन

1457. श्री भोगेन्द्र झा: क्या **इस्पात और खान** मन्त्री 25 मई, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 997 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे बैगनों को प्राप्त करने और उपकरण तथा फालतू पुर्जों की सप्लाई के सम्बन्ध में किये गए प्रयासों की नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा कोयले के उत्पादन की पूर्ण क्षमता प्राप्त करने की क्या संभावनाएं हैं; और

(ग) गैर सरकारी कोयला खानों में उनकी अधिष्ठापित क्षमता के सम्बन्ध में उनमें कोयले का वास्तविक उत्पादन कितना है और रेलवे बैगनों के उपलब्ध न होने की स्थिति में उनके उत्पादन पर कितना प्रभाव पड़ा है अथवा क्या कोई प्रभाव पड़ा है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) कतिपय क्षेत्रों में वैगनों की उपलब्धता में सुधार हुआ है। स्वदेशी उपकरण और अतिरिक्त पुर्जों की आपूर्ति की स्थिति में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ है।

(ख) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की खानों की उत्पादन क्षमता 180 लाख टन से अधिक अनुमानित की गई है। 1971-72 में उत्पादन 143.70 लाख टन था। अनुमान है कि चालू वर्ष अर्थात 1972-73 में 150 लाख टन का उत्पादन होगा। 1973-74 वर्ष में उत्पादन के लगभग 170 लाख टन तक बर्धित होने की संभावना है। इस प्रकार प्रतिष्ठापित क्षमता का उपयोग करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं और अनुमानित मांग को ध्यान में रखते हुए तदानुसार उत्पादन कार्यक्रम बनाये जा रहे हैं।

(ग) 1971-72 के दौरान प्राईवेट सेक्टर में कोयला खानों से उत्पादन, 510 लाख टन की अनुमानित निर्धारित क्षमता की तुलना में 463.00 (अनन्तिम) लाख टन था। परिवहन की कठिनाइयां प्राइवेट सेक्टर के उत्पादन में कमी का मुख्य कारण रही हैं।

भारतीय वायु सेना की विमान दुर्घटनाओं का सामान्य सीमा तक होना

1458. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 अक्तूबर, 1972 के समाचार पत्र (सन्डे स्टण्डर्ड) में आई० ए० एफ० एक्सीडेंट विदइन परमिसेवल लिमिट शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सरकार ने प्रेस रिपोर्ट देखी है।

(ख) सरकार भारतीय वायुसेना में वायुयान दुर्घटनाओं को कम करने की आवश्यकता के प्रति जागरूक है। हर एक दुर्घटना की जांच अदालत द्वारा जांच-पड़ताल की जाती है और जांच अदालत के निष्कर्षों तथा सिफारिशों के आधार पर उपर्युक्त उपचारी उपाय अपनाए जाते हैं।

हिन्द महासागर में कोयला निक्षेपों का पाया जाना

1459. श्री भोगेन्द्र झा :

श्री राम प्रकाश :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हिंद महासागर में आस्ट्रेलिया के निकट कोयला निक्षेपों के पाये जाने के बारे में अवगत है ;

(ख) क्या हिंद महासागर में हमारे तटों के निकट कोयला निक्षेपी के निकालने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्या बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री शाह नवाज खां): (क) जी, नहीं ।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है ।

इस्पात संबंधी होल्डिंग कम्पनी के अध्यक्ष द्वारा विदेशों का दौरा

1460. श्री के० लकप्पा :

श्री पी० गंगादेव :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात सम्बन्धी होल्डिंग कम्पनी के अध्यक्ष के नेतृत्व में ऐसे ही उपक्रमों के ढांचे तथा कार्यकरण का अध्ययन करने के लिए एक प्रतिनिधि मण्डल यूरोपीय देशों के दौरे पर गया था,

(ख) यदि हां, तो उन्होंने कितने देशों का दौरा किया, और

(ग) क्या उन्होंने सरकार के सामने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां): (क) और (ख) : सरकार के सचिव एवं स्टील होल्डिंग कम्पनी के मनोनीत अध्यक्ष श्री एम० ए० वदूदखां की अध्यक्षता में एक प्रतिनधि मण्डल ने होल्डिंग कम्पनियों के कार्यकरण तथा ढाचों का अध्ययन करने के लिए इटली, स्वीडन तथा फ्रांस का दौरा किया था । श्री वदूदखां ब्रिटिश एयरवेज बोर्ड के अध्यक्ष से विचार विमर्श करने के लिये लंदन भी गये थे ।

(ग) प्रतिनिधि-मंडल रिपोर्ट तैयार कर रहा है और इसे शीघ्र ही सरकार को प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ।

अंदमान और निकोबार द्वीप समूहों में श्रमिक अशान्ति

1461. श्री एम० कल्याणसुन्दरम् : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अंदमान और निकोबार द्वीप समूहों में बड़े पैमाने पर श्रमिक अशान्ति फैली थी ;

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या मांगें थीं, और

(ग) सरकार ने श्रमिक समस्या का समाधान किस प्रकार किया था ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर): (क) जी नहीं, श्रीमान्

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठते ।

इस्पात का उत्पादन, आयात और राज्यों को वितरण

1462. श्री रोबिन सेन : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारत में इस्पात का उत्पादन कितना था और इसका घरेलु और औद्योगिक उपयोग के लिए वर्षवार, राज्यवार कितना वितरण था, और

(ख) गत तीन वर्षों में कितनी मात्रा में इस्पात का आयात किया गया और इसका राज्यवार, वर्षवार कितना कितना आवंटन किया गया ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां): (क) से (ग): तीन विवरण संलग्न है। **[पंचालय में रखे गए । देखिये संख्या एल० टी० 3769/72]**

कोयला खान श्रमिकों में क्षय रोग

1463. श्री रोबिन सेन : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कोयला खानों के स्वास्थ्य सेवा के कनवीनर श्री पंकज बनर्जी के इस आरोप की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने बताया है कि कोयला खानों के 39,000 श्रमिक क्षय रोग से पीड़ित हैं और इनमें से अधिकांश बिहार और पश्चिम बंगाल में रहते हैं;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और श्रमिकों को इस रोग से बचाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) क्या इन श्रमिकों का डाक्टरी इलाज किया जा रहा है । यदि हां तो क्या ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर): (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को बोनस

1464. श्री अरविन्द नेताम :

श्री राम नारायण शर्मा :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की कतिपय श्रेणियों को बोनस देने की योजना पर सरकार सक्रिय रूप विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ।

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशों में भारतीय दूतावासों के कार्यालय भवनों पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा

1465. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों में भारतीय दूतावासों के लिए किराये पर लिए गए भवनों पर सरकार ने विदेशी मुद्रा में कुल कितना भुगतान किया है, और

(ख) क्या विदेशों में भारतीय दूतावासों के लिए भवनों को खरीदने की कोई योजना है ?

विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) यह सूचना सहज सुलभ नहीं है और हमारे विदेश स्थित मिशनों से इकठ्ठी की जा रही है ।

(ख) विदेशों में भारतीय मिशनों के लिए भवन खरीदने/निर्माण से सम्बन्ध मार्गदर्शन सिद्धान्त प्रतिपादित कर लिये गये हैं । ये सिद्धान्त हैं—फंड का सुलभ होना और आवर्तक किराया एवं आवश्यकताओं आदि के संदर्भ में ऐसे प्रस्ताव रखना जो सरकार के लिये किफायती हो । 12 देशों में सरकार के अपने भवन हैं । दुर्भाग्यवश पिछले दो वर्षों में राष्ट्रीय महत्व के और अधिक आवश्यक कार्यों की आपूर्ति को ध्यान में रख कर सारे स्रोत उधर लगाने पड़े जिससे विदेशों में भवन खरीदने/निर्माण करने के लिए फंड बचाना कठिन हो गया । फिर भी इस सम्बधं में कुछ प्रस्तावों पर अभी विचार किया जा रहा है ।

सशस्त्र सैनिकों के लिए एक पेंशन आयोग की नियुक्ति

1466. श्री डी० पी० जदेजा:

श्री वेकारिया:

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सशस्त्र सेनाओं के पेंशन ढांचे की जांच करने के लिए पेंशन आयोग नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम): (क) तथा (ख): तृतीय वेतन आयोग इस प्रश्न पर विचार कर रहा है और वह अन्य बातों के साथ सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति लाभ के आधार के सम्बन्ध में भी अपनी सिफारिशें देगा। अतः सरकार सशस्त्र सेनाओं की पेंशन संरचना पर विचार करने के लिए एक अलग पेंशन आयोग नियुक्त करना आवश्यक नहीं समझती है।

कलकत्ता मैदान का नाम बदल कर नेताजी मैदान रखना

1467. श्री समर गुह : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि 21 अक्तूबर, 1972 को आजाद हिन्द दिवस के अवसर पर कलकत्ता स्थित इंडियन एसोसिएशन हाल में आयोजित नागरिकों की सभा में यह संकल्प पारित किया गया था कि कलकत्ता "मैदना" का नाम बदल कर नेताजी मैदान करने के लिए रक्षा मंत्रालय से अनुरोध किया जाए;

(ख) क्या कलकत्ता के सभी समाचार पत्रों ने 22 अक्तूबर, 1972 के संकल्प के बारे में समाचार प्रकाशित किया था; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार आगामी 23 जनवरी को नेताजी का जन्म दिवस मनाने से पूर्व कलकत्ता मैदान का नाम बदल कर 'नेताजी मैदान' करने के लिए अपेक्षित कार्यवाही करेगी ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम): (क) और (ख): 'कलकत्ता मैदान' का 'नेताजी मैदान' नाम रखने के संबंध में पारित प्रस्ताव के बारे में रक्षा मंत्रालय को अनुरोध करते हुए कलकत्ता के कतिपय समाचार पत्रों में समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

दुर्गापुर अलाय स्टील पलांट में हस्त चालित शीट मिलों में इस्पात की शीटों का उत्पादन

1468. श्री दीनेन भट्टाचार्य: क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दुर्गापुर स्थित अलाय स्टील प्लांट में हस्तचालित शीट मिल उच्च स्तर की विभिन्न इस्पात शीटों का उत्पादन करने में समर्थ नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की हस्तचालित मशीनों को स्थापित करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जबकि दुर्गापुर के मिश्र-इस्पात कारखाने की हैण्ड शीट मिल कुछ प्रकार के मिश्र-इस्पात का थोड़ी मात्रा में उत्पादन करने के लिए उपयुक्त नहीं है परन्तु वर्तमान प्रौद्योगिकी को देखते हुए स्पर्धी बाजार में वाणिज्यिक स्तर पर उच्च कोटि के चपटे उत्पादों के उत्पादन के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है।

(ख) यह मिल तत्कालीन सभी संगत बातों जैसे पूंजीगत लागत और अनुमानित मांग की पूर्ति के लिए स्थापित की जाने वाली आवश्यक क्षमता को ध्यान में रख कर स्थापित की गई थी।

दुर्गापुर अलाय स्टील पलांट में हस्तचालित शीट मिल स्थापित करने के बारे में आपत्तियां

1469. श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर अलाय स्टील प्लांट में एक हस्त चालित शीट मिल स्थापित करने के बारे में अनेक पक्षों से बार-बार आपत्तियां उठाए जाने के बावजूद भी सरकार ने वहां हस्तचालित मिल स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस मिल को स्थापित करने के पीछे क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख): दुर्गापुर के मिश्र इस्पात कारखाने में हैण्ड शीट मिल लगाने के बारे में वर्ष 1963 में, वहां कारखाने की स्थापना के समय ही निर्णय ले लिया गया था। सलाहकार, मेसर्स दस्तर एण्ड कम्पनी द्वारा कारखाने के लिए तैयार किये गए विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन की जांच के समय उत्पादन सलाहकार कनाडा की एटलस स्टील कम्पनी ने कन्टीन्यूअसस्ट्रिप मिल की तुलना में हैण्ड शीट मिलों की सीमाओं का उल्लेख किया था। फिर भी लागत की समस्त मिलों तथा कारखाने की बेदाग इस्पात की परिकल्पित क्षमता को देखते हुए हैण्ड शीट मिल लगाने का ही निश्चय किया गया।

शिमला समझौते पर पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर का रुख

1470. श्री ई० वी० विखे पाटिल :

श्री विश्व नाथ झुनझुनवाला :

क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर की सरकार ने घोषणा की है कि वे शिमला समझौते की शर्तें मानने के लिए बाध्य नहीं हैं,

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या भारत ने इस ओर पाकिस्तान का ध्यान दिलाया है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उसकी क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) सरकार ने इस आशय की प्रेस रिपोर्टें देख ली हैं।

(ख) और (ग): पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर क्षेत्र में, जो पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है, एक स्थानीय सरकार का मोहरा मात्र बना हुआ है। हम पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर के प्रशासन को नहीं मानते।

पांचवीं योजना में भारत और सोवियत संघ में आर्थिक सहयोग का प्रस्ताव

1472. श्री डी० डी० देसाई : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को अमरीकी सहायता अनिश्चित बनी हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार और सोवियत संघ ने पांचवीं योजना में अत्यावश्यक क्षेत्रों में आपसी सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग): आर्थिक सहायता की भावी आवश्यकताओं की अभी समीक्षा की जा रही है तथा साधनों की उपलब्धता का आकलन जारी है। सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ सहित अनेक देशों के साथ इस विषय पर प्रारम्भिक विचार-विमर्श किया गया है। सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ से विशेषज्ञों के स्तर पर जो विचार-विमर्श हुआ है वह धातु एवं खनिज तथा औद्योगिक सहयोग के क्षेत्रों पर केन्द्रित रहा है और उसका अभी कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकला है।

भारतीय वायुसेना के लिए एच०एस०-748 विमान

1473. श्री सत्य चरण बेसरा : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय वायुसेना में एच०एस०-748 विमान का प्रयोग आरम्भ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या लाभ हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम): (क) और (ख): एच० एस०-748 वायुयान पहले ही भारतीय वायु सेना 1964 से सेवा में हैं। एच०एस०-748 का पायलट ट्रेनर वेरियन्ट 1973 से भारतीय वायु सेना में प्रतिष्ठित किया जाऐगा। एच० एस०–748 के भारवाही रूप के प्रवेश के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। एच०एस०-748 का भारवाही रूप को, जो स्वदेश में ही बनाया जाएगा, डेकोटा, कैरिबूस और पैकट जैसे पैरा ट्रूपिंग, सप्लाई गिराने आदि के उद्देश्य के लिए पुराने मध्यम मालवाहक वायुयानों के स्थान पर लाने की योजना है। बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत के अतिरिक्त, एच०एस०-748 वायुयान का प्रवेश संक्रिया और रख रखाव में एटैंडेंट लाभ के साथ साथ भारतीय वायु सेना में वायुयान की किस्म का मानकीकरण करने में भी अग्रेसर होगा।

कोयला खानों में सातों दिन काम की व्यवस्था

1474. श्री राम भगत पास्वान : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी कोयला खानों ने हाल ही में सातों दिन काम करने की पद्धति लागू की है;

(ख) यदि हां, तो इस नई पद्धति का क्या औचित्य है; और

(ग) क्या इस प्रश्न पर हजारों कोयला खनिकों ने हड़ताल की थी, यदि हां, तो इस हड़ताल से कितनी हानि हुई है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर): (क) और (ख): उपलब्ध सूचना से यह पता चलता है कि आसनसोल क्षेत्र में स्त्रीपुर सीम इन्कलाइन कोलियरी, स्त्रीपुर कोलियरी 1, 2 और 3 पिट्स राजा कोलियरी और निधा कोलियरी जो सभी एक ही प्रबन्धक के अधीन हैं, ने बड़ी संख्या में छंटनी से बचने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए और प्रबन्धकों को कर्मकारों की बकाया राशि लगभग छः मास की अवधि के भीतर देने के योग्य बनाने के लिए, सात दिन का कार्य सप्ताह चालू किया है।

(ग) स्त्रीपुर सीम इन्कलाइन के लगभग 634 कर्मकारों ने पहली अक्तूबर, 1972 को हड़ताल की। राणा कोलियरी के लगभग 2,700 कर्मकारों ने 22 अक्तूबर, 1972 से हड़ताल की। केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध तन्त्र द्वारा हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप, इन दोनों मामलों में समझौता क्रमशः 6 अक्तूबर, 1972 और पहली नवम्बर, 1972 को हुआ। इन हड़तालों के कारण कोलियरीज को हुई हानि की मात्रा सम्बन्धी सूचना उपलब्ध नहीं है।

कोयले की मांग

1475. श्री राम भगत पास्वान : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवीनतम सर्वेक्षणों के अनुसार देश में कोयले की मांग वर्तमान-शदाब्दी के समाप्त होने पर सम्भवतः दुगनी हो जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो देश में कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां): (क) और (ख): इंधन नीति समिति ने मई, 1972 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट के प्रथम भाग में यह प्राक्कलित किया कि 1970-71 में देश में कोयले की मांग अपेक्षित 700 लाख टन के स्तर की तुलना में 1980-81 तक लगभग 1905.00 लाख टन तक वर्धित हो जायेगी। पंचम योजना के लिए कोयले की मांग सरकार द्वारा नियुक्त 'टास्क फोर्स', द्वारा निर्धारित की जा रही है और 'टास्क फोर्स' की रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर निष्पादन हेतु आवश्यक उत्पादन लेखांक तैयार किये जायेंगे।

विशाखापत्तनम में प्रस्तावित इस्पात संयत्र के लिए स्थल का परिवर्तन

1476. श्री राम प्रकाश : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रस्तावित इस्पात संयन्त्र को विशाखापत्तनम की बजाय आन्ध्र प्रदेश में किसी स्थान पर स्थापित करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

झामर कोटडा में 'राक फास्फेट' निक्षेपों को अपने अधिकार में लेना

1477. श्री राम प्रकाश : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने झामर कोटडा में सम्पूर्ण 'राक फास्फेट' निक्षेपों को अपने अधिकार में लेने का विचार छोड़ दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां): (क) जी नहीं। झामर कोटडा स्थित शैल फास्फेट निक्षेपों के राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के महत्व के लिए और उनके समुपयोजनार्थ अपेक्षित बृहद् पूंजीगत विनिधान और प्रौद्योगिक विशेषज्ञता को दृष्टि में रखते हुए, निक्षेपों के विकासार्थ समुचित समुपयोजनी अभिकरण के चयन का प्रश्न केन्द्रीय और राजस्थान सरकारें के विचाराधीन है। मामले में अभी अंतिम विनिश्चय नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि के भुगतान में छूट देना

1478. श्री राम प्रकाश : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों द्वारा नियोजकों की ओर कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि, जो लगभग तीन करोड़ रुपयें है, की छूट दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर): (क) और (ख): भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि मालिकों द्वारा 3 करोड़ रुपए के लगभग भविष्य निधि की देय राशियों का भुगतान किसी राज्य सरकार द्वारा छोड़े जाने की जानकारी उन्हें नहीं है।

मजदूरी को उत्पादिता और मूल्यों के साथ सम्बन्धित करना

1479. श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिकों की मजदूरी को उत्पादिता और मूल्यों के साथ सम्बन्धित करने की वांछनीयता पर विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर०के० खाडिलकर): (क) से (ग): मूल्यों, मजदूरी दरों और आय के बारे में एक संकलित नीति तैयार करने की आवश्यकता कुछ समय से सरकार के विचाराधीन रही है। तथापि, विशिष्ट प्रस्ताव अभी तैयार किए जाने हैं। इस विषय पर कोई भी संविमर्श इस सिलसिले में किए जाने वाले सम्बंधित अध्ययनों पर आधारित करना होगा।

प्रादेशिक सेना कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्ति लाभों की मांग

1480. श्री पी० वेंकटासुब्बया: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रादेशिक सेना कर्मचारियों ने सेवा निवृत्ति लाभों की मांग की है;

(ख) क्या उनकी मांगों पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम): (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग): प्रादेशिक सेना पूर्णकालिक जीविका प्रदान किए जाने के लिए नहीं बनाई गई है । यह मुख्यत: उन व्यक्तियों के लिए बनाई गई है जो अन्यत्र नौकरी पर रहते हैं और इस उद्देश्य से कि आपात्त स्थिति के समय वे देश की सेवा कर सकें, अपने फालतू समय सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करने में लगा सकते हैं । सामान्यत: प्रादेशिक सेना के कार्मिक पेंशन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम अवधि पूरी नहीं कर पाते । इस लिए प्रादेशिक सेना में उन के द्वारा की गई सेवा के लिए नियमों में पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है । जो व्यक्ति सेना में कम से कम 5 वर्ष की सेवा कर चुके हों । अथवा प्रादेशिक सना में 10 वर्ष रह चुके हों (सेना में रहने और सेना से बाहर रहने की गई सेवा मिलाकर) उन्हें कुल की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए एक महीने के वेतन के हिसाब से सेवान्त उपदान दिया जाता है । लेकिन यह राशि 12,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए । इस उद्देश्य के लिए 1,000 रुपए प्रति मास से अधिक वेतन के हिसाब में नहीं लिया जाता है । तृतीय वेतन आयोग की सिफारिश के प्राप्त करने पर ही उनके सेवानिवृत्ति लाभ को उदार बनाए जाने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा ।

लोहा, निकल और तांबा निक्षेपों को निकालने क लिए उत्तर प्रदेश की महरौनी तहसील में सर्वेक्षण

1481. श्री पी० वेंकटासुब्बया: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहा, निकल और तांबा निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश की महरौनी तहसील में हवाई तथा चुम्बकीय सर्वेक्षण कराये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ग) इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां): (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी जिले के महरौनी तहसील में सोनरफाल्ट क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों के धातुपादक खनिजों के लिए हवाई भूभौतकीय सर्वेक्षण के लिए परियोजना बनाई है यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद द्वारा किया जाएगा ।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार सर्वेक्षण पर पूर्ण व्यय को वहन करेगी और इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा निधि आबंटित की जाएगी ।

(ग) यह विनिश्चित किया गया है कि हवाई खनिज सर्वेक्षण और समन्वेषण (भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का स्कन्ध, अतिरिक्त भूमि अनुवर्ती कार्य के लिए सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप संग्रहीत आधार सामग्री के मूल्यांकन के साथ साथ क्षेत्रों के चयन जैसे पूर्व उड़ान तैयारियों में, उत्तर प्रदेश सरकार को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा ।

संयुक्त राष्ट्र में पुर्तगाल द्वारा भारत की विदेशनीति के 'आक्रामक' होने का आरोप लगाना

1482. श्री सी०टी० दण्डपाणि :
श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुर्तगाल ने संयुक्त राष्ट्र में आरोप लगाया है कि 'आक्रमण' भारत की विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत है; और

(ख) यदि हां, तो पुर्तगाल ने भारत के विरुद्ध क्या आरोप लगाए हैं और भारतीय प्रतिनिधि ने इसका क्या उत्तर दिया है ।

विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) और (ख): जी हां । संयुक्त राष्ट्र महासभा की कार्य-सूची की मद उपनिवेशिक देशों एवं लोगों को स्वतंत्रता दिलाने के घोषणा पत्र के क्रियान्वयन पर विचार करते हुए पुर्तगाली प्रतिनिधि ने भारत पर यह आरोप लगाया था कि "स्वतंत्र होने के बाद से वह अपने पड़ोसी देशों पर निरन्तर आक्रमक रहा है और 1947 के बाद से उसने एक के बाद दूसरे अंतर्राष्ट्रीय डकैती के अत्यंत ऊधमी कार्य किये हैं" । पुर्तगाली प्रतिनिधि ने यह भी आरोप लगाया था कि "आक्रमण भारत की विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत है ।"

पुर्तगाल के प्रतिनिधि द्वारा भारत के खिलाफ लगाए गए बेबुनियाद आरोपों को भारत के प्रतिनिधि ने अस्वीकार किया और कहा कि पुर्तगाल की अपने ही क्रियाकलाप के प्रकाश में दूसरों को देखने की प्रवृति रही है । महासभा ने अनेक बार पुर्तगाल की उपनिदेशों का शोषण करने की नीति की तीव्र निन्दा एवं भर्त्सना की थी । भारतीय प्रतिनिधि ने आगे यह भी कहा कि उपनिवेशवाद के खिलाफ एवं दमन के विरोध में मुक्ति संग्राम में भाग लेना भारत का गौरवमय इतिहास रहा है । यदि पुर्तगाली प्रतिनिधि अपनी टिप्पणी के लिए भारत को चुनना चाहे तो यह संकेत मिलेगा कि भारत उपनिवेशिक प्रभुत्व से मुक्ति दिलाने के संघर्ष में सदैव अग्रणी रहा है---यह ऐसी बात है कि जो पुर्तगाली प्रतिनिधि को अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि उसके देश ने घोर अपशकुन को देखा नहीं यद्यपि यह प्रवृत्ति काफी सुदृढ़ और इतिहास का अंग बन चुकी है ।

नाविकों को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत लाना

1483. श्री सी० जनार्दनन: क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत नाविक नहीं आते हैं ;

(ख) क्या कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1932 में संशोधन करने का अनुरोध करने वाला नाविकों का कोई प्रतिनिधि मंडल सरकार से मिला है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या निर्णय है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर): (क) अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले नाविकों की संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) और (ग) : भारत के नाविकों की राष्ट्रीय यूनियन ने एक अभ्यावेदन भेजा है जिसमें उन्होंने अधिनियम में संशोधन करने का सुझाव दिया है ताकि ऐसे नाविकों के मामले, जिन पर इस समय अधिनियम लाग नहीं होता, अधिनियम के अन्तर्गत आ जाएं । यह मामला विचाराधीन है ।

विजयन्त टैंक के सुधरे हुए माडल का डिजाइन

1484. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयन्त टैंक के सुधारें माडल का डिजाइन तैयार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) और (ख): जी हां, श्रीमन् । अच्छे प्राक्षेपिक रूप तथा प्रतिरक्षा, अच्छी प्रेक्षण सुविधा तथा लड़ाकू कुशलता के साथ संघटित रात्रि दृष्टि प्रदान करने के लिए विजयन्त टैंक के एक विकसित रूप का डिजाइन बनाया गया है ।

बख्तरबन्द सैनिक गाड़ियों के निर्माण के लिए कारखाने की स्थापना

1485. श्री सुख देव प्रसाद वर्मा : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बख्तरबन्द सनिक गाड़ियों के निर्माण के लिए एक कारखाना स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कारखाने में कब से उत्पादन आरम्भ हो जायेगा ?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) सरकारी मंजूरी के 3 से 4 वर्षों के पश्चात फैक्टरी द्वारा उत्पादन आरंभ कर दिए जाने की संभावना है ।

विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों द्वारा भारतीय वस्तुओं का उपयोग

1486. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों द्वारा भारतीय वस्तुओं के उपयोग की योजना खर्च में कमी करने के लिए किस हद तक सफल सिद्ध हुई है ?

विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): विदेश स्थित भारतीय मिशनों में भारतीय सामानों के प्रयोग की योजना मुख्यतः विदेशी मुद्रा में कम खर्च करने तथा मिशनों को भारतीय रूप प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार की गई है तथा इस दिशा में यह योजना संतोषजनक ढंग से चलायी जा रही है । औसतन मिशनों द्वारा खरीदे गए भारतीय सामान उनके द्वारा खरीदे गए कुल सामान के करीब 21% है । खासतौर पर विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों/केन्द्रों में कालीन, दरी, बिछावन की चादर, मेजपोश, दैनिक उपयोग की कटलरी एवं क्राकरी, स्टील की अलमारियां, टाइपराइटर एवं लेखन-सामग्री भारत से खरीदी जाती है । विदेश स्थित अनेक मिशनों को भारत में बने अन्य कई सामान भी भेजे जाते हैं, जो सम्बद्ध देशों में सस्ते एवं सुरक्षित ढंग से भेजने की व्यवस्था उन देशों में भारत निर्मित उत्पादों की सर्विसिंग की सुविधा, तुलनात्मक मूल्य और उन सामानों को वहां फिर बेचे जाने के समय के मूल्य पर निर्भर करता है । इसी तरह विदेश स्थित अनेक मिशनों को फर्नीचर, रेडियोग्राम आदि भी भारत से भेजे गए हैं । बैंगकाक, कोलम्बो, ढाका, गंगटोक, कैंडी, काठमांडू, माण्डले, रंगून, थिम्पू, वियत्यन तथा जहीदान स्थित मिशनों में भारत में बनी कारों का इस्तेमाल हो रहा है ।

बेरोजगारी के बारे में विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन

1487. श्री आर० पी० उलगनम्बी :

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेरोजगारी के बारे में नियुक्त की गयी विशेषज्ञ समिति ने अपना अन्तिम प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था; और

(ख) इस बारे में क्या सिफारिशें की गई थीं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर): (क) बेरोजगारी संबंधी विशेषज्ञ समिति ने अभी तक अपना अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बोकारो इस्पात कारखान के निदेशक मंडल का गठन

1488. श्री आर० पी० उलगनम्बी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय बोकारो इस्पात कारखाने के निदेशक मंडल के सदस्य कौन-कौन हैं;

(ख) प्रत्येक निदेशक की योग्यताएं और अनुभव क्या-क्या हैं;

(ग) वर्तमान निदेशकों में से कौन-कौन से निदेशक कितनी बार हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के निदेशक मंडल में शामिल किये गये; और

(घ) प्रत्येक निदेशक को निदेशक मंडल में किस-किस तारीख को शामिल किया गया और उसमें से किस-किस तारीख को हटाया गया ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां): (क) से (घ): विवरण सभा-पटल पर रखा गया । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3770/72]**

दुर्गापुर इस्पात कारखाने की बजाय सेलम में स्टेनलेस स्टील बनाने के निर्णय के बारे में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के बीच विवाद

1489. श्री बख्शी नायक: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दुर्गापुर अलाय स्टील प्लांट में स्टेनलैस स्टील की उत्पादन क्षमता को 80,000 टन के वर्तमान स्तर तक रोक देने का निर्णय किया है;

(ख) क्या इसके साथ-साथ प्रस्तावित सेलम स्टील प्लांट में स्टेनलैस स्टील का उत्पादन करने की अनुमति देने का भी निर्णय किया गया है; और

(ग) क्या इससे तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सरकारों में गम्भीर विवाद पैदा हो गया है और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां): (क) दुर्गापुर के मिश्रित इस्पात कारखाने की बेदाग इस्पात की वर्तमान उत्पादन क्षमता 13,000 टन है । कारखाने की विस्तार योजना के प्रोडक्ट-मिक्स में इस क्षमता में वृद्धि की कोई व्यवस्था नहीं की गई है ।

(ख) सेलम इस्पात कारखाने की लिए निश्चित किये गये प्रोडक्ट-मिक्स में प्रतिवर्ष 70,000 टन की बेदाग इस्पात की गर्म तथा ठन्डी बेलित स्ट्रिप सम्मिलित हैं ।

इस्पात के मूल्यों में वृद्धि

1490. श्री बख्शी नायक : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में देश में विभिन्न प्रकार के इस्पात के मूल्य क्या रहे;

(ख) क्या हाल ही में मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां): (क) निम्नलिखित सारणी में कुछ प्रकार के इस्पात के लिए संयुक्त संयंत्र समिति मूल्य दिये गये हैं :—

(रु० प्रति टन)

	31-7-68 से 31-12-69	1-1-70 से 12-12-71	13-12-71 से 16-3-72	17-3-72 से 21-7-72	22-7-72 से आज तक
छड़ तथा गोल छड़ (चपटे उत्पादों को छोड़कर) सीधी लम्बाई 14 मि० मी० तथा इससे कम (मानक भा०मा०-226)	810	877	940	996	1081
जोइस्ट (मानक भा० मा०-226)	889	977	1040	1096	1146
प्लेटें (भा० मा०-226)	989	1092	1160	1220	1220
गर्म बेलित क्वायल्स 14 गेज तथा उससे मोटे (परीक्षित)	999	1102	1190	1268	1268
ठंडे बेलित 14 गेज तथा उससे मोटे (परीक्षित)	1274	1377	1502	1615	1615
स्केल्प (परीक्षित)	1009	1122	1237	1350	1350

(ख) और (ग) : 22-7-1972 से निम्नलिखित श्रेणियों के मूल्यों में उनके सामने दी गई राशि की वृद्धि हुई है :

(1) बिलेट	80 रु० प्रति टन
(2) छड़ तथा गोल छड़	85 रु० प्रति टन
(3) संरचनात्मक तथा रेल की पटरियां	50 रु० प्रति टन

मूल्यों में उपर्युक्त वृद्धि की अनुमति इस्पात के मुख्य उत्पादकों के प्रतिवेदनों पर सावधानी पूर्वक विचार करने के पश्चात दी गई थी। मुख्य उत्पादकों ने अपने प्रतिवेदनों में उत्पादन में वृद्धि करने वाले उन विभिन्न मदों का उल्लेख किया था जिनपर सरकार ने 30 दिसम्बर 1969 को इस्पात के मूल्यों में वृद्धि का अनुमोदन करते समय ध्यान नहीं दिया था तथा उन कारणों का भी उल्लेख किया था जिनसे तब से लेकर मूल्यों में और वृद्धि हुई है। इन वृद्धियों का कुल प्रभाव 100 रु० प्रति टन पड़ता था ।

शिक्षित और तकनीकी बेरोजगार व्यक्ति

1491. श्री बख्शी नायक :

श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अक्तूबर 1972 को कितने शिक्षित और तकनीकी लोग बेरोजगार थे;

(ख) गत तीन वर्षों में इसी अवधि की तुलना में ये आंकड़े कितने कम या अधिक हैं; और

(ग) शिक्षित बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए यदि भारत सरकार ने कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर): (क) और (ख): यथातथ्य जानकारी उपलब्ध नहीं हैं। तथापि रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वालों की संख्या संबंधी उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण-एक में दी गई है ।

(ग) जानकारी संलग्न विवरण-दो में दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3771/72]**

'दि स्टेट्समैन' में 'दि लैसंस आफ बोकारो' शीर्षक से छपा लेख

1492. श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 सितम्बर 1972 के 'दि स्टेट्समैन' में 'दि लैसंस आफ बोकारो' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि सौदेबाजी की वास्तविक शक्ति के अभाव के कारण भारतीय दल के लिए रूस पर यह दबाव डालना असम्भव हो गया है कि वह बोकारो के प्रथम चरण के लिए चपटे इस्पात की लगातार ढलाई की नवीनतम टैक्नालोजी सप्लाई करे;

(ख) क्या सहयोग कर्त्ताओं द्वारा लगातार ढलाई की जानकारी देने से इन्कार करने का अर्थ बोकारो में प्रति टन इस्पात पर अतिरिक्त लागत आना है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां): (क) बोकारो इस्पात कारखान के लिए सोवियत संगठन द्वारा तैयार किया गया प्रायोजना प्रतिवेदन भारतीय पक्ष द्वारा दिए गए रूपांकन कार्य पर आधारित था। इस कार्य में इस्पात कारखाने के लिए लगातार ढलाई की सुविधाएं लगाने की व्यवस्था नहीं थी । भारतीय प्राधिकारियों द्वारा लगातार ढलाई की टैक्नालाजी की सप्लाई के लिए आग्रहन कर सकने का प्रश्न ही नहीं उठा ।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठता ।

राज्यों में रोजगार कार्यालयों में रजिस्टर हुए व्यक्ति

1493. श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं;

(ख) राज्य-वार चालू रजिस्टरों में कितने शिक्षित व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं; और

(ग) राज्य-वार चालू रजिस्टरों में पुरुषों और महिलाओं की संख्या कितनी-कितनी है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) : जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है । **[ग्रन्थालय में रखी गई है । देखिये सं० एल० टी० 3772/72]**

कर्मचारी वर्ग के लिए वास्तविक मजूरी का सूचकांक

1494. श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कर्मचारी वर्ग के लिए वास्तविक मजूरी का सूचकांक क्या था; और

(ख) उक्त अवधि में कर्मचारी वर्ग के लिए मुद्रा-मजूरी सूचकांक क्या था ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) : 1969 और 1970 के वर्षों के लिए वास्तविक मजदूरी और मुद्रा मजदूरी के सूचक दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । 1971 के वर्ष के लिए इसी प्रकार की सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है ।

विवरण

वर्ष 1969 और 1970 के लिए निर्माणकारी उद्योगों और खानों के श्रमिकों की मुद्रा और वास्तविक मजदूरी के सूचकांक (1961 = 100 आधार पर) इस प्रकार थे :-

वर्ष	अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1961 = 100 में बदला गया)	मुद्रा आय का सूचकांक		वास्तविक आय का सूचकांक	
		कारखाना श्रमिक	खान श्रमिक	कारखाना श्रमिक	खान श्रमिक
1969	169	171	202	101	120
1970	178	175 (अ०)	206	98 (अ०)	116

अ०-अनंतिम

हिन्द महासागर में सातवें बेड़े की गतिविधियां

1495. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

श्री विरेन्द्र सिंह राव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीकी सरकार की इस घोषणा पर कोई कार्यवाही की है कि सातवां बेड़ा अपनी गतिविधियां हिन्द महासागर तक बढ़ाएगा; और

(ख) क्या अमरीकी सरकार से इस बारे में कोई विरोध प्रकट किया गया है; और यदि नहीं, तो क्यों ?

विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) और (ख): सरकार ने राजनयिक सूत्रों के माध्यम से इस घटना के बारे में संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार तक अपनी चिन्ता पहुंचा दी है ।

निरस्त्रीकरण पर विश्व बैठक बुलाने का प्रस्ताव

1496. श्री मुहम्मद शरीफ :
श्री एम० कल्यामुत्तु :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को आणविक अस्त्रों पर प्रतिबन्ध लगाने सहित निरस्त्रीकरण पर चर्चा करने के लिए होने वाली प्रस्तावित विश्व बैठक के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख): संयुक्त राष्ट्र महासभा के चालू 27वें सत्र में सभी राष्ट्रों के लिए मुक्त एक विश्व निरस्त्रीकरण सम्मेलन का, उन विचारों और सुझावों के आधार पर तथा जो विचार-विमर्श के दौरान अभिव्यक्त किये जा रहे हैं, आयोजन करने का विचार हो रहा है जो महासचिव को पहले ही बता दिए गए हैं। भारत सरकार ने 8 सितम्बर, 1972 के पत्र में अपना दृष्टिकोण और सुझाव भेज दिया है, जिसका मूलपाठ सदन की मेज पर रख दिया है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3773/72]** महा सभा ने विश्व निरस्त्रीकरण सम्मेलन का आयोजन करने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है ।

भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास की समस्या का क्रांतिकारी हल

1497. श्री मोहम्मद शरीफ :
श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास की समस्या का कुछ क्रान्तिकारी हल निकालने के बारे में विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस की मुख्य बातें क्या हैं और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम): (क) और (ख): सदन को भूतपूर्व सैनिकों के व्यवस्थापन के संबंध में बनाये गये कार्यक्रम के बारे में अवगत कराया जाता रहा है । इस कार्यक्रम के सफल कार्यन्वयन के लिए राज्य सरकारों अन्य संस्थाओं के साथ-साथ केन्द्र सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों का सक्रिय सहयोग आवश्यक होता है । पिछले एक वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम का लगातार पुनरीक्षण किया जाता रहा । विभिन्न विचाराधीन उपायों के अतिरिक्त हाल में लिए गए कुछ निर्णयों और कार्रवाईयों में से कुछ बातें इस प्रकार से है :—

(1) राज्य तथा जिला स्तर पर सैनिक नाविक तथा वायुसैनिक बोर्डों को मुख्य स्तर पर तालमेल रखने वाली संस्थाओं के रूप में सक्रिय बनाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है । पुनर्व्यवस्थापन महानिदेशालय और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी राज्यों का दौरा करते रहते हैं और इन संगठनों को सशक्त बनाने के लिए नए प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। अधिकांश राज्यों ने सानुकूल प्रतिक्रिया दिखाई है ।

(2) इस प्रकार सम्पर्क रखन से यह सुनिश्चितता रखी जाती है कि केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा रिक्त स्थानों के आरक्षण व्यवस्था का पूरा उपयोग किया जाए ।

(3) निर्मुक्तिपूर्व और निर्मुक्त-व-निर्मुक्तोपरांत कई प्रशिक्षण योजनाएं भी बनाई गई हैं; उनमें स कुछ चालू होने वाली हैं ।

(4) 1000 भूतपूर्व सैनिक परिवारों को वृहत निकोबार द्वीप समूह में चरणवार कार्यक्रम के अनुसार बसाने की योजना बनाई गई है ।

(5) फार्म ट्रैक्टरों के विशेष आबंटन, वाणिज्यिक मोटर-गाड़ियों और पैट्रोल, गैस और मिट्टी के तेल की एजन्सियों के माध्यम से स्वयं रोजगार चलाने को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है ।

(6) कृषि और औद्योगिक योजनाओं से निपटने के लिए और भूतपूर्व सैनिकों के लिए रोजगार प्राप्त करने में विभिन्न एजेन्सियों के साथ सम्पर्क करने के लिए पुनर्व्यवस्थापन महानिदेशालय को अधिक सशक्त करने की सरकार ने उपयुक्त मंजूरी दी है ।

(7) युद्ध में विकलांग और जो युद्ध में मारे गये उन सैनिकों के परिवारों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए जिन विशेष योजनाओं की सदन को पहले ही जानकारी है, क्रियान्वित करने के लिए रक्षा मंत्रालय में एक विशेष निदेशालय सृजित किया गया है ।

नेपाल में अमरीकी महिला राजदूत को भारत में राजदूत के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव

1498. **श्री शशि भूषण:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका सरकार नई दिल्ली में अपने वर्तमान राजदूत को बदल कर उस के स्थान पर नेपाल में अपनी महिला राजदूत को नियुक्त करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) क्या इस संबंध में भारत सरकार से सलाह कर ली है; और यदि हां, तो उस पर उसकी क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) और (ख): 26 जुलाई, 1972 को राजदूत कैनेथ कौटिंग के भारत से चले जाने के बाद से अमरीकी राजदूतावास की देख-रेख मिशन के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री गेलीन एल० स्टोन कार्यनायक के रूप में कर रहे हैं । नये राजदूत के संबंध में सरकार को अमरीका सरकार से अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है ।

हड़ताल के कारण खेतड़ी तांबा परियोजना को हुई हानि

1499. **श्री शशि भूषण:** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में हुई हड़ताल के कारण खेतड़ी तांबा परियोजना को कुल कितनी हानि हुई;

(ख) हड़ताल कितनी अवधि तक चली तथा वहां हड़ताल होने के मुख्य कारण क्या थे; और

(ग) क्या हड़ताल समाप्त होने पर वहां के अधिकारी और श्रमिक पूर्णरूप से सन्तुष्ट हैं; यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां): (क) खेतड़ी ताम्र प्रायोजना में हड़ताल के कारण मानव दिवसों की कुल हानि लगभग 1,33,000 है ।

(ख) हड़ताल 41 दिनों की कालावधि तक चलती रही । खेतड़ी ताम्र प्रायोजना के 3 कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के पश्चात कर्मकारों द्वारा हड़ताल का आह्वान किया गया ।

(ग) प्रायोजना में हड़ताल समाप्ति के पश्चात प्रथम कुछ सप्ताहों में तनावपूर्ण स्थिति रही । अब स्थिति में पर्याप्त मात्रा में सुधार हो गया है ।

Demand and Supply of Steel

1500. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the present demand for various types of steel and the approximate demand thereof after one year;

(b) the present position in regard to its supply and its position after a year; and

(c) the time by which this gap between the demand and supply is proposed to be bridged ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) The National Council of Applied Economic Research has estimated the demand for finished mild steel at 7.6 million tonnes in 1975 and 12.9 million tonnes in 1980. Based on this, the demand for 1972-73 and 1973-74 is estimated to be about 6.2 million tonnes and 6.7 million tonnes respectively.

(b) The availability was short of the demand in respect of several categories of steel till recently. The steps taken to meet this situation include efforts to increase indigenous production by technological improvements, better industrial relations, improved maintenance etc. a fairly liberal import policy, particularly in respect of categories in short supply; regulation of exports, streamlining of the distribution system; preventation of misuse of allocation of steel; release of a substantial quantity of rerollable material, which has been held up by Court injunctions; and encouragement for the setting up of electric furnaces. These measures have already started having effect, as evidenced by the substantial drop in open market prices of several categories of steel such as Joists, Channels, Angles etc. in the last two months.

(c) It is expected that near self-sufficiency in steel production can be reached in two or three years with the commissioning of Bokaro Steel Plant and the existing steel plants attaining production of 90% of their rated capacity.

Amenities to Educated Unemployed

1501. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state the special measures being adopted by Government to provide the educated unemployed with medical facilities, housing and essential commodities in view of high cost of living till they are provided with employment ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : No such measures are contemplated.

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में विस्थापितों का पुनर्वास

1502. श्री एस० एम० सिद्धय्या : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम नवम्बर, 1972 तक भूतपूर्व पूर्व पाकिस्तान (बंगला देश) पश्चिम बंगाल, बर्मा और श्रीलंका से आए कितने विस्थापितों को अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में बसाया गया है उन्हें किन-किन द्वीपों में बसाया गया;

(ख) इनमें से कितने विस्थापित व्यक्ति अनुसूचित जातियों के हैं; और

(ग) क्या उन्होंने सरकार को अपनी शिकायतें भेजी हैं और यदि हां, तो उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर): (क) प्रथम नवम्बर, 1972 तक अण्डमान और निकोबार द्वीपों में विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बसाए गए विस्थापित व्यक्तियों आदि के परिवारों की संख्या नीचे दी गई है :—

	भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्ति	बर्मा प्रत्यावासी	श्रीलंका प्रत्यावासी
मिडिल अण्डमान	338	—	—
लिटिल अण्डमान	123	—	—
नील	88	—	—
कच्छल	—	—	2
दक्षिणी अण्डमान	—	37	—

इसके अतिरिक्त 1971-72 में बर्मा और श्रीलंका से स्वदेश लौटे 75 परिवारों को तथा 1972-73 के दौरान 19 परिवारों को कारोबार ऋण दिए गए थे ।

इन परिवारों के अलावा पुरानी उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत 1949 और 1963 के बीच भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के 2861 परिवारों को और बर्मा से स्वदेश लौटे 5 परिवारों को अण्डमान और निकोबार द्वीपों में बसाया गया था ।

(ख) संघ शासित अण्डमान और निकोबार द्वीपों में किसी भी समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में घोषित नहीं किया गया है । तथापि, विशष क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बसाये गये 460 परिवारों और पुरानी उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत बसाये गए 2318 परिवारों ने स्वयं सूचित किया है कि वे भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान में अनुसूचित जाति के रूप में रह रहे थे ।

(ग) जहां तक विशेष क्षत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बसाये गए परिवारों का संबंध है, विशेषतया उन परिवारों से, जिन्होंने अपने आपको भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान में अनुसूचित जाति के सदस्य बताया है, कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । पुरानी उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत बसाये गये परिवारों के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

संगठित और असंगठित औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार

1503. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1972 के अन्त में संगठित और असंगठित औद्योगिक क्षेत्र में कितने व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त था और उन्हें कितनी-कितनी राशि वेतन स्वरूप दी जा रही थी; और

(ख) एक औद्योगिक श्रमिक को कितना न्यूनतम और अधिकतम मासिक वेतन मिलता है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर):(क) नवीनतम सूचनानुसार, जो कि मार्च, 1972 से संबंधित है और जिसे रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के नियोजन बाजार सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत एकत्रित किया गया है, संगठित क्षेत्र में नियोजन के अनंतिम आंकड़े 1,79,000,00 के लगभग थे । तथापि असंगठित क्षेत्र और कुल मजूरी बिल के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) मजदूरी दरें अलग अलग उद्योगों और अलग अलग क्षेत्रों में अलग होती हैं । इसके अलावा, कुशलता और अन्य तत्वों पर आधारित विभेदक होते हैं । श्रम ब्यूरो अपनी मासिक पत्रिका 'भारतीय श्रम पत्रिका, में सभी मुख्य मजूरी निर्धारणों को प्रकाशित करने का प्रयास करता है ।

राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा की गई सिफारशें

1504. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा हाल ही में की गई सिफारिशों पर उस बीच सरकार ने विचार कर लिया है; और

(ख) उनमें से किन-किन सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया गया है और शेष सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) : एक विवरण, जो राष्ट्रीय श्रम आयोग की विभिन्न सिफारिशों पर की गई कार्यवाही को संकेतिक करता है, सदन की मेज पर रखा जाता है ।

(क) ऐसी सिफारिशें जिन्हें सरकार द्वारा किसी विशिष्ट कार्यवाही के योग्य नहीं समझा गया था जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया

1 से 11, 12(क) और (ख), 17, 22(क), 36 (क), 41, 67, 88, 90 से 92, 94 से 100, 109, 124(क) और (ख), 133, 148 से 150, 157, 163 से 165, 167, 168, 197, 239, 280, 298, 300.

(ख) सिफारिशें जिनके अनुपालन के लिए विभिन्न प्राधिकारियों को कहा गया

(i) सिफारिशें, जिन्हें अनुपालन हेतु राज्य सरकारों/प्रशासनों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों को कहा गया

12(ग), 21, 22(ग), 23 से 26, 31(क), (ग) और (घ), 32, 35, 36(ख), 38, 39, 42, 43, 55, 61 से 66, 69, 93, 103, 124(ग), 125, 126, 151, 207, 208, 213 से 238, 240 से 245, 247 से 250, 252 से 262, 265 से 279, 281, 289, 290.

(ii) सिफारिशें—जिनके अनुपालन के लिए केन्द्रीय श्रमिकों और/या नियोजकों के संगठनों को कहा गया

22(ग), 23 से 26, 29, 31(घ), 32, 36(ख), 93, 128, 131, 134, 143 से 147, 246.

(iii) सिफारिशें—जिनके अनुपालन के लिए विभिन्न निकायों अर्थात, सरकारी उपक्रमों का ब्यूरो, स्वचालन समिति और राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद को कहा गया ।

19, 25, 26, 110, 112 से 117, 141, 201 से 206.

(ग) सिफारिशें—जिन पर या तो सरकार द्वारा कार्यवाही सम्पूर्ण हो चुकी है या जो कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में है ।

13 से 16, 18, 20, 22(ख), 27, 28, 30, 31(ख), 33, 34, 37, 40, 44, 45, 46 से 49, 51 से 54, 56 से 58, 60, 68, 83, 84, 86, 89, 127, 158, 161, 198 से 200, 251, 282 से 288, 291 से 297, 299.

(घ) सिफारिशें—जिन पर त्रिपक्षीय बैठकों में विचार किया गया था और जिनपर की जाने वाली कार्यवाही पर सरकार विचार कर रही है ।

119 से 123, 129, 130, 132, 135 से 140, 142, 159, 160, 166, 169, 170 से 194, 210.

(ङ) सिफारिशें जो सरकार के विचाराधीन हैं ।

50, 59, 70 से 81, 85, 87, 101, 102, 104, 105 से 108, 111, 118, 162, 209, 211, 212.

(च) सिफारिशें जिन पर भावी त्रिपक्षीय बैठक में अभी विचार किया जाना है ।

82, 152 से 156, 195, 196, 263, 264.

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि शेष सिफारिशें किस समय तक कार्यान्वित की जाएंगी इस अवस्था में ठीक समय का संकेत कर सकना कठिन है क्योंकि यह सिफारिशें जांच की विभिन्न अवस्थाओं में है ।

कोककर कोयला खानों में ठेका पद्धति की समाप्ति

1505. श्री बीरेन्द्र सिंह राव : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोककर कोयला खानों में ठेका पद्धति को समाप्त किए जाने की दिशा में सरकार ने अब तक कितनी प्रगति की है; और

(ख) यह ठेका पद्धति कब तक समाप्त कर दी जाएगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) : अक्तूबर 1971 में सरकार द्वारा कोककर कोयला खानों तथा कोक ओवन प्लांटस को अपने अधिकार में लिये जाने के पूर्व ठेका पद्धति विभिन्न रूपों में और उन कोलिरियों की अधिकांश संख्या में कार्य की बहुत सी मदों के बारे में जिनमें कुछ मामलों में कोयला निकलाना और कोक बनाना भी सम्मिलित है, प्रचलित थी । अधिकार में लिये जाने की तारीख से कोयला निकालने तथा प्रबंध करने संबंधी ठेके समाप्त कर दिये गये और ऐसे कार्यों में नियुक्त कर्मकारों को विभाग में ले लिया गया । इस समय ठेका श्रमिक विशेषीकृत तथा आन्तरायिक प्रकार के कुछ कार्यों में नियोजित हैं, जहां ठेका पद्धति जारी रहेगी । नियोजन को ठेका श्रम (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अधीन विनियमित किया जाता है ।

कोयला खानों में ठेका श्रम पद्धति को समाप्त करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

रोजगार कार्यालय (रिक्त पदों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 का पालन न करना

1506 श्री सी० चित्तिबाबू : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र के मालिकों द्वारा रोजगार कार्यालयों को रोजगार कार्यालय (रिक्त पदों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत खाली पदों की सूचना और सब आवश्यक जानकारी न देने के कारण उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) मालिकों से और अधिक सहयोग प्राप्त करने के लिए रोजगार अधिकारियों से इस सम्बन्ध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मिली है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) : रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) विनियम, 1960 के नियम-8 के साथ पठित रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 की धारा-7 के अधीन प्रत्येक राज्य में रोजगार निदेशक अधिनियम के अधीन किसी दोष के लिए मुकदमा चलाने या मुकदमा चलाने की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकारी है । तथापि, राज्य सरकारों के रोजगार अधिकारी लगातार दोषी नियोजकों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने से पूर्व नियोजकों का सहयोग प्राप्त करने के लिए व्यक्तिक सम्पर्क सहित सभी प्रत्ययकारी तरीके अपनाते हैं ।

इस्पात संयन्त्र उपकरण सम्बन्धी मानकीकरण समिति की सिफारिशें

1507. श्री सी० चित्तिबाबू : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात संयंत्र उपकरण के मानकीकरण के लिये गठित की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस समिति की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खान) : (क) जी, हां ।

(ख) इस्पात संयंत्र के मुख्य उपकरणों के मानकीकरण के प्रश्न पर विचार करने के लिए गठित किये गये विशेषज्ञों के पैनल ने 6 मई, 1972 को सरकार को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में इस समय देश में उपलब्ध प्रलेखों के आधार पर विजयनगर और विशाखापतनम् इस्पात कारखानों के लिए लोहा और इस्पात बनाने वाले एककों (कोक भट्टियां भी शामिल हैं) के रूपांकन मरम्मत शालाओं में सुविधाओं, सेवाओं, सामान्य कार्यों के लिए काम में आने वाली क्रेनों आदि के बारे में विशेष रूप से कुछ विशिष्ठ सिफारिशें की थी ।

सरकार ने पैनल की बहुत सी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और नई प्रायोजनाओं के लिए संबंद्ध सुविधाओं के प्रस्ताव करते समय सलाहकार इस बात को ध्यान में रखेंगे ।

रोजगार और बेरोजगारी के सर्वेक्षण के सम्बन्ध में सर्वेक्षण और अध्ययन

1508. श्री सी० चित्तिबाबू : क्या श्रम और पुर्नवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रम और रोजगार विभाग के वर्ष 1971-72 के वार्षिक प्रतिवेदन, खंड-II के पृष्ठ 1 के अनुसार मंत्रालय द्वारा रोजगार और बेरोजगारी के क्षेत्र में किस प्रकार के सर्वेक्षण और अध्ययन किए गए हैं; और

(ख) इन सर्वेक्षणों और अध्ययनों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) : ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं [**ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एस० टी०-3774/72**]

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों का सर्वेक्षण

1509. श्री सी० चित्तिबाबू : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज कल्याण विभाग के कहने पर रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों और प्रतिष्ठानों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों संबंधी किए गए सर्वेक्षण के अन्तिम निष्कर्ष क्या हैं; और

(ख) इन निष्कर्षों पर श्रम और रोजगार विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) : अपर्याप्त आंकड़ों और अल्प-प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव है कि अन्तिम निर्णय पर पहुंचने से पूर्व अधिक व्यापक और सुविस्तृत आंकड़े एकत्रित करके वर्तमान जांच-पड़ताल के परिणामों की तर्क-संगति का परीक्षण किया जाए ।

रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए एशियाई प्रादेशिक परियोजना

1510. श्री सी० चित्तिबाबू : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या रोजगार के प्रोत्साहन देने के लिए एशियाई प्रादेशिक परियोजना के अन्तर्गत कार्य आरम्भ हो गया है, जैसा कि श्रम और रोजगार विभाग के 1971-72 के वार्षिक प्रतिवेदन के खंड II के पृष्ठ 21 पर उल्लेख किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना के अन्तर्गत किस प्रकार का काम आरम्भ किया जा रहा है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर ० के० खाडिलकर) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार द्वारा जिन सात विशिष्ट क्षेत्रों में एशियाई रोजगार प्रोत्साहन प्रादेशिक परियोजना से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया गया, की सूची संलग्न विवरण में दी गई है । परियोजना का वास्तविक प्रचालन जून, 1972 में आरम्भ हुआ जब परियोजना के अधीन पहला मिशन भारत पहुंचा और उसने उपर्युक्त विवरण की क्रम सं० (दो) और (सात) पर दिये गये क्षेत्रों का अध्ययन करने में लगभग एक मास का समय लगाया । मिशन की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

बेरोजगारी संबंधी विशेषज्ञ समिति के सहयोग से, ऐशियाई रोजगार प्रोत्साहन प्रादेशिक परियोजना ने नई दिल्ली में 2 अगस्त, 1972 से 8 अगस्त, 1972 तक बेरोजगारी संबंधी संयुक्त कर्मशाला का भी आयोजन किया । विशेषज्ञ समिति द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट तयार करते समय कर्मशाला के संविमर्शों को सम्यक रूप से ध्यान में रखा जाएगा ।

विवरण

एशियाई रोजगार प्रोत्साहन प्रादेशिक परियोजना

विशिष्ट क्षेत्र जिनमें विशेषज्ञों की प्रादेशिक टीम की सहायता अपेक्षित होगी

(1) चुने हुए स्थानों पर औद्योगिक विकास केन्द्रों की स्थापना द्वारा अकृषि रोजगार के व्यापक परिक्षेपण और तीव्र बढ़ौतरी पर बल देते हुए ग्रामीण क्षेत्र कृषिक तथा अकृषिक दोनों क्षेत्रों में अग्रेतर रोजगार अवसरों के निर्धारण एवं विकास के लिए उपयुक्त नीति का मानांकन करना;

(2) आधुनिक लघु क्षेत्रों में विशेषकर शिक्षित तथा तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगारों को अपना निजी कार्य आरम्भ करने के लिए प्रोत्साहन देना ;

(3) समुचित प्रौद्योगिकी का विकास तथा प्रायोज्यता जो देश में रोजगार बढ़ाने तथा निर्यात में वृद्धि करने की आवश्यकता के संदर्भ में आर्थिक रूप से टिकने-योग्य होने के साथ-साथ रोजगारोन्मुख होना ;

(4) उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पूर्व-व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित उपकरणों की शिनाख्त करना और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से उन्हें प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करना;

(5) उन प्रक्रियाओं को, जो बड़े उद्योगों द्वारा अनुषंगी उद्योगों के लिए छोड़ दी जायेगी की शिनाख्त करना;

(6) शैक्षिक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पुनरीक्षण करने के लिए गहन शिक्षा जिला विकास परियोजनाओं के अधीन शिक्षा मंत्रालय द्वारा आरम्भ किये गए सर्वेक्षणों की तकनीक को उन्नत करना;

(7) शिक्षित तथा तकनीकी कार्मिकों में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए कुछ ठोस उपायों की शिनाख्त करना ।

Facilities to Families of killed Army Personnel

1511. Shri Phool Chand Verma :
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether there are several such families of killed army personnel in Indo-Pak War 1971 who have not got the facilities to which they are **entitled**; and

(b) if so, the number thereof ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b) : The major facility to which families of Service personnel killed in the recent Indo-Pakistani conflict, are entitled, is the liberalised pensionary award. This consists of the last pay drawn in the case of JCOs/ORs and 3/4ths of **the** pay of the rank held at the time of death in the case of officers. These pensionary awards have been sanctioned in all eligible cases.

In addition children of those who were killed, are entitled to free education up to first-degree level, including cost of books, stationery, uniform, boarding and lodging in the educational institutions recognised by Government. Entitlement cards have been issued to all eligible children for availing of this facility.

Preferences have been extended, in employment, up to 2 dependents of the deceased Service men. Arrangements have also been made for assistance in carrying out self-employment schemes and vocational training. These two sets of conscessions are being operated through different Ministries and organisations of Central Government, State Governments and public sector enterprises, both of the Centre and the State Governments.

इस्पात संयंत्रों के लिये एक संयुक्त समिति बनाना

1512. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्वर : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात संयंत्र के मजदूरों तथा प्रबन्धकों में से इस्पात संयंत्रों के लिए एक संयुक्त समिति बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो समिति के गठन तथा कृत्यों सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नावाज खां): (क) और (ख) : लोहा और इस्पात औद्योगिक समिति के दूसरे अधिवेशन में, जो 16 अक्तूबर, 1969 को हुआ था, लिये गये निर्णयों के अनुसार इस्पात उद्योग के लिये एक संयुक्त वेतन वार्त्ता समिति का गठन किया गया था जिसमें मालिकों के 4 प्रतिनिधि और मजदूरों के 15 प्रतिनिधि थे और जिसका काम मुख्यत: इस्पात उद्योग के लिए एक मजदूरी ढांचा बनाना था समिति ने 27 अक्तूबर 1970 को एक संविद्-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे । करार के अनुसार समिति करार का तथा करार की अवधि में (पदनामों, वेतनमानों, छुट्टी, अवकाश, डाक्टरी सुविधाओं और निवृत्तिवय) के मानकी करण के सम्बन्ध में इसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी और इसकी निगरानी करेगी। 21 अप्रैल, 1971, को हुई इसकी बैठक में इस्पात और खान मंत्री ने सुझाव दिया था कि समिति, सामान्य किस्म की उन सभी समस्याओं के समाधान का भी काम करे जिसके कारण समस्त उद्योग पर प्रभाव पड़ता है और समिति के काम में उचित परिवर्तन किया जा सकता है। यह सुझाव स्वीकार कर लिया गया और समिति ने 23 जून, 1971, की अपनी बैठक में 'ज्वाइन्ट नीगोशियेटिंग कमेटी फार दी स्टील इन्डस्ट्री' के नाम से काम करते रहना स्वीकार कर लिया ।

अनिवार्य सैनिक सेवा

1513. श्री बनमाली पटनायक : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के नवयुवकों से अल्प अवधि के लिए अनिवार्य सैनिक सेवा कराने की आवश्यकता पर विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) नवयुवकों में अनुशासन और राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने के लिए क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) तथा (ख): सशस्त्र सेनाओं में स्वेच्छिक आधार पर भर्ती सन्तोषजनक रही है । अत: अनिवार्य सैनिक सेवा करना आवश्यक नहीं पाया गया ।

(ग) नेशनल केडिट कोर, प्रादेशिक सेना आदि देश के युवकों में अनुशासन तथा राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करने में सहायक होती हैं ।

दिल्ली में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत प्रशिक्षित स्नातक और प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षक

1514. श्री बनमाली पटनायक : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के रोजगार कार्यालयों में कितने प्रशिक्षित स्नातक और प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षकों के नाम पंजीकृत हैं ;

(ख) तीन वर्ष से अधिक समय से पूर्व के पंजीकृत शिक्षकों की संख्या कितनी है और उन्हें रोजगार प्रदान करने में और कितना समय लगेगा; और

(ग) ऐसे सभी लोगों को रोजगार दिलाने की दिशा में क्या ठोस कदम उठाने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर): (क) और (ख): उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) दिल्ली में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के विस्तार से प्रशिक्षित शिक्षकों को अधिक संख्या में रोजगार अवसर प्राप्त होंगे ।

विवरण

30 जून, 1972 को दिल्ली के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज प्रशिक्षित स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षकों की संख्या ।

शिक्षकों का वर्ग	योग	योग में सम्मिलित शिक्षकों जिनके नाम चालू रजिस्टर पर तीन वर्ष से अधिक है, की संख्या*
1	2	3
1 प्रशिक्षित स्नातक	4,348	517
2 प्रशिक्षित स्नातकोत्तर	3,160	568

भारतीय श्रम अध्ययन संस्थान द्वारा चलाए जाने वाले पाठ्यक्रम

1515. श्री बनमाली पटनायक : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में अब तक भारतीय श्रम अध्ययन संस्थान द्वारा चलाए जाने वाले प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षार्थियों की संख्या कितनी है और चालू वर्ष में चलाये गये पाठ्यक्रमों में विदेशों से आये प्रशिक्षणार्थी कितने हैं;

(ख) अध्यापकों की संख्या कितनी है और अध्यापकों तथा पाठकों में क्या अनुपात है; और

(ग) क्या पाठ्यक्रम लोकप्रिय नहीं है और क्या उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं का कोई उचित उपयोग नहीं किया जाता यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) 1972 के दौरान भारतीय श्रम अध्ययन संस्थान द्वारा आयोजित किए गए या किये जा रहे प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षार्थियों की संख्या (विदेशी प्रशिक्षार्थियों सहित) के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

पाठ्यक्रम	उन प्रशिक्षार्थियों की कुल संख्या जो उपस्थित हुए या उपस्थित हो रहे हैं	विदेशों से आये प्रशिक्षार्थियों की संख्या
1	2	3
श्रम अधिकारियों के लिए आठवां पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	9	—
'औद्योगिक सम्पर्क और कार्मिक प्रबन्ध' (पाठ्यक्रम-1) पर 23वां पाठयक्रम	21	7
श्रम अधिकारियों के लिए 9वां पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	15	—
'श्रम कानून और प्रवर्तन की प्रक्रियाएं' (पाठ्यक्रम-2) पर 24वां पाठ्यक्रम	17	—
औद्योगिक सम्पर्क अधिकारियों और भारत कोकिंग कोल लि० के कार्मिक अधिकारियों के लिए 6वां विस्तरण पाठयक्रम	30	—
सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के मध्यवर्ती प्रबन्ध कार्य संचालकों के लिए 7वां विस्तरण पाठ्यक्रम	12	—
'श्रम कानून और प्रवर्तन की प्रक्रियाओं' सम्बन्धी 25वां पायठ्क्रम (पाठयक्रम-3)	14	—
	118	7

*यह तथ्यत: बताना सम्भव नहीं है कि इनको रोजगार प्राप्त करने में कितना समय लगेगा ।

(ख) प्राध्यापन कार्य में लगे शिक्षकवर्ग में छः अधिकारी शामिल हैं, जिनमें से दो के पास अतिरिक्त कार्य भी हैं। अलग अलग पाठ्यक्रमों में शिक्षकों और शिक्षार्थियों के बीच अनुपात में भिन्नता रहती है।

(ग) ये पाठ्यक्रम लोकप्रिय हैं, संस्थान में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं का समुचित उपयोग किया जाता है।

पाकिस्तान के साथ राजनयिक सम्बन्ध बहाल करना

1516. श्री बनमाली पटनायक : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के साथ राजनयिक सम्बन्ध बहाल करने के लिए दोनों सरकारों में से किसी ने कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस मामले की अब स्थिति क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) राजनयिक संबंधों को पुनः स्थापित करना शिमला समझौते के पैरा 6 का अंतिम मद है। सरकार का ख्याल है कि ठोस मसलों पर कोई प्रगति हुए बगैर राजनियक संबंध पुनः स्थापित करने से सामान्यता लाने का केवल भ्रम ही पैदा होगा। फिर भी, सरकार समुचित समय पर इस दिशा में आवश्यक कदम उठाएगी।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए पदों तथा उनके बच्चों के लिए कालिजों में स्थानों का आरक्षण

1517. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 अक्तूबर, 1972 के 'ट्रिब्यून' नामक समाचार पत्र में 'एक्स सर्विसमेन्स कम्पलेन्टस (भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतें) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी सेवाओं में भूतपूर्व सनिकों के लिए कम आरक्षण, उनके बच्चों के लिए मैडिकल तथा इंजीनियरिंग कालेजों में आरक्षण तथा उनके कल्याण और अन्य कार्यों के लिए आवंटित की गई राशि को दूसरे कार्यों पर व्यय करने आदि के सम्बन्ध में भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख) 25 अक्तूबर, 1972 के ट्रिब्यून में प्रकाशित एक समाचार में जो मुद्दे उठाए गए थे वे जम्मू तथा काश्मीर राज्य सरकार से सम्बन्धित थे। जहां तक सेनाओं में आरक्षण व्यवस्था का सम्बन्ध है इस पर राज्य सरकार विचार कर रही है और केन्द्रीय सरकार को उनसे इसकी प्रगति के बारे में पूछती रहती है। जहां तक मैडिकल तथा इंजीनियरिंग कालेजों में भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था का प्रश्न है तथा अन्य उद्देश्य आदि के लिए उनके कल्याण के लिए नियत धन को अन्यत्र लगाने की शिकायत का सम्बन्ध है, राज्य सरकार से इसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है।

हिमाचल प्रदेश के यौल छावनी क्षेत्र में भूमि का अधिग्रहण

1518. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक अधिकारियों द्वारा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के यौल छावनी क्षेत्र में उपजाऊ भूमि के अधिग्रहण के सम्बन्ध में सरकार को उस क्षेत्र के कुछ निवासियों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अभ्यावेदन पर सरकार ने कोई निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या निर्णय लिया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 2,000 एकड़ भूमि के कथित अधिग्रहण के विरुद्ध तगरोती, नरवाणा और वलेहर (जिला कांगड़ा) ग्राम वासियों की ओर से सरकार को दिनांक 17-4-72 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता क्योंकि कथित भूमि के अधिग्रहण के लिए इस समय सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है ।

पाकिस्तान अधिकृत पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों से विस्थापित असैनिक लोगों का पुनर्वास

1519. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों से, जो अब पाकिस्तान के कब्जे में है, विस्थापित असैनिक लोगों के पुनर्वास के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो उस कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और ऐसे लोगों को अनुदान और ऋण के रूप में **मुआवजे** की कितनी राशि दी गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) पंजाब सरकार को पुनर्वास के लिए योजनाएं तैयार करने का सुझाव दिया गया है और उनके द्वारा इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ।

ऐसे बेघर हुए लोगों को अब तक दिए गए अनुग्रह पूर्वक अनुदानों तथा ऋणों की राशि के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है और जैसे ही उपलब्ध होगी सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

उर्वरक के आयात में कठिनाईयां

1520. श्री निंबालकर : क्या **पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों से पर्याप्त मात्रा में उर्वरक प्राप्त करने में कोई कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे कठिनाइयां क्या हैं ?

पूर्ति मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) विश्व भर में उर्वरकों की उपलब्धि में कमी है । यह कमी, कुछ संयंत्रों के बन्द हो जाने, कुछ विकासशील देशों की मांग बढ़ जाने तथा यूरोप में विपरीत मौसम आदि के कारण उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग किए जाने के परिणामस्वरूप हुई है ।

भिलाई इस्पात संयंत्र से 70 एन० एम० आर० कर्मचारियों की छंटनी

1521. श्री समर मुखर्जी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भिलाई इस्पात संयंत्र के 70 एन० एम० आर० कर्मचारियों की छंटनी की गई है ।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को कर्मचारी संघ से ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें छंटनी आदेश को रद्द करने की मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नावाज खां) : (क) और (ख) 61 एन० एम० आर० अनियमित मजदूरों की सेवाएं जो विशेष प्रकार के अस्थाई कार्य पर लगे हुए थे उनकी नौकरी की अवधि पूरी हो जाने पर अगस्त, 1972 में समाप्त कर दी गई थी ।

(ग) जी, हां ।

(घ) जब कभी उनके योग्य नियमित पद होंगे तो प्रबन्धकों द्वारा उन पदों पर इन मजदूरों को रखने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा ।

चाबागान मजदूर यूनियन, सिलिगुड़ी, पश्चिम बंगाल से ज्ञापन

1522. श्री समर मुखर्जी : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिलिगुड़ी सबडिवीजन में वागडोगरा टी एस्टेट गुंडों द्वारा 100 से अधिक स्थाई श्रमिकों के निकाले जाने और यूनियन की गार्डन कमेटी के सदस्यों की हत्या किये जाने के बारे में तराई चाबागान मजदूर यूनियन, सिलिगुड़ी, पश्चिम बंगाल से कोई ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) निकाले गये श्रमिकों को अपने काम पर पुनः लगाने के लिए संरक्षण देने हेतु सरकार क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर०के० खाडिलकर) : (क) से (ग) : नहीं महोदय, तथापि कुछ प्रतिवेदनों के प्राप्त होने पर, इस मामले की ओर पश्चिमी बंगाल सरकार का ध्यान पहले ही आकृष्ट किया जा चुका हैं, क्योंकि वह मामला मुख्य रूप से उन्हीं से संबंधित है ।

यूगांडा द्वारा भारतीय दूर संचार इंजीनियर भेजने का अनुरोध

1523. श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :
श्री गिरिधर गोमांगो :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूगांडा सरकार ने अपने देश में दूर संचार व्यवस्था का विकास करने में सहायता करने के लिए भारत से पांच और दूर संचार इंजीनियर भेजने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) उगांडा सरकार से दूर संचार इंजीनियरों की सेवा के लिए कोई अनुरोध नहीं मिला है । लेकिन पूर्व अफ्रीकी दूर संचार निगम के कम्पाला स्थित मुख्यालय से ऐसा अनुरोध अवश्य प्राप्त हुआ है । यह पूर्व अफ्रीकी समुदाय का एक अंग है ।

(ख) यह पूर्व अफ्रीकी समुदाय कीनिया, तनजानिया और उगांडा को मिलाकर बना है । उगांडा की वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्षय में भारतीय कर्मचारियों को वहां भेजने में सरकार आवश्यक सतर्कता बरत रही है ।

भारत और कीनिया के बीच परामर्श करने के लिए नियमित रूप से बैठकों का सुझाव

1524. श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :
श्री गिरिधर गोमांगो :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीनिया के विदेश मंत्री ने भारत और कीनिया के अधिकारियों के बीच विचार विमर्श करने के लिए नियमित रूप से बैठकें आयोजित करने का सुझाव दिया है;

(ख) क्या यह सुझाव तब दिया था जब भारत के विदेश सचिव संयुक्त राष्ट्र संघ में कीनिया के विदेश मंत्री से मिले थे; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र में जब कीनिया के विदेश मंत्री भारत के विदेश सचिव से मिले थे, तो नियमित परामर्षक बैठक करने के सुझाव पर बातचीत हुई थी ।

(ग) इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार-विमर्श चल रहा है ।

मजूरी बोर्ड पंचाट को लागू न करने वाली खानों से कोयले की खरीद

1525. श्री जी०एस० मेलकोटे: क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेलवे तथा सरकारी उपक्रमों से उन खानों से कोयला न खरीदने के लिए कहा है जिन्होंने मजूरी बोर्ड पंचाट लागू नहीं किया है;

(ख) क्या इस निदेश को पूर्ण रूप से कार्यक्रम नहीं दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर०के० खाडिलकर): (क) जी हां ।

(ख) और (ग) विशिष्ट परिस्थितियों में कोयले की अत्यधिक कमी को पूरा करने के कुछ अपवादों को छोड़ कर, निदेश को कमोपेश क्रियान्वित किया गया है ।

भारत में तिब्बती शरणार्थी

1526. मौलाना इसहाक सम्भली: क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में रहने वाले तिब्बती शरणार्थियों की संख्या कितनी है और वे किन-किन स्थानों पर रह रहे हैं,

(ख) सरकार ने उनके लिए क्या व्यवस्था की है; और

(ग) सरकार उन पर प्रति वर्ष कितनी धन राशि खर्च कर रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) भारत में इस समय 58,000 तिब्बती शरणार्थी रह रहे हैं । वे मुख्यत: लोहित तथा कामेंग (अरुणाचल प्रदेश), कांगड़ा, चम्बा, कुल्लू, मण्डी और सिरमौर (हिमाचल प्रदेश), लद्दाख (जम्मू और काश्मीर), सरगूजा (मध्य प्रदेश), भंडारा (महाराष्ट्र), मैसूर तथा उत्तरी कनाडा (मैसूर), गंजम (उड़ीसा), देहरादून (उत्तर प्रदेश) और दार्जलिंग (पश्चिम बंगाल) के जिलों में रह रहे हैं ।

(ख) तिब्बती शरणार्थियों को कृषि में पुनर्वास देने के लिए अरुणाचल प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मैसूर और उड़ीसा में भूमि की व्यवस्था कर दी गई है । शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण सुविधाएं और तिब्बती हथकरघा केन्द्रों और लघु उद्योगों के विकास के लिए सहायता दे दी गई है । तिब्बती शरणार्थियों के लिए हिमाचल प्रदेश में अभी भी दो राहत शिविर चलाए जा रहे हैं । वृद्ध तथा अशक्त तिब्बती शरणार्थियों के लिए मैसूर राज्य में एक गृह भी स्थापित कर दिया गया है । बस्तियों में दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं के अतिरिक्त, क्षय रोगियों के उपचार की व्यवस्था भी कर दी गई है । कुछ तिब्बती शरणार्थी अपने आप बस गए हैं ।

(ग) भारत में तिब्बती शरणार्थियों के राहत और पुनर्वास पर पिछले तीन वर्षों में किए गए खर्च के आधार पर प्रति वर्ष खर्च की औसत लगभग 115 लाख रुपये है ।

रूस के ऋण से बोकारो इस्पात संयंत्र का विस्तार

1527. श्री डी० बी० चन्द्रगौडा : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारों के द्वितीय चरण के लिए रूस ने 850 लाख रुपये का ऋण और दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस सहायता से संयंत्र की क्षमता में किस सीमा तक वृद्धि होने की आशा है; और

(ग) बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए भारत ने रूस से कुल कितनी सहायता प्राप्त की है।

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) इस ऋण (क्रेडिट) का उपयोग कारखाने की क्षमता का 40 लाख टन पिण्ड तक विस्तार करने के लिए किया जाएगा ।

(ग) सोवियत सरकार ने कारखाने के प्रथम चरण के निर्माण के लिए पहले 20 करोड़ रूबल का एक ऋण (क्रेडिट) दिया था ।

पाकिस्तान में भारतीय युद्धबंदियों की सूची में विमानों से कूदे चालकों के नाम शामिल न करना

1528. श्री डी०वी० चन्द्रगौडा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ ऐसे विमान चालक, जो विमानों से पाकिस्तानी सीमा क्षेत्र में कूद गए थे, गिरफ्तार कर लिए गए थे और उनके चित्रों को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था, और उन्हें टेलीविजन पर दिखाया गया था, परन्तु भारतीय युद्धबंदियों की सूची में उनके नाम सम्मिलित नहीं किए गए थे; और

(ख) यदि हां, तो भारत ने इस संबंध में कड़ा विरोध पत्र भेजा है और यदि हां, तो पाकिस्तान सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) सरकार ने लापता वायुसेना पायलटों का पता लगाने का प्रश्न रैडक्रास की अन्तर्राष्ट्रीय समिति के पास उठाया है । रैडक्रास की अन्तर्राष्ट्रीय समिति अभी तक पाकिस्तान से कोई सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं कर सकी है । तथापि, लापता पायलटों के फोटोग्राफ अथवा टी० वी० पर दिखाई देने का कोई मामला अभी तक ध्यान में नहीं आया है ।

Release of Journalists of West Bengal by Pakistan

1529. Shri Hari Singh : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the two Journalists of West Bengal have since been released by Pakistan; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) No, Sir.

(b) The Pakistan Government have failed to respond to repeated approaches made to them by the Government of India regarding the two journalists. Speaking at the United Nations on Oct. 31, 1972, the Pakistan delegate stated that the two journalists had been apprehended as they had illegally entered "East Pakistan". He added that after the conflict the Pakistan Government had no knowledge about them.

The Government had informed the Lok Sabha on 3.8.1972 (Starred Question No. 68) that it had noted a press report (Times of India, New Delhi, June 11) stating that Deepak Banerji and Surajit Ghoshal had been shot dead by the Pakistanis soon after their being kidnapped. Enquiries to establish the veracity of this report have been initiated but no confirmation has been received so far.

पाकिस्तान के बड़े नगरों में पाकिस्तानी सेना का जमाव तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरंग बिछाने के कार्य

1531. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष के अक्तूबर महीने में पाकिस्तान के बड़े नगरों, करांची और लाहौर में पाकिस्तान की सेना का पुन: जमाव देखा गया तथा पाकिस्तान की सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरंग बिछाने का कार्य भी देखा गया; और

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान की सीमाओं पर सैनिक जमाव तथा सैनिक गतिविधियों के बारे में सरकार का क्या अनुमान है ?

रक्षामंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं श्रीमन् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों से उत्पादन लक्ष्यों की प्राप्ति

1532. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्याउन्होंने हाल ही में जैसा कि कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले 25 सितम्बर, 1972 के स्टेटसमैन में प्रकाशित हुआ है, बंगलौर में कहा था कि सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से कम होगा, यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों में से किस वर्ष इस्पात उत्पादन लक्ष्य प्राप्त हुआ है; और

(ग) अप्रैल से अक्तूबर 1972 तक प्रत्येक संयंत्र का उत्पादन लक्ष्य क्या था और उन से कितने कितने इस्पात पिंड तथा तैयार (फिनिश्ड) इस्पात का वास्तविक उत्पादन हुआ ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां । अप्रैल-अक्तूबर 1972 के महीनों में भिलाई दुर्गापुर और राउरकेला के सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों का कुल उत्पादन इस अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्य का इस्पात पिण्ड के रूप में 86.7 प्रतिशत और विक्रेय इस्पात के रूप में 86.1 प्रतिशत था । दुर्गापुर के मिश्र इस्पात कारखाने का इसी अवधि का इस्पात पिण्ड तथा तैयार इस्पात का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य का क्रमश: 74.5 प्रतिशत और 72.1 प्रतिशत था ।

इस वर्ष की पहली तिमाही की अपेक्षा दूसरी तिमाही में उत्पादन अच्छा हुआ । चालू तिमाही और अगली तिमाही में उत्पादन में और वृद्धि होने की संभावना है । फिर भी वर्तमान संकेतों से पता चलता है कि उत्पादन में पहले हुई कमी को पूरा करना संभव नहीं होगा ।

गर्मियों में सख्त गर्मी पड़ने के कारण अप्रैल-जून 1972 के महीनों में हिन्दुस्तान स्टील लि० के सभी कारखानों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा ।

भिलाई में इन महीनों में उत्पादन कर्मशालाओं में मुख्य श्रेणियों के कर्मचारी बड़ी संख्या में अनुपस्थित रहे । कोक ओवन बैटरियों के असंतोषजनक ढंग से कार्य करने के कारण हुई कोक ओवन गैस की कमी से भी उत्पादन पर प्रभाव पड़ता रहा । यद्यपि इस में क्रमिक सुधार हुआ है और भिलाई में विशेषकर सुधार हुआ है ।

राउरकेला इस्पात कारखाने में उत्पादन में बाधा, पावर की सप्लाई न होने और उस पर लगाए गए प्रतिबन्धों के कारण थी ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में मुख्य रुकावट मालिक मजदूर सम्बन्धों का प्रतिकूल होना था । इसके अलावा दामोदर घाटी निगम बिजली की सप्लाई पर लगाए गए प्रतिबन्धों, गैस की कमी और उपस्करों में खराबियां उत्पादन में कमी के और मुख्य कारण थे ।

केवल बिजली की कमी से प्रथम छमाही में हिन्दुस्तान स्टील लि० के कारखानों में विक्रय इस्पात के उत्पादन में लगभग 60,000 टन की हानि हुई है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कई कारणों से उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ग) नीचे दी गई सारणी में हिन्दुस्तान स्टील लि० के अधीन इस्पात कारखानों के लिए अप्रैल से अक्तूबर 1972 के महीनों के लिए निर्धारित किए गए उत्पादन लक्ष्य तथा उनका इस्पात पिण्ड और विक्रेय/तैयार इस्पात का उत्पादन दिखाया गया है ।

(हजार टन)

मास	इस्पात पिण्ड		विक्रेय/तैयार इस्पात	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
भिलाई इस्पात कारखाना				
अप्रैल, 1972	180	168.3	147	125.2
मई, 1972	190	153.0	142	135.0
जून, 1972	185	145.0	135	130.9
जुलाई, 1972	190	180.0	144	138.3
अगस्त, 1972	191	175.0	152	150.0
सितम्बर, 1972	185	166.1	126	151.1
अक्तूबर, 1972	193	180.0	161	152.6
जोड़	1314	1167.5	1007	983.1
दुर्गापुर इस्पात कारखाना				
अप्रैल, 1972	70	63.6	46.9	34.1
मई, 1972	70	54.8	46.9	42.9
जून, 1972	70	49.5	46.9	25.4
जुलाई 1972	80	66.3	57.0	34.4
अगस्त, 1972	80	50.1	57.0	21.6
सितम्बर, 1972	80	63.7	57.0	34.7
अक्तूबर, 1972	90	64.0	70.0	47.1
जोड़	540	412.0	381.8	240.3
राउरकेला इस्पात कारखाना				
अप्रैल, 1972	90.0	74.0	61.2	42.4
मई, 1972	97.5	80.3	57.9	44.7
जून, 1972	98.5	85.5	67.0	46.3
जुलाई, 1972	101.0	95.1	76.9	62.5
अगस्त, 1972	101.0	105.5	77.3	68.4
सितम्बर, 1972	98.0	106.1	74.5	68.2
अक्तूबर, 1972	112.0	94.0	79.4	66.5
जोड़	698.0	640.5	494.2	399.1

मिश्र इस्पात कारखाना (टन)

मास	इस्पात पिण्ड		विक्रेय/तैयार इस्पात	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
अप्रैल, 1972	6500	6166	4070	3363
मई, 1972	6390	4590	3907	2326
जून, 1972	6390	3164	3911	1322
जुलाई, 1972	6853	5882	4152	4002
अगस्त, 1972	6853	6200	4154	4021
सितम्बर, 1972	6854	5937	4153	3295
अक्तूबर, 1972	6426	2551	4217	2277
जोड़	46,266	34,490	28,563	20,606

विशाखापत्तनम में इन्टीग्रेटेड इस्पात संयंत्र की स्थापना में विलम्ब

1533. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम के एक इन्टीग्रेटेड इस्पात संयंत्र की स्थापना करने के मामले में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इसी प्रकार की नियोजित अन्य परियोजनाओं की तुलना में इस परियोजना के पीछे रहने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) विशाखापत्तनम में 20 लाख टन पिण्ड के बराबर वार्षिक क्षमता का एक इस्पात कारखाना लगाने के लिए सलाहकारों ने तकनीकी आर्थिक शक्यता प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है । प्रायोजना की अनुमानित लागत लगभग 750 करोड़ है और सलाहकारों ने पूंजी पर संयंत्र तथा उपकरणों, कच्चे माल परिवहन खर्च आदि की अधिक लागत के कारण प्रतिवर्ष भारी हानि की आशंका की है । विजयनगर इस्पात कारखाने के सलाहकारों ने भी ऐसी ही रिपोर्ट दी है । इसलिए इन प्रायोजनाओं की पूंजीगत तथा परिचालन लागत को कम करने की गुंजाइश पर विचार करने के लिए एक अध्ययन दल गठन करने का निश्चय किया गया था । अध्ययन दल ने अक्तूबर 1972 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी । जिसमें यह सिफारिश की गई है कि विशाखापत्तनम तथा विजयनगर में अधिक बड़ी धमन भट्टियां लगाई जानी चाहिएं जिससे स्केल इकानामी प्राप्त हो सके । तदानुसार सलाहकारों को नए सिरे से जांच करने के लिए कहा गया है और शीघ्र ही इन दो सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों की क्षमता तथा प्राडक्टमिक्स के बारे में अन्तिम निर्णय लिए जाने की संभावना है इस बीच प्रायोजना क्षेत्र का सीमांकन कर लिया गया है । और भूमि अर्जन का कार्य किया जा रहा है । भारतीय सर्वेक्षण दल ने विशाखापत्तनम के समीप बालचेरुवु में प्रायोजना क्षेत्र का स्थलाकृति सर्वेक्षण का कार्य भी पूरा कर लिया है । हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० (भारत सरकार का उपक्रम) ने स्थल का प्रारम्भिक कार्य हाथ में ले लिया है । इसमें मिट्टी के नमूनों की जांच, प्लेट वियरिंग परीक्षण आदि शामिल हैं । रेलवे ने एक्सचेंज यार्ड तथा साइडिंग आदि के लिए सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया है । राज्य सरकार ने इस्पात कारखाने तथा बस्ती की पानी की आवश्यकता पूरी करने के लिए एक योजना तैयार की है । प्रारम्भिक कार्यों में काफी प्रगति हुई है ।

जैसे ही विशाखापतनम तथा विजयनगर इस्पात प्रायोजनाओं की क्षमता तथा प्राडक्ट मिक्स के बारे में निर्णय ले लिया जाएगा, लागत के अनुमानों को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा और विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए परामर्शदातृ कार्य सौंपने के द्वितीय चरण का कार्य हाथ में ले लिया जाएगा । विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदनों की तैयारी के दौरान प्रायोजना स्थलों पर कुछ आवश्यक कार्य करने का प्रस्ताव है ।

अधिक प्रगति न कर सकने का मुख्य कारण यह है कि सलाहकारों ने यह कहा है कि प्रत्येक प्रायोजना की 20 लाख टन के समतुल्य क्षमता के आधार पर इन दोनों प्रायोजनाओं पर लगने वाली पूंजी पर भारी हानि होगी। पूर्व परिकल्पना से अधिक बड़ी धमन भट्टियों की स्थापना तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था से सलाहकारों द्वारा तैयार किये जा रहे विकल्पों के आधार पर शीघ्र ही अन्तिम निर्णय लिए जाने का प्रस्ताव है।

आंध्र प्रदेश में स्पंज लोह अयस्क संयंत्र की स्थापना

1534. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी: क्या **इस्पात और खान** मंत्री 17 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2536 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने खम्मम में प्रति वर्ष 30,000 टन स्पंज लोह बनाने के लिये एक संयंत्र लगाने सम्बन्धी आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा अपेक्षित वित्तीय तथा अन्य सहायता दी जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां): (क) संयंत्र तथा मशीनरी के अधिकाधिक उपभोग के आधार पर 30,000 टन वार्षिक क्षमता का स्पंज आयरन का एक नया औद्योगिक उपक्रम लगाने के लिए 6 अक्तूबर, 1972 को आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम को एक आशय-पत्र जारी किया गया है।

(ख) इस प्रायोजना को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से कार्यरूप देने के प्रस्ताव पर कार्यवाही की जा रही है।

भारतीय सशस्त्र सेना के कमान ढांचे में परिवर्तन

1535. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में हुए युद्ध से प्राप्त अनुभव के आधार पर भारतीय सशस्त्र सेना के कमान ढांचे में कोई परिवर्तन किये जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) जहां तक सेना का सम्बन्ध है भूतपूर्व पश्चिमी कमान को सुव्यवस्थित तथा सुदृढ़ करने तथा इन क्षेत्रों में संरचनाओं पर नियन्त्रण करने के लिए दो भागों अर्थात् पश्चिमी कमान तथा उत्तरी कमान, में बांटा गया है। गत युद्ध में प्राप्त अनुभव के आधार पर पश्चिम एयर कमान में भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं।

कानपुर में विशिष्ट मिश्र इस्पात संयंत्र के बारे में प्रगति

1536. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर में विशिष्ट मिश्र इस्पात संयंत्र की स्थापना की दिशा में आगे क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या विदेशों से आयात की जाने वाली मशीनें संयंत्र में पहुंच गई हैं; और

(ग) क्या 1974 में उत्पादन आरम्भ हो जाएगा और यदि नहीं, तो कब आरम्भ होगा ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) महाप्रबन्धक, मुख्य अभियन्ता और संयुक्त वित्तीय सलाहकार तथा अन्य अधिकारियों, और सहायक कर्मचारियों वाले एक संगठन ने पहले ही संयंत्र स्थल पर कार्य करना आरम्भ कर दिया है। संयंत्र और मशीन मंगाने तथा सिविल निर्माण कार्य के लिए, महाप्रबन्धक को विशेष शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है ताकि परियोजना को दक्षता और शीघ्रता से क्रियान्वित करने के लिए स्थल पर ही निर्णय लिए जा सकें।

(ख) जी नहीं, श्रीमन्। सिविल निर्माण-कार्य का आयातित मशीनों को मंगाने के साथ सामंजस्य स्थापित किया गया है।

(ग) परियोजना को क्रियान्वित होने में मंजूरी की तारीख अर्थात् 5 नवम्बर 1971 से, 5 से 6 वर्ष लगेंगे। 1977 में थोड़ा-थोड़ा उत्पादन होने लगने की सम्भावना है।

सरगुजा में कोयला खानों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

1537. श्री रणबहादुर सिंह : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले में कोयला खानों के 10 हजार कर्मचारी 34 दिन से हड़ताल पर हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, कर्मचारियों की मांगें क्या हैं और उनके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर): (क) उत्तर, दक्षिण और पश्चिम झगराखंड कोयला खानों के लगभग 4000 श्रमिक 21 अगस्त, 1972 से 21 अक्तूबर, 1972 तक हड़ताल पर थे।

(ख) अन्य बातों के साथ-साथ श्रमिक 2.13 रुपये प्रतिदिन की दर से परिवर्ती महंगाई भत्ते का भुगतान, परिवर्ती महंगाई भत्ते की बकाया राशि का भुगतान पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ मांग रहे थे। इससे पहले सरकार ने कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित करने से सम्बन्धित एक विवाद को न्यायनिर्णय के लिए निर्देशित किया था। केन्द्रीय श्रम मंत्री द्वारा और बाद में मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा पक्षकारों के साथ विचार-विमर्श के पश्चात् 21-10-72 को पक्षकारों ने द्वियपक्षीय समझौता कर लिया।

मध्य प्रदेश में मिलों पर कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

1538. श्री रणबहादुर सिंह : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की किन-किन मिलों ने वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 के दौरान मजदूरों के वेतन से काटी हुई भविष्य निधि की राशि जमा नहीं की है और किन-किन मिलों ने उक्त अवधि के दौरान की भविष्य निधि का नियोक्ताओं का अंश जमा नहीं किया है; और

(ख) सरकार की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर): (क) भविष्य निधि के प्राधिकारियों ने यह रिपोर्ट दी है कि मध्य प्रदेश क्षेत्र की सभी दोषी मिलों के नामों के बारें में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। तथापि, मैसर्ज सज्जन मिल्ज लिमिटेड जो कि एक छूट-न-प्राप्त स्थापना है और जिसने वर्ष 1971-72 के दौरान एक लाख रुपये से अधिक के नियोजक के भाग का भुगतान करने में चूक की, को छोड़कर, आठ छूट-न-प्राप्त स्थापनाओं के नाम नीचे दिये गए हैं, जिन्होंने वर्ष 1970-71 और 1971-72 के दौरान भविष्य निधि अंशदान में कर्मचारियों और नियोजकों के भाग का एक लाख और इससे अधिक रुपये का भुगतान करने में चूक की :—

(1) दि इन्दौर मालवा युनाइटिड मिल्ज लि०, इन्दौर।

(2) दि कल्याणमल मिल्ज लि०, इन्दौर।

(3) दि स्वदेशी काटन एन्ड फ्लोर मिल्ज, लि०, इन्दौर।

(4) दि हीरा मिल्ज लि०, उज्जैन।

(5) दि बंगाल नागपुर काटन मिल्ज लि०, राजनन्दनगांव।

(6) दि न्यू भूपाल टैक्सटाइल्ज लि०, भूपाल।

(7) दि हिम्मत स्टील फाउन्डरी लि०, रायपुर।

(8) दि बिनोद स्टील कं० लि०, इन्दौर।

(ख) छूट-न-प्राप्त उन स्थापनाओं, जो देय राशि का भुगतान करने में और/अथवा विवरणियां भेजने में चूक करती हैं, के विरुद्ध प्राय: निम्नलिखित कदम उठाये जाते हैं :—

(1) कर्मचारी भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अधीन अभियोजन आरम्भ किया जाता है ।

(2) कर्मचारी भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 8 के अधीन राजस्व वसूली के लिए कार्यवाही आरम्भ की जाती है ।

(3) उपयुक्त मामलों में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अधीन पुलिस न्यालयों के पास शिकायतें दायर की जाती हैं ।

(4) चूक के मामले को नियोजकों और कर्मकारों के संगठनों, जिनमें श्रमिक संघ भी सम्मिलित हैं, के नोटिस में लाया जाता है ।

(5) कर्मचारी भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952, की धारा 14-ख के अधीन दण्ड स्वरूप हरजाने लगाये जाते हैं ।

(6) कुछ मामलों में स्थापनों को उचित किस्तों में देय राशि का भुगतान करने का एक अवसर दिया जाता है बशर्ते कि उनके द्वारा पर्याप्त गारन्टी, जमानत, आदि प्रस्तुत की जायें ।

पाकिस्तानी युद्धबन्दियों को छोड़ने के लिए ईरान और तुर्की का अनुरोध

1539. श्री गिरिधर गोमांगो:
श्री प्रभुदास पटेल:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान और तुर्की ने भारत से पाकिस्तानी युद्धबन्दियों को छोड़ने का अनुरोध किय है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने उनके प्रस्ताव का विरोध किया है; और

(ग) क्या पाकिस्तान विभिन्न देशों के माध्यम से पाकिस्तानी युद्धबन्दियों को छुड़ाने के लिए भारत पर जोर डालने का प्रयत्न कर रहा है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने अपनी बात को पुन: दोहराया है कि भारत पाकिस्तानी युद्धबन्दियों को आवश्यकता से एक दिन भी अधिक रखना नहीं चाहता, इनमें से अधिकांश युद्धबन्दियों ने पूर्वी क्षेत्र में भारत एवं बंगला देश की संयुक्त कमान के सामने समर्पण किया था इस लिए इन पाकिस्तानी युद्धबन्दियों को छोड़ने पर होने वाली बातचीत में बंगलादेश का शामिल होना एवं भाग लेना आवश्यक है और पाकिस्तान द्वारा बंगलादेश को निरंतर मान्यता नहीं देना ही इस विषय में सम्बद्ध तीनों देशों की बातचीत में विलम्ब होने के लिए उत्तरदायी है ।

(ग) सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान ने युद्धबन्दियों की रिहाई के लिए भारत से निवेदन करने के लिए कुछ अन्य देशों से भी कहा है ।

Results of Nationalisation of Coal Mines

1540. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the results achieved so far as a result of the nationalisation of coal mines recently;

(b) whether the nationalisation of these coal mines has resulted in more efficiency and increase in production and profit ; and

(c) if so, the main features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) to (c) : The coking coal mines and the coke oven plants were nationalised with the object of reorganising and reconstructing the mines for the purpose of conserving the scarce resources and for promoting scientific mining with a view to meet the growing requirements of the iron and steel industry. Bharat Coking Coal Limited are preparing a feasibility report for planning and reorganisation of the mines. The help of Polish experts is being taken in this matter.

The production from these mines has not gone up yet due to inadequate demand, transport difficulties and the unscientific manner in which the mines had been exploited by the previous owners.

The cost of production has increased on account of :

1. Full payment of Variable Dearness Allowance.
2. Conversion of contractor's workmen into departmental workmen with wages paid under the Wage Board Recommendation.
3. Re-categorisation of workmen according to Wage Board Recommendations.
4. Increase in the payment of Provident Fund contribution and Bonus due to increase in the number of persons entitled.
5. Admissibility of leave wages and travel facility to larger numbers.
6. Increase in Variable Dearness Allowance from 1-4-72.

Bharat Coking Coal is likely to suffer some initial losses as a result of the escalation in the cost of production and other liabilities enumerated above. The precise picture however, in regard to the profit/loss will be available only after the accounts of the company have been finalised and audited.

The position is expected to improve with better off take and greater availability of transport.

Scheme by N. C. D. C. for Starting New Coal Mines at Giridih in Bihar

1542. Shri Ram Avtar Shastri : Will be Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether National Coal Development Corporation has entered into any long term agreement with Bihar State Electricity Board, if so, the main features thereof;

(b) whether the National Coal Development Corporation has submitted a scheme for starting new Coal mines in Giridih to the Government; and

(c) if so, the main features thereof and the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan):

(a) No such agreement has been entered into so far. However, National Coal Development Corporation are in a fairly advanced stage of negotiations in respect of long term arrangements of supply of Giridih coal for the Barauni Power Station of the Bihar State Electricity Board and a decision is likely to be reached soon.

(b) The Corporation have submitted a Project Report for exploitation of inferior seams of the Giridih Coalfield.

(c) The Project Report envisages an investment of Rs. 170 lakhs for a production programme of 30,000 tonnes per month. It is proposed to employ about 1800 persons in the mines. The cost of production is expected at Rs. 36.45 for tonne and accordingly the sale price will be around Rs. 29.03 per tonne. Although this is a little higher than for the similar class of coal from

other fields with the coming up of this project, retrenchment of about 2,000 workmen already employed in Giridih Collieries, where mining operations may have to be terminated after extracting limited reserves of superior class of coal within next two years, will be avoided.

The Revised Project Report is under examination of the Government.

Dilapidating conditions of Roads of Danapur Cantonment

1543. Shri Ramavtar Shastri : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether roads in wards No. 5 and 6 in Danapur Cantonment Board are in a dilapidated condition;

(b) if so, the reasons for not repairing them by the Cantonment Board; and

(c) whether the Cantonment Board has asked for any grant from the Government for repairing the roads, and if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) No, Sir; but about 3,400 running feet, out of a total length of over 22,000 running feet, needs normal repairs.

(b) and (c) : The Danapur Cantonment Board is a deficit Cantonment Board which is normally given grant-in-aid by the Central Government to balance its budget. A sum of Rs 40,000 has in addition been sanctioned to the Danapur Cantonment Board during the current financial year for effecting repairs to roads and paving of lanes.

पांचवीं योजना के दौरान स्थापित किये जाने वाले नये इस्पात संयंत्रों सम्बन्धी निर्णय को बदलना

1545. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजनावधि में हिन्दुस्तान इस्पात लिमिटेड के संयंत्रों में विस्तार और तीन नए संयंत्रों की स्थापना के अतिरिक्त कोई अन्य नई इस्पात परियोजना स्थापित न करने के सरकारी निर्णय को बदल दिया गया है ;

(ख) क्या श्री चव्हाण की हाल की जापान यात्रा के दौरान 100 लाख क्षमता के इस्पात संयंत्र की स्थापना करने सम्बन्धी जापानी प्रस्ताव पर विचार किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां): (क) पांचवीं योजना में इस्पात विकास कार्यक्रम के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

(ख) जापान की ओर से ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई है और न ही वित्त मंत्री के जापान के हाल के दौरे में इस पर विचार-विमर्श किया गया था ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी क्षेत्र की भारी इन्जीनियरिंग परियोजनाओं के लिए होल्डिंग कम्पनी के गठन का प्रस्ताव

1546. श्री सी० के० चन्द्रप्पन: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की भारी इंजीनियरिंग परियोजनाओं के लिए नई होल्डिंग कम्पनी के गठन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पंजीकृत बेरोजगारों की प्रतिशतता में वृद्धि

1547. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में बेरोजगारों की संख्या में 3.5 प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) बेरोजगारी का और कारगर ढंग से सामना करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां। अप्रैल-सितम्बर, 1972 की अवधि के दौरान रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में औसतन् मासिक वृद्धि 3.5 प्रतिशत थी।

(ख) निम्नलिखित मुख्य-मुख्य कारण प्रतीत होते हैं :—

(1) रोजगार अवसरों में वृद्धि एवं श्रमिक शक्ति में वृद्धि का समानुपातिक न होना;

(2) शैक्षिक संस्थानों से बढ़ती हुई निकासी; और

(3) रोजगार सेवा के लाभदायी योगदान संबंधी लोग-जागरूकता में वृद्धि ।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित विभिन्न विकास कार्य-क्रमों की कार्यान्विति के फलस्वरूप अधिक संख्या में सृजित रोजगार अवसरों के अतिरिक्त वर्ष 1971-72 के दौरान शिक्षित व्यक्तियों के लाभ के लिए आरम्भ किए गए कार्यक्रमों सहित वर्ष 1970-71 से चलाई गई विशेष रोजगारोन्मुख परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों से अधिकाधिक संख्या में रोजगार अवसरों के सृजित होने की आशा है।

1972-73 के केन्द्रीय बजट में प्रारम्भिक शिक्षा, गंदी बस्तियों का सुधार, देहाती आवासस्थल, ग्राम जल पूर्ति जैसी विशिष्ट कल्याण परियोजनाओं के लिए कुल मिलाकर 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस राशि में विशेष रोजगार कार्यक्रमों के लिए 60 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं जो 1971-72 में शुरू किए गए विभिन्न रोजगार कार्यक्रमों को जारी रखने तथा देहाती एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में नए कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए होंगे।

मजगांव डाक लिमिटेड, बम्बई द्वारा निर्मित जहाज

1548. श्री व्यालार रवि : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में मजगांव डाक लिमिटेड ने कितने जहाजों का निर्माण किया तथा कितने मामलों में कुल लागत अनुमानित लागत से अधिक थी; और

(ख) प्रत्येक मामले में कितनी हानि हुई तथा इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 1969-72 के दौरान मजगांव डाक लिमिटेड बम्बई ने 9 जलयान बनाए थे जिनका विवरण इस प्रकार है—एक सवारी तथा माल वाहक जहाज (एम० वी० ओंगे), एक माइनस्वीपर, दो 'अवकट' टैंकर, बम्बई पोर्ट ट्रस्ट के लिए एक ड्रेजर, तीन 500 टन वजनी बार्जे महाराष्ट्र सरकार के लिए एक ड्रेजर। केवल दो जलयानों के मामले में कम्पनी द्वारा लगाई गई वास्तविक लागत संविदा लागत की अपेक्षा अधिक थी।

(ख) कम्पनी शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया के लिए निर्मित एम० वी० ओंगे पर 22.08 लाख रुपए और भारतीय नौसेना के लिए निर्मित 2 अवकट टैंकर पर 15.42 लाख रुपए की हानि हुई। इस हानि के निम्नलिखित कारण हैं :—

(1) एम० वी० ओंगे :-

इस जलयान के लिए निवेदित भाव इस कम्पनी द्वारा पूर्व निर्मित एक और जलयान एरवा के निर्माण-लागत पर आधारित थे। एरवा की तुलना में इस जलयान के डिजाइन में कुछ फेर बदल कर दिया गया था जिससे इस पर अतिरिक्त कार्य करना पड़ा और उससे और खर्च बढ़ा। इस कम्पनी ने एरवा में प्रयुक्त होने वाले आयातित सामान के स्थान पर कतिपय पुर्जों को देशी साधनों से उपलब्ध करने की योजना बनाई

थी लेकिन चूंकि देशी साधनों से अपेक्षित कोटि और विशिष्टताओं वाले पुर्जों की सप्लाई नहीं हो सकी अतः उन्हें कम्पनी में ही बनाना पड़ा। चूंकि पुर्जों की मांग कम थी अतः उनके उत्पादन पर खर्च अधिक आया। निर्माण के दौरान मजदूरी और सामग्री की लागत में भी वृद्धि हुई। विदेशी पूर्तिकर्त्ताओं से उपस्करों और तकनीकी सूचनाएं विलम्ब से प्राप्त होने के कारण निर्माण खर्चे में वृद्धि हुई। कम्पनी के अनुसार इस जलयान के लिए निवेदित भाव प्रस्तुत करते समय भी यह आशा थी कि यार्ड इस जलयान के सारे उपरी खर्चे वसूल नहीं कर पाएगा। फिर भी कम्पनी यार्ड की उस क्षमता के उपयोग से, जोकि अन्यथा बेकार पड़ी रहती, अन्य अप्रत्यक्ष की वसूली के अलावा 15 लाख रुपए के उपरी खर्चे का लगभग 43 प्रतिशत वसूल कर पाई।

(2) अवकर टैंकर

इस जलयानों में जो हानि हुई उसका मुख्यतः कारण यह था कि इन जलयानों के निर्माण में वास्तविक रूप से जितने मनुष्य-घंटे लगे, वे कम्पनी द्वारा लगाए गए पूर्व अनुमान से कहीं अधिक बने। इसका आंशिक रूप से यह कारण था कि कार्गो पाइपिंग कार्यों और अन्य उपस्करों में कुछ परिवर्तन करना पड़ा और परीक्षण के समय गियर बाक्स खराब हो गया था। इस आर्डर के स्वीकार किए जाने के समय मजगांव डाक लिमिटेड एक मात्र जहाजों की मरम्मत करने का यार्ड था और जहाज निर्माण के कार्य क्षेत्र में नया था।

कारखाना अधिनियमों और श्रमिक नियमों के उल्लंघन के बारे में दर्ज मुकदमें

1549. श्री व्यालार रवि : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में कारखाना अधिनियमों और श्रमिक नियमों के उल्लंघन के सम्बन्ध में नियोजकों के विरुद्ध कुल कितने मामले दर्ज किए गए, और

(ख) उनकी राज्यवार संख्या क्या है और वे किस प्रकार के हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर०के० खाडिलकर) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

विशाखापत्तनम, सेलम तथा हास्पेट में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में संभाव्यता प्रतिवेदन

1550. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम, सेलम तथा हास्पेट में स्थापित किए जाने वाले तीन प्रस्तावित इस्पात संयंत्रों में से प्रत्येक के सम्बन्ध में परामर्शदाताओं द्वारा संभाव्यता प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) सेलम इस्पात कारखाने के बारे में सलाहकारों ने अपने तकनीकी आर्थिक शक्यता प्रतिवेदन में बताया है कि प्रायोजना की अनुमानित लागत लगभग 340 करोड़ रुपये होगी तथा 90 प्रतिशत क्षमता के उपभोग करने लगने पर प्रतिवर्ष 30 लाख रुपये का मामूली लाभ होगा। सरकार ने पूंजी निवेश के बारे में निर्णय ले लिया है और 25 अक्तूबर

1972 को सेलम स्टील लिमिटेड के नाम से एक नई कम्पनी निगमित की है। कारखाने का रूपांकन निम्नलिखित वस्तुएं तैयार करने के लिए किया जा रहा है :—

	चादरें और स्ट्रिप	टन/वर्ष
बेदाग इस्पात	ठंडे बेलित	65,000
	गर्म बेलित	5,000
सिलिकन इस्पात	ठंडे बेलित	75,000
कार्बन इस्पात	गर्म बेलित	30,000
साधारण इस्पात	गर्म बेलित	20,000
	जोड़	195,000 टन

जहां तक विशाखापत्तनम तथा विजयनगर इस्पात प्रायोजनाओं का संबंध है सलाहकारों ने अनुमान लगाया है कि प्रतिवर्ष 20 लाख टन पिण्ड समतुल्य क्षमता के लिए प्रत्येक कारखाने पर 750 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय होगा तथा उन्होंने संयंत्र और उपस्करों, कच्चे माल, परिवहन आदि की लागत बढ़ जाने के कारण पूंजी निवेश पर प्रतिवर्ष काफी हानि होने की आशंका व्यक्त की है। शक्यता प्रतिवेदन इस आधार पर तैयार किए गए थे कि इन दोनों प्रायोजनाओं का रूपांकन आकारयुक्त उत्पादों के उत्पादन के लिए किया जाएगा।

जहां कहीं संभव है इन लागतों को घटाने के उद्देष्य से इन शक्यता प्रतिवेदनों की पूरी तरह जांच पड़ताल की जा रही है। इस प्रायोजन के लिए मई, 1972 में एक अध्ययन दल गठित कया गया था जिसकी रिपोर्ट अक्तूबर, 1972 में प्राप्त हुई थी। अध्ययन दल ने सिफारिश की है कि बड़ी धमन भट्टियां लगाकर इन दोनों कारखानों की क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए जिससे स्केल इकानमी प्राप्त की जा सके। अतः सलाहकारों को पूंजीगत तथा परिचालन लागत को कम करने के लिए फिर से रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। इन दो कारखानों में से प्रत्येक की क्षमता और प्राडक्ट मिक्स के बारे में शीघ्र ही अन्तिम निर्णय लिए जाने की आशा है।

युद्धबन्दी शिविर, मध्यप्रदेश की घटना के बारे में जांच

1551. श्री जगन्नाथ मिश्र :
श्री हुकम चन्द कच्छवाय :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के युद्धबन्दी शिविर में 3 अक्तूबर, 1972 को हुई घटना के सम्बन्ध में कोई न्यायाधिक जांच की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) सरकार जांच अदालत की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा बेंचे गये हीरों का कम मूल्य

1552. श्री नरेन्द्र सिंह : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा बेचे गए बिना तराशे तथा बिना तैयार किए गए हीरों का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में ऐसे ही हीरों के मूल्य की तुलना में बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विशेषकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मूल्य स्तर में सामान्य वृद्धि हो रही है, सरकार का मूल्य गिरावट की इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) पन्ना खानों से अपरिष्कृत हीरों की विक्रय कीमत अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों से औसतन कम नहीं है ।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठता है ।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की हीरा खनन परियोजना को हानि

1553. श्री नरेन्द्र सिंह : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की हीरा खनन परियोजना को प्रतिवर्ष हानि होती रही है ;

(ख) क्या 1971-72 के दौरान कुल व्यापार की राशि के 40 प्रतिशत तक हानि हुई; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और क्या सरकार को कोई जांच करने का विचार है, यदि हां, तो कब तक ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां । उत्पादन की उच्चतर लागत और निम्न विक्रय आपन के कारण हानि हुई थी । अपर्याप्त उपलभ्य राशियों, प्रति सैकड़ा घनमीटर कैरेटों के आपन की निम्नतर प्रतिशतता, परामर्शदाताओं द्वारा अतिभार संचलन, उपकरण का अवशाक्कलन और उपयोगीकरण संयंत्र के निम्नकार्य निष्पादन के कारण उत्पादन की उच्चतर लागत रही है ।

(ग) प्रायोजना की अर्थव्यवस्था को सुधारने की दृष्टि से, मझगांव हीरक खानों के विस्तारण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

बोनस अध्यादेश को संकटग्रस्त एककों पर लागू करना

1554. श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल ही में घोषित किया गया बोनस अध्यादेश संकटग्रस्त एककों पर भी लागू कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) 23 सितम्बर, 1972 को जारी किया गया अध्यादेश 1971-72 के लिए देय न्यूनतम बोनस की राशि में वृद्धि करता है और कुछ मामलों में, बोनस के एक अंश को कर्मकारों के भविष्य निधि लेखे में जमा किए जाने की व्यवस्था भी करता है । अध्यादेश, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के विद्यमान परिधि में कोई परिवर्तन नहीं करता ।

मिश्रित इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर में सीमलेस ट्यूबों के उत्पादन के लिए तकनीकी जानकारी

1555. श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिश्रित इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर में "सीमलैस ट्यूबों" का उत्पादन सम्बंधी तकनीकी जानकारी देश में उपलब्ध नहीं है और इसे आयात किया जाना है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) कारखाने में बिना जोड़ की ट्यूब बनाने के लिए प्रस्तावित विशिष्ठ प्रक्रिया की जानकारी देश में उपलब्ध नहीं है ।

इस्पात के लिए प्रस्तावित होल्डिंग कम्पनी से बोकारो इस्पात संयंत्र को अलग रखना

1556. श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो स्टील लिमिटेड को प्रस्तावित स्टील होल्डिंग कम्पनी में सम्मिलित नहीं किया जायेगा, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) बोकारो स्टील लिमिटेड प्रस्तावित स्टील होल्डिंग कम्पनी के अधीन होगी ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बोकारो इस्पात संयंत्र की प्रथम धमन भट्टी के चालू करने में विलम्ब

1557. श्री फतह सिंह राव गायकवाड : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र की प्रथम धमन भट्टी के चालू करने में काफी विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कितना विलम्ब हुआ है; और

(ग) उक्त विलम्ब के कारण कितनी हानि और लागत में कितनी वृद्धि हुई ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां): (क) और (ख) बोकारो इस्पात कारखाने की वर्तमान निर्माण अनुसूचि तीन वर्ष से भी पहले बनाई गई थी । तब से परियोजना को अनेक कठिनाइयां पेश आई हैं यथा देशीय निर्माताओं द्वारा उपकरणों की अपपूर्ति में देरी, उष्मसह की आपूर्ति में गम्भीर देरी, ठेकेदारों के मजदूरों में बार बार झगड़े और इनके परिणामस्वरूप निर्माण कार्य में देरी । अनेक कठिनाइयों के बावजूद पिछल दो वर्षों में पहले हुई देरी को काफी हद तक पूरा कर लिया गया है और प्रथम धमन भट्टी को वास्तव में 3-10-72 अर्थात् कार्यक्रम से लगभग तीन माह बाद चालू किया गया ।

(ग) यह बताना कठिन है कि इन तीन महीनों की देरी के कारण कितनी मात्रा में हानि हुई है। फिर भी इसके कारण पूंजीगत लागत में अधिक वृद्धि नहीं हुई है ।

भिलाई इस्पात संयंत्र की भूमि का फार्म परियोजना के लिए उपयोग करने के लिए स्टेट फार्मस कारपोरेशन द्वारा अनुरोध

1558. श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट फार्मस कारपोरेशन ने भिलाई इस्पात प्राधिकारियों से अनुरोध किया है कि कारपोरेशन की फार्म परियोजना के लिए इस्पात संयंत्र की 5 किलो मीटर भूमि किराये पर दे दी जाए;

(ख) क्या इस्पात संयंत्र के पास बहुत सी फालतू भूमि है जिसका संयंत्र के अधिकारियों द्वारा खेती के लिए उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) यदि स्टेट फार्मस कारपोरेशन के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है; और यदि नहीं, तो किन कारणों से उसे अस्वीकार कर दिया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) स्टेट फार्मज कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ने सरकार से पूछा था कि क्या भिलाई में एक स्टेट फार्म की स्थापना के लिए भूमि देना सम्भव हो सकेगा उन्होंने बताया था कि उनके वर्तमान फार्मों का साइज 10,000 से 30,000 एकड़ के बीच है ।

(ख) कारखाने के पास विभिन्न स्थानों पर टुकड़ों में कुल 3,337 एकड़ अप्रयुक्त भूमि है । 1,599 एकड़ भूमि कारखाने के कर्मचारियों द्वारा बनाए गए सहकारी फार्म को आबंटित की गई थी । इस क्षेत्र में से 962 एकड़ में पैदावार की जा रही है ।

(ग) जी, नहीं । अप्रयुक्त भूमि कारपोरेशन की आवश्यकताओं से बहुत कम है । इसके अलावा और खाली प्लाटों की इस्पात कारखाने के भावी विस्तार और बस्ती के लिए आवश्यकता है ।

केरल के जवानों की विधवाओं को दी जाने वाली सुविधायें

1559. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के युद्ध के दौरान देश की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले केरल के जवानों की विधवाओं को अभी तक वे सुविधायें नहीं मिली हैं जिनका आश्वासन सरकार ने दिया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उपरोक्त राज्य में उन विधवाओं की संख्या क्या है जिन्हें अभी तक ये सुविधायें नहीं दी गई ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) जे० सी० ओ० और अन्य जवानों के मामलों में सैनिकों द्वारा अन्त में लिए गए वेतन के बराबर पेन्शन और अफसरों के मामलों में मृत्यु के समय धारित रैंक के वेतन का तीन चौथाई पैंशन दिया जाने की व्यवस्था उनके लिए बनाई गई सुविधाओं में शामिल है । इनमें बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा और युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के दो आश्रितों तक रोजगार दिए जाने में सहायता देने की सुविधा भी शामिल है । इन में से प्रत्येक सुविधा के बारे में स्थिति नीचे दी गई है :—

पेंशन :-

पैंशन पाने के सभी पात्रता मामलों में जांच पड़ताल के पूरे होने तक पेंशन के बराबर धन राशि मंजूर कर दी गई है ।

शिक्षा :-

सभी पात्र बच्चों के लिए पात्रता पत्र जारी किए गए हैं जिससे कि निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी रियायत का लाभ उठा सकें ।

रोजगार :-

विधवा सहित दो आश्रित रोजगार कार्यालयों के माध्यम के बिना केन्द्रीय सरकारी नौकरियों में लगाए जाने में सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं । राज्य सरकारों के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए युद्ध में वीरगति प्राप्त प्रत्येक सैनिक का एक आश्रित व्यक्ति प्राथमिकता पाने का हकदार है । राज्य की 54 युद्ध-विधवाओं में से अब तक 12 के मामलों में या तो विधवा को या फिर उसके किसी निकट सम्बन्धी को रोजगार देना सम्भव हो सका है । शेष मामलों पर रोजगार देने वाली एजेंसियां विचार कर रही हैं ।

आवास तथा भूमि :-

केरल सरकार प्रत्येक युद्ध-विधवा को जिसका कि अपना कोई मकान नहीं है, मुफ्त मकान अथवा मकान के लिए जगह देने का निश्चय किया है । उन्हें 5000 रुपये की राशि दी जा सकी है जो कि अपना मकान स्वयं बनाना चाहती है, अबतक 8 विधवाओं को मकान दिए जा चुके हैं और 11 विधवाओं में से प्रत्येक को अपना मकान स्वयं बनाने के लिए 5000 रुपए की राशि दी जा चुकी है । दो विधवाओं को भमि आवंटित की गई है । शेष मामलों पर राज्य सरकार विचार कर रही है ।

अनुग्रहपूर्वक अनुदान :-

केरल सरकार ने अनुग्रहपूर्वक अनुदान के रूप में प्रत्येक विधवा को 5000 रुपए दिए हैं ।

राज्यों को लोहे और इस्पात की सप्लाई

1560. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन: : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों की लोहे और इस्पात की चालू वर्ष की आवश्यकता को किस सीमा तक पूरा किया जा रहा है ;

(ख) क्या केरल राज्य को की जाने वाली सप्लाई में अनुपात-बहुत ज्यादा कमी की गई है; और

(ग) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) : वर्तमान वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता है । मुख्य इस्पात उत्पादकों से इस्पात के प्रेषण इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा विनियमित किए जाते हैं जो इस्पात के अन्ततः उपयोग, उपलब्धि और स्पर्धा मांगों को ध्यान में रखती है । अतः किसी राज्य की सप्लाई में कमी करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

अब तक इस्पात की कई श्रेणियों की उपलब्धि मांग से कम थी । इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए किए गए उपायों में प्रौद्योगिक सुधारों बेहतर मालिक-मजदूर सम्बन्धों, रख-रखाव में सुधार आदि द्वारा देशीय उत्पादन को बढ़ाना, आयात को, विशेषतया उन श्रेणियों के इस्पात के आयात की जिनकी सप्लाई कम है के सम्बन्ध में काफी उदार नीति अपनाना, निर्यात का विनियमन, वितरण प्रणाली को दोष रहित बनाना, इस्पात के आबंटन के दुरुपयोग को रोकना, पुनर्वेलन, योग्य सामग्री को जो न्यायालय के व्यादेश के कारण रुकी पड़ी थी, बड़ी मात्रा में देना और विद्युत भट्टियों की स्थापना में प्रोत्साहन देना शामिल हैं ।

केरल में राष्ट्रीय संसाधनों के लिए सर्वेक्षण

1561. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के खनिज क्षेत्र में राष्ट्रीय संसाधनों के सर्वेक्षण शीघ्र पूरा करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मोटी रूपरेखा क्या है; और

(ग) वर्ष 1972-73 के दौरान धातु-विज्ञान, पेट्रोलियम तथा अन्य समवर्गी क्षेत्रों में कितनी परियोजनायें स्थापित की जा रही हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख): भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण केरल के विभिन्न भागों में खनिज निक्षेपों का पता लगाने और उन्हें प्रमाणित करने के लिए राज्य में व्यवस्थित भूवैज्ञानिक मानचित्रण और खनिज समन्वेषण कर रहा है । केरल का भूवैज्ञानिक मानचित्र प्रकाशित किया गया है । हाल ही के वर्षों में राज्य का 50 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में भूवैज्ञानिक मानचित्रण किया गया है और पंचम योजना के अंतिम चरण तक शेष क्षेत्र को भी मानचित्रित किए जाने की संभावना है । अभी तक किए गए अन्वेषणों के परिणामस्वरूप कोजिकोड़े जिले में लौह अयस्क की 440 लाख टन, नीलेश्वर क्षेत्र के खण्ड एक में बाक्साइट के 31.80 लाख टन, कन्नानौर जिले के कम्बला क्षेत्र में बाक्साइट के 18.00 लाख टन, पालघाट जिले में चूनाश्म के 12.50 लाख टन और तिरुवर्नंतपुरम, क्वीलोन और एर्नाकुलम जिलों में ग्रफाइट की लघु उपलभ्य राशियां प्राक्कलित की गई हैं । कोजिकोड़े जिले में लौह अयस्क के लिए और नीलेश्वर में बाक्साइट के लिए चतुर्थ योजना के अंतिम चरण तक अन्वेषणों के सम्पूरित होने की संभावना है । भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वर्तमान क्षेत्र सत्र (1972-73) कार्यक्रम में केरल के विभिन्न भागों में लौह अयस्क और बाक्साइट के लिए अन्वेषणों को सम्मिलित कर मिट्टी, अभ्रक, क्राइसोबेरील, सिलिकरित और स्टीएटाइट का व्यवस्थित मानचित्रण निर्धारण समाविष्ट है । पश्चातवर्ती कार्य उपलब्ध परिणामों पर निर्भर रहेगा ।

(ग) कोचीन परिष्करणशाला की क्षमता का 250 से 330 लाख टन तक विस्तारण चालू है । प्रतिवर्ष 1,52,000 टन नाइट्रोजन की क्षमता वाली कोचीन परिष्करणशाला उर्वरक प्रायोजना की प्रावस्था एक सम्पूरित हो गई है । शलवाई

जस्ता प्रद्रावक की क्षमता को 20,000 टन से 40,000 टन प्रतिवर्ष तक विस्तारित करने के लिए आशय पत्र जारी किया गया है। ट्रावनकोर टिटेनियम प्रोडेक्टस लिमिटेड की क्षमता का प्रतिदिन 18 से 68 टन तक विस्तारण और टिटेनियम संकुल की स्थापना के लिए प्रस्ताव भी अनुध्यात किया गया है। अतिरिक्त जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

Proposal to set up a Steel Plant at Bailadilla in Madhya Pradesh

1562. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Narendra Singh :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether material in abundance is available in Bailadilla area of Madhya Pradesh for setting up a big steel plant; and

(b) whether Government would consider the question of formulating any scheme to set up a plant in this area ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) There are extensive iron ore reserves at Bailadilla.

(b) While drawing up the long-term steel development programme, apart from examining the scope for expansion of the capacity of existing integrated steel plants/those new steel plants on which work is in progress, the question of suitable locations for additional steel making capacity would also be examined, on techno-economic considerations. While doing this exercise, suitable locations would also be kept in view, so that Techno-economic Feasibility Reports could be prepared for detailed examination of costs and return on investments involved.

पाकिस्तान में भारतीय युद्धबन्दियों के साथ किया गया व्यवहार

1564. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को इस प्रकार की शिकायत मिली है कि पाकिस्तान स्थित भारतीय युद्धबन्दियों के साथ किया जाने वाला व्यवहार बड़ा ही आपत्तिजनक है और जनेवा अभिसमय के विपरीत है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : ऐसे कुछ उदाहरण हमारे ध्यान में आए और उन्हें जांच-पड़ताल के लिए रेड क्रास की अन्तर्राष्ट्रीय समिति के पास भेज दिया गया। उनके उत्तर की अभी प्रतीक्षा है।

परियोजनाओं के लिये भारतीय परामर्शदात्री सेवा

1565. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज और सहायक मशीनरी निगम का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करते समय भारतीय विशेषज्ञों की राय की उपेक्षा की गई थी; और

(ख) क्या भविष्य में परियोजनाओं के लिए भारतीय परामर्शदात्री सेवा विकसित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार की यह नीति रही है और अब भी है कि भारतीय परामर्श सेवा को यथासम्भव अधिकाधिक विकसित किया जाए।

दुर्गापुर में इस्पात संयंत्र के रिफैक्टरी विभाग के कर्मचारियों की छंटनी

1567. श्री रोबिन सेन : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के रिफैक्टरी विभाग के 40 कर्मचारियों की प्रबन्धकों द्वारा हाल में छंटनी कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इन कर्मचारियों को बहाल करने के लिए कार्यवाही करने पर सरकार विचार करेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां): **(क) से (ग)**: दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के रिफैक्टरी विभाग में कर्मचारियों की संख्या के बारे में मजदूर संघों से किए गए त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार अगस्त 1972 में ठेकेदारों के 30 कर्मचारियों के स्थान पर नियमित कर्मचारी रख लिए गए थे। इन कर्मचारियों को बहाल करने का प्रश्न नहीं उठता ।

राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक सम्बन्धों के सुधार के लिए विदेशों से समझौता

1568. श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्धों के सुधार के लिए भारत सरकार तथा विदेशों के बीच गत छः महीनों में कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(ख) प्रत्येक समझौते के अन्तर्गत सम्बन्धित देशों को क्या-क्या लाभ होने की सम्भावना है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) उपलब्ध सूचना के आधार पर 10 मई से 10 नवम्बर, 1972 के बीच भारत सरकार ने विभिन्न विदेशी सरकारों के साथ 33 समझौते किए हैं ।

(ख) ये समझौते विभिन्न विषयों पर हैं; जैसे राजनैतिक सम्बन्धों में सुधार, सांस्कृतिक विनिमय, आर्थिक सम्बन्ध, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग आदि । हर मामले में भारत तथा सम्बद्ध देश, दोनों को समझौते के क्रियान्वयन से लाभ होगा ।

लौह अयस्क के उत्पादन को बढ़ाने संबंधी योजना

1569. श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में लौह अयस्क के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हाल ही में कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस योजना के फलस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने और कितना निर्यात होने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख): जी, हां । सरकार ने अन्य के साथ किरिबुर लौह अयस्क खान के विस्तारण, मध्य प्रदेश के बैलेडिला में, मैसूर के दोनिमलाई में और उड़ीसा के मालंगतोली में नई खानों के सन्निर्माण के लिए परियोजनाएं तैयार की है ।

(ग) खनिज और धातु व्यापार निगम ने + 65% लौहांश युक्त 612.60 लाख (ड्राई लाग) टन बलेडिला अयस्क के अप्रैल, 1971–अप्रैल 1980 के दौरान में विजाग इनर बन्दरगाह से 9.73 यू० एस० डालर प्रतिटन की दर से और विजाग आउटर बन्दरगाह से 10.30 य०एस० डालर प्रतिटन की दर से निर्यात के लिए दीर्घावधिक संविदा की है ।

रूरकेला इस्पात संयंत्र के उत्पादन में वृद्धि

1570. श्री अर्जुन सेठी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में रूरकेला इस्पात संयंत्र के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस समय प्रतिदिन निर्धारित उत्पादन कितना है; और

(ग) क्या उस हानि के पूरा होने की कोई सम्भावना है जो इस कारखाने को पहले हो चुकी है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) जी, हां ।

(ख) नवम्बर, 1972 के पहले 12 दिनों में इस्पात पिण्ड का दैनिक औस्त उत्पादन 3,427 टन था ।

(ग) कारखाने को आशा है कि उसे इस वर्ष लाभ होगा और पहले हुई हानि कुछ वर्षों में पूरी कर ली जाएगी ।

बालासौर स्थित प्रूफ एण्ड एक्सपैरीमैंट विभाग के कर्मचारियों को ऋण दिया जाना

1571. श्री अर्जुन सेठी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बालासौर स्थित प्रूफ एण्ड एक्सपैरीमैंट विभाग के कर्मचारियों को बाढ़ ऋण से भिन्न तूफान-ऋण भी दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो कितने कर्मचारियों को तूफान-ऋण प्राप्त हुआ और कितने कर्मचारियों को बाढ़-ऋण; और

(ग) क्या उक्त प्राधिकरण के पास तूफान-ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े हैं; और यदि हां, तो ऐसे आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है तथा उक्त ऋण कब दिया जाएगा ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) प्रूफ एण्ड एक्सपैरीमेन्टल एस्टेबलिशमैन्ट बालासौर के कर्मचारियों को बाढ़ ऋण से भिन्न कोई तूफान-ऋण नहीं दिया गया ।

(ख)	तूफान ऋण	शून्य
	बाढ़ ऋण	279

(ग) जी हां, तूफान-ऋण के लिए लगभग 250 प्रार्थना-पत्र अनिर्णीत पड़े हुए हैं । यह ऋण चालू वित्तीय वर्ष में नहीं दिया जा सका ।

सान फ्रांसिस्को तथा गुयाना में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों का खोला जाना

1572. श्री के० मालन्ना : क्या **विदेश** मंत्री 18 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6663 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सान फ्रांसिस्को (अमरीका) तथा जार्ज टाउन (गुयाना) में इस बीच कुछ सांस्कृतिक केन्द्र खोल दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन केन्द्रों में कितने व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं उनके पदनाम क्या हैं; तथा प्रत्येक पद के वेतन-मान क्या हैं; और

(ग) नियुक्त किए गए व्यक्तियों के नाम, अर्हताएं क्या हैं तथा भारत में वे किस पद पर थे और उनके वेतन-मान क्या थे ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सान फ्रांसिस्को में सांस्कृतिक केन्द्र खोल दिया गया है; गुयाना में ऐसा एक केन्द्र खोला जाने को है ।

(ख) निम्नलिखित व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है और वे अपने पदों पर चले गए हैं :—

श्रीमती मोहिनी सिंह, निदेशक, सांस्कृतिक केन्द्र, सान फ्रांसिस्को—वेतनमान रु० 1100-50-1600 प्रतिमास ।

श्री वी० देशपांडे, शिक्षक (स्वर संगीत), सांस्कृतिक केन्द्र, गुयाना—वेतनमान रु० 400-40-800-50 950 प्रति मास ।

श्री विकास ज्योति भट्टाचार्य – शिक्षक (वाद्य संगीत), सांस्कृतिक केन्द्र, गुयाना—वेतनमान रु० 400-40-800-50-950 प्रति मास ।

श्री हशमत अली खां, शिक्षक (तबला), सांस्कृतिक केन्द्र, गुयाना—वेतनमान रु० 400-40-800-50-950 प्रति मास ।

निम्नलिखित व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है, किन्तु इन्होंने अभी अपने पद का कार्यभार ग्रहण नहीं किया है :

श्री कैलाश वाजपेयी, निदेशक, भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, गुयाना वेतनमान 1100-50-1600 प्रति मास ।

(ग) (i) श्रीमती मोहिनी सिंह, निदेशक, भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, सान फ्रांसिस्को;

शैक्षणिक योग्यताएं : बी० ए० (बी०टी०); गायन एवं वाद्य संगीत; शास्त्रीय एवं लोक नृत्य, चित्र कला और योग में भी प्रशिक्षित ।

अन्तिम वेतन	940 रु०
महंगाई वेतन	120 रु०
नगर प्रतिपूर्ति भत्ता	75 रु०
अन्तरिम राहत	60 रु०
सवारी भत्ता	150 रु० तथा एक्सटर्नल एफेयर्स होस्टल के प्रबन्धक के रूप में निःशुल्क आवास।

(ii) श्री वी० देशपाण्डे, संगीत शिक्षक (गायन), भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, गुयाना;

शैक्षणिक योग्यताएं : एम० काम; एम० म्यु (संगीत प्रवीण) । दून स्कूल, देहरादून में वाणिज्य एवं संगीत के व्याखाता के पद पर लिया गया अन्तिम वेतन—1010 रु० प्रति मास ।

(iii) श्री विकास ज्योति भट्टाचार्य, शिक्षक (वाद्य संगीत);

शैक्षणिक योग्यताएं : बी० ए० । रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालय में विशिष्टता सहित सितार में सीनियर डिप्लोमा ।

संगीत प्रभाकर, प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद । "चिल्ड्रन आर प्रैशस स्कूल" नई दिल्ली में संगीत शिक्षक के पद पर लिया गया अन्तिम वेतन—475 रु० प्रति मास ।

(iv) श्री हशमत अली खां, शिक्षक (तबला), सांस्कृतिक केन्द्र गुयाना;

शैक्षणिक योग्यताएं : सरकारी छात्रवृत्ति पर तीन वर्ष तक तबला की शिक्षा । इन्होंने आठ वर्ष तक भारतीय कला केन्द्र में तबला शिक्षक के रूप में कार्य किया है ।

अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालय, नई दिल्ली में शिक्षक के रूप में लिया गया अन्तिम वेतन—500 रु० प्रति मास ।

(v) श्री कलाश वाजपेयी, निदेशक (नामोद्दिष्ट), भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र गुयाना;

शैक्षणिक योग्यताएं : एम० ए० पी०एच० डी० (हिन्दी), लखनऊ विश्वविद्यालय ।

हस्तिनापुर कालेज, मोतीबाग, दिल्ली विश्वविद्यालय में वरिष्ठ व्याखाता के पद पर लिया गया अन्तिम वेतन — 850 रु० प्रति मास ।

छोटी प्रतिष्ठानों में भविष्य निधि योजनाओं को लागू करना

1573. श्री के० मालन्ना : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने देश की छोटी संस्थापनाओं में भविष्य निधि योजना लागू करने के प्रश्न पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952, इस समय 20 या उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। राष्ट्रीय श्रम आयोग ने सिफारिश की है कि अधिनियम को 10 और 20 के बीच व्यक्तियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों पर भी लागू किया जाए। यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

एक निकल संयंत्र की स्थापना

1574. श्री के० मालन्ना : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में एक निकल संयंत्र स्थापित करने के बारे में कोई निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कौन सा स्थान चुना गया है; और इसके लिए कितनी निधि निर्धारित की गई है; और

(ग) इसमें कब तक उत्पादन आरम्भ हो जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) केन्द्रीय सरकार और उड़ीसा सरकार, उड़ीसा के कटक जिले में सुकिन्दा निकल निक्षेप के विकास के लिए निकल संयंत्र स्थापित करने के लिए सहमत हो गए हैं।

(ख) निकल प्रद्रावक संयंत्र की वास्तविक अवस्थिति के बारे में अभी अंतिम विनिश्चय नहीं लिया गया है। जैसा कि मैसर्स रासायनिक और धातुकर्मीय डिजायन निगम द्वारा किए गए साध्यता अध्ययन में परिकल्पित है, सुकिन्दा निकल-अयस्क के बारे में प्रायोगिक संयंत्र अध्ययन करने के लिए सरकार द्वारा 18.52 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। प्रायोगिक संयंत्र अध्ययनों के सम्पूरित होने और विस्तृत लागत प्राक्कलनों के तैयार हो जाने के पश्चात् अंतिम विनिधान विनिश्चय लिया जाएगा।

(ग) इस अवस्था में यह उपदर्शित करना सम्भव नहीं है कि कब तक निकल धातु का उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा।

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था, कलकत्ता का विभाजन

1575. श्री समर गह : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था, कलकत्ता के हाल के दौरे के समय मंत्री महोदय को वहां के कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन मिला था जिसमें इस केन्द्रीय वैज्ञानिक आंकड़े एकत्र करने संबंधी संस्था को विभाजित करने का विरोध किया गया था; और यदि हां, तो ज्ञापन में इस बारे में क्या कारण बताए गए थे;

(ख) क्या अमरीका में एक विचार गोष्ठी में ऐसा ही एक मामला हाल में उठाया गया था कि भू-विज्ञान सर्वेक्षण संगठन को विभिन्न मंत्रालयों के अधीन विभिन्न निकायों के रूप में रखा जाए अथवा उसे केन्द्रीय आंकड़े एकत्र करने वाले स्वतंत्र निकाय के रूप में रखा जाए, और विचार गोष्ठी में इस बात को स्वीकार किया गया कि इस को केन्द्रीय संस्था के रूप में एक स्वत संगठन ही बनाए रखना चाहिए; और

(ग) क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था के तकनीकी विशेषज्ञों तथा भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था से आंकड़े प्राप्त करने वाले विभिन्न मंत्रालयों के ऐसे ही विशेषज्ञों की एक विचार गोष्ठी इस मामले को अंतिम रूप से निबटाने के लिए की जायेगी

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां): (क) जी, नहीं। तथापि, इस्पात और खान मंत्री जी 5 अक्तूबर, 1972 को अपने हाल ही के कलकत्ते के दौरे के दौरान भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के कर्मचारियों के कुछ प्रतिनिधियों से अनौपचारिक रूप से मिले और उनसे खनिज समन्वेषण निगम की स्थापना और भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के कुछ स्टाफ का निगम में अन्तरण के बारे में बात चीत की थी।

(ख) सरकार, अमरीका में हुए किसी राष्ट्रीय विचारगोष्ठी और उसमें अमरीकी भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के एकीकृत केन्द्रीय प्रकार के सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्तर पर किए गए किसी संकल्प से अनभिज्ञ है।

(ग) ऐसी कोई विचार गोष्ठी आयोजित करने का विचार नहीं है। सरकार द्वारा भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के पुनर्गठन का विनिश्चय लिए जाने से पूर्व वैज्ञानिक अनुसंधान पुनर्गठन समिति और तदोपरान्त विज्ञान और प्रौद्योगिक समिति, जो देश भर के वैज्ञानिक निकायों में उच्चतम है, द्वारा समस्त सम्बन्धित मामलों पर विचार विमर्श किया गया था। आशा की जाती है कि पुनर्गठित भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण अपने क्रिया कलापों को दक्षता पूर्वक करने के लिए अधिक अच्छी स्थिति में होगा।

विभिन्न शिविरों से युद्ध बन्दियों द्वारा भाग निकलने के प्रयास

1576. श्री समर गुह: क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी युद्धबंदियों ने विभिन्न शिविरों से भाग निकलने के प्रयत्न किए जिसके फलस्वरूप ऐसे युद्धबंदियों पर गोली भी चलानी पड़ी ;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तानी युद्धबंदियों पर चलायी गई गोलियों का विवरण क्या है और उनमें से कितने मारे गये और जख्मी हुए;

(ग) क्या पाकिस्तानी युद्धबंदियों पर गोली चलाने के कारणों की जांच करने तथा मारे गये लोगों संबंधी तथ्यों का पता लगाने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास प्राधिकरण से अनुरोध किया गया है; यदि हां, तो रेडक्रास के निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) क्या इन निष्कर्षों के बारे में राष्ट्र संघ के महासचिव को सूचना दे दी गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) भारत में विभिन्न शिविरों से भागने के लिए युद्धबंदियों द्वारा अभी तक छः प्रयत्न किए गए हैं जिसके परिणाम स्वरूप गोली चलाई गई जिनका ब्यौरा निम्नांकित है :

तारीख	स्थान	मारे गए उनकी संख्या	जख्मी हुए उनकी संख्या
10 मई 1972	रामगढ़	1	शून्य
23 जून 1972	बरेली	शून्य	1
25 सितम्बर 1972	ग्वालियर	शून्य	1
4/5 अक्तूबर 1972	रांची	2	शून्य
7 अक्तूबर 1972	ग्वालियर	शून्य	1
28 अक्तूबर 1972	आगरा	1	1
	जोड़	4	4

इन सभी मामलों में युद्धबंदियों ने पृथक पृथक अथवा सामूहिक रूप से भागने का प्रयत्न किया था।

(ग) जब कभी ऐसी घटना होती है तो रेडक्रास की अन्तर्राष्ट्रीय समिति को सूचित किया जाता है। वे स्थिति को जानने और उत्तेजना को दूर करने के लिए न कि इसके कारणों की जांच पड़ताल करने के लिए शिविरों का दौरा करते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय रेडक्रास द्वारा राहत सामग्री के असन्तोषप्रद वितरण के बारे में शिकायतें

1577. श्री रणबहादुर सिंह :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राहत सामग्री के असंतोषप्रद वितरण के लिए भारतीय रेड क्रास के बारे में कोई शिकायत हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसका स्वरूप क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर): (क) और (ख) भारतीय रेडक्रास सोसायटी एक स्वायत्त संगठन है और उसने सूचित किया है कि उसे जनता से राहत सामग्री के असंतोषप्रद वितरण संबंधी आरोपों के बारे में ऐसी कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

विदेश स्थित मिशनों में आर्थिक क्षेत्र में प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी

1578. श्री वयालार रवि : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश स्थित हमारे अनेक मिशन आर्थिक क्षेत्र में प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी के कारण अपने आर्थिक कार्य पूरा करने में असमर्थ हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन मिशनों में और प्रशिक्षित कर्मचारियों को लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) जी, नहीं । विदेश स्थित मिशनों में ऐसे अधिकारियों की संख्या पर्याप्त है जिन्हें आर्थिक कार्य संबंधी प्रशिक्षण दिया गया है ।

(ख) भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को आर्थिक क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए इनमें से बहुतों को उनके भारत-प्रवास में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में, जैसे कि वित्त मंत्रालय, विदेश व्यापार मंत्रालय तथा भारतीय विदेश व्यापार संस्थान आदि में, प्रतिनियक्त किया जाता है । विदेश मंत्रालय का आर्थिक प्रभाव भी इन अधिकारियों को आर्थिक कार्य का अनुभव कराता है ।

केरल के काटन हिल बंगले को खाली करना

1579. श्री एन० श्रीकान्तन नायर :
श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से केरल स्थित काटन हिल से बंगले को जो इस समय एन० सी० सी० निदेशक के अधिकार में है; उसे वापस देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या बंगले को बिना और विलम्ब के केरल सरकार को वापस करने पर कोई आपत्ति है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) केरल सरकार को सूचित कर दिया गया है कि केन्द्र सरकार को काटन हिल बंगला छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है यदि राज्य सरकार उन्हीं शर्तों पर कोई अन्य उपयुक्त आवास उपलब्ध करदे जिन शर्तों पर उक्त बंगला इस समय केन्द्र सरकार के पास है ।

युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिये विशेष न्यायाधीकरण

1580. श्री एम० एम० जोजफ : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश सरकार ने उन पाकिस्तानी युद्धबंदियों पर जो इस समय भारत में नजरबन्द हैं, मुकदमा चलाने के लिये विशेष न्यायाधिकरण गठित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) और (ख) बंगला देश की सरकार ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वह युद्ध-अपराधियों पर मुकदमा चलाएगी। इसकी प्रक्रिया और अन्य विवरणों के बारे में अभी घोषणा नहीं की गई है।

1959 में तिब्बत में उपद्रव भड़काने का भारत पर आरोप

1581. श्री एम० एम० जोजफ : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में चीन ने भारत पर तिब्बत में 1959 में उपद्रव भड़काने का आरोप लगाया है जिससे कि बड़ी संख्या में तिब्बतियों ने भारत में शरण ली; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) चीनी आरोप एकदम बेबुनियाद है। तिब्बती शरणार्थियों को सिर्फ इन्सानियत के नाते ही भारत में शरण दी गई थी। 1959 में तिब्बत के भीतर जो कुछ हुआ उससे भारत का कोई सरोकार नहीं।

सैगोन सरकार से वाणिज्यदूतीय सम्बन्ध समाप्त करने का प्रस्ताव

1582. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सैगोन सरकार से वाणिज्यदूतीय सम्बन्ध समाप्त करने और दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार से वैसे ही सम्बन्ध स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक किए जाने की संभावना है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वाणिज्यक प्रयोजनों हेतु भंडारों से चूने के पत्थरों का निकाला जाना

1583. श्री बी० बी० नायक : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमेंट उद्योग को देने के लिये हमारे देश में अनुमानतः चूने के पत्थर के भंडार कितने हैं;

(ख) देश में ऐसे भण्डार किन किन स्थानों पर स्थित हैं जिनसे वाणिज्यिक स्तर पर चूने का पत्थर निकाला जा सकता है ; और

(ग) ऐसे भण्डार कहां-कहां पर हैं जिन में अभी तक वाणिज्यिक रूप से चूना नहीं निकाला गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां): (क) देश में सीमेन्ट श्रेणी चूनाश्म की 4,13,350 लाख टन की उपलभ्य राशियां निम्न प्रकार से प्राक्कलित की गई हैं :–

	(उपलभ्य राशियां लाख टनों में)
1. परिमापित	27,940
2. उपदर्शित	3,540
3. संकेतित	3,81,870
	4,13,350

(ख) आंध्र प्रदेश, मैसूर, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मेघालय, असम और हरयाणा के राज्यों से सीमेन्ट श्रेणी चूनाश्म के महत्वपूर्ण निक्षेपों की रिपोर्ट मिली है ।

(ग) उपर्युक्त राज्यों में से, असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में सीमेन्ट श्रेणी चूनाश्म के निक्षेपों का अभी वाणिज्यिक समुपयोजन नहीं हुआ है ।

मैसूर राज्य खनिज विकास बोर्ड द्वारा आरक्षित किये गये क्षेत्रों का खनन के लिये उपयोग

1584. श्री वी० वी० नायक : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य विकास बोर्ड ने उत्तरी कनारा जिले में अयस्क निकालने के लिए बड़ा क्षेत्र आरक्षित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो यह क्षेत्र कितने समय के लिए आरक्षित किया गया है तथा उसका क्षेत्रफल कितना है ;

(ग) इस खनन क्षेत्र का किस सीमा तक उपयोग किया जायेगा;

(घ) क्या अब इस क्षेत्र के उपयोग को संतोषजनक माना जा सकता है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस क्षेत्र की खनिज क्षमता का उचित उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) कनारा जिले के विभिन्न खण्डों में 4794.828 वर्ग कि०मी० (1852 वर्ग मील) क्षेत्र मैसूर सरकार ने लौह अयस्क के लिए आरक्षित किया है न कि खनिज विकास का मैसूर राज्य बोर्ड ने ।

(ख), (ग), (घ) और (ङ) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी ।

गत गणतंत्र दिवस परेड में राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों द्वारा भाग लिया जाना

1585. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे भारत के राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों और दिल्ली के स्कूलों के बच्चों ने गत गणतन्त्र दिवस परेड में भाग लिया था;

(ख) क्या अधिकांश कैडेटों ने परेड में भाग नहीं लिया था;

(ग) राष्ट्रीय कैडेट कोर के कितने कैडेट दिल्ली आए और उनमें से कितने कैडेटों ने वास्तव में परेड में भाग लिया; और

(घ) राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट और स्कूल के बच्चों पर प्रति व्यक्ति कितना व्यय किया गया तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट और स्कूल के बच्चों के बीच भेदभाव पूर्ण व्यवहार का क्या औचित्य है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) एन० सी० सी० कैम्प में सम्मिलित 1068 कैडेटों में से 970 कैडेट दिल्ली के थे और 98 कैडेट जो तीन बैण्डों के अंग थे, दिल्ली के बाहर से आए थे । दिल्ली के स्कूल के बच्चों ने भी परेड में भाग लिया था । यह इसलिए हुआ कि पाकिस्तान के साथ दिसम्बर 1971 के संघर्ष के बाद परिवहन संबंधी कठिनाइयों के कारण इस अवसर पर काफी बड़ी संख्या में कैडेटों को विभिन्न राज्यों से दिल्ली लाना संभव नहीं था जैसा कि सामान्यता पिछली परेडों के अवसर पर किया जाता था ।

(ख) अधिकतर कैडेटों ने परेड में भाग लिया ।

(ग) एन० सी० सी० कैम्प में सम्मिलित 1068 कैडेटों में से लगभग 690 कैडेटों ने जिनमें 3 बैंड शामिल थे, समापन परेड में भाग लिया और शेष कैडेट परेड के अवसर पर नार्थ और साउथ ब्लाकों के परकोटों पर पंक्तिबद्ध रूप से खड़े हुए ।

(घ) कैम्प में आखिर तक ठहरे हुए एन० सी० सी० कैडेटों के भोजन पर प्रति कैडेट पर प्रतिदिन लगभग 3 रुपय का खर्चा था। तथापि स्कूल के बच्चे किसी भी कैम्प में नहीं ठहरे, वे पूर्वाभ्यास और परेड में अपने घरों से आते थे और उसके बाद वापस अपने घर जाते थे। इन बच्चों के जलपान पर प्रतिदिन प्रति बच्चे पर औसतन लगभग 90 पैसे खर्च हुए।

दुर्गापुर में श्रम स्थिति में सुधार करने हेतु श्रमिकों के साथ परामर्श करने के लिये त्रिसूत्रीय प्रणाली

1586. श्री० एच० एन मुखर्जी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में श्रमिकों के साथ परामर्श करने के लिए बनायी गयी त्रिसूत्रीय प्रणाली द्वारा दुर्गापुर में श्रम स्थिति में कोई सुधार हुआ है;

(ख) क्या हाल के महीनों में दुर्गापुर में इस्पात कारखाने में उत्पादन में कोई वृद्धि हुई है, और

(ग) यदि हां, तो दुर्गापुर में श्रमिक अशांति का नवीनतम मूल्यांकन क्या है और उसमें सुधार की क्या संभावनायें हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) जी, हां। अगस्त, 1972 के मध्य से लेकर दुर्गापुर इस्पात कारखाने में समस्त औद्योगिक सम्पर्कों में कुछ आंशिक सुधार हुआ है।

(ख) सितम्बर तथा अक्तूबर, 1972 के महीनों में काम बन्दी की कोई बड़ी घटनाएं नहीं हुई और विभिन्न क्षेत्रों में केवल कुछ छोटी मोटी घटनाएं हुईं। अक्तूबर, 1972 में न केवल सितम्बर, 1972 की उत्पादन गति बनायी रखी गयी बल्कि महीने के उत्तरार्द्ध में उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है।

(ग) किसी ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचना अभी समय पूर्व होगा। फिर भी कारखाने के प्रबन्धक सामान्य अनुशासन और व्यवहार में सुधार लाने तथा कर्मशालाओं में श्रमिकों की कार्यकुशलता को बेहतर बनाने के लिए उपाय कर रहे हैं। प्रत्येक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इसे कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी उपाय ढूंढ़ने हेतु अपने विभाग के श्रमिकों के नेताओं तथा अन्य लाइन-मनेजरों से बातचीत कर रहे हैं।

Requisitioning of Services of Managing Directors of Tata Institute

1587. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the date on which the services of Shri Wadud Khan, Managing Director of Tata Institute were secured by Government and salary along with the other facilities made available to him; and

(b) whether Shri Wadud Khan would also continue as the Adviser to the Tata Steel Management ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Shri M.A. Wadud Khan formerly Managing Director, Tata Oil Mills, joined the Government of India on the afternoon of 14.8.1972 as Secretary to Government & Chairman-designate of the Holding Company for Steel on contract basis. His pay will be Rs. 4000 per month and he will be entitled to other allowances admissible to Government officers of similar status. He will also be entitled to Contributory Provident Fund benefits.

(b) No, Sir.

Newspaper Article "Why not a Bonus to the Nation"

1588. Shri M.C. Daga : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the article 'Why not a bonus to the nation' published on page 5 in the daily English newspaper "The Hindustan Times" dated the 4th September, 1972; if so, the reaction of Government thereto; and

(b) whether it is not binding on the Government to accept the recommendations of Bonus Review Committee ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) Yes.

(b) According to its terms of reference the Bonus Review Committee has to review the operation of the Payment of Bonus Act and to suggest suitable modifications to the scheme outlined therein and, in particular, to make recommendations on the issues mentioned in the Government Resolution setting up that Committee. It will, therefore, be for Government to take a decision on the modifications and recommendations received from the Committee.

इस्पात के आयात की नीति पर मतभेद

1589. श्री मधु दण्डवते : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक विकास मंत्रालय और इस्पात और खान मन्त्रालय के बीच मतभेद होने के कारण इस्पात के आयात के सम्बन्ध में सरकार का विचार अपनी आयात नीति में परिवर्तन करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त मतभेद की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) इस प्रकार का कोई मतभेद नहीं है।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठते ।

केरल में लोहे तथा इस्पात की अपर्याप्त सप्लाई

1590. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में लोहे तथा इस्पात की सप्लाई अपर्याप्त है; और

(ख) यदि हां, तो पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु सरकार का कौनसी योजनाएं बनाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) अभी हाल तक देश में इस्पात सामग्री की आम कमी थी और ऐसा हो सकता है कि देश के दूसरे भागों की तरह केवल राज्य के उपभोक्ताओं को अपर्याप्त सप्लाई की समस्या का सामना करना पड़ रहा हो । इस्पात सामग्री का राज्यवार आवण्टन नहीं है और अधिकांशत: इसका आबंटन इसके अन्ततः उपयोग विशेष श्रेणियों की तदनुरूपी उपलब्धि और स्पर्धी मांगों को ध्यान में रखकर किया जाता है ।

(ख) पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाये गए हैं । इनमें प्रौद्योगिक सुधारों, बेहतर मालिक-मजदूर सम्बन्धों, रख-रखाव में सुधार आदि द्वारा देशीय उत्पादन को बढ़ाना, आयात की विशेषत: उन श्रेणियों के इस्पात के आयात की, जिनकी सप्लाई कम है, के सम्बन्ध में काफी उदार नीति अपनाना, निर्यात का विनियमन, वितरण प्रणाली को दोष रहित बनाना, इस्पात के आबण्टन के दुरुपयोग को रोकना, पुनर्बेलन योग्य माल को, जो न्यायालय के व्यादेश के कारण रुका पड़ा था, बड़ी मात्रा में देना और विद्युत भट्टियों की स्थापना को प्रोत्साहन देना शामिल है । इन उपायों का प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है जिसका पता इस बात से लगता है कि पिछले दो महीनों में खुले बाजार में कई किस्म के इस्पात जैसे कड़ियां, चैनलों और कोणों आदि की कीमतें काफी गिर गई हैं ।

मजदूर संघ आन्दोलनों में हिंसा

1591. श्री राम नारायण शर्मा : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में मजदूर संघ आन्दोलनों में बढ़ती हुई हिंसा की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाने का प्रयत्न किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिये क्या बातें जिम्मेदार पाई गई और सरकार की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) उपलब्ध अनंतिम सूचनानुसार, 1969 और 1970 के प्रत्येक वर्ष के लिए 3.8 प्रतिशत के अनुरूपी आंकड़ों की तुलना में 1971 के दौरान अभिकथित अनुशासन-हीनता और हिंसा सम्बन्धी विवाद औद्योगिक विवादों की कुल संख्या का 3.6 प्रतिशत थे ।

(ख) और (ग) : इस बारे में इस प्रकार का कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, औद्योगिक सम्पर्क पद्धति में सुधार लाने हेतु सम्मत उपाय तैयार करने के प्रयास में सरकार सम्बन्धित पक्षों के साथ विचार-विमर्श करती आ रही है ।

बिहार में कोयला खानों में ठेका प्रणाली

1592. श्री राम नारायण शर्मा : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार की कोयला खानों में ठेका प्रणाली को बंद कर दिया गया है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि केडला और झारखण्ड (बिहार) की कोयला खानों के अन्वेषण तथा खनन के लिए प्रबन्ध ठेकेदारों को सौंप दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) ठेका प्रणाली बिहार की सभी कोयला खानों में समाप्त नहीं की गई है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) कोयला खनन उद्योग में ठेका श्रम के उन्मूलन से सम्बंधित सारा मामला केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड को परामर्श के लिए निर्देशित किया गया है ।

बिहार के केडला और झारखण्ड क्षेत्रों में प्रबन्ध ठेकेदारों द्वारा चलाई जाने वाली कोयला खानें

1593. श्री राम नारायण शर्मा : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के केडला और झारखंड क्षेत्रों में प्रबन्ध ठेकेदारों द्वारा चलाई जाने वाली कोयला खानों की संख्या क्या है; और उनमें काम कर रहे श्रमिकों की संख्या क्या है ;

(ख) उनमें से कितने स्थायी और कितने नैमित्तिक हैं; और

(ग) बहुत अधिक संख्या में नैमित्तिक श्रमिकों के विषम अनुपात पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग): 40 कोयला खानों के लगभग 6500 श्रमिकों में से लगभग 4,800 स्थायी हैं और केवल 400 के लगभग नैमित्तिक श्रमिक हैं । नैमित्तिक श्रमिकों को प्रायः मौसमी खदानों में और ट्रकों में लादने जैसे नैमित्तिक कार्यों पर नियोजित किया जाता है ।

बिहार के केडला और झारखण्ड क्षेत्र के कोयला खान श्रमिकों के लिए प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों का निरीक्षण

1594. श्री रामनारायण शर्मा : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा बिहार के केडला और झारखण्ड क्षेत्र में कोयला खान श्रमिकों के लिए बनाये गए औषधालयों अथवा प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों का निरीक्षण किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1971-72 के दौरान औषधालयों का कितनी बार निरीक्षण किया गय और

(ग) उनके प्रतिवेदनों की मुख्य बातें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) औषधालयों का निरीक्षण करना आवश्यक नहीं है । खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा प्रथम उपचार केन्द्रों और प्रथम उपचार कमरों का निरीक्षण किया जाता है ।

(ख) कोयला खानों में प्रथम उपचार केन्द्रों और प्रथम उपचार कमरों का निरीक्षण 1971 में एक बार किया गया था और 1972 में अब तक दो से चार बार तक ।

(ग) केंडला झारखण्ड ग्रुप की 37 चालू कोयला खानों में से 24 कोयला खानों ने प्रथम उपचार केन्द्रों की व्यवस्था की है । इस ग्रुप को 11 कोयला खानों में से, जिनके लिए प्रथम उपचार कमरों की व्यवस्था करना अपेक्षित है, 3 कोयला खानों ने उनकी व्यवस्था की है । प्रथम उपचार केन्द्रों में जो उपकरण रखने अपेक्षित हैं कुछ कोयला खानों में उनकी कमी थी । प्रबन्धकों को इन उल्लंघनों को सुधारने के लिए कहा गया है और मामले की सक्रिय रूप से पैरवी की जा रही है।

Government Land occupied unauthorisedly by Vivek Cinema, New Delhi

1595. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Vivek cinema at West Patel Nagar, New Delhi, has been constructed unauthorisedly on Government land;

(b) if so, the area thereof and the area of the unauthorised part indicating its value; and

(c) the action taken to realise the cost of land occupied in an unauthorised way from the Cinema owner ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R.K. Khadilkar) : (a) No, Sir.

(b) and (c) : Do not arise.

Custodian Land occupied unauthorisedly by M/S Ganesh Cotton and Oil Mills in different States

1596. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the acreage of custodian of land illegally occupied by Messrs Ganesh Cotton and Oil Mills in different States, State-wise;

(b) the amount realised from Messrs Ganesh Cotton and Oil Mills as the cost of Government land occupied by them as also the balance to be realised together with the rates charged therefor; and

(c) the action taken by Government to realise the outstanding amount early ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) to (c) : One factory formerly known as "Cotton Ginning and Pressing Factory" and now known as "Ganesh Cotton and Oil Mills", situated at Maur Mandi in Bhatinda District of Punjab is under the management of Custodian of Evacuee Property, by way of auctioning the annual lease. The factory is a composite property in which the Custodian (representing the evacuees) and the non-evacuees have interest to the extent of 9:7. No Government land has been unauthorisedly occupied by this factory. The question of effecting recovery of any amount on this account, therefore, does not arise.

Government Land occupied unauthorisedly by M/S Cycle Gear Factory, Kalkaji, New Delhi

1597. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the owners of Messrs Cycle Gear Factory, Kalkaji, New Delhi have occupied some Government land illegally; and

(b) if so, the area and value of the land and the action taken so far by Government in this regard ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) and (b) : The facts are being ascertained and the information will be laid on the Table of the Sabha as soon as received.

बन्द हुई फैक्टरियां

1598. श्री वरके जार्ज : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, 1972 तक विभिन्न राज्यों में कितनी फैक्टरियां बन्द हुईं और उनके बन्द होने के क्या कारण थे ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : संभवत: पूछी गई सूचना वर्ष 1972 के दौरान अक्तूबर, 1972 तक बन्द किए गए कारखानों के बारे में है । उपलब्ध अनन्तिम सूचना के अनुसार विभिन्न राज्यों में जनवरी से अगस्त, 1972 तक की कालावधि के दौरान बन्द होने वाले कारखानों की संख्या 1,061 थी । कारखाने बन्द होने के प्रमुख कारण कच्चे माल की कमी, आर्थिक तंगी, कारोबार में शिथिलता, स्टाक का इकट्ठा होना, श्रम संकट, आदि बताये जाते हैं ।

भारत के क्षेत्रीय जल सीमा के विस्तार के लिये प्रस्ताव

1599. श्री वरके आर्ज : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की वर्तमान क्षेत्रीय जल सीमा का विस्तार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सी० आई० ए० के सक्रिय कार्यकर्त्ताओं की सूची

1600. श्री शशि भूषण : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास सी० आई० ए० के सक्रिय कार्यकर्त्ताओं की सूची है जो कि अमरीकी पत्रिकाओं में और जर्मन जनवादी गणतन्त्र के प्रकाशनों में छपी थी; और

(ख) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे व्यक्ति, जिनके नाम इस सूची में हैं, भारत में किसी भी पद पर नियुक्त न किए जायें ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार ने इस प्रकार की सूची देखी हैं ।

(ख) देश की सुरक्षा हेतु सरकार जो भी कार्यवाही आवश्यक समझेगी वह करेगी ।

विविध मामले
MISCELLANEOUS MATTERS

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : शाह गलास एण्ड कंपनी के संबंध में कहना चाहूंगा कि एक भारतीय नागरिक को विमान से उतार कर हिरासत में ले लिया गया । मैंने इस संबंध में आपको लिखा था । यह एक धोखाधड़ी का मामला है । कृपया इसकी जांच की जाए ।

अध्यक्ष महोदय : यह विषय कार्य-सूची में नहीं है और लिखकर देने का यह अर्थ नहीं है कि आपको यहां बोल की अनुमति भी मिल गई है । मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं । आप अपने स्थान पर बैठ जाइये ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : फरीदाबाद में एक गंभीर स्थिति पैदा हो गई है । गत वर्ष वहां एक मैडिकल कालेज खोला गया था तथा प्रत्येक छात्र से प्रति व्यक्ति शुल्क के रूप में 10,000 रु० तथा अन्य शुल्क के रूप में और 10,000 रु० अर्थात् कुल 20,000 रु० प्रतिछात्र लेकर कुल 44 लाख रु० इस संस्था ने एकत्रित कर लिए तथा फिर छात्रों को किसी प्रकार की कोई सुविधा प्रदान नहीं की । यह संस्था एक शैड के नीचे अपना स्कूल चला रही है तथा भवन निर्माण करने आदि का उसका कोई कार्यक्रम नहीं है । यह स्कूल केवल दो अध्यापकों को लेकर चलाया गया तथा वहां कोई प्रिन्सिपल भी नहीं है । यहां लगभग 220 छात्र हैं परन्तु उनका भविष्य अंधकार में है । उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही है । उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, श्रम मंत्रालय तथा हरियाणा के मुख्य मंत्री से लेकर प्रधान मंत्री तथा संसद-सदस्यों तक को पत्र लिखे हैं परन्तु उनकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई । सब जगह उन्हें निराशा ही हाथ लगी । माना कि शिक्षा का विषय राज्य सरकार का है परन्तु शिक्षा का स्तर बनाये रखना केन्द्र सरकार का काम है तथा संसद का भी इस संबंध में दायित्व है । यह एक गंभीर मामला है कि छात्रों के साथ इस संस्था ने लाखों रुपये का धोखा किया है । मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय इस संबंध में एक वक्तव्य दें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा ।

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : बनारस स्थित एक मैडिकल कालेज के बारे में भी जांच की जानी चाहिए ।

Shri Sat Pal Kapoor (Patiala) : There is strike in 10 out of 12 News Papers in Jullundur. The demand for 25 per cent relief to the employees has not yet been conceded. I request the Hon. Minister to intervene and make a statement in that regard.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I have written to you about the incidents in Kingsway Camp. On Nov. 15, the Hon. Minister had stated that the investigations were in progress and that a report was expected in four days. It is 23rd today, to day may I know whether the investigations have since been completed ?

Mr. Speaker : Let us wait for todays more. There had been three holiday in between.

The Minister of Parliamentary Affairs and Minister of Transport (Shri Raj Bahadur): The Minister of State in the Ministry of Home Affairs is at present in the Rajya Sabha. He had informed me that the Report has been received and is under consideration. Some cases have already been taken up. We have to look into all the aspects of the Report and its premature disclosure is likely to adversely affect cases.

श्री पीलू मोदी : दिल्ली विश्वविद्यालय के मैडिकल कालेज में भी फरीदाबाद जैसी स्थिति पैदा हो रही है ।

अध्यक्ष महोदय : आप एक ही विषय पर रहिये । दो बातों को एक साथ मत मिलाइये । शिक्षा का स्तर बनाये रखना हमारा दायित्व है ।

बेरोज़गारी के बारे में मैंने कहा था कि इस संबंध में सभा को दो-तीन घण्टे चर्चा करने का अवसर मिलेगा । कल वही संकल्प--एक गैर सरकारी संकल्प--विचारार्थ आ रहा है । मैंने आपको सूचित कर दिया है ताकि आप इस पर चर्चा के लिये तैयार रहें ।

श्री राम सहाय पाण्डे (राजनन्द गांव) : यह एक गैर सरकारी संकल्प है तथा परम्परानुसार ऐसे संकल्पों अथवा विधेयकों को सभा अस्वीकार कर देती है । अतः इस गंभीर समस्या के लिए, शिक्षित बेरोजगारों को कोई भत्ता देने पर विचार करने हेतु अलग से दो घण्टे दिये जाने चाहिएं ।

अध्यक्ष महोदय : इस संदर्भ में जब भी आपके मंत्री चाहेंगे मैं अनुमति दे दूंगा ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि (चौथा संशोधन) स्कीम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल, 1972 में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 506 में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) कर्मचारी परिवार पेंशन (पहला संशोधन) स्कीम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त, 1972 में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 978 में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) कर्मचारी भविष्य निधि (छठा संशोधन) स्कीम, 1972; जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1185 में प्रकाशित हुई थी ।

(चार) कर्मचारी परिवार पेंशन (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1188 में प्रकाशित हुई थी ।

(पांच) कर्मचारी भविष्य निधि (आठवां संशोधन) स्कीम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 7 अक्तूबर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1298 में प्रकाशित हुई थी ।

(छः) कर्मचारी परिवार पेंशन (तीसरा संशोधन) स्कीम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 7 अक्तूबर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1299 में प्रकाशित हुई थी ।

(2) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1251 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 7 अक्तूबर, 1972 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा रुई ओटने, उसकी गांठें बांधने और उसे बेलने के उद्योग को उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 में सम्मिलित किया गया है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3767/72]

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल) 1970-71
DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (RAILWAYS) 1970-71

अध्यक्ष महोदय: इस चर्चा के लिए केवल एक घण्टे का समय नियत किया गया है और ये मांगें सभा के सामने पेश हैं । श्री जगदीश भट्टाचार्य तथा श्री सरजू पाण्डे उपस्थित नहीं हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं दो-तीन बातें रखना चाहता हूं ।

इन मांगों के शीर्षकों में एक शीर्षक नई रेलवे लाइनों के निर्माण तथा मरम्मत संबंधी खर्च हैं । इस संबंध में मैं मंत्री महोदय का ध्यान दक्षिण रेलवे में हाल ही में निर्मित महत्वपूर्ण लाइन किरन्डूल-कोखलासा की ओर दिलाना चाहता हूं जो कि मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में बेलाडिला से विशाखापत्तनम तक ऊंचे दर्जे के लोह-अयस्क के परिवहन

के लिए उपयोग में लाई जाती है । सब जानते हैं कि इस लाइन का निर्माण भारतीय इंजीनियरिंग सेवा का एक प्रशंसनीय कमाल है । उसका दावा है कि विश्व में कहीं भी ऐसी लाइन नहीं जिस पर इतनी ऊंचाई पर इतना भार खींचा जाता हो । परन्तु खेद का विषय है कि इस लाइन पर कार्य करने वाले रेल कर्मचारियों की हालत बड़ी ही दयनीय है। बार-बार आश्वासन देने पर प्रशासन ने उन्हें मकान नहीं दिये हैं तथा उन्हें चिकित्सा की तथा अन्य सुविधायें भी उपलब्ध नहीं हैं । पेय जल के लिए भी उन्हें प्राय: झरनों अथवा नहरों के पानी पर निर्भर रहना पड़ता है । इसके फलस्वरूप कर्मचारियों में निराशा तथा असंतोष की भावना उग्र होती जा रही है । अन्य स्थानों से कोई कर्मचारी वहां स्थानान्तिरित नहीं होना चाहता । अत: मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह इस मामले की ओर तुरन्त ध्यान दें । रेलवे प्रशासन ने मुझे बताया है कि उन्हें इसके लिए पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं है जबकि यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है।

कलकत्ता में महानगर परियोजना के निर्माण के लिये हमें बताया गया है कि (दिये गये आश्वासनों के विरुद्ध) इस कार्य का भार गैर सरकारी ठेकेदारों को सौंपा जा रहा है । क्या यह सच है ?

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया मुख्य विषय से संबंधित बातें कहिए अन्यथा बाद में जो कोई सभा की कार्यवाही पढ़ेगा तो वह यही कहेगा कि सभा में इस समय अध्यक्ष महोदय या तो उपस्थित नहीं थे या फिर सो रहे थे जो कि इतनी असंगत चर्चा होती रही है । कृपया विचारणीय विषय से संबंधित रहिये ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इलक्ट्रिक ट्रैक्शन विभाग के संचालन कर्मचारी का विषय नई लाइन के शीर्षक के अन्तर्गत आता है । मंत्री महोदय स्वयं बतायें वह इससे संबंधित कार्य को विभागीय तौर पर करवाना चाहते हैं अथवा गैर-सरकारी ठेकेदारों द्वारा कराना चाहेंगे । रेलवे विद्युतीकरण तथा संचालन कर्मचारियों के बारे में सबसे बड़ी समस्या यह उठ खड़ी हुई है क्योंकि अधिकांश विद्युतीकरण परियोजनाएं या तो पूरी हो चुकी हैं अथवा होने वाली हैं तथा फलस्वरूप कर्मचारी फालतू घोषित हो जायेंग । उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उन्हें नई परियोजनाओं अथवा लाइनों पर खपा लिया जाएगा । अब मतभेद यह पैदा हो गया है कि इस संबंध में वरीयता इन कर्मचारियों को दी जाए अथवा नैमित्तिक श्रेणी के उन कर्मचारियों को दी जाए जो इस समय बेरोज़गार हैं तथा उन्हें आश्वासन दिया गया था कि नये अवसर मिलने पर पहले उन्हें नियुक्त किया जायेगा । यह एक गंभीर प्रश्न है । इससे दोनों श्रेणियों के कर्मचारियों के मध्य तनाव पैदा हो गया है । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करेंगे कि किस श्रेणी को प्राथमिकता दी जाएगी ।

Shri Chandrika Prasad (Balia) : I welcome the suggestion of the hon. Minister that workers' participation should be there and there should be only one union in the country. But the present unions in the Railways do not represent all the categories of staff.....

Mr. Speaker : How are unions relevant here ? We are talking about excess grants. Please be relevant.

Shri Chandrika Prasad : I am trying, Sir. Then regarding participation of Ministerial, commercial and other staff, it should be ensured that ineffective staff does not find representation. The Federations should be represented.

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को बताना चाहता हूं कि ये अतिरिक्त मांगें हैं अनुपूरक मांगें नहीं हैं । इस संबंध में आप यही बहस कर सकते हैं अतिरिक्त खर्च क्यों हुआ या किन मद पर इतना अधिक खर्च क्यों हुआ । परन्तु वह तो यहां यूनियनों की बातें ले बैठे हैं ।

Shri Chandrika Prasad : My point is also the same that had they taken proper work from the Commercial clerks, there would have been no need for bringing the excess demands. The reasons for loss is that the actual workers are being ignored and the officers' opinions are of no value.

The backward areas of our country are being neglected. Maduadih—Bhatani meter gauge line has not been taken up in the first phase despite the former Railway Minister Shri Hanumanthaiyya's assurances. The work of converting the narrow gauge line into broad gauge line has also been taken up from Samastipur instead of Barabanki the industrial sector. This has also resulted in excessive expenditure.

Then no attention is being paid to the worker's demands for Bonus and for the Report of the Third Pay Commission. Let us know at least as to when the report would come and by what time their demand for Bonus would be conceded to. In case it is not made clear, the workers are likely to stop working.

Mr. Speaker: Please take pity on me. I am also sitting here. Please speak at least something relevant to the issue.

Shri Chandrika Prasad : Running of Darjeeling Express train can increase the income to the Railways and then you woun't need excess grants. This demand has been hanging fire for the last ten years.

Very old bridges in our area are not being taken care of now but the Govt. would come forward with demands for excess grants to construct them a new after they have given way. The Government should have taken care at the appropriate time.

श्री समर गुह (कन्टाई) : वैसे तो अतिरिक्त धनराशि पहले ही खर्च की जा चुकी है परन्तु अब भी कुछ इस प्रकार की अनियमिततायें तथा बेतुकी बातें हो रही हैं जिनके कारण सरकार को कुछ मास पश्चात पुन: अतिरिक्त मांगें लेकर आना पड़ेगा ।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान आसाम में हो रही घटनाओं की ओर दिलाना चाहता हूं जहां अनेक स्टेशनों को आग लगा दी गई है , कर्मचारियों के आवास जला दिये गये हैं, अनेक कर्मचारियों को बरी तरह मारा पीटा गया है तथा कई कर्मचारियों को जान से मार डाला गया है । अनेक लोग वहां से अपने परिवारों को लेकर भाग खड़े हुए हैं, तथा यातायात अस्त-व्यस्त हो गया है, रेल सेवायें रुक गई हैं और परिणामत: यह स्वाभाविक ही है कि सरकार फिर से सामान्य स्थिति पैदा करने के लिये अतिरिक्त खर्च करेगी तथा अतिरिक्त मांगें पेश करेगी ।

मुझे ज्ञात हुआ है कि मंत्री महोदय विजयवाड़ा तथा अन्य क्षेत्रों के बारे में कल एक वक्तव्य देंगे । गत दो मास में अनेक घटनायें घटी हैं तथा रेल-सेवा रुकी है । परन्तु खेद है कि राष्ट्र के समाचार पत्रों ने इस संबंध में कोई समाचार नहीं दिए जबकि इन घटनाओं में अनेक कर्मचारियों को पीटा गया तथा कुछ की तो हत्या भी कर दी गई है । रेलवे स्टेशन तथा स्टाफ क्वार्टरों को आग लगा दी गई । राष्ट्र के समाचार पत्रों के लिये यह बड़ी ही अनुचित बात है कि वे इस संबंध में चुप्पी लगाये बैठे रहें । इस प्रकार तो समस्या का समाधान नहीं होता है । तथ्यों को छिपाना कोई हल नहीं कहलाता । इस प्रकार तो घटनाय विस्फोटक रूप लेकर प्रकट होती हैं । इन घटनाओं पर तो सारे राष्ट्र का ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिये ताकि आपराधिक वृत्तियों तथा समाज विरोधी तत्वों की इन हिंसात्मक गतिविधियों को रोका जा सके ।

अत: मुझे आशा है कि मंत्री महोदय विजयवाड़ा के बारे में कल वक्तव्य देते समय आसाम की घटनाओं के बारे में भी एक वक्तव्य देंगे ।

श्री वयालार रवि (विरयिकील) : मैं अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं ।

सरकार ने केरल के लोगों की मांग को स्वीकार करके त्रिविन्द्रम एरणाकुलम लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का निर्णय किया है । केरल में सस्ती बिजली की सम्भावना के कारण इस लाइन के विद्युतीकरण पर विचार किया जाए ।

केरल में स्टोर डिपो न होने के कारण सरकार को 100.8 करोड़ रुपया के सामान को मद्रास मैसूर से भेजने अधिक व्यय करना पड़ता है अतएव केरल में एक स्टोर स्थापित किया जाना चाहिए ।

केरल में मालडिब्बों की कमी है । वहां एक तेल शोधनशाला है जिन्हें बाहर से डिब्बे मंगवाने पर व्यय करना पड़ता है । यदि वहां पर डिब्बों के निर्माण का कार्य शुरू किया जाए तो इससे अन्य लाभों के साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिलेगा ।

Shri Prabodh Chander (Gurdaspur) : I want to stress that while undertaking the construction of new lines the old stations should not be ignored. Pathankot had become a gateway and it's population rose from 15000 to 80000. But after the construction of new line Govern-

ment has decided to start Sialdeh Express and Kashmir Mail which would not touch Pathankot. The extents from that town would be adversely affected. So the trains intended for Jammu must pass through Pathankot.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): The Constitution has made a provision for regularising the excess expenditure under Article 116(B). But the Parliament has to see as to why excess expenditure has been incurred. Has an explanation been called from the officers responsible for excess expenditure. It should be possible for the Ministries to make accurate budgets.

The demands for excess grants has become a regular feature. The permission for excess expenditure can be granted only in exceptional circumstances. The hon. Minister should stress on the officers to adhere to the budget allocations. Their explanations should be called for excess expenditure.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : नये अध्यादेश के अधीन बोनस की पात्रता के बारे में रेलवे कर्मचारियों में गम्भीर असंतोष है ।

Mr. Speaker : How has the issue of Bonus come up ?

श्री एस० एम० बनर्जी : श्रीमन्, बोनस का मसला इसी में हल हो जाने दीजिये, नहीं तो आप भी मुश्किल में पड़ जायेंगे और मैं भी पड़ जाऊंगा ।

हमने रेलवे कर्मचारियों की ओर से बोनस की मांग की थी और मामला बोनस पुनर्विलोकन समिति को सौंपा गया था । शायद वे रेलवे कर्मचारियों को बोनस देने की सिफारिश करें ।

मंत्री महोदय को रेलवे तथा रक्षा कर्मचारियों को बोनस दिये जाने के बारे में हमारे विचारों से प्रधान मंत्री को अवगत करायें ।

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : अतिरिक्त खर्चों की संविधान में जो व्यवस्था की गई है वह शायद इसी लिए है कि हर समय ठीक अनुमान लगा पाना कठिन होता है । मैं ऐसा आश्वासन तो नहीं दे सकता कि मैं सदस्यों को दोबारा ऐसा कष्ट नहीं दूंगा । परन्तु इतना विश्वास अवश्य दिलाता हूं कि हम यथा संभव इस बात को ध्यान में रखेंगे ।

रेलव कर्मचारियों तथा रेल सम्पत्ति के बारे में सदस्यों द्वारा व्यक्त चिन्ता से मैं सहमत हूं । हम अपने कर्मचारियों तथा रेल सम्पत्ति का पूरी तरह से ख्याल रखने का प्रयत्न कर रहे हैं । मैं देश में शान्ति का वातावरण तैयार करने के लिये विनय करता हूं :

कुछ सदस्यों ने कुछ असंगत बातें इस विचार से रखी हैं कि मुझे लिखे गए पत्रों के उत्तर में शायद देरी लगे ।

श्री समर गुह : माननीय मंत्री आसाम और आंध्र प्रदेश के रेलवे कर्मचारियों के साथ पिछले दो महीनों में घटी घटनाओं पर भी सदन में प्रकाश डालें ।

श्री टी० ए० पाई : मैं इस पर विचार करूंगा ।

दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगे नैमित्तिक श्रमिकों का उल्लेख किया गया है । समस्या यह है कि वे लोग अन्य राज्यों में कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं । उन्हें बाहर भेजने पर वहां स्थानीय लोगों में रोष उत्पन्न हो जाता है । इसका समाधान हमारी समझ में नहीं आता ।

कलकत्ता में भूमिगत रेलवे का कार्ययथाशक्य विभागीय तौर पर किया जायेगा ।

केरल की रेल के विद्युतीकरण की मांग के बारे में निवेदन है कि कुछ राज्यों में रेलों पर बिजली खर्च करने पर आपत्ति की गई है । केरल सरकार ने लाइन के विद्युतिकरण के लिए सस्ती बिजली देने का प्रस्ताव किया है । मैं समझता हूं कि केरल सरकार बिजली के अन्य उपयोगों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रस्ताव पर पुन: विचार करेगी ।

कुछ सदस्यों ने रक्षा के उद्देश्यों से नयी लाइनों का प्रस्ताव किया है। इस बारे में मैं प्रतिरक्षा के अधिकारियों के साथ बैठकर निश्चय करूंगा ।

इस प्रकार की लाइनों को मैं प्राथमिकता दूंगा। पर्यटन की दृष्टि से उपयोगी लाइनों पर भी मैं विचार करूंगा

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर): मार्टन बर्न लाइट रेलवे की क्या स्थिति है ?

श्री टी० ए० पाई : उस पर विचार हो रहा है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : एस० एम० लाइट रेलवे की क्या स्थिति है ?

श्री टी० ए० पाई : उसके लिए नई कारपोरेशन स्थापित की जा रही है ।

बोनस का मामला उठाया गया है। मैं स्वीकार करता हूं कि लोगों को अधिक बोनस मिलना चाहिए। परन्तु इसी सदन में बढ़े हुए मूल्यों एंव खर्चों पर नियंत्रण की बात उठाई गई है। यदि रेलवे कर्मचारियों को बोनस दिया जाता है तो अन्य कर्मचारियों से भी मांग आएगी। इसपर 205 करोड़ रुपए से कम की राशि आवश्यक नहीं होगी। इससे रुपए का अवमूल्य न होगा। इन सब बातों पर ध्यान देना आवश्यक है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): मेरा तर्क तो यह है कि यदि कुछ सरकारी प्रतिष्ठानों में बोनस दिया जाता है तो दूसरों को इससे इनकार क्यों किया जाता है ।

श्री टी० ए० पाई : मैं इस तर्क से सहमत हूं। परन्तु उसके परिणामों पर हमें विचार करना है। यह प्रश्न सरकार के समक्ष है और मेरा ख्याल है सरकार इस पर ध्यान देगी ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर): किरनडुल कोटला वालसा रेलवे लाइन की क्या स्थिति है ?

श्री टी० ए० पाई : मैं आवास और चिकित्सा की समस्या पर ध्यान देने का आश्वासन देता हूं। हम क्वार्टरों के निर्माण पर प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपया व्यय कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा रेल मंत्रालय की निम्नलिखित मांगे मतदान के लिए रखी तथा स्वीकृत हुई ।

The following Demends in respect of Ministry of Railways were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
5	संचालन व्यय—मरम्मत और अनुरक्षण	16,97,586
16	पेंशन प्रभार—पेंशन निधि	4,13,984

विनियोग (रेल) संख्या 5 विधेयक, 1972

APPROPRIATION (RAILWAYS) NO. 5 BILL, 1972

रेल मंत्री (श्री टी०ए०पाई): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मार्च, 1971 के इक्तीसवें दिन को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर रेल के प्रयोजनों के लिए, उनके लिए उस वर्ष में मंजूर की गई रकमों से जो रकमें अधिक खर्च की गई हैं, उनकी पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ धनराशियों के विनियोग के प्राधिकरण के सम्बन्ध में उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

अध्यक्ष महोदय: अब प्रश्न यह है :

"कि मार्च 1971 के इक्तीसवें दिन को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर रेल के प्रयोजनों के लिए, उनके लिए उस वर्ष में मंजूर की गई रकमों में से जो रकमें अधिक खर्च की गई हैं, उनकी पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ धनराशियों के विनियोग के प्राधिकरण के सम्बन्ध में उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकार हुआ

The Motion was adopted

श्री टी० ए० पाई : मैं विधेयक को पुनः स्थापित करता हूं ।

रेल मन्त्री (श्री टी०ए० पाई): मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि मार्च 1971 के इक्तीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर रेल के प्रयोजनों के लिए, उनके लिए उस वर्ष में मंजूर की गई रकमों में से जो रकमें अधिक खर्च की गई हैं, उनकी पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ धनराशियों के विनियोग के प्राधिकरण के सम्बन्ध में उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री ज्योतिर्मय बसु : 'मार्टन' बर्न' रेलवे ने विशेष कार्य किया था । इनके द्वारा चालित रेलों से प्रतिदिन 35,000 से 40,000 यात्री यात्रा करते थे । इसके बंद होने से निम्न श्रेणी के लोगों को बहुत हानि उठानी पड़ रही है । उन्हें तीस मील की दैनिक यात्रा पर 17 रुपए मासिक व्यय करना पड़ता था जबकि अब उन्हें 55 रुपए व्यय करने पड़ते है । मैं मंत्री महोदय से इसी समय जानना चाहता हूं कि इन 50,000 लोगों की कठिनाइयां दूर करने के लिए कब तक लाइट रेलवे चालू कर सकेंगे ।

श्री टी० ए० पाई : माननीय सदस्य को पता होना चाहिए कि मार्टिन बर्न रेलवे को चलाने से पहले हमें इसे राष्ट्रीकरण की प्रक्रिया द्वारा अपने अधिकार में लेना होगा । अतएव कोई भी कार्यवाही करने से पूर्व हमें देखना होगा कि क्या हम कार्यवाही करने की स्थिति में भी हैं अथवा नहीं । मैं माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त किये गऐ विचारों से सहमत होते हुए भी यह नहीं बता सकता कि कब तक इसे चालू किया जा सकेगा । हमें बम्बई और कलकत्ता के महा नगरीय परिवहन पर प्रति वर्ष 12 करोड़ रुपऐ का घाटा उठाना पड़ता है ।

जहां तक कि एस० एस० लाइट रेलवे का सम्बन्ध है उसे किसी व्यक्ति ने नीलामी में ले लिया है और उसके एक भाग को तोड़ भी दिया है । हम यह विचार कर रहे हैं कि क्या उसके स्थान पर बड़ी रेलवे लाइन बिछाई जा सकती है ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि मार्च 1971 के इक्तीसवें दिन को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर रेल के प्रयोजनों के लिए, उनके लिए उस वर्ष में मंजूर की गई रकमों में से जो रकमें अधिक खर्च की गई हैं उनकी पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ धनराशियों के विनियोग के प्राधिकरण के सम्बन्ध में उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3, अनुसूची, खण्ड 1 और अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खण्ड 2 और 3 अनुसूचि, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Classes 2 and 3, the schedule, class 1, the Enecting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री टी० ए० पाई : मैं प्रस्ताव करता :

"कि विधेयक को पारित किया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म०प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर पांच मिनट म०ध० पर पुन: समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at five minutes past Fourteen of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DY. SPEEKER *in the chair*]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : (अलीपुर) : कल जब राजस्व गुप्तचर अधिकारियों ने बालयोगेश्वर को बुलाया, तो वह वहां तीन संसद सदस्यों एवं अन्य शिष्यों के साथ पहुंचे । इन लोगों ने विभाग के अधिकारियों को अकेले में पूछताछ नहीं करने दी । मैं सरकार का विशेष रूप से प्रधान मन्त्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे पता चला है कि इस व्यक्ति, के पास अमरीका में दो विमान हैं । स्विटजरलैंड के बैंक में उनका खाता है । फिर भी सरकार ने वक्तव्य देने तथा सदन को विश्वास में लेने का कष्ट नहीं किया । अत: सरकार को इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य चाहिए ।

श्री एस० एम० बनर्जी : सरकार को पता होगा कि जालन्धर में सब पत्रकारों ने हड़ताल की हुई है । हमने श्रम मंत्री महोदय को लिखा है और यहां पर भी मामला उठाया है । इस सम्बन्ध में सरकार को एक वक्तव्य देना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मामला पहले उठाया जा चुका है ।

Shri Attal Bihari Vajpayee : Bal Yogeshwara.....

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्य-सूची में नहीं है फिर भी मैंने कुछ माननीय सदस्यों को अनुमति दे दी है कि वे यदि कुछ कहना चाहें तो कह दें ।

श्री अटल बिहारी, बाजपेयी : मै एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं । बालयोगेश्वर के एक शिष्य ने ग्वालियर में बताया है कि उसके विरुद्ध कोई मामला विचाराधीन नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार इस मामले पर विचार करेगी । उन्होंने आप की बात सुन ली है ।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर गणेश) : हम इस मामले की जांच कर रहे हैं । कुछ माननीय सदस्यों ने यहां इस मामले को उठाया है । हमें भी किसी तरह यह सूचना मिली है । हम इस पर विचार कर रहें हैं । हम इस सम्बन्ध में सही तथ्य प्राप्त करेंगे ।

श्री ज्योतिर्मय वसु : क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई वक्तव्य देगी अथवा नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि वे सही तथ्य प्राप्त कर रहे हैं ।

श्री ज्योतिर्मय वसु : इस से कोई सहायता नहीं मिलेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय: : मंत्री महोदय ने बताया है कि वे सही तथ्य प्राप्त कर रहे हैं । यह बात उन्होंने अकेले में नहीं कही है, सारे सदन के सामने कही है : जब उन्हें सही तथ्य प्राप्त हो जायेंगे तो उन्हें वे यहां रखने ही पड़ेंगे ।

खाद निगम (संशोधन) विधेयक

FOOD CORPORATION (AMENDMENT) BILL

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णाशाहिब पी० शिन्दे): मैं स्ताव करता हूं ।

"कि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारतीय खाद्य निगम के लेखे का परीक्षण भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाए इस समय इस निगम के लेखे की परीक्षा का कार्य महालेखा परीक्षक के अधिकार क्षेत्र में नहीं है । उसे संयुक्त समिति ने, जिसे नियत्रंक और महालेखा परीक्षक के (कर्त्तव्य शक्तियां और सेवा की शर्तें) विधेयक, 1969 सौंपा गया था, उस विधेयक के बारे में अपने प्रतिवेदन में सिफारिश करते हुए कहा है कि चूंकि भारतीय खाद्य निगम में भारत की संचित निधि में से काफी धन लगा हुआ है, इसलिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कम से कम एक सरकारी कम्पनी की तरह इस निगम के लेखें की अनुपूरक अथवा नमूना लेखा परीक्षा करने की शक्ति दी जानी चाहिए । अतः इस विधेयक के द्वारा, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को शक्ति प्रदान करने के लिए, खाद्य निगम अधिनियम, 1964 में उपबन्ध करने का प्रयास किया गया है, जिससे वह खाद्य निगम के लेखे की अनुपूरक अथवा नमूना लेखा परीक्षा करने तथा व्यावसायिक लेखा परीक्षकों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर टिप्पणी करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के लेखे की परीक्षा करने के तरीकों के सम्बन्ध में निर्देश दे सकेगा । इस विधेयक में उल्लिखित उपबन्ध कम्पनी अधिनियम, 1956 में विद्यमान उपबन्धों, जो सरकारी कम्पनियों पर लागू होते हैं, के समान ही है और अन्य सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में अपनाई गई प्रथा के भी समान हैं ।

इस विधेयक के द्वारा खाद्य निगम अधिनियम को जम्मू और कशमीर के राज्य पर भी लागू करने का प्रयास किया गया है । क्योंकि यह अधिनियम इस समय जम्मू और कशमीर के अतिरिक्त सारे भारत में लागू है अतः इसे जम्मू और कशमीर राज्य पर भी लागू करने की आवश्यकता है ।

अधिनियम के अन्तर्गत क्योंकि निगम को भारत में अथवा भारत से बाहर अपने कार्यालयों अथवा एजेंसियों की स्थापना करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होती है, इस लिए के अधिनियम के उपबन्ध इस निगम के कुशल एवं शीघ्र कार्य निष्पादन में सहायक नहीं है । जहां तक देश में कार्यालय तथा एजेंसियों की स्थापना करने का सम्बन्ध है, इस उपबन्ध को समाप्त करने का विचार है । इसका यह तात्पर्य हुआ कि देश के बाहर कार्यालय खोलने के लिए मूल उपबन्ध ही लागू होंगे जिनका उद्देश्य यह है कि इस के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति लेनी अयवश्यक है ।

इस विधेयक के द्वारा ही संशोधन, जो केवल स्पष्टीकरण करने वाले हैं, करने का भी प्रयास किया गया है जिनमें से एक का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि इस अधिनियम में प्रयुक्त शब्द "खाद्यान्न" में खाद्य तेल और तिलहन शामिल हैं । इस स्पष्टीकरण में यह सन्देह दूर करने का विचार किया गया है कि यह निगम अन्य वस्तुओं का भी व्यापार करेगा, अन्य स्पष्टीकरण खाद्य निगम को ऋण लेने की शक्ति के सम्बन्ध में है । केन्द्रीय सरकार इस उद्देश्य के लिए कानून बनाकर संसद द्वारा उचित स्वीकृति के उपरान्त भारतीय खाद्य निगम को पहले से ही ऋण दे रही है । इस सम्बन्ध में इस अधिनियम में विशेष उपबन्ध करने का प्रस्ताव है ।

अतः इस विधेयक के उपबन्धों पर इस सदन में विचार किया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय :–प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"कि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए" ।

श्री ज्योतिर्मय बसु: (डायमंड हार्बर) : हम भारतीय खाद्य निगम का विस्तार तथा खाद्यान्नों आदि के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं । किन्तु इसके साथ ही, हमें यह जानने का भी अधिकार है कि सरकार भारतीय खाद्य निगम के कार्यों का प्रबन्ध सर्वोत्तम ढंग से कैसे कर रही है । गत सत्र में हमें इस निगम के कार्य संचालन के बारे में चर्चा करने का अवसर मिला था, तो इसकी बहुत बड़ी खामियां प्रकाश में आई थीं । देश को फिर विदेशों पर आश्रित होना पड़ रहा है।

श्री फखरूद्दीन अहमद ने 3 सितम्बर 1972 को खाद्य निगम के बारे में वाद-विवाद के दौरान कहा था कि इस निगम के अध्यक्ष और अधिकारियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है और सावधानीपूर्वक

जांच करने के पश्चात् सरकार द्वारा उचित कार्यवाही की जाएगी। मैं चाहता हूं कि श्री शिन्दे हमें स्पष्ट रूप से बतायें कि क्या उन्हों उन दस्तावेजों को अच्छी तरह से देखा है और उनकी जांच कर ली गई है और उसका क्या परिणाम निकला है। हम चाहते हैं कि अध्यक्ष के उत्तर, सरकार के निष्कर्ष तथा सभी सम्बन्धित कागजात सभा-पटल पर रखे जायें और सदस्यों को परिचालित किया जाए।

हम जानना चाहते हैं कि भारतीय खाद्य निगम में पाई गई खामियों और कमियों का निराकरण करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं।

राज्य सरकारें, विशेषकर पश्चिमी बंगाल तथा उत्तर प्रदेश और एक या दो अन्य राज्य सरकारें अपने ही खाद्य निगमों के गठन की मांग कर रही हैं, क्योंकि वे अपनी अलग नीतियां निर्धारित करना चाहती हैं। किन्तु केन्द्रीय सरकार, खाद्य को राजनीतिक विषय बनाकर, इसमें बाधा डाल रही है।

सदन को यह जानने का अधिकार है कि सरकार खाद्यान्नों के थोक व्यापार का कब राष्ट्रीयकरण करेगी क्योंकि सरकार इस सम्बन्ध में बहुत बातें करती हैं और इस तरह सब प्रकार का राजनीतिक लाभ उठा रही है। सरकार चीनी उद्योग और चीनी वितरण व्यापार का कब तक राष्ट्रीयकरण करेगी ?

हम चाहते हैं कि भारतीय खाद्य निगम अपने कार्य को बढ़ाए। किन्तु दुर्भाग्य का विषय है कि यह निगम बिचौलियों के लिए बहुत ही लाभकर बन गया है। निगम द्वारा सीधी वसूली तो की ही नहीं जाती। इस निगम में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है।

अतः मन्त्री महोदय को सभा में इन सब बातों का स्पष्ट रूप से उत्तर देना चाहिए।

Shri Sat Pal Kapoor (Patiala) : Efforts have again been made to raise the issue regarding inquiry into the affairs of the Food Corporation of India. Since Government has already referred the issue to C.B.I. to probe into its affairs, it is not advisable to raise this issue again unless the report of the C.B.I. is received by the Government.

श्री ज्योतिर्मय बसु: केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करने का तो कोई उल्लेख नहीं है। और यदि केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस मामले की जांच कर रहा है तो भी इस मामले की सूचना प्राप्त करने में इस सदन को रोका नहीं जा सकता।

Shri Sat Pal Kapoor : It is very unfortunate that some political parties are in league with the traders who want that the trade of food stuffs should remain in the hands of these traders. These parties do not want the Government to take over food trade in its hands. Fhey try to malign the Food Corporation of India and want to prove that the Food Corporation of India has failed to deliver the goods and thereby they want to create crisis in the country.

So far as the question of improvements in the activities of the F.C.I. is concerned, there is scope to reduce the expenditure on the procurement. Therefore, Government should set up a Committee to examine the procurement price and the expenses being incurred on procurement and the Members of Parliament should be associated with that Committee.

उपाध्यक्ष महोदय: हमारे पास समय कम है, और प्रश्न यह है कि क्या इस विधेयक में प्रस्तावित संशोधन उपयुक्त है अथवा नहीं। अतः माननीय सदस्य इन संशोधनों तक ही सीमित रहें।

Shri Sat Pal Kapoor : Corporations should be formed to deal with groundnut and other Agricultural commodities and products, on the pattern of Cotton Corporation of India, so that the interests of the agriculturists are safeguarded.

There is great hungling in so far as the issue of sugar is concerned. Cane growers are being exploited as they are being paid less price. Government should withdraw its policy of 70 per cent and 30 per cent for levy sugar and free sale sugar respectively. Government should take

over the entire distribution of sugar. The sugar megnates have created an apprehension that if sugar industry is taken over by Government, sugar shall have to be imported and cane grower shall not get their due price. Government should remove this apprehension.

Shri S.M. Banerjee (Kanpur) : Sir, I rise to support this Bill. The provisions of this Bill should be extended to the State of Jammu and Kashmir also.

Shri F.A. Ahmed promised during the debate last time that necessary information would be laid on the Table of the House after the receipt of the report of C.B.I. But the C.B.I. will take a long time.

To day, everybody wants that the foodgrains trade should not remain in the hands of traders and middlemen. I want that Food Corporation should become more effective and be more successful. This is possible only when wholesale trade of all the foodgrains is taken over by the Government. It is, therefore, necessary that the Food Corporation should function in an efficient manner.

All those found guilty as a result of the inquiry into the affairs of the Food Corporation of India should be punished. I also support the stand taken in the matter of audit. Strict supervision and check should be exercised on those authorities who are handling the financial matters in the F.C.I. and there should be no loss to the F.C.I.

The prices of all commodities, particularly the prices of sugar have increased. Therefore, the recent increase in the prices of levy sugar should be withdrawn. Keeping in view the steep rise in prices of general commodities and consequent hardship to the people and the decreasing purchasing power of the consumer, otherwise people would feel that the Government was under the influence of sugar Mill owners.

So far as the matter of nationalisation of sugar mills is concerned, sugar Mill owners, are trying to seek the protection from the courts, but even then it is necessary in the interest of the consumers to nationalise sugar mills.

I am totally against imports of wheat from U.S.A. under P.L.-480. There should be no import from U.S.A. under PL-480.

उपाध्यक्ष महोदय : यह मामला इस विधेयक की सीमा में नहीं आता । यह तो बिल्कुल भिन्न विषय है । यह तो खाद्य नीति का विषय है । अत: आप अपना भाषण छोटा करें ।

Shri S.M. Banerjee : The Food Corporation has decided to have food packets of two kilos or three kilogrammes. We would like to see these food packets which Government wants to distribute.

Shri C.D. Gautam (Balaghat) : I rise to support this Bill. The number of Offices of the F.C.I. within the country is not adequate. There should be more offices of the F.C.I. at the Central places in India. The purchase of foodgrains should be started right when the new crop starts pouring into market, that is in the beginning of October or November so that private traders may not get an opportunity to haord stocks of foodgrains.

Sugar is an essential consumer commodity. The distribution of sugar should be taken over by the Food Corporation of India.

Purchase and distribution of agricultural commodities, wherever they are grown in abundance, should be handled by the Food Corporation of India.

***श्री जे०एम० गौडर** (नीलगिरि) : विधेयक के खण्ड 4 में उपबन्ध किया गया है कि भारतीय खाद्य निगम देश में नई दिल्ली के अतिरिक्त अन्य स्थानों में अपने कार्यालय या एजेंसियां स्थापित कर सकता है, जिसके लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति लेनी आवश्यक नहीं है । किन्तु भारत से बाहर अपने कार्यालय या एजेंसियां खोलने के लिए भारतीय खाद्य निगम को

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।
*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी। किन्तु भारतीय खाद्य निगम को देश से बाहर अपने कार्यालय खोलने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि खाद्य-सामग्री का सम्पूर्ण आयात एवं निर्यात कार्य राज्य व्यापार निगम के द्वारा होता है। इस लिए यदि भारतीय खाद्य निगम को विदेशों में अपने कार्यालय खोलने की अनुमति दी गई तो इससे राष्ट्र का धन व्यय होगा। अत: विधेयक में ऐसा उपबन्ध रखने की आवश्यकता नहीं है, और इस उपबन्ध को विधेयक से हटा दिया जाना चाहिए।

क्या सरकार इतने वर्ष बिना कानूनी समर्थन के भारतीय खाद्य निगम को ऋण देती रही है। दूसरे मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस उपबन्ध को अब विधेयक में शामिल करने की क्या आवश्यकता थी ? खण्ड 6 के अन्तर्गत नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक भारतीय खाद्य निगम के लेखों का जांच कर सकता है। संयुक्त प्रवर समिति ने 12 नवम्बर, 1970 को प्रतिवेदन में इस बात की सिफारिश की थी कि यह कार्य नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक को सौंप दिया जाए। परन्तु दो वर्ष बाद इस विधेयक को यहां पेश किया गया है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह महालेखापरीक्षक को भारतीय खाद्य निगम के पिछले दो वर्षों के लेखों की जांच करने के निदेश दें। निधियों के दुरविनियोग तथा कदाचारों के अनेक आरोप लगाए गये हैं।

इस खण्ड में यह भी व्यवस्था है कि राज्य खाद्य निगम के लेखों को भारतीय खाद्य निगम के समक्ष रखा जाना चाहिए। मैं इस उपबन्ध की प्रशंसा नहीं कर सकता। राज्य खाद्य निगम के लेखों को भारतीय खाद्य निगम के समक्ष रखने का कोई अर्थ नहीं है। वह राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी है। दूसरे राज्य खाद्य निगम तथा भारतीय खाद्य निगम के बीच कोई सम्बन्ध भी नहीं है। अत: इस उपबन्ध को विधेयक से निकाल दिया जाना चाहिए।

चुनाव में हारे हुए राजनीतिज्ञों को भारतीय खाद्य निगम का चेयरमैन नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे खाद्य निगम को सीधे किसानों से अनाज खरीदने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए राज्य सरकारों की एजेंसियां के माध्यम से अनाज की वसूली का कार्य किया जाना चाहिए।

ऐसा पता लगा है कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में प्रति वर्ष लगभग 50 लाख टन अनाज या तो चोरी हो जाता है या खराब हो जाता है। सरकारी उपक्रम समिति ने अपने प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख किया है। इसकी रोकथाम के लिए यदि सरकार कठोर कार्यवाही करे तो मुझे आशा है कि अनाज के आयात की आवश्यकता नहीं रहेगी। माननीय मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

श्री लीलाधर कटकी (नवगांव) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। गत सात वर्षों में भारतीय खाद्य निगम ने काफी हद तक अपने लक्ष्य को पूरा किया है। समिति ने निगम की अनेक त्रुटियों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है। यदि इन त्रुटियों को दूर कर दिया जाता है तो इस की कार्यकुशलता बढ़ जाएगी।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा बनाए गए फालतू भण्डार से समय पर अनाज पब्लिक में दिया जाना चाहिए। समय पर अनाज के न दिए जाने से व्यापारी बहुत मुनाफा कमा लेते हैं। निगम का लक्ष्य यह भी है कि किसानों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य मिले। इन सब लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि निगम के कार्य संचालन में सुधार किया जाए, प्रबंध में प्राय: परिवर्तन नहीं किए जाने चाहिएं। इसके कार्य-संचालन पर निरंतर पर्यवेक्षण तथा सतर्कता रखने की आवश्यकता है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The jurisdiction of this Corporation is also being extended to Jammu and Kashmir through this Bill. It is a right step. But it is very surprising that the state Governments are trying constitute their own Corporations and on other hand Central Government is extending the jurisdiction of this Corporation to other State. So in my view this corporation should be put on right footing and for that purpose its working should be reviewed thoroughly.

It has been stated in this Bill that F.C.I. should be allowed to open its offices in other countries. It don't see any need for this. Can this work not be entrusted to the State Trading Corporation ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : पुराने कानून में भी यह उपबन्ध था। देश में भी कार्यालय खोलने के लिए इन्हें केन्द्रीय सरकार से अनुमति लेनी होती है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Handling charges of the Corporation should also be reduced because its burden falls on the public. The stocks should be released in time to stabilize the prices of foodgrains.

The persons who got defeated in elections should not be appointed as chairman of such big public undertakings. Several allegations have been levelled against the Food Corporation of India. The present chairman is a public leader. He should have tendered his resignation. Enquiry into the allegations should be held at an early date and the facts should be brought before the public.

Shri R.N. Sharma (Dhanbad): I rise to support the Bill. On the 4th September, a debate was held on the functioning of the Food Corporation of India. The Hon. Minister should apprise the House about the improvements made since then. The Food Corporation of India has to give 70 crores of rupees to Flour Mills as subsidy. The taking over of these mills will not cost more than 35 crores of rupees. The Government should take a policy decision in this matter. These mills should be nationalised.

The Government should also think of taking over the Sugar mills otherwise the situation is not going to improve. The Hon. Minister should take a decision as to whether two officers i.e. Chairman and Managing Director are needed for managing the affairs of the Corporation.

Some Gazetted Officers of the Corporation staged a 'Dharna' at the residence of the Prime Minister. Those officers also got the pay for all those days. If these things are allowed to continue then, this practice will increase and there will be no end to it. The Hon. Minister should pay personal attention to all these things.

Shri Sadhu Ram (Phillaur) : I rise to support the Bill. Some attention should have been paid for the welfare of the farmers. They are getting loan at the interest of 10 per cent whereas the industrialists are getting loan at the rate of 3 per cent. This injustice should go. The price of tractors has gone up. Wealth tax has been imposed on the farmers. My request is this that more burden should not be put on the farmers. More amenities should be provided to the farmers so that they could produce more.

No subsidy should be given to the Flour mills. I do not understand why this subsidy is being given to the these mills.

So far as the question of allegations is concerned Government should bear both the sides and then give its verdict. Flour mills should be nationalised and if Government cannot take these mills then these mills should be handed over to the cooperative societies. With these words I support the Bill.

श्री वयालार रवि (चरयिकील) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । इस विधेयक के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम के कार्यक्षेत्र को जम्मू एवं काश्मीर तक बढ़ा दिया गया है । इसके माध्यम में निगम खाद्य तेलों तथा तिलहनों का लेनदेन भी कर सकेगा । अत: बिचौलियों को खत्म किया जा सकेगा । इस विधेयक में नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक को निगम के लेखों की जांच की शक्ति दी गई है । इस प्रकार सरकार निगम की वित्त नीति पर कुछ सीमा तक नियंत्रण रख सकेगी ।

चेयरमैन तथा अन्य अधिकारियों के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये गये हैं । देश में सामान्य भावना यह है कि निगम में कहीं कहीं कुछ त्रुटि अवश्य है । सरकार को लोगों के मन की शंका को दूर करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए । मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि चुनाव में हारे किसी राजनीतिज्ञ को उपक्रम का चेयरमैन नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए । इसमें सिद्धांत की कोई बात नहीं है ।

यदि राज्य खाद्य निगमों को वसूली की पर्याप्त शक्तियां दी जाती हैं तो मेरे विचार में इससे मेरे राज्य तथा लोगों के हितों की हानि ही होगी । पहले ही अनेक क्षेत्रों में वे भारतीय खाद्य निगम से गति चर्चा करने का यत्न कर रहे हैं । अमीर किसान सरकारी मशीनरी को प्रभावित करने में सफल हो जायेंगे । अगर इस प्रकार बोझ उपभोक्ता पर ही पड़ेगा । अत: राज्य खाद्य निगमों को वसूली में अधिकार शक्ति देने का मैं विरोध करता हूं ।

खाद्य निगम के कार्यकाल से कर्मचारियों के हितों को भी हानि पहुंची है। निगम में लगभग 40,000 कर्मचारी काम करते हैं। निगम का कार्मिक विभाग एक बेकार का विभाग है। वह ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। प्रबन्धक वर्ग कर्मचारियों में फूट डालो और शासन करो की नीति अपना रहा है। निगम में अमरीकी प्रकार की संघ पद्धति लागू की गई है। यह ठीक नहीं है।

वहां पर प्रचलित सर्वत्र पद्धति को समाप्त किया जाना चाहिए। इस पद्धति के रहते मजदूरों में समानता तथा मैत्री पूर्ण सम्बन्ध स्थापित नहीं किये जा सकते।

इस समय समूचे विश्व में अनाज की कमी है। समाजवादी देश में पश्चिमी देशों से अनाज खरीद रहे हैं। हरित क्रांति से हमने काफी अनाज पैदा किया है। परन्तु सूखे की स्थिति के कारण इस वर्ष अनाज की पैदावार कुछ कम हुई है। हमने पी० एल० 480 के अन्तर्गत अनाज का आयात बन्द कर दिया है। परन्तु फिर भी श्री बसु सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं।

अनाज की वसूली के लिए विदेशों में कार्यालय खोलना मेरे विचार में कुछ आवश्यक नहीं है। किसी सरकार से अनाज का सौदा करना केन्द्रीय सरकार का काम है। इसमें भारतीय खाद्य निगम कुछ भूमिका नहीं निभा सकता। इससे धन का अपव्यय होगा। परन्तु देश में अनाज की वसूली का खाद्य निगम को एकाधिकार प्राप्त होना चाहिए।

अनाज की वसूली मिल मालिकों की सहायता हेतु नहीं की जानी चाहिए। निगम उपभोक्ताओं की अपेक्षा मिल मालिकों के हितों का अधिक ध्यान रखता है। इसके साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

Shri Ram Gopal Reddy (Nizamabad) : I want to congratulate Shri Shinde for incorporating proper amendments in the bill. The policy of retaining 70 per cent sugar by the mill owners and releasing 30 per cent sugar to the free market is in order because the mill-owners will pay more to the cane-growers by earning more.

The publicmen and the politicians who are Chairmen of some factories should not interfere in the day to day administration of the sugar factories.

The reason for the losses in the Food Corporation is that the Government gives little amount of subsidy to it.

Shri Nathu Ram Mirdha (Nagpur) : I support the objectives behind the proposed amendments in the Food Corporation Bill. Jammu and Kashmir has also been covered under the bill which was in fact necessary. The proposed amendment seeking to bring oil and oilseeds under the purview of Food Corporation, is also in order. Similarly it is also proper to bring the finances of the Corporation under the control of Auditor General.

The sugar policy of the Government is in the right direction. We should take a balanced view in the matter of nationalisation of sugar mills.

We should try to remove the shortcomings of the Corporation as soon as possible. I support the bill.

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : इस संक्षिप्त चर्चा में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं।

हम भारतीय खाद्य निगम की शाखाएं विदेशों में खोलने सम्बन्धी कोई भी नई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। जो एक संशोधन लाया जा रहा है, उसके अनुसार अब खाद्य निगम को देश के अन्दर नई शाखाएं खोलने के लिए सरकार की अनुमति नहीं लेनी होगी। अभी विदेश में हमारा कोई कार्यालय नहीं है। विदेशों में आवश्यकता पड़ने पर, नई शाखाएं खोलने के प्रश्न पर सरकार निश्चत रूप से विचार करेगी।

संशोधन द्वारा ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि जिससे खाद्य निगम सरकार से ऋण ले सके। एक माननीय सदस्य ने राज्य निगमों द्वारा अपने लेखों को भारतीय खाद्य निगम के प्रस्तुत करने पर आपत्ति की है। कोई सरकारी उपक्रम यदि अपनी शाखाओं को पूंजी देता है, तो क्या वह आय व्यय सम्बन्धी लेखे उनसे नहीं मांग सकता। इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु, अधिनियम के प्रावधानों के बारे में बहुत कम बोले। उन्होंने खाद्य निगम के चेयरमैन के विरुद्ध हो रही जांच की अधिक चर्चा की है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच जारी है। सरकार का ध्यान इस ओर लगा हुआ है।

जब कभी भी सरकार इस सम्बन्ध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचे तो आवश्यक दस्तावेज सभापटल पर रखे जायेंगे।

मुझे इस बात की खुशी है कि समूचे सदन ने सर्वसम्मति से प्रस्तावित संशोधनों का समर्थन किया है। भारतीय खाद्य निगम के कार्य सुधार सम्बन्धी कई सुझाव आये हैं। हम इन सुझावों की ओर पूरा ध्यान दे रहे हैं ताकि निगम अपना काम प्रभावशाली ढंग से कर सके।

भारत सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप पिछले तीन चार महीनों से सरकारी एजेंसियां सभी उत्पादों को अपने अधिकार में ले लेती हैं। उससे पहले, मूल्यों पर नियंत्रण रखा जाता था। वर्तमान कमी और कठिन खाद्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि मिलों में परिस्करण के लिए जितना भी गेहूं जाए, उसका वितरण सरकारी वितरण व्यवस्था के माध्यम से हो। अन्य-उत्पादों की कीमतों पर भी पूरा नियंत्रण है। अगर हम कोई राज-सहायता दे भी रहे हैं, तो वह देश के उपभोक्ताओं के हित में दे रहे हैं। इस बारे में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मिलों को गेहूं के उत्पाद बेचने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री नाथू राम मिर्धा (नागौर): आटा मिलों को 15 प्रतिशत नमी की छूट और बोरों की कीमत ही 40 करोड़ रुपए बैठती है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: बिक्री मूल्य की गणना करते समय बोरी की कीमत को भी शामिल किया जाता है। लेकिन राज्य सरकारों को जब हम गेहूं देते हैं तो बोरी की कीमत शामिल नहीं करते।

श्री जे० माता गौडर: (नीलगिरि): खण्ड 6—लेखा परीक्षा के बारे में आप का क्या उत्तर है? यह इस साल से लागू होगी अथवा पिछले साल से?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नियन्त्रक तथा महालेखा-परीक्षक को इस बारे में अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय खाद्य निगम एक सरकारी संस्था है और नियन्त्रक तथा महा लेखा-परीक्षक हिसाब किताब की जांच कर सकता है।

कुछ सदस्यों का यह विचार है कि पी०एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्न का आयात नहीं होना चाहिए। हम व्यापारिक आधार पर खाद्यान्न का आयात करेंगे, चाहे आयात अमरीका से हो या कनाडा या आस्ट्रेलिया से। देश की प्रभुसत्ता और प्रतिष्ठा के बारे में कोई भी समझौता नहीं हो सकता। खाद्यान्न का आयात मामूली कमी की पूर्ति करने के लिए किया जा रहा है और सदस्यों अथवा जनता को इस बारे में कोई भय नहीं होना चाहिए।

गेहूं और चावल के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का भारत सरकार ने निर्णय किया है। यह नीति सम्बन्धी-निर्णय देश के हित में है। खाद्यान्नों की कीमत के कारण मूल्य स्तर पर दबाव नहीं पड़ना चाहिए।

गेहूं और चावल के थोक व्यापार का चरण-बद्ध तरीके से राष्ट्रीयकरण करना होगा। खाद्यान्न एक आवश्यक सामग्री है और हम इस बारे में सप्लाई सुनिश्चित करना चाहते हैं। हम खाद्य निगम के माध्यम से राज्य सरकारों के सहयोग से सीधे उत्पादकों से ही खाद्यान्न की खरीद करेंगे।

जब मूल खाद्य निगम अधिनियम पारित किया गया था, तब यह आशा प्रकट की गई थी कि खाद्य अर्थव्यवस्था में खाद्य निगम की नियन्त्रणकारी स्थिति होगी। भारतीय खाद्य निगम आगामी वर्षों में अवश्य ही इस दिशा में अग्रसर होगा।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 से 7, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

खंड 2 से 7, खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clauses 2 to 7, clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : There is one depot of Food Corporation of India at Digha in Bihar. It has been reported in the newspapers that corruption is prevalent there. The foodgrains supplied from the depot to the rationing depots is not only mixed with dirt and foreign material, but is also always underweight. The Minister should take staunch action against those found guilty.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: मैं मामले की जांच करूंगा और दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1972-73

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL) 1972-73

उपाध्यक्ष महोदय: अब वर्ष 1972-73 के बजट (सामान्य) के बारे में अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा होगी ।

बजट (सामान्य) 1972-73 के बारे में अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :

अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं:

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपए
	I. राजस्व से किया जाने वाला व्यय	
	(औद्योगिक विकास मंत्रालय)	
53	उद्योग	2,16,79,000
	(श्रम और पुनर्वास मंत्रालय)	
63	पुनर्वास विभाग	1,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
	II. पूंजी खात से लिया जाने वाला व्यय तथा ऋणों और अग्रिमों का भुगतान	रुपए
	(वित्त मंत्रालय)	
113	केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले ऋण और अग्रिम	2,18,00,000
	(इस्पात और खान मंत्रालय)	
129	इस्पात और खान मन्त्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	48,51,93,000
	(पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय)	
131	पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	6,89,00,000
	(संचार मंत्रालय)	
136	डाक और तार पर पूंजी परिव्यय (राजस्व से नहीं)	1,000

अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) 1972-73 के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती-प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए ।

मांग सं०	कटौती प्रस्ताव सं०	प्रस्तावक का नाम तथा कटौती का आधार	कटौती की राशि
53	1.	श्री **ज्योतिर्मय बसु**—हेवी इलेक्ट्रीकल्स (इण्डिया) लिमिटेड, भोपाल को लाभ पर चलाने में सरकार की असफलता	100 रु०
129	2.	श्री **ज्योतिर्मय बसु**—ब्रिटेन की एकाधिकार-प्राप्त फर्म, इंडियन कापर कारपोरेशन के प्रति अनुचित पक्षपात करना और 7.50 करोड़ रुपए का प्रतिकार देना	100 रु०
	3.	राष्ट्रीयकरण के बाद कोकिंग कोयला खानों की प्रगति	100 रु०
	4.	कोयला बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात और भाई-भतीबाद	100 रु०
131	5.	श्री **ज्योतिर्मय बसु**—इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का कार्य	100 रु०

[श्री आर०डी० भण्डारे पीठासीन हुए]

[Shri R. D. Bhandara-*in the chair*]

श्री ज्योतिर्मय बसु : खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए कृषि-द्रुत कार्यक्रम बनाए गए हैं, परन्तु इनसे क्षेत्रीय असन्तुलन ही पैदा हुआ है वर्ष 1968-69 से 1970-71 की अवधि के दौरान लघु सिंचाई योजनाओं पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मद्रास, मैसूर, बिहार और पश्चिम बंगाल में 39.43 करोड़ रु०, 39.43 करोड़ रु०, 19.45 करोड़ रु० 21.79 करोड़ रु०, 25.20 करोड़ रु०, 20.23 करोड़ रु० और 17.64 करोड़ रु० व्यय हुआ है। इनसे उत्तर प्रदेश में 14.43, महाराष्ट्र में 3.44, गुजरात में 2.36, मद्रास में 2.73, बिहार में 3.25 और पश्चिम बंगाल में केवल 1.53 हेक्टेयर भूमि की ही सिंचाई हो सकी है। 1971-72 के लिए 1120 लाख टन खाद्यान्न के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था, परन्तु उत्पादन 1046.80 लाख टन ही हो सका, इस प्रकार 73.20 लाख टन खाद्यान्न का कम उत्पादन हुआ है।

सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण कृषि को पूर्णतया प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता है। हाल ही में सूखा, अकाल और पानी की कमी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इससे महाराष्ट्र, गजरात, आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान आदि राज्य प्रभावित हुए हैं।

सरकार ने एक पुस्तिका आत्मनिर्माता और रोजगार के अवसरों के बारे में प्रकाशित की है। इसके अनुसार ग्राम्य रोजगार के बारे में एक द्रुत कार्यक्रम बनाया गया है जिसमें कृषि सम्बन्धी द्रुत कार्यक्रम पर जोर दिया गया है। विभिन्न राज्यों को इन कार्यक्रमों के लिए जितनी राशि का प्रावधान किया गया था, उसमें से केवल थोड़ा सा अंश ही खर्च किया गया है। इस कार्यक्रम के लिए कुल 5,000 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी, परन्तु कुल 3270.96 लाख रुपए ही खर्च किए गए हैं।

सूची V में दिखाए गए द्रुत कार्यक्रम के लिए आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, और हिमाचल प्रदेश के लिए क्रमश: 319 लाख रु०, 458 लाख रु० 237.50 लाख रु०, 87.50 लाख रु० और 125 लाख रु० निर्धारित किये गए थे, जबकि क्रमश: 101.29 लाख रु०, 99.75 लाख रु०, 92.49 लाख रु०, 3.77 लाख रु० और 5.25 लाख रु० ही व्यय किये जा सके।

प्राय: सूखा पीड़ित रहने वाले राज्यों में कार्यक्रमों के लिए आन्ध्र प्रदेश के लिए वर्ष 1970-71 के लिए 284.64 लाख रुपए निर्धारित किये गए थे, जबकि खर्च केवल 186.63 लाख रुपए ही खर्च हो सके वर्ष 1971-72 के लिए 422 लाख रुपए की राशि नियत की गई थी, परन्तु केवल 348 लाख रुपए ही हो सके। गुजरात और मध्य प्रदेश में भी स्थिति खराब है। मध्य प्रदेश के लिए 217 लाख रुपए की राशि इस कार्यक्रम के लिए रखी गई थी, परन्तु केवल 76 लाख रुपए ही खर्च किए गए। वर्ष 1970-71 में महाराष्ट्र के लिए 132 लाख रुपए की राशि नियत की गई थी, परन्तु खर्च 90 लाख रुपए से आगे नहीं बढ़ सका है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की घोर उपेक्षा की है। इस प्रकार सरकार ने जनता की घोर उपेक्षा की है। सरकार की कथनी और करनी में काफी अन्तर है।

भूमि सुधार कार्यक्रम के नाम पर सरकार जनता को धोखा दे रही है। इस प्रकार के विधानों की वजह से भूमि मालिकों के पास पहले से भी अधिक भूमि रह जाएगी। खाद्य समस्या गम्भीर होती जा रही है। पश्चिम बंगाल से तार केन्द्रीय खाद्य मन्त्री को भेजा गया है कि अगर तत्काल ही पश्चिम बंगाल को चावल नहीं भेजा गया, तो कलकत्ता में राशनिंग व्यवस्था समाप्त हो जायेगी।

1970-71 में खान तथा धातु विभाग ने यह अनुमान लगाया था कि 1972-73 में कोककर कोयले की वास्तविक मांग 220 लाख टन की होगी। वर्तमान मांग 200 लाख टन की है, जबकि वास्तविक उत्पादन 150 लाख टन ही है। इस प्रकार मांग और उत्पादन में भारी अन्तर है।

कोयला खानों और कोयला बोर्ड में भी काफी भ्रष्टाचार व्याप्त है। झरिया की लोडना बागडीगा कोयला खानों में आग पर काबू पाने के कार्य का ठेका एक ट्रेवल एजेन्ट को 63,30,000 रु० में दे दिया गया था। अब विभाग को अनुमान से अधिक कितना धन और चाहिए?

कोयला बोर्ड में एक अन्य घोटाला हुआ है। रज्जु मार्ग का कार्य, जिसकी लागत 6 करोड़ रुपए है, एक अमरीकी फर्म न्टर स्टेट इक्विपमेंट कारपोरेशन को दे दिया गया। 1.15 करोड़ रु० के बिलों को ठीक समय पर तैयार नहीं किया गया, जिसकी जिम्मदारी वित्तीय प्रभाग और विशेष रूप से कोयला बोर्ड और अध्यक्ष पर है।

कोयला बोर्ड और उसके अध्यक्ष की वित्तीय पक्ष की उपेक्षा के कारण 1.15 करोड़ रुपये का दावा सरकार के विरुद्ध उस कम्पनी की ओर से हुआ। तीन अधिकारियों को दो बार लन्दन जाना पड़ा और अन्त में 36 लाख रुपए विदेशी मुद्रा में देने पर समझौता हुआ इसके लिए लन्दन में वकीलों का पारिश्रमिक 8 लाख रुपए अलग हुआ।

इस लिए मुझे कहना पड़ता है कि ऐसी सरकार पर मेरा कोई विश्वास नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार और अदक्षता का बोल बाला है। इसी लिए मैं इस मांग का विरोध करता हूं।

जहां तक इण्डियन एयर लाइन्स का प्रश्न है, इसने 1.689 करोड़ रुपए की मांग रखी है। पता नहीं यह निरन्तर घाटे पर क्यों चल रही है। सन् 1970-71 में इसे 1 करोड़ 99.79 लाख रुपए का घाटा हुआ। इसका एक कारण यह है कि इसके सदा ही बेईमान लोगों से व्यापारिक सम्बन्ध रहे हैं।

लोक लेखा समिति ने भी अपने 32 वें प्रतिवेदन में इसे आड़े हाथों लिया है। इतनी बड़ी लागत पर प्राप्त किए गए रडारों में से अभी तक एक भी प्रतिष्ठापित नहीं किया गया है दम-दम हवाई अड्डे पर एक रेस्तरां के ठेकेदार ने 10 वर्ष से किराए का भुगतान नहीं किया है। ऐसा क्यों हो रहा है ? उसने सत्तारूढ़ दल को 50,000 रु० का चन्दा दिया था।

यह धन यदि उसे दे दिया गया तो वे इस कुछ चोरों को दे देगी। अतः मैं इन पूरक मांगों का विरोध करता हूं।

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : The efforts of the Prime Minister regarding 'Garibi Hatao' have borne fruit in certain Parts of India like West Bengal where the party of Shri Jyoti Basu has lost its moorings, but certain other parts of the country like Bihar, U.P., M.P. and Rajasthan remain neglected. So much so that our request to Ministers concerned to tour those areas for taking stock of the situation to improve it is turned down on the plea that there are no rail/road links as well as airports in this region.

I think that these areas continue to be neglected only because people of this region are not vocal and assertive enough in respect of their difficulties and demands. I would suggest that guidelines as to the amount to be spent by respective States in backward areas should be issued while providing funds to them.

As the drought hit and scarcity-hit areas of this region have not been declared as such, the students in this region are not able to prosecute their studies in the absence of 50 per cent subsidy, which they should have got if these areas were declared drought or scarcity areas.

Shri Chavan was given a Memorandum when he visited these areas but no action has so far been taken thereon. Nationalised Banks have introduced Model Farming Schemes in this area but people face many difficulties in getting loans for this purpose.

Poor farmers should be granted bank-loans on personal surety, so as to obviate deductions of 200 or 250 rupees out of a loan of 1000 rupees.

Similarly, loans should be made available to rickshaw-pullers, petty shopkeepers etc. on easy terms. The Head Office of Allahabad Bank, which is a bank of Uttar Pradesh, is located in Bombay and as such most of the financial benefits accrue to concerns in Bombay and Calcutta. It has no branch in hill areas of U.P. like Bundelkhand. These benefits should accrue to farmers of U.P. region.

There is no bridge between Dohri and Chhapra on Ghaggar river, resulting in wastage of much time in reaching Ballia, Deoria, Azamgarh and Gorakhpur. This bridge is, therefore, a must.

The Central Government should provide half the funds for the bridge under construction in Ghazipur. At least 2 or 3 bridges are required over Ghaggar river between Chhapra and Dohrighat and another between Majhi and Bakula to connect these eastern districts and Bihar with U.P.

Regarding Inland Waterways, the freighter which plies between Patna to Ghazipur should be extended upto Allahabad with Central help as the State Government pleads helplessness in the matter. A freighter service should be introduced between Patna to Faizabad. This will help in trade with Bangla Desh apart from West Bengal.

Barauni Refinery is located nearby but no Survey has so far been coducted for setting up ancillary industries in that region. The development of Eastern district is not possible without these Industries.

The recommendations of teams sent to conduct a Survey for setting up leather goods industries have simply been consigned to wastepaper basket. Such industries are necessary to remove unemployment and backwardness in the region. Raw materials are available there in adequate quantities.

The funds provided to U.P. for crash programme to remove unemployment should be double the funds provided to other States for this purpose.

We have been demanding for many years to provide representation in services for Bihar, U.P. and M.P. etc. in proportion to their population.

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) The biggest of these supplementary Demands relate to Agriculture. I, therefore, draw your attention to the bungling with regard to hand Reforms Laws in States as well at the Centre. In Bihar, big landlords are depriving cultivators of their proprietory rights under the new laws. Effective land ceiling is being avoided and the AICC's Panel and Land Reforms Commission Reports have been ignored and escape clauses are being brought in. The Agriculture Minister himself is guilty of circumventing the law in Assam where he owns 1400 acres of land.

The zamindari of the Tatas which was to be taken over under the Bill passed by Bihar Assembly has been blocked by the Central Government. The hold of landlords over Bihar Government continues to be strong. The ceiling of unirrigated land there was fixed at 30 acres, but the Centre again suggested more changes therein. This will result in 80 per cent land escaping the purview of this legislation and will cut at the roots of land reforms.

Regarding Western Kosi Canal, it has been inaugurated thrice but no progress of work is inevidence.

Similarly, no tangible progress has been made in respect of Gandak and Rajasthan Canal projects.

The taking over of Indian Copper Corporation is welcome, but why the British Capitalists shoud be paid any compensation when we know that they did not invest anything from their own pockets ?

The problem of Asians in Uganda and other Asian and African countries needs to be tackled not only on humanitarian level but on political levels also.

श्री के० सूर्य नारायण (एलरू) : मैं इन पूरक मांगों का समर्थन करते हुए दो बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

लाइसेंस या आदेश पत्र जारी करते समय केवल आदेश दे दिए जाते हैं और वित्त, इस्पात और उद्योग मंत्रालय में कोई आपसी तालमेल नहीं रखा जाता है । उदाहरणार्थ, चीनी उद्योग में मेरी सहकारी संस्था को खाद्य निगम से 1 करोड़ रुपए का ऋण मिला था परन्तु कृषि मंत्रालय की सिफारिश पर भी उद्योग खड़ा करने के लिए लोहा आदि उपलब्ध नहीं हुआ । इस प्रकार ससन्वय के अभाव में उद्योगों का विकास असंभव है । मेरे विचार में हमारी नीतियों में उचित वितरण व्यवस्था का अभाव ही हमारी सभी कठिनाइयों और मूल्य वृद्धि के लिए जिम्मेदार है ।

आंध्र प्रदेश में किसानों को जो जस्ते की चादरें पशु-गृह आदि बनाने के लिए सप्लाई की जाती हैं उन पर 80 प्रतिशत लाभ कमाया जाता है । खाद्य निगम,समितियों से 12,000 रुपए कानूनी फीस के रूप में ले रहा है ।

सभापति महोदय : अपना भाषण पूरक मांगों तक ही सीमित रखें ।

श्री सूर्य नारायण : पूरक मागों में तो सभी विभाग आ जाते हैं । औद्योगिक विकास, वित्त और कृषि मंत्री तो यहां उपस्थित हैं । इन बातों पर मैं उनका ध्यान दिला रहा हूं । अब मैं अपने प्रदेश की ज्वलन्त समस्या 'मुल्की नियमों' की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : पूरक मांगों का इन से तो कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री सत्यनारायण : गृह और वित्त मंत्रालय इससे संबंधित हैं। अतः मुझे ये बातें कहने की अनुमति दें। वैसे भी मुझे बहुत कम अवसर मिलता है।

पिछले दिनों श्री गुप्त ने भूस्वमियों और खम्मा समुदाय के बारे यहां काफी कुछ कहा था। मैं उन्हें बताना चहाता हूं कि मेरे राज्य में उनकी पार्टी के नेता स्वयं एक भूस्वामी के पुत्र हैं और उनकी सम्पति 100 एकड़ बनती है। उनके नेताओं को इस प्रकार भ्रामक बातें नहीं कहनी चाहियें। वह अपनी पार्टी की ओर से एक समिति बना कर सभी मामलों की जांच करा सकते हैं। मैं जानता हूं कि आंध्र प्रदेश के अस्तित्व में आने से पूर्व कितने साम्यवादियों ने कितनी भूमि अर्जित की हैं। आंध्र प्रदेश सरकार अब कार्यवाही कर रही है जिसका परिणाम शीघ्र ही हमारे सामने आ जाएगा।

***श्री जे० माता गौडर** (नीलगिरि): मैं अपने दल डी०एम०के० की ओर से इन पूरक मांगों के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं।

मांग संख्या 53 के अनुसार हैवी इलैक्ट्रिकल्स, भोपाल के लिए 216.70 करोड़ रुपए की मांग की गई है। इस सरकारी कारखाने में 31 मार्च, 1972 तक 31.36 करोड़ रुपए का कुल घाटा हो चुका था। 11 वर्ष में भी यह कम्पनी घाटे की स्थिति से नहीं उभर सकी है। आशा है मन्त्री महोदय स्थिति में सुधार लाने के लिए सभी संभव प्रयत्न करेंगे।

मांग संख्या 129 धातु छीजन व्यापार निगम के लिए है। मैं चाहूंगा कि छीजन के नीलाम की वर्तमान प्रक्रिया तुरन्त समाप्त करके यह कार्य प्रस्तावित निगम के माध्यम से किया जाये, क्योंकि वर्तमान प्रक्रिया में गंभीर अनियमितायें हैं। इस मांग में सेलम इस्पात कारखाने सम्बन्धी सूचना से ज्ञात होता है कि इसे पूरा करने में 10 वर्ष लगेंगें जबकि एक प्रश्न के उत्तर में आज ही बताया गया है कि यह कारखाना 1979 में पूरा हो जाएगा। मेरा अनुरोध है कि इसे यथासंभव शीघ्र पूरा करके हमारे स्वप्न को साकार किया जाये।

बम्बई में डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या 27,911 है और यदि 25 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था करने का लक्ष्य पूरा करना है तो 7000 फ्लैटों की आवश्यकता होगी। सरकार 28 लाख की लागत से 60 फ्लैट वाली दो प्राइवेट इमारतें खरीदने जा रही है ताकि वे बम्बई के डाक तथा तार कर्मचारियों को दिये जा सकें। इस समय केवल 1971 फ्लैट हैं और इनमें से भी 842 फ्लैट निर्माणाधीन हैं। मैं इस प्रयोजन के लिए प्राइवेट इमारतें खरीदने के पक्ष में नहीं हूं। सरकार को इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर निर्माण कार्यक्रम आरम्भ करना चाहिए। यदि ऐसा किया जाये तो राज्य तथा केन्द्रीय सरकार को काफी कम मूल्य पर प्राइवेट इमारतें मिल सकेंगी।

इन अनुपूरक मांगों में 150 करोड़ रुपए की लागत के कृषि द्रुत उत्पादन कार्यक्रमों की व्यवस्था है। गत वर्ष द्रुत रोजगार कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। परन्तु यह कार्यक्रम सफल नहीं हुआ है। इस प्रयोजन के लिए नियत अधिकांश राशि अप्रयुक्त पड़ी है। इसका मुख्य कारण यह है कि कोई रचनात्मक कार्यक्रम नहीं बनाए गए थे और राज्य सरकारों को समय पर धन उपलब्ध नहीं किया गया था। मैं यह नहीं चाहता कि 150 करोड़ रुपए की लागत के कृषि द्रुत उत्पादन कार्यक्रम भी इसी प्रकार समाप्त हो जाये। इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए।

मांग संख्या 131 के अन्तर्गत इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के लिए 6.89 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यह बताया गया है कि इस राशि का मुख्य भाग उपरोक्त कारपोरेशन के कर्मचारियों की बढ़ी हुई मजूरी और वेतनों पर खर्च होगा। यदि यह बात ठीक है तो इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन से चार मुख्य ट्रंक मार्गों को ले लेने और उन्हें एयर इण्डिया को सौंप देने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। यदि ऐसा किया गया तो इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को अधिक घाटा होगा। फिर इस घाटे को पूरा करने के लिए अधिक धनराशि की व्यवस्था करनी होगी। एयर इण्डिया के पास यातायात की आवश्यकता से अधिक विमान हैं और इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के पास देश में आवश्यकता से कम विमान हैं और दोनों को घाटा हो रहा है। दोनों उपक्रमों को लाभप्रद बनाने के लिए उनमें अधिक समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए।

---

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

देश के अनेक भागों में सूखे की स्थिति का मुख्य कारण पर्याप्त मात्रा में विद्युत का उपलब्ध न होना है। देश के सूखाग्रस्त और बाढ़ वाले क्षेत्रों में विद्युत परियोजनाएं आरम्भ करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यदि विद्युत प्रजनन के लिए शीघ्रतम उपाय न किये गए तो देश को गम्भीर संकट का सामना करना पड़ेगा।

श्री एस० ए० कादर (बम्बई—मध्य दक्षिण): 4 नवम्बर, 1972 के ब्लिट्ज़ में एक लेख प्रकाशित हुआ था। इस में लिखा था कि एक राष्ट्रीकृत बैंक का कस्टोडियन सेवा निवृत्त हो गया था। उसके एक महीने बाद निदेशक बोर्ड की बैठक हुई। इस कस्टोडियन को बहुत कम मूल्य पर बैंक की एक कार दी गई है और उसको बैंक के मकान में रहने की अनुमति भी दी गई कहते हैं कि दिल्ली में उसके दो मकान हैं। क्योंकि वह उनको खाली नहीं करवा सका इसलिए उस को बैंक के मकान में 400 रुपए या 500 रुपए के किराये पर रहने की अनुमति दी गई है। जबकि बैंक को उसके लिए 3000 या 4000 रुपए से कम नहीं देने होंगे। यह व्यक्ति उनमें 2 वर्ष तक रहा। फिर 10,000 रुपए के मूल्य के तीन वातानुकूलक उसको 2,292 रुपए में दे दिये गए। इसी प्रकार 6 गलीचे और आल्मारियां भी उसको बहुत कम मूल्य पर दे दी गई। मुझे आशा है कि सरकार इस मामले की जांच करेगी। निदेशक मण्डल में सरकार का एक नामनिर्देशित व्यक्ति भी शामिल होगा? क्या वह भी उस समय वहां पर उपस्थित था जब इस प्रकार का संकल्प पारित किया गया था? क्या वित्त मन्त्री को उपरोक्त मामले की जानकारी है और यदि यह बात सही है तो क्या इसकी जांच की जा रही है? यदि यह बात गलत है तो उन्हें इस पत्रिका के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए क्योंकि इस मामले में एक मूलभूत प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है और वह यह कि क्या हमारे राष्ट्रीयकृत अभिकरण ठीक दिशा में काम कर रहे हैं, यदि नहीं, तो हमारी क्या स्थिति होगी? अधिकांश सरकारी उपक्रम घाटे पर चल रहे हैं। यदि देश के शासन की बागडोर संसद के अधीन नहीं है तो हमें ऐसी कार्यवाही करनी चाहिए जिससे समूची प्रशासन प्रणाली संसद के अधीन लाई जाये अन्यथा हमें जनता का प्रतिनिधित्व करने का हमें कोई अधिकार नहीं है।

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल (मुरादाबाद): आजकल जब हम प्रगति के बारे में विचार करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में आर्थिक गतिरोध पैदा हो गया है। स्थिरता के नाम पर मूल्यों में वृद्धि हो रही है और सामाजिक न्याय के नाम पर बेरोजगारी बढ़ रही है। हमारे नेता विचारधारा, नीतियों और सिद्धान्तों की दुहाई देते हैं परन्तु जब हम परिणाम देखते हैं तो पता चलता है कि वर्तमान सरकार की कोई विचारधारा नहीं है। उनकी न कोई नीति है और न ही कोई सिद्धान्त है। उनकी केवल एक विचारधारा है और वह यह कि किसी न किसी प्रकार से सत्ता सम्भाले रखना है।

आज सरकार की ओर से परस्पर विरोधी वक्तव्य दिये जा रहे हैं। एक ओर कहा जाता है कि देश को गम्भीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है परन्तु दूसरी ओर कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। मेरे विचार में सरकार देश में गम्भीर स्थिति का सामना करने में असमर्थ है। सरकार की आर्थिक नीतियां असफल रही हैं और आज जन-साधारण सरकार को असहाय मानने लगा है। वह बिल्कुल निराश हो चुका है। यदि आर्थिक नीतियों में कोई आमूल परिवर्तन नहीं किया गया तो मूल्यों में कभी भी स्थिरता नहीं आ पायेगी और इन अनुपूरक मांगों के पास होने पर वर्ष 1973 के मध्य तक मूल्यों में 10 प्रतिशत की और वृद्धि हो जायेगी। अतः इन मांगों का समर्थन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक सरकार यह न आश्वासन दे कि इससे अतिरिक्त घाटे की व्यवस्था नहीं होगी। बजट पेश करते समय वित्त मन्त्री ने चालू वर्ष के लिए 252 करोड़ रुपए की घाटे की अर्थव्यवस्था की थी परन्तु अब हमें बताया जा रहा है कि यह 450 करोड़ रुपए तक पहले ही पहुंच चुकी है। अक्तूबर, 1972 को समाप्त होने वाले बारह महीनों में बैंक ऋण 1288 करोड़ रुपए का हो चुका था। इससे पता चलता है कि घाटे की अर्थव्यवस्था का वास्तव में क्या प्रभाव पड़ रहा है। गत वर्ष भी हमें बताया गया था कि घाटे की अर्थव्यवस्था केवल 710 करोड़ रुपए की है जबकि वास्तव में 1100 करोड़ की थी। सरकार ने हमें यह भी बताया कि सरकार पर ऋण 215 करोड़ रुपए से बढ़ कर 423 करोड़ रुपए हो गया है। बंगला देश शरणार्थी निधि अब भी जारी है। इन सब राशियों से घाटे की अर्थव्यवस्था गत 12 महीनों में बढ़ते बढ़ते 1300 करोड़ रुपए से भी अधिक हो चुकी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि देश में वर्तमान आर्थिक गतिरोध के लिए वित्तीय नीति जिम्मेदार है। जब तक आर्थिक नीतियों पर परिवर्तन नहीं किया जाता तब तक अर्थव्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो सकता।

हमने सुझाव दिया है कि कम से कम एक वर्ष के लिए घाटे की कोई अर्थव्यवस्था न की जाए। हमारा दूसरा सुझाव यह है कि उपभोक्ता वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क कम किया जाए। तीसरा सुझाव यह है कि कृषि और औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिये जाने चाहिएं। फिर देश में काले धन पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये। इसके साथ ही हमें दोषपूर्ण वितरण प्रणाली में भी सुधार करना चाहिये। अन्त में हमने यह सुझाव दिया

है कि अनुत्पादक और गैर योजना व्यय में कम से कम 10 प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए। मुद्रास्फीति रोकने का केवल यही तरीका है। सरकार को या तो अपने खर्च में भारी कमी करनी चाहिए अथवा मुद्रास्फीति रोकने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए। यदि ऐसा न किया गया तो मुझे इस बात की आशंका है कि देश में कहीं राष्ट्रव्यापी हिंसा न भड़क उठे। आज समस्त लोकतन्त्र प्रणाली खतरे में है। यदि जनसाधारण का सरकार से विश्वास उठ गया तो निश्चय ही लोकतन्त्र खतरे में पड़ जायेगा। सरकार जितनी जल्दी मूल्यों में वृद्धि को रोक ले उतना ही अच्छा होगा।

Shri Krishna Chandra Pandey (Khalilabad) : I support these supplementary demands. I would, however, like to draw the attention of the Finance Minister towards the neglected areas of Eastern Uttar Pradesh. I had requested the Minister for industrial development to accept the recommendations of Patel Commission so that development work could be done in these backward areas of Uttar Pradesh. But nothing has been done. Paddy crop has been destroyed because of draught in Basti district. Government has not given any relief so far. I would request the hon. Minister to give necessary assistance to the draught affected areas of Basti district.

It will be observed that poor people are neither being benefited by land ceiling nor by nationalisation of banks. The time has come when verbal assurances will not do. Government should undertake onstructive programmes to remove poverty. The responsibility of implementing the Crash programmes should not be entrusted to bureaucrats only. The people should have a feeling of participation. The money earmarked for development should be spent in such a way that the poor people should also see its impact. In spite of nationalisation of banks the weavers of Basti district have to face great hardship for getting any loan or assistance from these banks. I would request the hon. Minister to set up a yarn Mill in this area so that the weavers may coutinue to get thread for running their Industry.

Shri Dhan Shah Pradhan (Shahdol) : India is passing through a critical stage of development. The facilities of supply of power and water should be extended to the villages. The places where there are no rivers, small dams on tributaries should be constructed to provide facilities for irrigation. Government should sink tubewells in the draught affected areas. Labour unrest should be removed . The loans taken by the people of draught affected areas should be written off. Before concluding I would request the hon. Minister to take steps to implement the Bansagar irrigation scheme.

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० सरोजनी महिषी): इण्डयन एयर लाइन्स के पास विमान कम होने के बावजूद भी इसकी सेवाओं में विस्तार तथा सुधार हुआ है। पूर्वी क्षेत्र में भी इण्डयन एयर लाइन्स की सेवाओं में विस्तार हुआ है। अगरतला में विमान क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है और हवाई पट्टी को भी मजबूत किया जा रहा है तथा बढ़ाया जा रहा है जिससे 737 विमान सेवा को वहां तक पहुंचाया जा सके। गोहाटी में भी 737 विमान सेवा आरम्भ की जा रही है। इण्डियन एयर लाइन्स का विचार अल्पावधि में ही बोइंग 737 सेवा को समस्त राज्यों की राजधानियों में चलाने का है। अत: यह कहना ठीक नहीं है कि पूर्वी क्षेत्र में विमान सेवाओं का विकास नहीं हुआ है। पूर्वी क्षेत्र में किराये में 50 प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं हुई है। मेघालय में बड़ापानी, और मिजोरम में आईजाल में वर्ष 1973 पूर्वार्द्ध में हवाई अड्डे खोल दिए जायेंगे।

कलकत्ता हवाई अड्डे की उपेक्षा करने की शिकायत उचित नहीं है। कलकत्ता एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और कलकत्ते के हवाई अड्डे पर टरमिनल भवन के निर्माण तथा अन्य सुविधाओं पर 3 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि खर्च की गई है। कलकता हवाई अड्डे से प्रतिसप्ताह सौ निर्धारित अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें की जाती हैं। कलकत्ता क्षेत्र में धीरे धीरे और अधिक सुधार किए जायेंगे। इण्डियन एयर लाइन्स और अन्तर्राष्ट्रीय अधिकारियों द्वारा पूर्वी क्षेत्र में विमान यातायात में वृद्धि के लिए यथासम्भव प्रयास किए जा रहे हैं।

यह सच है कि आयातित रेडारों के स्थापित करने में विलम्ब हुआ है। विभाग ने रेडारों को स्थापित करने के लिए उचित कार्यवाही की है।

श्री कोजारेव का मामला न्यायालय में विचाराधीन है अतः इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।

तीन स्काई मास्टर बेचे गए थे और उनकी किश्तों का निर्धारित तिथि पर भुगतान किया जा रहा है। केवल दो किश्तें 1,20,000 रुपए की बकाया हैं जिनका क्रमशः भुगतान 31-11-72 और 28-2-73 को किया जाना है।

इण्डियन एयर लाइन्स प्रशंसनीय कार्य कर रही है और वह अपनी सेवाओं का नए हवाई अड्डों पर विस्तार करने का प्रयास कर रही है। गत दिसम्बर युद्ध में इण्डियन एयर लाइन्स के विमान चालकों, इंजीनियरों और कर्मचारियों ने बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है। माननीय सदस्यों के सुझावों का स्वागत है।

मुझे दुःख है कि पालम हवाई अड्डे पर सितम्बर में 60 बार, अक्तूबर में 40 बार और नवम्बर में लगभग 20 बार बिजली फेल हुई। लेकिन दस सैकिण्ड के भीतर ही हवाई अड्डे पर आपात सेवा की सहायता से बिजली व्यवस्था कर दी गई थी।

श्री भगवत झा आजाद (भागलपुर): माननीय मन्त्री ने उल्लेख किया है कि कलकत्ता में पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिये कई करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं। भागलपुर के साथ, जो राज्य का सबसे पुराना डिवीजनल कस्बा है, सौतेला व्यवहार करने के क्या कारण हैं?

श्री के० सूर्यनारायण (एलूरू): हैदराबाद, कलकत्ता सीधी विमान सेवा आरम्भ करने से पूर्व लोग दिल्ली से विजयवाड़ा उसी दिन पहुंच सकते थे लेकिन अब ऐसा सम्भव नहीं है। क्या सरकार पुनः ऐसी व्यवस्था करेगी कि दिल्ली से जाने वाले व्यक्ति विजयवाड़ा उसी दिन पहुंच सकें?

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Whenever air reservations are cancelled 50 per cent are charged. In case a passenger does not get a seat in the plane 25 per cent are charged for cancellation of ticket. I want to know what steps have been taken to reduce this amount and for making arrangement of Hindi Newspapers in the aeroplanes.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : I want to know whether there is any scheme under consideration for the development of the Patna Airport ?

डा० सरोजिनी महिषी: बिहार में पटना, रांची और मुजफ्फरपुर के लिये विमान सेवाएं हैं। पटना के लिए विमान सेवा 737 चालू की जा रही है।

टरमिनल भवन का वर्ष 1973 के पूर्वार्द्ध तक विस्तार हो जायेगा इस बारे में निर्णय ले लिया गया है।

विमानों की कमी के कारण विमान सेवा को भागलपुर तक आरम्भ नहीं किया गया।

विजयवाड़ा के लिये एक अन्य सेवा आरम्भ किये जाने के बारे में ध्यान दिया जायेगा।

टिकट कैंसल करने पर 50 प्रतिशत और 25 प्रतिशत चार्ज करने का उल्लेख किया गया है। यदि ऐसा नहीं किया जायेगा तो यात्री यदाकदा टिकट कैंसल कराते रहेंगे। जो यात्री यात्रा करना चाहते हैं उन्हें पहले ही अपना टिकट कैंसल कराना चाहिये। आपातकालीन अवस्था में इण्डियन एयरलाइंस इस प्रतिशतता को घटाने में बहुत उदार है। हिन्दी समाचार पत्रों को विमानों में रखने के बारे में निर्णय ले लिया गया है और उसे क्रियान्वित किया जायेगा।

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to know whether some steps have been taken to reduce the percentage of cancellation charges ?

डा० सरोजिनी महिषी : श्री गौडर के प्रश्न के उत्तर में मुझे यह कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। एयर इंडिया सेवाएं बम्बई—कलकत्ता और बम्बई—दिल्ली मार्गों पर चल रही हैं। एयर-इंडिया का इंडियन एयर लाइंस

के मार्गों पर सेवाएं आरम्भ करने का कोई प्रश्न नहीं है। इंडियन एयर लाइन्स ने एयर इंडिया से बोइंग 707 विमान अपनी सेवाओं के लिए ले लिये हैं।

Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheswar Prasad): In reply to Shri Gowder's question regarding Heavy Electricals, Bhopal I may inform him that several steps have been taken to improve the management of Heavy Electricals, Bhopal.

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार 24 नवम्बर 1972/ 3 अग्रहायण 1894 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, the 24th November, 1972/ Agrahayana 3, 1894 (Saka)

MGIPNLK—1/Lok Sabha/73—21-273—490 Copies.